लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30.04.2007

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 2 अगस्त, 2006/11 श्रावण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		1-2
सदस्यों द्वारा निवेदन		
(एक)	दादरी, उत्तर प्रदेश में स्थापित विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में	5-6
(दो)	महिला आरक्षण विधेयक के बारे में	403-407
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	141 से 144	7-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	145 से 160	38-68
अतारांकित प्रश्न संख्या	1039 से 1102 और 1104 से 1208	68-355
सभा पटल पर रखे गए पत्र		355-371
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		371
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
बाईसवां प्रतिवेदन		373
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
बारहवां प्रतिवेदन		373
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन		374
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
विवरण		374
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति		
(एक)	तेरहवां प्रतिवेदन	374
(दो)	विवरण	375

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन 375

सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

उन्नतीसवें से तैंतीसवां प्रतिवेदन 376

श्रम संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन 376

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन 377

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन 377

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जल विवाद अधिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न पंचाटों के कथित उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति

श्री अर्जुन सेठी 378

प्रो. सैफुद्दीन सोज 378

श्री भर्तृहरि महताब 382

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी 384

प्रो. एम. रामदास 387

श्री के.एस. राव 387

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तरांचल के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर विकास खंड को दूरस्थ क्षेत्र के रूप में चिह्नित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह "बाबा" 411

(दो) देश में आर्मों के भंडारण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री बाडिगा रामकृष्णा 412

विषय

(तीन) रेलवे पुलिस द्वारा बरामद बच्चे के राजकीय बाल गृह नागपुर, महाराष्ट्र से गायब होने की घटना की जांच कराये जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल पटले 413

(चार) 18 दिसम्बर को मनाई जाने वाली गुरू घासीदास जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले 414

(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ की न्यामगिरि पर्वतीय खनन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव 415

(छह) राजस्थान के बारां जिले में स्थित स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 415

(सात) राजस्थान की जनता के लिए सूखा राहत जारी करने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिशनोई 416

(आठ) घरेलू वनस्पति विनिर्माण उद्योग को असमान प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु श्रीलंका से वनस्पति के आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी 416

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखुड, में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उनको विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया. 417

(दस) बिहार के बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लम्बित निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा 417

विषय — कॉलम

(ग्यारह) जीवन बीमा अभिकर्ताओं की मांगों पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 418

(बारह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़-धेबेवाड़ी एम.डी.आर. पर धेबेवाड़ी में वांग नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 419

(तेरह) एन.एल.सी. द्वारा जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनको रोजगार तथा बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी . . 420

बीमांकक विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के.एस. राव 421

श्री वरकला राधाकृष्णन. 425

श्री शैलेन्द्र कुमार 428

श्री गणेश प्रसाद सिंह 429

श्री भर्तृहरि महताब 430

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 433

श्री विक्रम केशरी देव 434

श्री खारबेल स्वाईं 436

श्री पवन कुमार बंसल 438

खंड 60 से 2 और 1 446

पारित करने के लिए प्रस्ताव 446-463

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती रेनुका चौधरी 464

विषय कॉलम

श्रीमती सुमित्रा महाजन 499

श्री अधीर चौधरी 509

श्री पी. मोहन 513

श्री शैलेन्द्र कुमार 517

श्री आलोक कुमार मेहता 520

श्री ई.जी. सुगावनम 522

श्री ब्रह्मानंद पंडा 525

श्री पन्नियन रवीन्द्रन 527

श्रीमती नीता पटैरिया 529

श्री डी. नरबुला 532

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 533

श्री मधुसूदन मिस्त्री 535

श्री रामकृपाल यादव 535

चौधरी लाल सिंह 539

खंड 20 से 2 और 1 550

पारित करने के लिए प्रस्ताव 550-568

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कथित रूप से लापता हो जाने के संबंध में गठित न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट

श्री प्रबोध पाण्डा 468

श्री सुव्रत बोस 474

मंत्री द्वारा वक्तव्य

एन.टी.पी.सी. और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित दादरी विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के बारे

श्री विजय हान्डिक 492-496

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 591-592

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 591-602

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 603-604

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 605-606

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 2 अगस्त, 2006/11 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे निधन संबंधी उल्लेख करना है।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारी पूर्व सहयोगी डा. (श्रीमती) फूलरेनु गुहा को दुखद निधन की सूचना देनी है।

डा. (श्रीमती) फूलरेनु गुहा 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा की सदस्य रहीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कॉटई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, डा. गुहा 1964 से 1970 तक राज्य सभा की सदस्य थीं और उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल प्रशासक डा. गुहा ने केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने मार्च 1967 से फरवरी 1969 तक समाज कल्याण मंत्रालय तथा फरवरी 1969 से जून 1970 तक विधि मंत्रालय का पदभार संभाला।

एक बहुआयामी और मधुर व्यक्तित्व की स्वामिनी डा. गुहा 'फूल दी' के नाम से लोकप्रिय थीं। वर्ष 1977 में उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया गया था।

एक स्वतंत्रता सेनानी डा. गुहा जुगान्तर रेवोल्यूशनरी पार्टी और आजाद हिन्द रिलीफ कमिटी (महिला प्रभाग) से सम्बद्ध थीं।

डा. गुहा बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक निकायों से संबंद्ध थीं और उन्होंने अपना जीवन बेसहारा महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास तथा हस्तशिल्प के विकास में लगाया। उन्होंने विभिन्न राज्य और केन्द्रीय संगठनों में अलग-अलग पदों पर कार्य किया। वर्ष 1971 से 1972 तक वे भारत सरकार के योजना आयोग की बाल कल्याण समिति के कार्यबल की तथा वर्ष 1972 से 1975 तक भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति (भारत सरकार) की चेयरमेन रहीं। वह वर्ष 1960 से 1964 तथा 1966 से 1968 के दौरान अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की क्रमशः महासचिव और उपाध्यक्ष रहीं। वर्ष 1970 से 1973 के दौरान डा. गुहा भारतीय बाल कल्याण परिषद् की अध्यक्ष भी रहीं।

डा. गुहा ने साहित्य में भरपूर योगदान दिया और उन्होंने बंगला और अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखीं।

डा. (श्रीमती) फूलरेनु का निधन 94 वर्ष की आयु में 28 जुलाई 2006 को कोलकाता में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। अतः मैं सभा तथा अपनी ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, आज के पेपर में छपा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 141।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बारी-बारी से बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री राजनरायन बुधौलिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापिस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका 'नोटिस' मिला है मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। मैं आपसे अपने-अपने स्थान पर जाने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. राम गोपाल यादव, मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापिस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापिस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे किसी का नाम पुकारना पड़ेगा, आप सभा में अव्यवस्था फैला रहे हैं। सभा के सदस्य प्रतिदिन यह क्या कह रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इसके प्रति प्रतिबद्ध हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लीडर को बोलने के लिए बुला रहा हूं। श्री शैलेन्द्र कुमार, आप सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। अगर जरूरत होगी तो आपको बुलाएंगे।

(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनको कहा है। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बात सुनने का मौका दीजिए। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। आपके मैम्बर्स एक मिनट के अन्दर वैल में आ गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में अपनी बात कहने का एक तरीका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री राजनरायन बुधौलिया और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

दादरी, उत्तर प्रदेश में स्थापित विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकताओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपको नियमों के अंतर्गत इस बात का अधिकार प्राप्त है कि कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में प्रश्न काल स्थगित करके जनता के बुनियादी प्रश्न पर चर्चा करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की 50 करोड़ जनता को बिजली की आपूर्ति के लिए दो परियोजनाएं – एक भारत सरकार की एनटीपीसी और दूसरी गैस आधारित दो परियोजनाएं वहां शुरू होनी थी लेकिन जब उनको शुरू होना था, देश की एक प्रतिष्ठित कारपोरेट हाउस की दो कम्पनियां, एक गैस उत्पादन करने वाली और दूसरी गैस कंज्यूम करके बिजली उत्पादन करने वाली थी। बाद में उस कारपोरेट हाउस में बंटवारा हुआ। हाई कोर्ट द्वारा यह बंटवारा हुआ था, जिसमें निश्चित हुआ कि पहले से दो कंपनियों का जो अनुबंध था, उसके अंतर्गत गैस आधारित एक बिजली का कारखाना खोला और उसको उचित कीमत पर गैस की आपूर्ति करनी थी लेकिन भारत सरकार ने, गैस का भाव क्या होगा, इसके लिएएक साल से पत्रावली दबा कर अपने पास रखी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार की भी एक कंपनी एनटीपीसी अपने कारखाने को चालू नहीं कर पा रही है और उस कारपोरेट हाउस का जिस के जरिए उत्तर प्रदेश को 25 फीसदी बिजली मिलनी थी, शेष भारत के दूसरे राज्यों को 75 फीसदी बिजली मिलनी थी, बिजली की आपूर्ति की समस्या के समाधान की वे परियोजनाएं एक कुंजी थी लेकिन भारत सरकार की सुस्ती के चलते उस परियोजना पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा एक वक्तव्य देने की मांग करता हूं तथा सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करवा कर, उस परियोजना की गैस आपूर्ति की दर को भारत सरकार एक सप्ताह के भीतर निर्धारित कर, चालू करवाने में पहल करे। मैं आपसे अपनी करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इसे उचित तरीके से उठाया है। मैं सरकार को निर्देश दे रहा हूं कि आज सभा की बैठक समाप्त होने से पहले इस विषय पर वक्तव्य दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री के ध्यान में यह बात लाऊंगा और वे माननीय श्री मोहन सिंह की आकांक्षा के अनुरूप इसका उत्तर देंगे?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुनी जाए। सदन में प्रधान मंत्री जी बैठे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, मैं उचित समय पर आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया अब सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे यह अपील करता हूं कि ऐसा न करें और कृपया इस संस्था की छवि धूमिल न करें। यदि आप बैठ जाते हैं तो मैं आपको बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा। अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 141, श्री भर्तृहरि महताब।

[अनुवाद]

पूर्वी-दक्षिणी गलियारों को चार लेन का बनाना

+

*141. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री अनन्त नायक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलकाता से चेन्नई जाने वाले पूर्वी-दक्षिणी गलियारे को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख क्या है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) संभवत: स्वर्णिम चतुर्भुज के कोलकाता-चेन्नई महामार्ग को कोलकाता से चेन्नई तक पूर्व-दक्षिण महामार्ग कहा गया है। इस महामार्ग की कुल लंबाई 1684 कि.मी. है। 1551 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष 133 कि.मी. लंबाई में कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) ठेकेदारों को विवेकाधीन अग्रिम तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र में छूट दी गई है। ताकि वे अपनी नकदी की समस्या से निपट सकें।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के बीच नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण कानून-व्यवस्था की समस्या आदि जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यों पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) ऐसे मामलों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के इच्छापुरम-गंजम और चंपावती-श्रीकाकुलम खंडों जहां ठेके रद्द किए गए थे, में सिविल ठेके पुन: सौंप दिए गए हैं।

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज के चेन्नई-कोलकाता महामार्ग की अनुमानित लागत 7948 करोड़ रु. है।

(ग) ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) इस महामार्ग पर अब तक हुई प्रगति 92 प्रतिशत है।

अनुबंध

स्वर्णिम चतुर्भुज के चेन्नई-कोलकाता महामार्ग में शेष खंडों की स्थिति

क्रम सं.	खंड	कुल लंबाई (कि.मी.)	4 लेन बनाने का कार्य पूर्ण (कि.मी.)	4 लेन बनाए जाने के लिए शेष (कि.मी.)	पूरा करने की लक्ष्य तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश में चंपावती नदी - श्रीकाकुलम (49.00 से 97.00 कि.मी.)	48.00	42.00	6.00	दिसंबर, 2006

1	2	3	4	5	6
2.	उड़ीसा में खुर्दा-भुवनेश्वर (387.700-414.000 कि.मी.)	27.15	22.75	4.40	दिसंबर, 2006
3.	उड़ीसा में भद्रक-बालासोर (136.500 से 199.141 कि.मी.)	58.54	33.54	25.00	दिसंबर, 2007
4.	उड़ीसा में चंडीखोल से बालासोर (पुल पैकेज) (61/0 से 199.141 कि.मी.)	11.59	5.39	6.20	दिसंबर, 2006
5.	उड़ीसा में सुनखला-गंजम (338.000 से 284.000 कि.मी.)	56.16	21.412	34.748	दिसंबर, 2007
6.	उड़ीसा में गंजम से इच्छापुरम (284.000 से 233.000 कि.मी.)	50.80	0.00	50.80	नवंबर, 2008
7.	उड़ीसा में लक्ष्मणनाथ-बालोसार (53.410 से 0.00 कि.मी.)	53.41	48.81	4.60	मार्च, 2007
8.	पश्चिम बंगाल में धनकुनी-कोलाघाट (17.6 - 72 कि.मी.)	54.40	54.40	—	दिसंबर, 2006
9.	पश्चिम बंगाल में पुल पैकेज (17.6 - 136 कि.मी.)	1.732	0.48	1.252	मार्च, 2007
10.	उड़ीसा/पश्चिम बंगाल में पुल पैकेज (0 - 119.275 कि.मी.)	—	—	—	अगस्त, 2006
	जोड़	361.782	228.782	133.00	

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, ऊर्जा के बाद अब हम गति की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I, जो कि प्रमुखत: चार महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, का 92.5 प्रतिशत भाग 30 जून, 2006 तक पूरा हो गया है।

इसी सभा में श्री सिंधिया द्वारा 26 जुलाई को उठाये गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कनिष्ठ मंत्री महोदय ने यह बताया है। उन्हीं माननीय मंत्री महोदय ने 25 अगस्त, 2005 को राज्य सभा में उत्तर देते हुए यह बताया कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का 92 प्रतिशत कार्य दिसम्बर 2006 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। उस उत्तर में यह बताया गया था कि समाप्त की गई चार संविदाओं से संबंधित 1501 कि.मी. लम्बे मार्ग का निर्माण कार्य तथा इलाहाबाद बाई-पास के 84 कि.मी. लम्बे मार्ग का निर्माण कार्य जो कि वर्ष 2004 में ही सौंपा गया है, के अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शेष भाग अर्थात् 96 प्रतिशत हिस्सा जून 2006 तक पूरा हो जाएगा। अब अगस्त का माह चल रहा है। इससे क्या संकेत मिलता है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, इस वर्ष जून तक यह अपेक्षा की गयी थी कि इसमें चार प्रतिशत की वृद्धि होगी परंतु इस दौरान ऐसा हो नहीं पाया। इसके क्या कारण रहे?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत से ठेकेदारों ने समय पर कार्य पूरा नहीं किया। विशेषकर उड़ीसा के मामले में जहां तक कोलकाता-चेन्नई मार्ग का संबंध है, भूमि डाइवेज नामक एक ठेकेदार विशेष को 32 माह की अवधि में एक खंड विशेष पर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा करना था। परंतु 13 माह बीत जाने पर भी वह केवल 11.26 किलोमीटर मार्ग का ही निर्माण कर सका। अत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसका अनुबंध समाप्त करके पुन: संविदा बुलानी पड़ी। परंतु पुन: संविदा के समय, हमें पता चला कि उस विशिष्ट सफल संविदाकर्ता ने उड़ीसा के मामले में संविदा में सफल होने के लिए गड़बड़ी की अत: एक बार फिर अपर महान्यायाधिकर्ता के पास जाना पड़ा। उन्होंने हमें उसी ठेकेदार की संविदा को स्वीकृति देने की सलाह दी। परन्तु हमें आश्चर्य हुआ कि पहले वाले ठेकेदार भूमि डाइवेज ने जिला न्यायालय जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अंतत:, हमें उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में स्थगन आदेश दिये जाने के बाद यह कार्य सौंपा गया। दुर्भाग्य से अब यह कार्य वर्ष 2008 तक पूरा हो पायेगा।

मैं अपने मित्र श्री महताब को बताना चाहता हूं ताकि वह आसानी से इसे समझ लें। बहुत सी संविदाओं में, विशेषकर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के संबंध में 'वृद्धि' का खंड नहीं जोड़ा गया था। अत: यह मुद्दे हम नही सुलझा पाये। इसी कारण मैंने इस मामले को विधि मंत्रालय में भेजा था परन्तु उन्होंने कहा कि यह उनसे संबंधित मुद्दा नहीं हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मै उसका जवाब दे सकता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, यह पता चला है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की समग्र लागत लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गयी है। 13 जनवरी, 2005 को इसकी अनुमति लागत 1,69,500 करोड़ रुपये थी जो 1 जनवरी, 2006 को बढ़कर 2,20,000 करोड़ रुपये हो गयी थी। यह बताया गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में चेन्नई-कोलकाता कॉरीडोर की अनुमानित लागत 7,984 करोड़ रुपए है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि परियोजना को पूरी होने में देरी के कारण वास्तव में लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, कार्य पूरा होने में देरी का एक कारण यह भी है। परन्तु इसके साथ-साथ सीमेंट और इस्पात की कीमतों में भी तीव्र वृद्धि हुई। कीमत में वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है, इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि यह सब बाजार की ताकतों पर निर्भर करता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके पास ये आकड़े नहीं हैं; आपको हिसाब लगाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री अनन्त नायक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर से पर्टिकुलरली उड़ीसा के अंदर कितनी लैंथ है, उसको दिसम्बर 2007 से लेकर नवम्बर 2008 तक का समय दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे यहां पर दूसरी रोड्स में 92 प्रतिशत काम पूरा हुआ है लेकिन उड़ीसा में लगभग 70 प्रतिशत से कम काम पूरा हुआ है। क्या मोनीटरिंग फंड की कुछ समस्या है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : हम निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही निधियों की कमी के कारण कोई भी कार्य लम्बित नहीं है अथवा उसमें विलम्ब नहीं हो रहा है। माननीय सभा की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के शासन काल में सम्पूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को दिसम्बर 2003 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया था परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने मई 2004 में संप्रग सरकार बनने तक केवल 48 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया। दो वर्ष के भीतर हमने 44 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया। आप समझ सकते हैं कि राजग बनाम संप्रग कैसे चल रहा है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रोग्रेस इन्होंने बताई है कि कहीं बहुत बढ़िया है और कहीं बिल्कुल निल है। मैं एक एग्जामपल कोट करके बताना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी कोलकाता से चेन्नई तक सड़क बनवाने में रुचि है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : सर, आप देखें कि कैसे जुड़ रही हैं। आप सुनेंगे तभी बात होगी। सर, आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि चेन्नई...*(व्यवधान)* आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक बात करते हैं, आप चेन्नई से कलकत्ता की बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ रोड्स जो इनके एन.एच. में हैं, तीन वर्ष हो गये हैं, उनमें खड्डे पड़े हुए हैं, वहां ब्रिजों का काम शुरू करके छोड़ा हुआ है, सड़के डैमेज करके रखी हुई हैं, 'ग्रेफ' एन.एच. का काम कर रही है।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों का क्या कसूर है जो जम्मू में बड़ीब्रामरा से लेकर जम्मू तक 15 कि.मी. तक का जो टौटल मार्ग है, उसकी हालत इतनी खस्ता है और लगातार तीन साल से ऐसी ही पड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए आप क्या करने का विचार कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इसका उत्तर न दीजिये।

श्री सुनिल कुमार महतो।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के राष्ट्रीय राजमार्ग को गलियारी से जोड़ने के लिए झारखंड का कितना मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रस्तावित है और आज की तारीख में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : हम स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं; हम विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्गों की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है। कृपया स्वयं को रोकें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो : सर, हमने यह कहा कि झारखंड का कौन-कौन सा हिस्सा इसमें जुड़ रहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है; यह तरीका नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : जहां तक स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है तो झारखंड में आपके पास 192 कि.मी. है।

श्री बी. विनोद कुमार : पूर्व-दक्षिण कारिडोर पर यातायात के बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार ने हैदराबाद को देश के पूर्वी भाग से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-202 स्वीकृत किया है। लगभग एक दशक पूर्व हैदराबाद से वारंगल जिले में एटूर नगरम तक और गोदावरी नदी के दूसरी ओर से सड़क बनाई गई थी। किंतु गोदावरी नदी पर पुल न होने के कारण यह दो क्षेत्रों यानी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य और आंध्र प्रदेश के बड़े भाग अर्थात् तेलंगाना क्षेत्र के बीच में सम्पर्क नहीं है। यदि पुल बनाया जाता है तो सम्पर्क स्थापित हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस सड़क पर है?

श्री बी. विनोद कुमार : यह इस सड़क पर है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह पुल कब तक बना लिया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं नहीं समझता कि यह सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज को पार करती है।

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है।

अब रघुनाथ झा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल के तहत जितनी सड़क बन रही हैं, उसमें बिहार से होकर भी सड़कें जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने कभी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की है कि वहां सड़कों की क्या हालत है और किस प्रोग्रैस से काम चल रहा है? हम देख रहे हैं कि बिहार में बहुत धीमी गति से काम चल रहा है और उसके कारण इनकी लागत भी बढ़ रही है। माननीय मंत्री जी इसमें क्या सुधार करना चाहेंगे और अपने स्तर पर क्या कोई समीक्षा करेंगे तथा हमको भी अपनी बात कहने के लिए मौका देंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, एक वर्ष पूर्व ही मैंने बिहार के माननीय सदस्यों के साथ बैठक की थी। यदि इस मुद्दे पर मेरे ध्यान में कोई चीज आती है तो मैं एक बार फिर इसी सत्र में बिहार के माननीय सदस्यों के साथ बैठक करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने यहां ब्यौरा और सारी जानकारी दे दी है।

अब श्री चन्द्रभूषण सिंह।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं, क्या उनकी गुणवत्ता को चैक करने के लिए कोई समिति बनी है जो उनकी गुणवत्ता की जांच करके सरकार को रिपोर्ट देती हो? मैं एन.एच. 91 और 92 की बात कर रहा हूं। वहां जो सड़क पिछले साल बनी थी, अब वह चलने काबिल नहीं रह गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस सड़क पर है?

श्री चन्द्रभूषण सिंह : यह इस सड़क पर नहीं है परन्तु मैं सड़क की गुणवत्ता के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया इस सभा के समय का दुरुपयोग न करें।

अब, श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सभा में हाल ही में प्रस्तुत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस सड़क के बारे में केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है और अन्य सभी अनुपूरक प्रश्न बाहर हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इस विशेष मंत्रालय, चतुर्भुज और इस विशेष सड़क के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समीक्षात्मक रूप से टिप्पणी की गई है कि कुछ भारी अनियमितताएं हुई हैं जिनमें विवेकाधीन अग्रिम, निविदा के मामले में पारदर्शिता की कमी, ठेका प्रदान करने में कमियां और गम्भीर दुराचार और अनावश्यक पक्षपात शामिल हैं। उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति उचित सम्मान प्रकट करते हुए मैं यही कह सकता हूं कि कोई भी सड़कें बनाने के बाद उनकी गुणवत्ता की पुष्टि नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि यह सही उत्तर हो सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा पर आक्षेप लगाए बिना मैं कहना चाहता हूं कि सड़कें बनाते समय पूर्ण विवरण और अन्य बातों की जांच की जा सकती है और सड़कें बनाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। केवल गहराई की जांच की जा सकती है। सड़क के बन जाने के पश्चात् कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे – एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न।

प्रश्न सं. 142 – श्री जे.एम. आरुन रशीद।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

+

*142. **श्री जे. एम. आरुन रशीद :**
श्री सज्जन कुमार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार के अवसरों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों सहित अर्थव्यवस्था में रोजगार अवसर बढ़ाना योजना आयोग का मुख्य सरोकार है। ग्यारहवीं

पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए अधिक संभाव्यता वाले कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के निम्नलिखित कुछ उप-क्षेत्रक हैं:-

- पुष्प-कृषि, सब्जी उत्पादन और प्राथमिक प्रसंस्करण आदि सहित बागवानी
- कार्बनिक कृषि
- बीज और पोधरोपण सामग्री उत्पादन
- डेयरी और कुक्कुट-पालन
- मत्स्य-उद्योग
- कृषि क्लिनिक/कृषि व्यवसाय केन्द्र
- माइक्रो सिंचाई

अध्ययनों के अनुसार इनमें से कुछ उप-क्षेत्रकों में प्रति 1000 रुपए के निवेश से सृजित हुए वार्षिक रोजगार के श्रम दिवस नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैं:-

उप-क्षेत्र	रोजगार (श्रम दिवस/प्रति वर्ष/ प्रति 1000 रुपए निवेशित)
पोधरोपण और बागवानी	3.02
डेयरी, कुक्कुट-पालन, भेड़, बकरी और सूवर पालन	6.75
मत्स्य-उद्योग	1.81
अन्य	7.32

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसा कि योजना आयोग द्वारा जनवरी, 2005 में कृषि, बागवानी डेयरी उद्योग और कृषि प्रसंस्करण में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए निवेश, क्रेडिट और तकनीकी सहायता संबंधी अंतर-मंत्रालयी कार्य दल की रिपोर्ट के पृष्ठ 78 पर उद्धृत किया गया है।

तथापि, योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ठोस प्रस्ताव प्रतिपादित नहीं किए गए हैं। विभिन्न हितार्थियों अर्थात् राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दृष्टिकोण तैयार किया गया है। व्यापक रूप से जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। परामर्शों के बाद संशोधित दृष्टिकोण पत्र को उचित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री वै.एम. आरुन रशीद : क्या केंद्र सरकार किसानों के कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने के लिए पूरे देश में कृषक टैरिफ विपणन प्रणाली अपनाएगी। यदि हां तो कब? क्या सरकार कृषि उत्पादन में लघु घरेलू मानव क्षमताओं यथा महिला स्व-सहायता समूहों को कोई राजसहायता देगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछ रहे हैं? यह प्रश्न से बिल्कुल अलग बात है।

श्री वै.एम. आरुन रशीद : कृषि क्षेत्र में बागवानी, सब्जी उत्पादन, डेयरी और मुर्गीपालन आते हैं। क्या केंद्र सरकार लघु किसानों को राजसहायता देगी ताकि बेरोजगारी दूर हो सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपना प्रश्न पढ़ा है?

श्री वै.एम. आरुन रशीद : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।

कृपया अब बैठ जाइये। अब, माननीय मंत्री जी।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, योजना आयोग और भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राजसहायता के बारे में पूछ रहे हैं रोजगार के बारे में नहीं।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, यदि माननीय सदस्य स्पष्ट प्रश्न भेजते हैं तो मुझे जानकारी देने में प्रसन्नता होगी।

श्री वै.एम. आरुन रशीद : महोदय, बेरोजगारी की समस्या को पूरी गम्भीरता से हल करना संप्रग सरकार की कार्यसूची में है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोगों को किस दर से रोजगार दिया गया। इसी प्रकार सरकार रोजगार देने के बारे में 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : हां, आपको उत्तर भी पढ़ना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, भारत सरकार ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्ययन और संबध क्षेत्रों में अधिक रोजगार संभावनाएं पैदा करने के लिए हाल ही में कई योजनाएं शुरू की हैं। इस संबंध में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हो रही है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : हाल ही में बागवानी मिशन शुरू किया गया था। अब इस बागवानी मिशन के द्वारा वहां रोजगार की बहुत संभावनाएं बन गई हैं। मैं आपको बागवानी क्षेत्र में सृजित किए जा रहे रोजगार का पूर्ण ब्यौरा देना चाहूंगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बागवानी क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

अब, फल और सब्जी की खेती में संभावनाएं पैदा करने और वर्तमान संभावनाओं का उपयोग करने के लिए जानबूझकर बागवानी मिशन शुरू किया गया है। अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं।

जहां तक पशुपालन का संबंध है तो वास्तव में भारत सरकार ने इस क्षेत्र में रोजगार सृजित करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई हैं।

जहां तक मत्स्ययन का संबंध है तो इसमें भी अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं...*(व्यवधान)*

रोजगार सृजित करने के बारे में, विशेषकर एग्रीक्लिनिक, कृषि व्यापार के माध्यम से, केंद्रीय क्षेत्र स्वयं लगभग सृजित करेगा... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए और उनकी बात सुनिये।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, मैं जानकारी देता हूं। जहां तक लघु कृषि का संबंध है तो रोजगार की काफी संभावनाएं पैदा की गई हैं। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों के फील्ड स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो रहा है। अब 537 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन गारंटी योजना एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हाल ही में आरम्भ किया गया है जिसके माध्यम से भारत सरकार लगभग...*(व्यवधान)* मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोजगार के बारे में हर सदस्य व्याकुलता प्रदर्शित कर रहा है परन्तु कोई भी मंत्री महोदय को सुनने को तैयार नहीं है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री एम.वी. राजशेखरन : जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को आदेश नहीं दे सकते कि उन्हें किस प्रकार उत्तर देना चाहिए।

श्री एम.वी. राजशेखरन : हम इसी वर्ष में 11,300 करोड़ रु. खर्च करने जा रहे हैं तथा रोजगार सृजन, जिसके लिए इसकी परिकल्पना की गयी है, की काफी सम्भावना है और कुछ राज्यों ने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में काफी रुचि दिखाई है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अच्छी बात बोल रहे हैं, आप सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न की प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एम.वी. राजशेखरन : ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 20 जुलाई, 2006 तक राज्यों को 4,375.42 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिए हैं। पंजीकरण के लिए अभी तक लगभग कुल तीन करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूरे प्रश्न काल के दौरान यही हाल रहा है। यह क्या है? सभा में सभी ओर से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, मेरे पास कुछ सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्तता महत्वपूर्ण गुण है। कभी-कभार हम यह भूल जाते हैं। कृपया जल्दी पूरा कीजिए। सदस्यगण अनुपूरक प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन : सरकार स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने उत्तर में इसका उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत व्यापक उत्तर दिया है। इसलिए मैं उनके उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूं। अत: और प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, जैसा आपने स्वयं कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सही बात है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान केवल प्रश्न काल में ही निकल आए, यह सम्भव नहीं है। जिस प्रकार का उत्तर आया है, उसमें आंकड़े ही बताए गए हैं। इसलिए यह उत्तर अंतिम नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री कैलाश मेघवाल : महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह प्लानिंग कमीशन की सोच को प्रकट करता है कि उसकी इस दिशा में क्या सोच है। आज स्थिति यह है कि गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार समाप्त करने की ओर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता है, फिर चाहे वह सेवा का क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो। अगर कहीं संभावनाए बची हैं, तो कृषि क्षेत्र में ही बची हैं।

महोदय, कृषि क्षेत्र की 74 प्रतिशत जमीन कुलकों और जमींदारों के अधिकार में है और केवल 26 प्रतिशत जमीन छोटे किसानों के अधिकार में है। योजना आयोग की पृष्ठभूमि उद्योगों को प्रोत्साहन देने की रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूडिए।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग का यह रवैया नौवीं पंचवर्षीय योजना तक रहा है। चाहें तो आप देख लें कि उक्त काल में उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है और कृषि क्षेत्र को कम।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी कर के प्रश्न पूछिए।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए क्या सरकार योजना आयोग को कृषि पंडितों के सुपुर्द करेगी? जहां तक इसमें बैठे नौकरशाहों का सवाल है, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे यथास्थितिवाद के प्रतीक रहे हैं। अत: कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए क्या मंत्री जी योजना आयोग की रचना को बदलकर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल नहीं पूछा है। आपने केवल सुझाव दिए हैं।

[अनुवाद]

ये सभी सुझाव कार्रवाई के लिए हैं।

[हिन्दी]

प्रश्न-काल सुझाव देने के लिए नहीं, यह प्रश्न पूछने के लिए है।

[अनुवाद]

आप कह रहे हैं आप इनके प्रस्तावों पर विचार करेंगे। ठीक है, निसन्देह आप उनके सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री एम.वी. राजशेखरन : मैं इनके सुझावों पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर हैं। विशेषकर जो छोटे और मार्जीनल किसान हैं, जो स्वयं जमीन के मालिक हैं, जो अपने खेतों में मजदूरी करते हैं उन्हें खेती में लाभ नहीं होता है। इसे देखते हुए मैं मंत्री जी का ध्यान एक नई सोच की ओर आकर्षित करते हुए प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जैसे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए 100 दिन एम्पलायमेंट गारंटी की स्कीम बनाई है, उसी प्रकार से जो छोटे किसान अपने खेतों में मजदूरी करते हैं और सालभर मजदूरी करने के बाद भी वे कुछ नहीं कमा पाते और उनके सामने सिवाय आत्महत्या करने के कोई चारा नहीं बचता, क्या सरकार उन्हें मजदूर के रूप में स्वीकार करेगी?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, वास्तव में अनेक लोग भूमिहीन हैं और इसी कारण हमने अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत मत्स्यकी तथा साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देना है जो कि इससे संबंधित विषय हैं. ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री महोदय ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं अगला प्रश्न लेता हूं। आप उनका उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरे पास 22 नामों की सूची है। मैं सभी पक्षों के सदस्यों को अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप उनका उत्तर सुनने के इच्छुक नहीं हैं, तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या जवाब आपके पसन्द का होगा?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, माननीय सदस्य अवगत हैं, कि पिछले बजट में जल भरावों के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की गयी थी। लघु सिंचाई तथा छोटे और बड़े तटबंधों के पुनरुद्धार के माध्यम से मत्स्यकी सम्भावनाओं का सृजन किया जा रहा है। केवल मत्स्यकी से ही दस लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मत्स्यकी एक बड़ा विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर पूरा कीजिए।

श्री एम.वी. राजशेखरन : ठीक उसी प्रकार, कृषि प्रसंस्करण एक क्षेत्र है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों के बारे में पूछा है। आप उसका उत्तर दे चुके हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं अनुमति दे दूंगा।

[हिन्दी]

आप नोटिस भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन.एस. कृष्णदास : धन्यवाद महोदय, सच यह है कि कृषि क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है जिसके कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार साल दर साल कम हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र में कृषि के आधारभूत विकास के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश में कमी आयी है। यही मुख्य बात है। मुख्य प्रश्न कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित है। यह वास्तविकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री एन.एस. कृष्णदास : इसी कारण से सरकार ग्रामीण लोगों के लिए कुछ अन्य रोजगार सृजन योजना लागू करने को

बाध्य है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषकर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं अथवा नहीं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्योंकि वे इस विभाग के प्रमुख हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रधानमंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2007-2012 का प्रारूप दृष्टिकोण पत्र कृषि क्षेत्र में रोजगार गुणवत्ता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। यह संज्ञान में आया है कि कृषि क्षेत्र के कामगारों की संख्या कम करके किसानों के आय स्तर में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है जैसा कि केरल के मेरे माननीय मित्र ने कहा है। योजना आयोग के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित टिप्पणियां की गयी है:-

"सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के चार प्रतिशत योगदान को दोगुना करके कृषि क्षेत्र में रोजगार की दशा में सुधार होगा।"... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, योजना आयोग एक लक्ष्य निर्धारित करने जा रहा है।

(व्यवधान)

मो. सलीम : महोदय, ऐसा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को कम करके गुणवता सुधारने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते है आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते।

[हिन्दी]

इसका कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती अर्चना नायक : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगी कि देश में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर आत्महत्याओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का किसानों की दशा सुधारने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना में प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डीटेल कैसे बोल सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं माननीय प्रधानमंत्री किसानों द्वारा आत्महत्या को लेकर काफी चिंतित हैं। इन्हीं चिंताओं को लेकर उन्होंने विदर्भ क्षेत्र का दौरा किया था। विदर्भ तथा उन क्षेत्रों का दौरा करते समय जहां किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएं हुई हैं उन्होंने न केवल विदर्भ क्षेत्र बल्कि अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : बिहार के संबंध में क्या कहना हैं?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप प्रत्येक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर न दें विशेषकर उनको जो आपके भाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, पैकेज में अनेक बातें सम्मिलित हैं जो किसानों को ऋण राहत के माध्यम से सतत, व्यवहार्य तथा आजीविका सहायक तंत्र, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर प्रसार तथा कृषि सहायता सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ किया गया है।

कुछ और योजनाएं आरम्भ की गयी हैं। कर्ज से दबे किसानों के परिवारों की व्यथा के अपशमन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह सहायता की घोषणा भी की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी सहमत हैं कि अगले मंगलवार को कृषि पर छः घंटे की चर्चा होगी। अतः क्या आपकी अनुमति से मैं *अगला प्रश्न ले सकता हूं।*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस पर पूरा डिस्कशन होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विशेषतः कृषि तथा रोजगार पर एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हमें एक बार तो मौका मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस की स्थिति को देखिये।

श्री राम कृपाल यादव : आपने कहा था कि आपको समय देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको मौका देंगे, पूरा मौका देंगे।

श्री राम कृपाल यादव : मौका कहां दे रहे हैं?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ प्रश्न-उत्तर के वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता। अध्यक्षपीठ का कुछ तो सम्मान कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप नहीं जानते आप किस प्रकार का दबाव मुझ पर डाल रहे हैं। सभा की कार्यवाही को नियमित करना असम्भव हो रहा है।

प्रश्न संख्या 143 — डा. चिन्ता मोहन।

[हिन्दी]

कोयले का मूल्य निर्धारण

***143. डा. चिन्ता मोहन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन के क्षेत्र में सरकार के कथित एकाधिकार के कारण देश में कोयले का मूल्य खुले बाजार में विद्यमान दरों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कोयले की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है लेकिन प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण कोयले के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्य को आयातित कोयले की प्रतिस्पर्धी दरों के अनुसार निर्धारित करने का है;

(च) यदि हां, तो उक्त कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोयले का अधिसूचित मूल्य, आयातित कोयले की कीमत अथवा खुले बाजार की कीमतों जो ई-नीलामी की कीमतों के रूप में परिलक्षित होती है, की अपेक्षा कम है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों ने बाजार परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया है। लगभग 90% कोयला अधिसूचित मूल्यों पर सप्लाई किया जाता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के अनुसार सरकार को कोयले की कीमतों का निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं है और कोयला कंपनियां कोयले की कीमतों का निर्धारण करने में सक्षम हैं। इनपुट लागतों में वृद्धि, बाजार शक्तियों जैसे कोयले की मांग, आयातित कोयले की अवतरित कीमत में परिवर्तन, बाजार में कीमत की स्वीकार्यता, नयी परियोजनाओं में पूंजी निवेश की आवश्यकता आदि सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सी.आई.एल. कोयले की कीमतों का निर्धारण करती है।

[अनुवाद]

डा. चिंता मोहन : महोदय, मैं इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार की दीर्घकालीन सोच के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न-काल के दौरान दीर्घकालीन सोच के बारे में जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिबु सोरेन : यह जो कीमत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है, वैसे तो बहुत सा विवरण हमारे पास है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके सारे कार्यक्रमों का अनुसरण करते हैं।

डा. चिंता मोहन : आंध्र प्रदेश के नेवेली लिगनाइट निगम और सिंगरेनी कोयला खानों के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : कोयला के मूल्य निर्धारण का उससे क्या संबंध है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की सुविधा के लिए जवाब देना चाहता हूं।

नेवेली लिगनाइट निगम के बारे में सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। यह लाभ कमा रहा है। हमने दो विस्तार परियोजनाएं दी हैं और नेवेली लिगनाइट निगम की सोच का विस्तार हुआ है इसके लिए 8,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कोयले से संबंधित सोच के बारे में सरकार बहुत ही चिंतित है...*(व्यवधान)*

अध्या महोदय : मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सदस्य एक दूसरे के भाषण में व्यवधान डाल रहे है। आप प्रश्न-काल में भाग नहीं लेना चाहते। फिर, आप प्रश्न क्यों करते हैं?

[हिन्दी]

आंसर दे रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।

[अनुवाद]

क्या हो रहा है? सभा की बैठक समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

यहां तमाशा हो रहा है।

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव : महोदय, कोयला विद्युत उत्पादन का भविष्य है। इसलिए, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उर्जा संबंध समिति का गठन किया गया है और सरकार ने इसमें पहल की है। समिति का गठन हो गया है और डा. शंकर ने दृष्टिकोण दस्तावेज, 2025 प्रस्तुत किया है। उन्होंने कुछ निर्देश दिये हैं। यदि माननीय सदस्य इसे चाहते हैं तो मैं मुख्य बिंदुओं को उन्हें भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो आयातित कोयला है, उसका घरेलू कोयले के उत्पाद से ज्यादा मूल्य नहीं है, जबकि बाजार में देखा जा रहा है कि इस समय जो घरेलू उत्पादित कोयला है, उससे अभी जो यहां के ग्राहक हैं, वे ज्यादा आयातित कोयले को पसन्द कर रहे हैं और कीमत भी उसकी कम लग रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है कि घरेलू उत्पादित कोयले का मूल्य ज्यादा हो रहा है और आपके जो घरेलू ग्राहक हैं, वे आयातित कोयले

की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उसकी ज्यादा खपत कर रहे हैं और घरेलू कोयले की खपत कम कर रहे हैं? उसका मूल्य भी कम क्यों पड़ता है, हम यह जानना चाहते हैं?

श्री शिबु सोरेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। कोयले के उत्पादन में उस वक्त कमी थी और उस समय बाहर से कोयला आता था। लोग कोयला बाहर से लेते थे, लेकिन अब कोयले की कमी नहीं है। हम लोग कोयला दे रहे हैं। इस समय यह बहुत स्पष्ट है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रेलवे भी कोयले का उपयोग करता है।

[हिन्दी]

श्री शिबु सोरेन : आपका जो कमी और बेसी का सवाल है कि कितना कितना कोयला देते हैं, जो लिखा हुआ है, हम आपको उसका जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी : धन्यवाद महोदय, हमारे देश में उर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है और कोयला का मूल्य इसके उत्पादन से संबंधित है। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड तथा नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड भी कोयला का उत्पादन उचित मात्रा में नहीं कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की अनेक नियंत्रित कम्पनियां हैं और उनमें से अधिकांश घाटे में चल रही हैं। नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड में भी व्यावहारिक रूप से कोई उत्पादन नहीं होता है। हमारे पास 92 बिलियन टन का प्रमाणित भंडार भी है।

अधिक कोयले के उत्पादन तथा कोयले के मूल्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि हमें और कोले का आयात करने की आवश्यकता न पड़े। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे देश में पर्याप्त कोयला भंडार हैं।

डा. दासरि नारायण राव : महोदय, माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि बहुत सी कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। आपके माध्यम से, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे सही नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नही है। यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास अन्य तरीके भी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री के भाषण में इस प्रकार व्यवधान न डालें। यदि मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं तो अन्य तरीके भी हैं। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो अन्य तरीके भी हैं लेकिन मंत्रीजी के भाषण में इस प्रकार व्यवधान मत डालिये।

डा. दासरि नारायण राव : महोदय, बी.सी.सी.एल. शुरू से ही घाटे में चल रहा था लेकिन इस वर्ष यह लाभ कमा रहा है। इसी प्रकार, ई.सी.एल. भी लाभ अर्जित कर रहा है, सी.सी.एल. भी लाभ कमा रहा है और कोल इंडिया लिमिटेड की ये सभी नियंत्रित कम्पनियां लाभ कमा रही हैं। इसके अतिरिक्त नेवेली लिगलाइट निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल.) भी लाभ कमाने लगी है। इसलिए, ये सभी लगभग मुनाफे में है, और यह सच है।

जहां तक कोयले के मूल्य निर्धारण की बात है, स्वदेशी कोयले की कीमत आयातित कोयले से कम है। इसमें राख का अंश भी होता है। यदि हम कैलोरिफिक मूल्य की बात करें तो कीमत कम है। बताया गया मूल्य उत्पादन लागत, उपरि शीर्ष खर्चे, मजदूरी पैटर्न आदि को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोयले के दाम तय करते समय आपने बताया कि आयातित कोयले की कीमत, खुले बाजार की कीमतों से ज्यादा है, जो ई-नीलामी के माध्यम से कोयला दिया जा रहा है, क्या वह आयातित कोयल से कम है? मैं पूछना चाहता हूं कि तीन सालों में कोल इंडिया ने कोयले के कितने दाम बढ़ाये हैं? जो दाम बढ़े हैं और कोयले के प्रति टन उत्पादन में जो हर खर्च बढ़ता जा रहा है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कोशिश की गयी है और इस संबंध में क्या अभियान चलाया है?

श्री शिबु सोरेन : कोयला नियंत्रण आदेश 2000, से अधिसूचित किया गया है, जिसमें भारत सरकार को कोयले की कीमतें तय करने

की शक्तियां नहीं हैं और कोयला कंपनियां बाजार की स्थिति के अनुसार, उनके द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद से कोयला कंपनियां अपने निर्देशक बोर्ड के अनुमोदन से कोयले की कीमतें निर्धारित करती हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला जिसे हाई ग्रेड कोल बोलते हैं, का प्राकृतिक भंडार बहुत कम बचा है, जबकि धड़ल्ले से इस कोयले का खनन करके विद्युत उत्पादन इकाइयों एवं ऐसे संयंत्रों में खर्च किया जा रहा है जिसे न्यूनतम गुणवत्ता यानी लोअर ग्रेड कोल से चलाया जा सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे कोयले का मूल्य नियंत्रण करके उसके प्राकृतिक भंडार को मितव्ययता पूर्वक खर्च करने की कोई योजना बना रही है?

श्री शिबु सोरेन : अध्यक्ष महोदय, सारा कोयला एक साथ निकाला जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम अलग-अलग कोयला निकालें और उसके अलग-अलग दाम तय करें। माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है क्योंकि यह प्रश्न कोयले के मूल्य से संबंधित है। अब उस कोयला का भी मूल्य देना पड़ता है और इस कोयले का भी मूल्य देना पड़ता है।

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया है कि कोयले का दाम तीन चीजों—इनपुट कॉस्ट, बाजार स्थिति या बाजार की मांग और आयातित कोयले की देश में आने के बाद कीमत से डिसाइड होता है। मैं मंत्री जी की इनपुट कॉस्ट वाली पहली बात से सहमत हूं क्योंकि उत्पादन लागत का निर्धारण इनपुट कॉस्ट से होता है। उन्होंने दूसरी बात जो मार्केट कंडीशन की बोली है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आज तक कोल इंडिया के इतिहास में मार्केट कंडीशन को देखते हुए क्या कोयले की कॉस्ट कॉस्ट आफ प्रोडक्शन से कम दी गयी है?

श्री शिबु सोरेन : अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से स्पष्ट है।... *(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : आप आंकड़ें मत बताइये।...*(व्यवधान)*

श्री शिबु सोरेन : अध्यक्ष महोदय, उत्पादन खर्च के आधार पर ही कोयले की कॉस्ट बढ़ायी और घटायी जाती है। लेकिल मैं समझता हूं कि इसमें उत्पादन से अधिक खर्च नहीं लगता है। कभी-कभी उत्पादन के बराबर ही खर्चा होता है। अब इसमें इतने मजदूर मजदूरी करते हैं। अगर माननीय सदस्य इसका उत्तर डिटेल में चाहेंगे, तो हम उसका जवाब उन्हें बाद में भिजवा देंगे।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, कोयले के दाम बढ़ने का कारण यह है कि कोल माइन्स में माफिया लोग करप्शन कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोल माइन्स में करप्शन होने के कारण कोयले के दाम बढ़ रहे हैं?

श्री शिबु सोरेन : अध्यक्ष महोदय, कोल माइन्स में माफिया लोगों के होने की खबरें हमने भी सुनी हैं। हम भी महसूस करते हैं कि कोल माइन्स में माफिया लोग हैं। अब माफिया लोगों का इलाज कुछ और है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि माफिया लोगों के इलाज के लिए हम तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका इलाज चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री शिबु सोरेन : हम उन लोगों से कोयला उद्योग को बचाकर रखना चाहेंगे।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी/दूरसंचार क्षेत्र में कार्यदल का गठन

*144. **श्री के.एस. राव** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी/दूरसंचार क्षेत्र में पुनर्संरचना एवं सुधार करने के लिए तथा कुछ विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए किसी कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग के दबावों और समस्याओं की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना को बनाने के संबंध में विभिन्न नीतिगत मामलों पर संस्तुति करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यदलों का गठन किया है।

(ग) से (ङ) दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता संघ (टैमा) और अन्य औद्योगिक संघों ने देश में स्वदेशी दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता उद्योग के सामने आ रही कुछ बाधाओं और समस्याओं के बारे में सूचित किया है। इसमें कुछ मुद्दे जैसेकि अपर्याप्त मूलसंरचना, पूंजी की उच्चतर लागत, लेन-देन की उच्चतर लागत आदि सामान्य प्रकृति के हैं और स्वदेशी दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग से विशेष रूप से संबंधित नहीं हैं। इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याएं, जो मुख्यत: प्रतिलोम शुल्क ढांचे से संबंधित हैं, का समाधान शून्य सीमा शुल्क पर उपादानों/कच्ची सामग्री के आयात की अनुमति देकर किया गया है।

श्री के.एस. राव : महोदय, हम सभी को ज्ञात है कि सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन और विकास हुए हैं। इसका एक कारण अमरीका और अन्य विकसित देशों में किये गए अनुसंधान हैं जहां अनिवासी भारतीयों का पर्याप्त योगदान है। यदि हमें एक शब्द में कहना हो तो लगभग 15 वर्ष पूर्व, जब मैंने अमरीका का दौरा किया था, तो वहां दूरसंचार संबंधी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काम करने वाले अनिवासी भारतीयों ने मुझे बताया कि यदि महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन की वार्ता सत्य थी तो उसे आज भी सत्य किया जा सकता है। आज अमरीका में जो अनिवासी भारतीय काम कर रहे हैं, उनके पास इतनी दक्षता थी।

अध्यक्ष महोदय : उनको मेरी शुभकामनाएं।

श्री के.एस. राव : सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले समूहों को बनाते समय मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, कि क्या वे कुछ अनिवासी भारतीयों की सेवाओं का उपयोग करना चाहेंगे जो विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित की है।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, योजना आयोग ने इन समितियों को एक रुटीन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में गठित किया है। चूंकि अब दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि का अंत होने वाला है, और हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने वाले हैं, इसलिए योजना आयोग ने यह प्रक्रिया शुरू की है। हमारे देश में विशेषज्ञता की कमी नहीं है। हम इसे कर सकते हैं।

श्री के.एस. राव : हम इस बात से सहमत हैं कि माननीय मंत्री बहुत बुद्धिमान हैं। हम कहते हैं कि हमारे देश में विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम चीन में गए तो हमने पाया कि वहां मोबाइल फोन का उपयोग प्रति हजार 168 व्यक्ति है जब कि भारत में यह संख्या प्रति हजार 12 है। यही स्थिति पर्सनल कम्प्यूटर तथा लैंड-लाइन की है। उनकी संख्या हमारे यहां की अपेक्षा दस गुनी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने देश को कम से कम आने वाले दशक में चीन की बराबरी में लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं।

श्री दयानिधि मारन : निश्चित रूप से, महोदय मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारे देश में टेलिफोन उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो। वस्तुत:, जब संप्रग की सरकार ने कार्य-भार सभाला था तब हमारे देश में 75 मिलियन फोन थे। दो वर्ष की अवधि में हमने यह संख्या दोगुनी कर ली है और आज हमारे यहां 150 मिलियन फोन हैं। हमारे यहां प्रतिमाह 4.5 से 5 मिलियन फोनों की संख्या बढ़ जाती है। यह लगभग फिनलैंड की जनसंख्या के बराबर है। इस प्रकार हम अपने देश में हर माह उपभोक्ताओं की संख्या में फिनलैंड की आबादी के बराबर वृद्धि कर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं। हमने अगले वर्ष के अंत तक 250 मिलियन की सीमा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी है। हम इसे समझते हैं। हमने धीमी शुरूआत की थी लेकिन हम गति पकड़ रहे हैं। इसकी काफी अधिक मांग है। आज दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार 40 प्रतिशत की दर से हो रहा है जब कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए यह दर 30 प्रतिशत है। हमें यह ज्ञात है और हम और अधिक उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सकारात्मक कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बातचीत संक्षिप्त होनी चाहिए।

मोहम्मद सलीम : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को बनाने में मदद के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है। उन्होंने कार्य-संरचना के बारे में भी बात की तथा कच्चे माल तथा सामग्री के

आयात के मुद्दे को भी उठाया। देश में बढ़ रही टेलिफोन की संख्या, विशेषकर मोबाईल फोनों की संख्या पर भी उन्हें गर्व है। लेकिन इन उपकरणों के स्वदेश में विनिर्माण क्षमता के बारे में उनका क्या कहना है? भारत एक उपभोक्ता बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। लेकिन स्वदेशी उद्योग को अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमता युक्त करने में मदद करने के बारे में सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : निःसदेह चेन्नई को प्राथमिकता दी गई है। यहां नोकिया की कम्पनी है।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, चेन्नई भी भारत में ही है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह भारत में ही है।

श्री दयानिधि मारन : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह सुनिश्चित करना सरकार की पहल का एक हिस्सा है कि हमारे देश में बहुत से विनिर्माण कार्य होते हैं। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल., सरकारी क्षेत्र की इकाइयों ने इस बात पर बल दिया है कि जिन उपकरणों की वे खरीदते हैं उनका 30 प्रतिशत मूल्य संवर्द्धन का देश में ही होता है। इस वर्ष के शुरू में हमारे यहां नोकिया जो एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है, भारत में संयंत्र स्थापना के लिए आई। वे प्रतिमाह दो मिलियन फोनों का उत्पादन करती हैं। अगली जनवरी तक हमारे पास मोटोरोला होगी जो शुरू में लगभग 1.4 मिलियन से शुरूआत करेगी। सैमसंग और एल.जी. भी अपना संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। सोनी इरिक्सन भी एक सौदे को अंतिम रूप दे रही है। जिस तरह यह बढ़ रही हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि स्वदेशी उत्पादन देश में दूरसंचार उपकरणों के आयात का स्थान ले लेगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है। मैं मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक पूरा होगा जिसके द्वारा हम इम्पोर्ट करने के अलावा, आउटसोर्स करके अपने इक्विपमेंट्स को विदेशों में भी बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लैंडलाइन का विस्तार कैसे करें। लैण्डलाइन बहुत कमजोर हो रही है, तो इसके लिए आपका क्या प्रोग्राम है जिससे हम लैण्डलाइन को ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत सभी प्रकार के टेलीफोनों के लिए 'वन इंडिया' बन जाए।

श्री दयानिधि मारन : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के पहले आधे भाग के उत्तर में मुझे यह कहना है कि हमारा घरेलू खपत यह सुनिश्चित करेगी कि हम जितने का विनिर्माण करते हैं उसकी खपत हो जाए। इसका कारण यह है कि यदि हम 250 मिलियन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें तो दूरसंचार क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी 22 प्रतिशत की होगी। इस क्षेत्र में हमें दूर तक जाना है।

प्रश्न के दूसरे भाग लैंडलाइन फोनों के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस समय मांग आधारित बाजार है। उपभोक्ता अब केवल वायर-लेस को ही पंसद करते हैं।

भविष्य वायरलेस का है क्योंकि यह सस्ता है। फिक्सड् लाइन की दर 25,000 रुपये है जबकि वायरलेस की दर 3000 रुपये की है। उपभोक्ता यही चाहता है और इसीलिए हम इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मुझे खेद है कि आपका प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों का विकास

*145. **श्री रामजीलाल सुमन :***
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि कोष से अभी तक राज्यों को औसतन कितनी वार्षिक राशि संवितरित की गई है;

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने पिछड़े जिलों की पहचान की गई है;

(ङ) इन जिलों को किन आधारों पर धनराशि दी जा रही है; और

(च) पिछड़े जिलों के विकास के लिए किन परियोजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (च) 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष' की अभी स्थापना की जानी है। यह स्कीम अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों सहित राज्यों के भीतर अधिक या कम मात्रा में जारी क्षेत्रीय असमानताओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजाइन की जा रही है तथा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2006-07 के बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का विकास

*146. **श्री रेवती रमन सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) परम्परागत प्रक्षेपण यान की तुलना में उक्त प्रक्षेपण यान के क्या लाभ हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेट की प्राप्ति के प्रथम चरण के रूप में अंतरिक्ष माड्यूलों के पुनः प्रवेश और पुनः प्राप्ति के क्षेत्रों में अनेक अन्वेषी तथा उड़ान निरूपण अध्ययन, वायुश्वसन नोदन एवं पंख आकार वाले अतिध्वनिक उड़ान प्रौद्योगिकी निरूपण मिशनों की शुआत की गई है।

(ग) भविष्य में पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेटों का उपयोग करके अंतरिक्ष अभिगम की लागत में काफी कमी आने की संभावना है।

[हिन्दी]

मानव अंगों का अवैध व्यापार

*147. **श्री एम. अंजनकुमार यादव** :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानव अंगों का अवैध व्यापार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यापार में विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों की भूमिका की कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) मानव अंगों के कथित गैर-कानूनी व्यापार की कुछ घटनाएं भारत सरकार की जानकारी में आई हैं। तथापि, भारत सरकार, केन्द्र स्तर पर ऐसी घटनाओं का ब्यौरा नहीं रखती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

मानव अंगों की खरीद एवं बिक्री, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13 के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रयोजन की पूर्ति हेतु उपयुक्त प्राधिकरण नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त उपयुक्त प्राधिकरण को मानव अंगों की खरीद एवं बिक्री से संबंधित शिकायतों सहित इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन संबंधी किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों

के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है। तथापि, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत राज्यों के संबंध में कार्रवाई संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा की जानी होती है। इस अधिनियम में बिना प्राधिकार (अथारिटी) के मानव अंग निकालने और मानव अंगों का व्यावसायिक कारोबार करने के लिए दण्ड संबंधी कठोर उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं।

विवरण

विभिन्न सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में गैर-कानूनी ढंग से गुर्दा एवं अन्य अंग प्रत्यारोपण के मामलों के बारे में राज्यों से 3.8.2005 तक प्राप्त ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	सूचित मामलों का ब्यौरा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2004 के दौरान सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में गुर्दा के गैर-कानूनी प्रत्यारोपण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली पुलिस ने रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली तथा कक्कड़ अस्पताल, अमृतसर में गैर-कानूनी गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में छह एफ.आई.आर. दर्ज की हैं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने दस लोग गिरफ्तार किए हैं। आयुक्त, दिल्ली पुलिस ने 31.7.2005 को सूचित किया है कि छह एफ.आई.आर. में से पांच एफ.आई.आर. से संबंधित मामलों की इस समय जांच की जा रही है। छठे एफ.आई.आर. से संबंधित मामले को साक्ष्य के अभाव में 'पता नहीं' के रूप में दर्ज किया गया है।
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
10.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बम्बई अस्पताल, मुम्बई के डा. एस.पी. त्रिवेदी के विरुद्ध मानव अंगों के गैर-कानूनी व्यापार से संबंधित ठगी एवं धोखाधड़ी के अभियोग के लिए मुकदमा चलाया गया है। दिनांक 3.12.2004 की स्थिति के अनुसार यह मुद्दा न्यायाधीन है।
11.	मणिपुर	शून्य
12.	मिजोरम	शून्य
13.	मेघालय	शून्य
14.	नागालैण्ड	शून्य
15.	पांडिचेरी	शून्य
16.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुछ मामलों में प्रत्यारोपण विशेषकर गुर्दे के लिए मानव अंगों की बिक्री का पता चला है जिसकी जांच इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष जांच दल द्वारा की जा रही है। इन जांचों के परिणाम स्वरूप कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल अर्थात् राम सरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल

1	2	3
		ट्रस्ट अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। तथापि, राज्य में मानव अंग के प्रत्यारोपण के नाम पर गरीबों का व्यापक स्तर पर शोषण नहीं हो रहा है।
17.	सिक्किम	शून्य
18.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में गुर्दे के गैर-कानूनी प्रत्यारोपण का भी मामले वर्ष 2004 के दौरान प्रकाश में नहीं आया है।
19.	त्रिपुरा	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में गुर्दे के गैर-कानूनी प्रत्यारोपण का कोई भी मामला दिनांक 1.1.2004 और 30.11.2004 के बीच प्रकाश में नहीं आया है।
21.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में गुर्दे के गैर-कानूनी प्रत्यारोपण का कोई मामला वर्ष 2004 के दौरान प्रकाश में नहीं आया है।
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
23.	चंडीगढ़	शून्य
24.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
25.	दमण एवं दीव	शून्य
26.	लक्षद्वीप	शून्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन

*148. **श्री अधीर चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतरक्षेत्रीय केन्द्राभिमुखता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों को अधिकार देने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) स्वास्थ्य के सूचक जितना पेय जल, महिला साक्षरता, पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास, सफाई, महिलाओं की अधिकारिता इत्यादि पर निर्भर करते हैं, उतना ही अस्पतालों और क्रियात्मक स्वास्थ्य प्रणालियों पर भी निर्भर करते हैं। स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों की महत्ता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में समेकित जिला स्वास्थ्य कार्य योजना के अंतर्गत कार्यकलापों हेतु एकीकृत (कन्वर्जेंट) दृष्टिकोण अपनाने की व्यवस्था है।

ग्राम स्तर पर एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य कार्य हेतु प्रमुख केन्द्र है। इसी तरह जहां भी पेय जल, सफाई, एकीकृत बाल विकास योजना इत्यादि के लिए ग्राम समितियों को कारगार ढंग से गठित किया गया है वहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में इन सभी कार्यकलापों को कवर करते हुए एक साझा ग्राम स्वास्थ्य समिति बनाने पर ध्यान दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं पूरी तरह से इस एकीकृत (कंवर्जेंट) दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने में लगी हुई हैं और समेकित जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं में दर्शाए गए समेकित लक्ष्य प्राप्त करती हैं।

यद्यपि इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र पर संबंधित विभाग काफी खर्च करता है, फिर भी ग्राम स्वास्थ्य योजना/जिला योजना एकीकृत कार्य के लिए कुछ प्रेरक संसाधनों को प्राप्त करने के वास्ते अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में मान्यता-प्राप्त सामाजिक

स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परिवार का सर्वेक्षण करके ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं में कारगर एकीकृत कार्य के लिए एक ढांचे की अनुमति देने हेतु पेय जल, ईंधन की लकड़ी, आजीविका, सफाई और अन्य सुविधाओं (इश्यू) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

इस मंत्रालय ने एकीकरण (कंवर्जेंस) संबंधी एक अन्तर विभागीय समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष इस मिशन के निदेशक हैं। यह समिति ईपीसी को रिपोर्ट करती है। एमएसजी के स्तर पर परस्पर तालमेल से कार्य करने (कंवर्जेंस) की भी परिकल्पना की गई है। इस समिति में सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इसी प्रकार के तंत्र राज्य स्तर पर उपलब्ध हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेय जल आपूर्ति और सफाई विभाग के साथ पंचायती राज मंत्रालय तथा आयुष विभाग के साथ मिलकर कार्य करने संबंधी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उसका ब्यौरा राज्यों को भी भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पंचायती राज संस्थाओं की निम्नलिखित भूमिकाओं की परिकल्पना की गई है:-

- राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्वास्थ्य, कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों के लिए धन की सुपुर्दगी।
- अध्यक्ष, जिला परिषद जिला स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करता है। जिला स्वास्थ्य मिशन, जिले में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामु..यक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थित सभी जन-स्वास्थ्य संस्थाओं का नियंत्रण, मार्गदर्शन तथा उनकी व्यवस्था करता है।
- ग्राम पंचायत, मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन कर रही हैं और ये कार्यकर्ता उनके प्रति जवाबदेह हैं।
- पंचायत ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करती है और अन्तर क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है।
- प्रत्येक उप-केन्द्र को स्थानीय कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से संयुक्त निधि प्रदान की गई है। यह निधि ए एन एम तथा सरपंच के संयुक्त बैंक लेखा में जमा करवायी जा रही है और इस निधि को सहायक नर्स धात्री ग्राम स्वास्थ्य समिति के परामर्श से आपरेट करती है।
- पंचायती राज संस्थाओं को अस्पताल के अच्छे प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर बनाई गई रोगी कल्याण समितियों में शामिल किया जाता है।
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- सभी स्तरों पर पंचायतों सहित सभी लाभग्राहिहियों को स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ा आधार (डेटाबेस) उपलब्ध कराना।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण

*149. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण हेतु उद्योगों को लाइसेंस दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वाणिज्यीकरण द्वारा विभिन्न उद्योग किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इस समय विभाग के पास पेटेंट पोर्टफोलियो का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, रसायनों और अन्य क्षेत्रों को शामिल करके 132 छोटे पैमाने, 17 मध्यम पैमाने और 31 वृहत्त पैमाने के उद्योगों को 275 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई हैं।

(ग) अंतरिक्ष कार्यक्रम से हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों के आधार पर हार्डवेयर के विकास में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उद्योग लाभान्वित हुए हैं। इस सहयोग से अनेक उद्योगों को अपनी प्रौद्योगिकीय कुशलता का उन्नयन करने में भी सहायता मिली है।

(घ) विभाग के पेटेंट पोर्टफोलियो में 68 पेटेंटों को मंजूरी प्राप्त हो गई है। तदनंतर, 179 पेटेंटों के लिए आवेदन किया गया है तथा इन पर मंजूरी की प्रतीक्षा है।

निजी दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अवसंरचना में भागीदारी

*150. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अवसंरचना में भागीदारी आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में निजी दूरसंचार आपरेटरों के साथ कोई चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जी, हां।

(ख) देश के ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए भूमि, टावर, विद्युत कनेक्शन, पावर बैक-अप, चार-दीवारी आदि जैसे शेयर करने योग्य संघटकों और एन्टिना सहित बेस ट्रांसीवर स्टेशन तथा बैकहाल का एक हिस्सा जैसे शेयर न करने योग्य संघटकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस अवसंरचना का निर्माण उन विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाएगा जहां बेतार कवरेज की सुविधा विद्यमान नहीं है तथा इन्हें तीन दूरसंचार सेवा प्रदाता शेयर करेंगे।

इस तरह निर्मित अवसंरचना शेयर करने से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की पूंजीगत लागत और प्रचालन व्यय में कमी आयेगी। इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बेहतर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(ग) जी, हां। अभिगम सेवा प्रदाताओं, अवसंरचना प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाता संघ तथा विनिर्माताओं के साथ परामर्श किया गया है।

(घ) अवसंरचना शेयर करने की स्कीम को अंतिम रूप देते समय सुझावों पर विचार किया जाता है।

(ङ) सरकार ने स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। स्कीम के कार्यान्वयन हेतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने की आवश्यकता है जिसके संबंध में विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है तथा स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारों के कार्य को पूरा करना

*151. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2006 तक उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारों के कार्य को पूरा करने के संबंध में कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में इस प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त गलियारों का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) 30 जून, 2006 तक उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों पर कुल 4759.97 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं और 30 जून, 2006 तक लगभग 68 प्रतिशत अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस परियोजना के दिसंबर, 2008 तक काफी हद तक पूरे हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करना

*152. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शनों में विभिन्न तकनीकी

त्रुटियों के कारण ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं में प्राय: बाधा उत्पन्न होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या बीएसएनएल का कथित रूप से खराब नेटवर्क निजी मोबाइल कंपनियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभी विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं, एक्सचेंज की खराबियों, बिजली गिरने और संपर्क टूटने के कारण दूरसंचार सेवाएं (प्रतिकूल रूप से) प्रभावित होती हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं में और सुधार लाने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:-

1. सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को विश्वसनीय डिजिटल/पारेषण माध्यम से जोड़ना।
2. बड़े ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणालियों की शुरूआत करना और उनमें वृद्धि करना।
3. अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों (एसडीसीसी) में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम (आईवीआरएस) आधारित केन्द्रीकृत दोष बुकिंग।
4. टेलीफोन एक्सचेंजों/मीडिया के कार्य-निष्पादन की प्रतिदिन निगरानी करना।
5. सिंगल बेस माड्यूल (एसबीएम) को रिमोट स्विचिंग यूनिट (आरएसयू) में परिवर्तित करना।
6. सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एन-आरएएक्स (एक्सेस नेटवर्क-रूरल ऑटोमैटिक एक्सचेंजों) में परिवर्तित करना।
7. बैक-अप पॉवर आपूर्तियों के लिए अनुरक्षण-मुक्त बैटरी सेटों तथा इंजन ऑल्टरनेटरों की व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एफडब्ल्यूटी सहित सभी डब्ल्यूएलएल उपस्करों का वार्षिक अनुरक्षण ठेका (एएमसी) और नई आपूर्तियों में भी वार्षिक अनुरक्षण ठेका प्रदान करना।
9. अधिक "टॉक टाइम" तथा "स्टैंड-बाई टाइम" प्रदान करने के लिए एफडब्ल्यूटी सहित उच्च क्षमता बाह्य अनुरक्षण-मुक्त बैटरी की व्यवस्था करना।
10. 90-300 की वोल्टेज रेंज में प्रचालित करने हेतु एफडब्ल्यूटी का बैटरी चार्जर।
11. एफडब्ल्यूटी के समुचित उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं की जानकारी बढ़ाने के लिए उन्हें "क्या करें/"क्या न करें" विषयक अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि एफडब्ल्यूटी से संबंधित दोषों को कम-से-कम किया जा सके।
12. एमएआरआर फोनों को लैंडलाइन अथवा वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) फोनों से बदलना।
13. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी पैरामीटरों को पूरा करने के लिए, बीएसएनएल के सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में लगातार वृद्धि करते हुए उसका इष्टतम उपयोग तथा निगरानी की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

*153. **श्री रमेश चन्नैन :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और स्थानवार कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना की गई है;

(ख) इन टेक्नोलॉजी पार्कों के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(ग) इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में और टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने देश से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) की एक स्वायत्त संस्था के रूप स्थापना की है। एसटीपीआई द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यात समुदाय के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सांविधिक सेवाएं, आंकड़ा संचार सेवाएं और निर्माण की सुविधाएं शामिल हैं। एसटीपीआई ने सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन में भी विकासात्मक भूमिका निभाई है जिसमें लघु एवं मझौले उद्यमों तथा आरम्भिक इकाइयों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। डेटाकॉम सम्पर्क सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और एसटीपीआई यह सेवा आरम्भ से ही प्रदान कर रहा है। अब तक विभिन्न राज्यों में 47 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीपीआई सदस्य इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात का कुल मूल्य नीचे दिए अनुसार है:-

2005-06 – 1,00,965 करोड़ रुपए

2004-05 – 74,019 करोड़ रुपए

2003-04 – 51,458 करोड़ रुपए

पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीपी-पुणे अन्तर्गत पंजीकृत एसटीपीआई सदस्य इकाइयों द्वारा किया गया कुल निर्यात नीचे दिए अनुसार है:-

2005-06 – 8,300 करोड़ रुपए

2004-05 – 5,700 करोड़ रुपए

2003-04 – 4,200 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) भारत से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के क्षेत्र में होने वाला कुल निर्यात वर्ष 2008-09 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

(च) और (छ) जी, हां। भोपाल और ग्वालियर (मध्यप्रदेश), पटना (बिहार), हल्दिया (पश्चिम बंगाल), बरहमपुर (उड़ीसा), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), आगरा (उ.प्र.), गोवा (गोवा), शिलांग (मेघालय), अगरतला (त्रिपुरा) और गुलबर्गा (कर्नाटक) में नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

विवरण

राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा, वाइजैग, वारंगल
असम	गुवाहाटी
छत्तीसगढ़	भिलाई
गुजरात	गांधी नगर
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
झारखण्ड	रांची
कर्नाटक	बंगलौर, हुबली, मंगलौर, मणिपाल, मैसूर
केरल	तिरुवनन्तपुरम

1	2
मध्य प्रदेश	इंदौर
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, नवी, मुम्बई, पुणे, कोल्हापुर
मणिपुर	इम्फाल
उड़ीसा	भुवनेश्वर, राउरकेला
पांडिचेरी	पांडिचेरी
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुनावेली, त्रिची
उत्तर प्रदेश	कानपुर, लखनऊ, नोएडा, इलाहाबाद
उत्तरांचल	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दुर्गापुर, खड़कपुर, सिलीगुड़ी

[हिन्दी]

चिकित्सकों का पलायन

*154. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चिकित्सक विदेशों को पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) जैसा कि अन्य व्यवसायों में होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ डाक्टर व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय दृष्टि से अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए विदेश में प्रव्रजन का सहारा लेते हैं, जो कि अनेक देशों में एक सामान्य घटना है। जहां तक विदेशों में प्रव्रजन करने वाले डाक्टरों की संख्या का संबंध है, इस मंत्रालय में कोई विशेष आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इस समय विदेशों में डाक्टरों के प्रव्रजन को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में कुल करीब 6.05 लाख एलोपैथिक डाक्टर पंजीकृत हैं। भूरे समिति द्वारा डाक्टर एवं जनसंख्या के संस्तुत 1:2000 के अनुपात के मुकाबले इस समय एलोपैथिक डाक्टरों की उपलब्धता 1:1800 अनुपात में है। इसके अलावा, प्रति वर्ष 29,572 छात्रों की दाखिला क्षमता वाले देश में 260 मान्यताप्राप्त/अनुमतिप्राप्त मेडिकल कालेज हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लगभग 6 लाख डाक्टर अपनी-अपनी परिषदों में पंजीकृत हैं। यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी शामिल किया जाता है तो डाक्टरों की उपलब्धता का अनुपात और भी बेहतर हो जाता है। अतः देश में बने डाक्टरों की कुल संख्या में कोई कमी नहीं है, हालांकि डाक्टरों की उपलब्धता में भौगोलिक दृष्टि से एवं विशेषज्ञता के अनुसार असंतुलन है।

[अनुवाद]

वॉयस इन्टरसेप्ट प्रदान करना

*155. डा. राजेश मिश्रा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं जो अपने होम सर्किल के बाहर होने के कारण रोमिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, के वॉयस इन्टरसेप्ट को सुरक्षा एजेन्सियों को उपलब्ध नहीं कराने के कारण सेवा प्रदाताओं की कथित रूप से खिंचाई की है जैसाकि 2 जून, 2006 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी उपभोक्ता के एक बार होम नैटवर्क को छोड़कर बाहर चले जाने पर उसका पता लगाना संभव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार उन उपभोक्ताओं, जो अपने होम नेटवर्क के भीतर हैं अथवा रोमिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, के वॉयस इन्टरसेप्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों की प्राप्ति पर सुरक्षा एजेन्सियों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर जब कभी अपेक्षित होता है सेवा प्रदाताओं तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लाइसेंस करार में उपयुक्त शर्तें शामिल की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) लाइसेंसधारक के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपने उपस्कर तथा नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए कष्टप्रद, आपत्तिजनक अथवा दुर्भाग्पूर्ण कालों, संदेशों अथवा संप्रेषणों का पता लगाने संबंधी सभी खोजी सुविधाएं भारत सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों को अविलम्ब प्रदान करे।

(ii) लाइसेंसधारक सरकार को संगत समय में स्थिति-विशेष के अनुसार जासूसी, विध्वंसकारी कृत्य, तोड़-फोड़ अथवा किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(iii) लाइसेंसदाता अथवा इसके मनोनीत व्यक्ति के अलावा समय-समय पर लाइसेंसदाता द्वारा यथासूचित केन्द्रीय/राज्य सरकार के पदनामित व्यक्ति को दूरसंचार ट्रैफिक (परियात) की निगरानी करने का अधिकार होगा।

(iv) लाइसेंसधारक कॉलों की निगरानी के निर्बाध प्रचालन हेतु अनुश्रवण उपस्कर की पूरी श्रृंखला उपयुक्त मात्रा में सुनिश्चित कराएगा।

(v) सरकार उपयुक्त अधिसूचना के माध्यम से देश के कतिपय क्षेत्रों में मोबाइल टर्मिनलों के उपयोग पर रोक लगा सकती है।

प्राथमिक शिक्षा के साथ खेलों को जोड़ना

*156. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभा की खोज के उद्देश्य से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 4 जुलाई, 2006 के "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी तथा इसके परिणामस्वरूप बच्चों, किशोरों तथा युवाओं के एक बड़े वर्ग तक संगठित खेलों के अवसर न उपलब्ध करा पाने की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय में शैक्षिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों, युवा संगठनों, इत्यादि जैसे विभिन्न पणधारियों के सहयोग से पंचायत युवा खेल अभियान को संवर्धित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

दयामूलक आधार पर मृत्यु संबंधी कानून

*157. **श्री चन्द्रभान सिंह :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दयामूलक आधार पर मृत्यु संबंधी कानून पर सर्वसम्मति बनाने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि आयोग ने ऐसे रोगियों को दयामूलक आधार पर मृत्यु की अनुमति देने की सिफारिश की है जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं अथवा जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में अभी तक ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जिनमें दयामूलक आधार पर मृत्यु का अनुरोध किया गया है; और

(च) उन देशों के नाम क्या हैं जहां दयामूलक आधार पर मृत्यु का कानून लागू है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विधि आयोग ने सूचित किया है कि स्थाई रूप से बीमार रोगियों (रोगियों और चिकित्सकों की सुरक्षा) के विषय पर इसकी 196वीं रिपोर्ट में ''सुखमृत्यु'' और ''आत्महत्या में सहायता'' के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं।

(ङ) अभी तक सरकार ने सुखमृत्यु की अनुमति नहीं दी है। इसके लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(च) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

दयामूलक आधार पर मृत्यु से संबंधित विषय.वस्तु की पहले ही इस मंत्रालय में वर्ष 2003 में जांच की गई है और मंत्रालय का यह मत है कि दयामूलक आधार पर मृत्यु की अनुमति निम्नलिखित कारणों से नहीं दी जा सकती है:-

1. हिप्पोक्रेटिक ओथ रोगी की इरादतन/स्वैच्छिक मृत्यु के विरुद्ध है।

2. वेदना, पीड़ा, पुनर्वास और उपचार तथा तथाकथित रूप से ठीक न होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आयुर्विज्ञान के विकास को धक्का पहुंचेगा।

3. एक व्यक्ति किसी निश्चित समय पर मरना चाह सकता है, उसकी यह इच्छा लगातार नहीं हो सकती और क्षणिक अवसाद से केवल क्षणिक इच्छा हो सकती है।

4. पीड़ा एक मन: स्थिति और अनुभूति है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच भिन्न-भिन्न होती है और यह विभिन्न माहौल और सामाजिक पहलुओं पर निर्भर करती है।

5. आयुर्विज्ञान में लगातार हो रहे विकास से कैंसर और अन्य स्थाई बीमारियों वाले रोगियों की पीड़ा का बेहतर उपचार संभव हो गया है। इसी प्रकार रीढ़ की चोट के बहुत से रोगियों को पुनर्वास से लगभग सामान्य जीवन बिताने में मदद मिलती है और सुखमृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है।

6. मानसिक रूप से बीमार/अवसाद के रोगी द्वारा सुखमृत्यु की इच्छा का अच्छी मनश्चिकित्सीय परिचर्या द्वारा उपचार किया जा सकता है।

7. पीड़ा की मात्रा का अन्दाजा लगाना कठिन होगा जो हमेशा बदलते हुए सामाजिक दबाव और मानदंडों के अध्यधीन हो सकता है।

8. क्या चिकित्सक इस प्रकार के ज्ञान और अनुभव का दावा करते हैं कि रोग ठीक हो सकता है और रोगी स्थायी रूप से अशक्त है।

9. विज्ञतर पर पड़े और नियमित सहायता की जरूरत वाले रोगी को परिभाषित करना हमेशा चिकित्सीय रूप से संभव नहीं है।

10. उन चिकित्सा अधिकारियों जिनसे सुखमृत्यु करवाना अपेक्षित होगा, पर मनोवैज्ञानिक दबाव और अभिघात हो सकता है।

[अनुवाद]

श्रीहरिकोटा में दूसरा प्रक्षेपण स्थल

*158. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीहरिकोटा में दूसरे अत्याधुनिक प्रक्षेपण स्थल को चालू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर कितना खर्च आया है; और

(घ) इससे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और किस प्रकार से लाभान्वित हुआ है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, पी एस एल वी-सी6 के सफल प्रमोचन के साथ ही मई, 2005 में अत्याधुनिक द्वितीय प्रमोचन पैड को चालू कर दिया गया। यह द्वितीय प्रमोचन पैड (एस एल पी) 'समेकन स्थांतरण और प्रमोचन' (आई टी एल) के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें मोबाइल प्रमोचन आधार (एम एल पी) पर रख कर एक समर्पित राकेट समुच्चय भवन (वी ए बी) में सम्पूर्ण प्रमोचक राकेट का समुच्चयन किया जाता है और इसकी जांच की जाती है। इसके बाद समुच्चयित राकेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में पटरी पर रख कर प्रमोचन पैड तक लाया जाता है। प्रमोचन पैड से नोदक की धुलाई-सफाई, राकेट की अंतिम जांच-पड़ताल और प्रमोचन का कार्य किया जाता है। विभिन्न एम एल पी के साथ जी एस एल वी-मार्क-III सहित विविध राकेटों के प्रमोचन के लिए इस प्रमोचन पैड का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) एस एल पी के निर्माण पर 407 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

(घ) एस एल पी की उपलब्धता के साथ ही संवर्धित प्रमोचन आवृत्ति प्रदान करने वाले प्रमोचनों के लिए बेहतर प्रत्यावर्तन काल संभव हो पाया है। प्रथम प्रमोचन पैड सहित एस एल पी की उपलब्धता से एक ही साथ हमें दो प्रमोचक राकेटों को समाकलित करने का विकल्प प्राप्त हुआ है।

पोस्टल फाइनेन्स मार्ट की स्थापना

*159. **श्री वी. विनोद कुमार** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "डाक फाइनेंस मार्ट" (पीएफएम) की स्थापना करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पी एफ एम की स्थापना किए जाने हेतु डाकघरों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना हेतु कुल कितना वित्तीय परिव्यय रखा गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि, दसवीं योजना में योजना स्कीम "परिचालन/कार्यकरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण (एर्गोनॉमिक्स में सुधार)" के अंतर्गत 300 डाकघरों में डाक वित्त मार्ट (पीएफएम) की स्थापना का प्रस्ताव था।

डाक वित्त मार्ट (पीएफएम) विशेष मूल्यवर्द्धित सेवाओं तथा बीमा उत्पादों सहित सभी वित्तीय सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए जाते हैं। डाक वित्त मार्ट बाजार के मानकों के अनुरूप ग्राहकोनुकूल वातावरण में उन्नत एर्गोनॉमिक्स वाले पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत डाकघर में "वन स्टॉप शॉप फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज" यानी एक ही जगह सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकाय के रूप में भी काम करते हैं। इनका उद्देश्य वित्तीय और बीमा दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा देने और क्रॉस विक्रय को भी अवसर प्रदान करना है। आमतौर पर, डाक वित्त मार्टों में बचत तथा निवेश पर वित्तीय सलाह देने में सक्षम पेशेवर प्रशिक्षित कर्मी ही तैनात हैं।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2005-2006 में स्थापित 142 डाक वित्त मार्टों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 में स्थापना के लिए प्रस्तावित डाक वित्त मार्टों की अभी पहचान की जानी बाकी है।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यकलाप के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 14028 करोड़ रुपए हैं।

विवरण

मौजूदा डाक वित्त (पीएफएम) की सूची

(2005-2006)

क्रम सं.	सर्किल	डाक वित्त मार्ट
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद जीपीओ

1	2	3
		2. सिकंदराबाद प्रधान डाकघर
		3. विजयवाड़ा प्रधान डाकघर
		4. गुंटूर प्रधान डाकघर
		5. कुर्नूल प्रधान डाकघर
		6. करीमनगर प्रधान डाकघर
		7. डाबा गार्डन्स एलएसजी उप डाकघर
		8. एलबी कालोनी उप डाकघर
		9. वारंगल प्रधान डाकघर
		10. डीएच सूटून उप डाकघर
2.	असम	1. गुवाहाटी जीपीओ
3.	बिहार	1. पटना जीपीओ
		2. बांकीपुर प्रधान डाकघर
		3. भागलपुर प्रधान डाकघर
		4. गया
		5. मुजफ्फरपुर
		6. दरभंगा
		7. छपरा
4.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर प्रधान डाकघर
		2. दुर्ग प्रधान डाकघर
		3. बिलासपुर प्रधान डाकघर
5.	दिल्ली	1. संसद मार्ग प्रधान डाकघर
		2. नई दिल्ली जीपीओ
		3. सरोजनी नगर प्रधान डाकघर
		4. लोधी रोड प्रधान डाकघर
		5. दिल्ली जीपीओ
6.	गुजरात	1. अहमदाबाद जीपीओ
		2. वडोदरा प्रधान डाकघर
		3. सूरत प्रधान डाकघर
		4. फतेहगंज प्रधान डाकघर
		5. राजकोट प्रधान डाकघर
		6. तख्तेश्वर डाकघर
		7. रेवडी बाजार प्रधान डाकघर
7.	हरियाणा	1. अंबाला जीपीओ
		2. करनाल प्रधान डाकघर
		3. एनएच-IV फरीदाबाद उप डाकघर
		4. मॉडल टाउन रोहतक उप डाकघर
8.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला जीपीओ
		2. मंडी प्रधान डाकघर
		3. ऊना प्रधान डाकघर
		4. हमीरपुर प्रधान डाकघर
		5. पालमपुर प्रधान डाकघर
9.	जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर जीपीओ
		2. ऊधमपुर प्रधान डाकघर

1	2	3
		3. गांधीनगर प्रधान डाकघर
		4. कथुआ प्रधान डाकघर
		5. अनंतनाग प्रधान डाकघर
10.	झारखंड	1. रांची जीपीओ
		2. दोरांडा प्रधान डाकघर
		3. जमशेदपुर प्रधान डाकघर
		4. हजारीबाग प्रधान डाकघर
		5. धनबाद प्रधान डाकघर
11.	कर्नाटक	1. बेंगलूर जीपीओ (2005)
		2. बनशंकरी II स्टेज
		3. आर.टी. नगर, प्रधान डाकघर
		4. विजयनगर मुख्य डाकघर
		5. चित्रदुर्ग प्रधान डाकघर
		6. बलमाट्टा उप डाकघर
		7. यादवगिरी उप डाकघर
		8. बेलगांव प्रधान डाकघर
		9. बीदर प्रधान डाकघर
		10. हुबली प्रधान डाकघर (2005)
12.	केरल	1. त्रिवेंद्रम जीपीओ
		2. कोल्लम प्रधान डाकघर
		3. चेंगन्नूर प्रधान डाकघर
		4. त्रिशूर प्रधान डाकघर
		5. इरिंजालक्कुडा प्रधान डाकघर
		6. कालीकट प्रधान डाकघर
		7. पालक्काड प्रधान डाकघर
13.	मध्य प्रदेश	1. सेंट्रल टीटी प्रधान डाकघर भोपाल
		2. भोपाल जीपीओ
		3. इंदौर जीपीओ
		4. सागर कैंट प्रधान डाकघर
		5. उज्जैन प्रधान डाकघर
		6. जबलपुर प्रधान डाकघर
		7. ग्वालियर प्रधान डाकघर
		8. इंदौर नगर प्रधान डाकघर
		9. रीवा प्रधान डाकघर
14.	महाराष्ट्र	1. मुंबई सेंट्रल प्रधान डाकघर
		2. दादर प्रधान डाकघर
		3. मालाबार हिल डाकघर
		4. माहिम प्रधान डाकघर
		5. अंधेरी प्रधान डाकघर
		6. नागपुर जीपीओ
		7. शिवाजी नगर प्रधान डाकघर
15.	उत्तर पूर्व	1. अगरतला प्रधान डाकघर
		2. इंफाल प्रधान डाकघर
		3. कोहिमा प्रधान डाकघर

1	2	3
		4. शिलांग प्रधान डाकघर
		5. ऐजल प्रधान डाकघर
		6. धर्मनगर जीपीओ
16.	उड़ीसा,	1. भुवनेश्वर जीपीओ
		2. कटक जीपीओ
		3. बेहरामपुर प्रधान डाकघर
		4. संबलपुर प्रधान डाकघर
		5. कोरापुट प्रधान डाकघर
		6. राऊकेला प्रधान डाकघर
		7. भंजनगर प्रधान डाकघर
17.	पंजाब	1. सैक्टर 16 डाकघर
		2. सैक्टर 27 डाकघर
		3. लुधियाना प्रधान डाकघर
		4. बस्तीनाऊं डाकघर
		5. मजीठा मंडी डाकघर
18.	राजस्थान	1. शास्त्री नगर प्रधान डाकघर
		2. अलवर प्रधान डाकघर
		3. अजमेर प्रधान डाकघर
		4. कोटा प्रधान डाकघर
		5. शास्त्री नगर प्रधान डाकघर
		6. बीकानेर प्रधान डाकघर
19.	तमिलनाडु	1. कोयम्बटूर प्रधान डाकघर
		2. मदुरै प्रधान डाकघर
		3. पुदुकोट्टई
		4. पुत्तुकोटई
		5. अरियंगई
		6. त्रिच्ची
		7. तेयनंपेट
		8. अण्णा रोड प्रधान डाकघर
		9. अंबट्टूर प्रधान डाकघर
		10. कुडलूर प्रधान डाकघर
		11. ईरोड प्रधान डाकघर
		12. कारूर प्रधान डाकघर
		13. कोविलपट्टि प्रधान डाकघर
		14. नागरकोइल प्रधान डाकघर
		15. सेलम प्रधान डाकघर
		16. त्रिप्लिकेन उप डाकघर
		17. तिरुनेलवेली प्रधान
		18. बॉयलर प्रोजेक्ट उप डाकघर
20.	उत्तर प्रदेश	1. इलाहाबाद प्रधान डाकघर
		2. अमेठी मुख्य डाकघर
		3. गाजियाबाद प्रधान डाकघर
		4. नोएडा प्रधान डाकघर
		5. लखनऊ जीपीओ

1	2	3
		6. राय बरेली प्रधान डाकघर
		7. कानपुर प्रधान डाकघर
		8. संजय प्लेस
21.	उत्तरांचल	1. देहरादून जीपीओ (2005)
		2. देहरादून कैंट प्रधान डाकघर
22.	पश्चिम बंगाल	1. बर्दवान प्रधान डाकघर
		2. सेरामपुर प्रधान डाकघर
		3. बेलघाटा प्रधान डाकघर
		4. पार्क स्ट्रीट प्रधान डाकघर
		5. कल्याणी प्रधान डाकघर

कुल संख्या 142

ग्रामीण क्षेत्रों में टैलीफोन सेवाएं

*160. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी टैलीफोन सेवाओं का विस्तार करने के इच्छुक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में करना अनिवार्य करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रति लाइन राजस्व अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता आमतौर पर शहरी क्षेत्रों पर अधिक फोकस कर रहे हैं। इस दृष्टि से शहरी क्षेत्रों की आर्थिक तथा साक्षरता संबंधी स्थिति अपेक्षाकृत उच्च होने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सहायक अवसंरचना की सुगम उपलब्धता भी सहयोगी कारक हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित, 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों को छोड़कर टैलीफोन सुविधारहित शेष सभी पात्र गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करना।

(ii) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों और जहां कोई सार्वजनिक टैलीफोन केन्द्र (पीसीओ) नहीं है, वहां ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान करना।

(iii) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित वीपीटी को बदलना।

(iv) वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से आर्थिक सहायता देकर मांग पर ग्रामीण व्यक्तिगत फोन कनेक्शनों (आरडीईएल) का प्रावधान।

(v) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क संस्थापित किया जाना।

(vi) बीएसएनएल द्वारा लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए बाहरी केबल के पूर्ववर्ती 2.5 कि.मी. के मानदंड में छूट देकर उसे 5 कि.मी. निर्धारित करना।

(vii) बीएसएनएल ने व्यापक अवसंरचना की संस्थापना करने की योजना बनाई है जिससे मोबाइल कवरेज प्रदान किया जाएगा।

गुजरात में परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन

1039. श्री जसुभाई धनाभाई बारड : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुल बजट आबंटन में गुजरात की विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर व्यय की जाने वाली प्रस्तावित राशि का प्रतिशत क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य की विकासात्मक और गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर व्यय किए गए बजट आबंटन का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन प्रयोजनों के लिए अधिक निधियां आबंटित/व्यय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) गुजरात की दसवीं योजना (2002-07) के लिए 2001-02 की कीमतों पर अनुमानित परिव्यय 40007.00 करोड़ रुपए है। इसमें से 39986.15 करोड़ रुपये, जो कुल परिव्यय का 99.95% है, विकासात्मक परियोजनाओं (आर्थिक और सामाजिक सेवाएं) पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है और शेष 20.85 करोड़ रुपए, जो कुल योजना परिव्यय का 0.05% है, गैर-विकासात्मक परियोजनाओं (सामान्य सेवाओं) पर खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ख) गुजरात की दसवीं योजना की प्रथम तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च किए गए योजना आबंटन का प्रतिशत क्रमशः 99.96% और 0.04% है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने गुजरात की क्रमशः वार्षिक योजनाओं 2005-06 और 2006-07 के लिए 11000.00 करोड़ रुपए और 12503.50 करोड़ रुपए के परिव्ययों का अनुमोदन कर दिया है जो संसाधन की उपलब्धता के आंकलन पर आधारित है।

साई प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रक्रिया

1040. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रक्रिया अभी तक आरम्भ नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्व डोपिंग-रोधी संघ की अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अपेक्षित परीक्षण करने के लिए साई प्रयोगशाला में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) डोप नियंत्रण प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्व डोप-विरोधी एजेंसी (वाडा) के प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष न्यूनतम 1500 डोप नियंत्रण नमूनों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला अपेक्षित है। फिलहाल डोप नियंत्रण प्रयोगशाला प्रतिवर्ष 2000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण कर रही है। वाडा द्वारा निर्धारित नमूना परीक्षण के न्यूनतम निर्धारित मानदंडों के पालन के लिए वर्तमान स्टाफ पर्याप्त है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आतंकवाद रोधी संधि

1041. श्री वृज किशोर त्रिपाठी :
श्री संजय धोत्रे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आतंकवाद रोधी संधि में भागीदार बनने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सदस्य देश परमाणु आतंकवाद के विरुद्ध जांच कार्य तथा इस प्रकार के आतंकवाद में संलिप्त लोगों के प्रत्यर्पण में परस्पर सहयोग करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संधि की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) भारत ने नाभिकीय आतंकवाद की गतिविधियों के दमन से सम्बद्ध 2005 का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 24 जुलाई, 2006 को सम्पन्न किया था।

(ख) से (घ) इस अभिसमय में, राज्यों से आतंकवादी कृत्यों

में शामिल नाभिकीय सामग्रियों के उपयोग को एक गंभीर अपराध के रूप में दंडनीय बनाना और सूचना के आदान-प्रदान, प्रत्यर्पण और परस्पर विधिक सहायता के माध्यम से इन अपराधों की रोकथाम, छानबीन और आभियोजन में सहयोग अपेक्षित है। यह अभिसमय आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विधिक रूपरेखा के बहुपक्षीय प्रयासों को सुदृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण पहल है और सुस्पष्ट संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रेडियोधर्मी सामग्री अथवा नाभिकीय उपकरणों से सम्बद्ध आतंकवादी कृत्यों की धमकी देनेवालों अथवा ऐसे कृत्य को करने वालों को सहन नहीं करेगा।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान

1042. **श्री प्रह्लाद जोशी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के दौरान केन्द्र सरकार के सभी विभागों तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए विशेष भर्ती अभियान का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न विभागों में विद्यमान ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उम्मीदवारों की भर्ती अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से की जानी है;

(ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सभी विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अगस्त, 2004 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। पिछली बकाया रिक्तियां अभी भी इस अभियान के अंतर्गत भरी जा रही हैं।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल 65468 पिछली बकाया रिक्तियों की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) इस आशय के निदेश जारी किए गए हैं कि पिछली बकाया सभी रिक्तियां सितम्बर, 2006 तक भर ली जाएं।

[हिन्दी]

दूरसंचार का विस्तार/विकास

1043. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास और विस्तार की गति कथित रूप से काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए दूरसंचार विस्तार की परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों में दूरसंचार के विकास और विस्तार की गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। बीएसएनएल ने वर्ष 2006-07 के दौरान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा कर्नाटक दूरसंचार सर्किलों में सेवाओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:-

क्र. सं.	सर्किल का नाम	बुनियादी टेलीफोन	सेल्यूलर मोबाइल	इंटरनेट	ब्रॉडबैण्ड	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.)	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (केसी)
1.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	51900	900000	21000	29600	1060	16
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12300	300000	21100	7200	800	16
3.	कर्नाटक	84500	200000	50000	83200	1420	40

दिल्ली और मुम्बई में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास और विस्तार की गति तेज करने के लिए सरकार ने सार्वभौमिक सेवा निधि भी स्थापित की है। इस निधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ग्रामीण दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

बीएसएनएल—गत 3 वर्षों के दौरान स्विचन क्षमता और टेलीफोन कनेक्शनों की सर्किल-वार उपलब्धि

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2003-04		2004-05		2005-05	
		स्विचन क्षमता	डीईएल	स्विचन क्षमता	डीईएल	स्विचन क्षमता	डीईएल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8584	6313	7772	4407	19202	22209
2.	आंध्र प्रदेश	395762	309625	268574	295671	719676	333141
3.	असम	103955	49771	127363	153502	289421	251531
4.	बिहार	221200	143599	-211862	179635	502080	448605
5.	छत्तीसगढ़	74385	41793	343834	47969	77786	73885
6.	गुजरात	327472	3306	331220	127918	68337	169303

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरियाणा	153246	164704	211990	113344	488400	218280
8.	हिमाचल प्रदेश	49314	53525	57088	45838	285202	142503
9.	जम्मू और कश्मीर	57308	64673	133860	136652	349226	377914
10.	झारखंड	140558	101347	484909	87053	216809	211863
11.	कर्नाटक	153684	128552	456867	412887	793714	563583
12.	केरल	383954	407074	698176	710685	1197212	1101915
13.	मध्य प्रदेश	122906	157134	-116802	202668	110878	198456
14.	महाराष्ट्र	555348	343365	543578	384831	287496	357558
15.	पूर्वोत्तर - 1	29260	26096	-110793	49317	110450	51696
16.	पूर्वोत्तर - 2	28260	26518	197524	47858	133626	93467
17.	उड़ीसा	161278	139421	145860	181940	460228	311313
18.	पंजाब	346654	106112	199238	97884	47842	133346
19.	राजस्थान	219138	214920	205442	234226	821723	805493
20.	तमिलनाडु	171305	217247	477551	581741	1130973	663209
21.	उत्तरांचल	80254	82806	387008	65509	228810	166350
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	425816	173139	403900	388035	1067021	877515
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	240109	211836	-138446	122576	405783	167423
24.	पश्चिम बंगाल	255495	165730	206204	195046	701264	440238
25.	कोलकाता	47480	40360	296174	222111	351212	183272
26.	चेन्नई	212860	80415	285000	197101	569668	126849
	जोड़	4965585	3459381	5891229	5286404	11434039	8224225

विवरण-II

बीएसएनएल–गत 3 वर्षों के दौरान इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सर्किल-वार उपलब्धि

क्र. सं.	सर्किल का नाम	इंटरनेट			ब्रॉडबैंड	
		2003-04	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	463	636	-258	0	204
2.	आंध्र प्रदेश	61135	53962	32442	4337	45772
3.	असम	3202	3636	3143	12	3915
4.	बिहार	4553	3091	108	82	12948
5.	छत्तीसगढ़	6148	7608	5623	1	5764
6.	गुजरात	44339	42216	40610	900	41304
7.	हरियाणा	13609	26930	16549	0	12487
8.	हिमाचल प्रदेश	4551	4396	7035	2	2179
9.	जम्मू और कश्मीर	4117	9214	13382	0	4035
10.	झारखंड	5898	6491	8501	18	5404
11.	कर्नाटक	21359	11277	194095	10299	80086
12.	केरल	67342	94133	68187	311	24975
13.	मध्य प्रदेश	12812	26058	12749	0	26017
14.	महाराष्ट्र	33240	31653	117546	2268	47709
15.	पूर्वोत्तर - 1	1285	1751	4590	0	1022
16.	पूर्वोत्तर - 2	1345	5060	4746	0	360
17.	उड़ीसा	6989	13160	17581	16	3787

1	2	3	4	5	6	7
18.	पंजाब	33831	38181	38460	0	24535
19.	राजस्थान	14833	47209	18545	2	20082
20.	तमिलनाडु	40971	41766	28802	462	20323
21.	उत्तरांचल	3946	7072	14073	0	2700
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	21095	25993	17577	0	19355
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	18436	16444	15251	0	11084
24.	पश्चिम बंगाल	7509	12559	2822	24	2647
25.	कोलकाता	14	192469	81234	5043	71231
26.	चेन्नई	67268	62393	39308	10130	62542
	जोड़	500290	785358	802701	33907	552467

विवरण-III

बीएसएनएल–गत 3 वर्षों के दौरान ओएफसी और टीएएक्स की सर्किल-वार उपलब्धि

क्र. सं.	सर्किल का नाम	ओएफसी			टीएएक्स		
		2003-04	2004-05	2005-05	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.60	34.18	37	0.00	1.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	1855.90	2224.00	1162	70.50	21.00	75.50
3.	असम	973.46	555.68	635	20.00	11.00	13.00
4.	बिहार	1643.64	749.83	839	47.50	54.00	21.00
5.	छत्तीसगढ़	1321.88	547.63	200	15.00	15.00	16.50

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	2007.51	827.50	400	29.00	37.00	58.00
7.	हरियाणा	1202.83	1239.20	562	13.00	16.00	20.00
8.	हिमाचल प्रदेश	247.00	648.72	556	26.50	6.00	6.00
9.	जम्मू और कश्मीर	557.74	427.38	597	10.00	9.00	15.00
10.	झारखंड	640.68	385.5	671	9.00	10.00	17.00
11.	कर्नाटक	2460.00	2066.67	1187	51.00	91.50	83.00
12.	केरल	1255.16	847.59	654	35.00	28.00	36.00
13.	मध्य प्रदेश	2316.47	728.08	628	36.00	79.00	14.00
14.	महाराष्ट्र	4961.63	3020.76	1069	97.00	92.00	61.00
15.	पूर्वोत्तर - 1	277.45	524.64	528	0.00	16.00	4.00
16.	पूर्वोत्तर - 2	457.95	920.30	115	2.00	5.00	7.00
17.	उड़ीसा	826.61	754.45	934	30.00	25.50	46.00
18.	पंजाब	1758.70	590.50	216	25.00	22.00	45.00
19.	राजस्थान	2695.63	1164.29	1545	59.00	66.50	46.00
20.	तमिलनाडु	2173.43	1808.67	1541	35.50	23.50	86.00
21.	उत्तरांचल	888.62	439.10	411	17.00	14.50	1.00
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	1767.43	1115.68	1605	103.50	98.50	54.50
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	743.18	517.10	422	38.50	21.00	21.00
24.	पश्चिम बंगाल	1523.60	1382.50	976	29.00	25.00	26.00
25.	कोलकाता	327.27	616.25	690	18.00	10.00	13.00
26.	चेन्नई	500.00	229.29	76	20.00	4.00	41.50
	जोड़	35392.46	24465.49	18256.62	837.00	802.00	827.00

विवरण-IV

एमटीएनएल – दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु शुरू की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	वर्ष	परियोजना और क्षमता का नाम/ राज्य का नाम
1.	2004-05	ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशंस (जीएसएम)
	2005-06	400के क्षमता +
	2006-07	200के विस्तार +
		200के विस्तार +
		(प्रत्येक दिल्ली और मुम्बई में)
2.	2004-05	सीडीएमए 2000IX टाइप (800के)
	2005-06	(400के प्रत्येक दिल्ली और मुम्बई में)
	2006-07	
3.	2005-06	फिक्सड इंटलीजेंट नेटवर्क
	2006-07	(प्रत्येक दिल्ली और मुम्बई में)
4.	2005-06	स्विचन परियोजनाएं (80के)
	2006-07	(मुम्बई में)
5.	2005-06	कोर नेटवर्क हेतु एमपीएलएस परियोजना
	2006-07	(दिल्ली और मुम्बई)
6.	2005-06	ब्रॉडबैंड परियोजना 255के
	2006-07	प्रत्येक दिल्ली और मुम्बई में
7.	2005-06	दिल्ली और मुम्बई हेतु कन्वर्जेंट बिलिंग सोल्यूशंस
	2006-07	

विवरण-V

यूएसओएफ द्वारा उठाए गए कदम

(i) 1991 की जनगणना के अनुसार, अभिज्ञात राजस्व गांवों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश (पूर्व) में मौजूदा 75510 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 21262 वीपीटी और कर्नाटक में 25739 वीपीटी के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु तथा 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में वीपीटी की संस्थापना के लिए मै. बीएसएनएल के साथ मार्च, 2003 में करार किए गए थे। बीएसएनएल द्वारा जून, 2006 तक उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 76006 वीपीटी, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 21268 वीपीटी और कर्नाटक में लगभग 27066 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

(ii) पूर्व में मल्टि एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्यरत और 01.04.2002 से पहले स्थापित, उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 27897 वीपीटी, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 11899 वीपीटी और कर्नाटक में 14578 वीपीटी को बदलने के लिए मै. बीएसएनएल के साथ सितम्बर, 2003 और मार्च, 2004 में करार किए गए थे। बीएसएनएल द्वारा जून, 2006 तक उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 21547 एमएआरआर वीपीटी उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 11544 एमएआरआर वीपीटी, और कर्नाटक में 14223 एमएआरआर वीपीटी को बदला गया है।

(iii) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले और बिना सार्वजनिक फोन वाले गांवों में यथा, उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 6931 ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 429 आरसीपी और कर्नाटक में 2197 आरसीपी प्रदान करने के लिए मै. बीएसएनएल और मै. आरआईएल के साथ भी करार किए गए थे। जून 2006 तक उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 3786 आरसीपी, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 335 आरसीपी और कर्नाटक में 1682 आरसीपी प्रदान किए जा चुके हैं।

(iv) नियमानुसार 01.04.2002 से पहले संस्थापित, उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 2,27,159 ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल), उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 1,97,140 आरडीईएल और कर्नाटक में 6,18,942

आरडीईएल हेतु यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

(v) उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और कर्नाटक में 1.4.2005 के पश्चात् संस्थापित की जाने वाली वैयक्तिक ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए, मार्च 2005 में करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन सीधी एक्सचेंज लाइनों को पात्र 84, 21 और 117 कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में क्रमशः उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और कर्नाटक में संस्थापित किया जाएगा, जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की लागत, अर्जित राजस्व से अधिक है। जून 2006 तक लगभग 39019, 10715 और 45674 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें क्रमशः उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और कर्नाटक में प्रदान की गई हैं।

(vi) 1.4.02 और 31.3.05 की अवधि के दौरान, पात्र एसडीसीए में संस्थापित, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और कर्नाटक में क्रमशः 74021, 17139 और 126182 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

एजेंटों को एकसमान भुगतान के लिए योजना

1044. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों के लिए लघु बचत अथवा जमा योजनाएं जुटाने के लिए एजेंट देश भर में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश के कार्यरत ऐसे एजेंटों की संख्या कितनी है.

(ग) क्या सरकार इन एजेंटों को कोई कमीशन, भत्ता आदि का भुगतान करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के सभी राज्यों में इन एजेंटों को भुगतान करने हेतु मानदण्ड एक समान हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में एजेंटों को भुगतान में एकरूपता कायम रखने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो यह योजना कब तक तैयार एवं क्रियान्वित की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय निगरानी इकाई की स्थापना

1045. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा अपशेष के अव्यवस्थित निपटान से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए एक केन्द्रीय निगरानी इकाई (सीएसयू) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) अस्पतालों में जैव-चिकित्सीय कचरे के निपटान का प्रबन्धन, जैव-चिकित्सीय कचरा (प्रबन्धन एवं चालन) नियम, 1998 द्वारा किया जाता है और सभी अस्पतालों के लिए इन नियमों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर के प्रदूषण बोर्ड इन नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन कार्य को मॉनीटर करते हैं।

सेमीकन्डक्टर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन

1046. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, इसके प्रोत्साहन के लिए किन क्षेत्रों की पहचान किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थान के चयन का निर्णय संवर्धकों द्वारा लिया जाएगा।

भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ भेदभाव

1047. श्री मिलिन्द देवरा : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) के साथ भेदभाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मूल के व्यक्तियों ने केंद्र सरकार से किसी सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इनके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ तथाकथित राजनैतिक भेदभाव की कुछ मीडिया रिपोर्टें मिली हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर वही संविधान लागू होता है जो अफ्रो-त्रिनिदादयी समुदाय के लिए है। कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं और तथाकथित राजनैतिक भेदभाव के मामले में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रतिविधान के अवसर हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक नैटवर्क का पुनर्गठन

1048. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दिनांक 27 जुलाई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 448 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स के.पी.एम.जी. द्वारा डाक विभाग के सिस्टम का अध्ययन करने संबंधी कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स के.पी.एम.जी. ने सरकार को कोई अध्ययन रिपोर्ट सौंपी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अध्ययन कब तक पूरा कर लिया जाएगा और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मैसर्स केपीएमजी ने विभाग के विचारार्थ कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इनमें डाक प्रणाली की बुनियादी डाक सुविधाओं तक लोगों की पहुंच अधिकाधिक बढ़ाने के अपने विश्व सेवा दायित्व (यूएसओ) का निर्वाह करते हुए वाणिज्यिक वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने के विकल्प सुझाए गए हैं ताकि वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और गैर-यूएसओ सेवाओं की दरें वाणिज्यिक आधार पर निर्धारित की जा सकें।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

म्यांमार में परियोजना आरंभ करना

1049. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में म्यांमार में कलाडन मल्टी मॉडल परियोजना और तामू कलेवा-कलीमयो रोड के निर्माण की परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है;

(ग) इस संबंध में भारत का योगदान कितना है; और

(घ) इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कलाडन मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना में पूर्वी समुद्रतट पर स्थित भारतीय बंदरगाहों और म्यामांर के सीत्तवे बंदरगाह के बीच तथा उसके माध्यम से नदी परिवहन और सड़क द्वारा मिजोरम तक संपर्क परिकल्पित है। भारतीय कंसल्टेंट द्वारा तैयार

किये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को म्यांमार सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। परियोजना से संबंधित विभिन्न विधिक दस्तावेजों के पाठ पर भी दोनों पक्षों की सहमति हो चुकी है। परियोजना की लागत लगभग 105.4 मिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है जिसमें से 95.4 मिलियन अमरीकी डालर भारत का अंशदान होगा। म्यामांर की सरकार को परियोजना के उनके हिस्से के अंशदान को पूरा करने के लिए सरकार का 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। 120 करोड़ रु. की लागत से वर्ष 2000 में 160 कि.मी. लंबी तामू-कलेवा-कलीमयो सड़क के उन्नयन का कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत सरकार और म्यांम्मार की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसार सड़क के रखरखाव की जिम्मेवारी भारत सरकार की है जिसके लिए सीमा सड़क संगठन को 1.1 करोड़ रु. का वार्षिक अनुदान दी जा रही है। सरकार ने सड़क के पूनर्सतहीकरण कार्य के लिए 51 करोड़ रु. की अतिरिक्त व्यय को भी मंजूरी दे दी है।

कोयला कामगारों का कल्याण

1050. **श्री के.सी. पलनिसामी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल कोयला कामगारों के लिए सुपर-स्पेशिलिटी हास्पिटल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना कब तक होगी; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कोयला कामगारों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) किसी नए सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) कल्याण बोर्ड ने सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों में कुछ अस्पतालों को सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है।

(ख) सी.आई.एल. कल्याण बोर्ड के सुझाव के अनुसरण में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने नीचे दिए गए विभिन्न सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए निम्नलिखित अस्पतालों को विकसित किए जाने की सिफारिश की है:-

क्र.सं.	अस्पताल के नाम	स्पेशिलिटीज
1.	सेन्ट्रल अस्पताल, भारत कोकिंग कोल लि., जगजीवन नगर, धनबाद	न्यूरोलॉजी, नीरो-सर्जरी एवं आफथलमोलॉजी
2.	सेन्ट्रल अस्पताल, गांधी नगर, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	गैस्ट्रोइन्टेरोलॉजी (लैप. सर्जरी) एवं नेफरोलॉजी
3.	सेन्ट्रल अस्पताल, कला, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	एडवांस्ड आथोपैडिक सेन्टर
4.	नेहरू शताब्दी सेन्ट्रल अस्पताल, महानदी कोलफील्ड्स लि., तलचर	यूरोलॉजी
5.	नेहरू चिकित्सालय सेन्ट्रल अस्पताल, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली	यूरोलॉजी एवं लिथ्रिपसी

(ग) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अस्पतालों में सुपर स्पेशिलिटी सेवाएं शुरू होने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।

(घ) सी.आई.एल. ने अपने कामगारों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के सभी उपाय किए हैं। इनमें आवास (संतोषप्रदत्ता 91%). शिक्षा, डिस्पेन्सरियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं, एम्बुलेंस एवं अस्पतालों, खेल के मैदानों, सामुदायिक केन्द्रों आदि की व्यवस्था करना है।

क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों को खोला जाना

1051. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का विचार देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इनके प्रमुख कार्य क्या हैं; और

(ग) क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नए क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1052. श्री सुव्रत बोस : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को बहुत ही धीमी गति से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) जी, नहीं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देशों के एक सेट द्वारा विनियमित की जाती है, जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य/संघ शासित सरकारों, जिला प्राधिकारियों और कार्यान्वयन अधिकरणों की भूमिका, उत्तरदायित्व और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। सरकार द्वारा प्रगति रिपोर्टों और अन्य साधनों से योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन प्रबोधन किया जाता है; और जहां कहीं धीमी प्रगति देखी जाती है, तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) इस योजना को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन किया गया और इन्हें 16 नवम्बर, 2005 को जारी किया गया।

[हिन्दी]

तकनीकी योग्यता वाले भारतीयों का पलायन

1053. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से हर वर्ष हजारों कंप्यूटर इंजीनियर पलायन कर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देशवार अनुमानतः कितने भारतीय छात्र और अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले विदेशों में हैं; और

(ग) विप्रेषण के माध्यम से देश वार्षिक रूप से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कम्प्यूटर इंजीनियर रोजगार के लिए विदेश जाते हैं।

(ख) उत्प्रवास महासंरक्षी केवल उन उत्प्रवासियों के आंकड़े रखता है जो 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' पासपोर्ट धारक हैं। भारतीय छात्र और तकनीकी योग्यता वाले अन्य भारतीय इस श्रेणी में नहीं आते हैं।

(ग) नासकॉम (एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम.) प्राक्कलनों के अनुसार वर्ष 2005-06 में कुल निर्यात (सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवाएं, दोनों) 23.6 बिलियन अमरीकी डालर बैठता है।

भोपाल-जबलपुर सड़क का निर्माण कार्य

1054. श्री राकेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के प्रथम चरण में शामिल किए गए भोपाल-जबलपुर सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को जबलपुर, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क निधि के आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का भोपाल-जबलपुर खंड स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I के अंतर्गत नहीं आता। तथापि, इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में शामिल किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया था इसलिए यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि इस कार्य को कब तक शुरू किया जाएगा।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से जबलपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से लखनऊन तक 4 लेन बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम, इसका साध्यता अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मूलभूत सुविधाएं

1055. श्री संतोष गंगवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) इस संबंध में दी जाने वाली संभावित धनराशि का और शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों का विशेषकर उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दृष्टिकोण पत्र जिसे राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों से विचार-विमर्श करने के लिए तैयार किया गया है और जिसे समान्य जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए योजना आयोग के वेब-साइट में डाल दिया गया है इसमें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से वर्ष 2009 तक कवर न की गई 55,067 बस्तियों, 2.8 लाख पिछड़ गई बस्तियों और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करके भारत निर्माण के अंतर्गत समस्त राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए उस ग्रामीण आबादी के प्रभावी स्वास्थ्य देख-रेख के प्रावधानों में अन्तरालों की समस्या का समाधान किए जाने की आशा है जहां कमजोर स्वास्थ्य संकेतक और/या कमजोर अवसंरचना है। एनआरएचएम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जमीनी वास्तविकताओं और अपेक्षाओं के सावधानी से विश्लेषण पर आधारित अपनी स्वयं की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करनी है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आबंटित की जाने वाली राशियां ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने से संबद्ध हैं।

बीएसएनएल/एमटीएनएल की सेवाएं

1056. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीएसएनएल/एमटीएनएल और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्यवार प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है जो इन सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं;

(ग) देश में विशेषकर राजस्थान में कार्य कर रहे बीएसएनएल के बेसिक टेलीफोन, डब्ल्यूएलएल और सेल्युलर टेलीफोन एक्सचेंजों का क्षमतावार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में शुरू किए जाने वाले "टेलीकाम कैपिसिटी एडीशन प्लान" का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पंचायत में सेल्युलर फोन सर्विस एक्सचेंज को खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा अन्य निजी प्रचालक देश में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं:-

क्र.सं.	प्रदान की गई सेवाएं
1.	लैंडलाइन
2.	सीडीएमए (डब्ल्यूएलएल फिक्स्ड तथा सीमित मोबिलिटी सहित डब्ल्यूएलएल-मोबाइल)
3.	जीएसएम (रोमिंग के साथ प्री-पेड और पोस्ट पेड, जीपीआरएस इत्यादि)
4.	ब्रॉडबैंड
5.	इंटरनेट
6.	लीज्ड लाइन तथा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)

(ख) 30.062006 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा अन्य सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सेवा का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या		
		बीएसएनएल	एमटीएनएल	अन्य सेवा प्रदाता
1.	लैंडलाइन	3,47,03,698	37,93,287	25,60,256
2.	जीएसएम	1,82,97,081	21,69,661	5,80,21,506
3.	ब्रॉडबैण्ड	7,01,687	2,66,633	5,84,637
4.	इंटरनेट	27,87,418	14,00,139	28,65,465
5.	सीडीएमए	27,18,308	1,38,468	3,07,74,772

(ग) देश में (दूरसंचार सर्किलवार) कार्य कर रहे बीएसएनएल और एमटीएनएल के बुनियादी टेलीफोन एक्सचेंजों, डब्ल्यूएलएल और सेल्युलर टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में और राजस्थान दूरसंचार सर्किल (एसएसए वार) का तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान निष्पादित की जाने वाली दूरसंचार क्षमता वृद्धि योजना का ब्यौरा (सर्किलवार) संलग्न विवरण-III में तथा राजस्थान दूरसंचार सर्किल का तत्संबंधी ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में व्यापक रूप से मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के कारण, अनेक ग्रामीण क्षेत्र भी बीएसएनएल द्वारा प्रदान की गई मोबाइल सेवा की अनुषंगी सुविधा (इंसिडेंटल कवरेज) प्राप्त कर रहे हैं। 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार, देश में 1,45,000 गांवों तथा राजस्थान के 10,258 गांवों को बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं की सुविधा मिल रही है। बीएसएनएल ने अगले वित्तीय वर्ष में 5,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है। 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान दूरसंचार सर्किल में 5,000 से अधिक आबादी वाले कुल 761 गांवों में से, 308 गांवों को सेल्युलर मोबाइल सेवाएं प्रदान की गई हैं और 5,000 से अधिक आबादी वाले शेष गांवों को अगले वित्तीय वर्ष तक यह सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी।

विवरण-I

बीएसएनएल और एमटीएनएल की प्रौद्योगिकी-वार (बुनियादी, डब्ल्यूएलएल, सेल्युलर) क्षमता

क्र. सं.	सर्किल का नाम	बुनियादी सेवाएं	डब्ल्यूएलएल सेवाएं (रेडियो क्षमता)	सेल्युलर (रेडियो क्षमता)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	57754	4000	20000
2.	आंध्र प्रदेश	3983935	322250	1681680
3.	असम	704372	69250	453400
4.	बिहार	1323476	144000	867370
5.	छत्तीसगढ़	429845	102750	122450
6.	गुजरात	3688741	215900	909600
7.	हरियाणा	1562312	98400	806345
8.	हिमाचल प्रदेश	644010	55250	368397

1	2	3	4	5
9.	जम्मू व कश्मीर	413396	46250	495060
10.	झारखंड	653616	74500	402644
11.	कर्नाटक	3458921	24600	1514874
12.	केरल	4175982	537500	1665044
13.	मध्य प्रदेश	1689438	243750	366900
14.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	5195356	367750	1117300
15.	पूर्वोत्तर-I	280856	18500	350458
16.	पूर्वोत्तर-II	207604	27250	
17.	उड़ीसा	965856	104500	751572
18.	पंजाब	2771349	196500	1240539
19.	राजस्थान	2280492	251250	1174870
20.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	3480754	287500	1741506
21.	उत्तरांचल	500500	59500	391511
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2324645	267250	2083550
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1748626	99000	869088
24.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	1690035	121150	975500
25.	कोलकाता	1748875	47000	628625
26.	चेन्नई	1431217	67060	812898
27.	एमटीएनएल, मुंबई	2772337	511500	1225000
28.	एमटीएनएल, दिल्ली	2801329	550000	1225000

विवरण-II

30.6.2006 की स्थिति के अनुसार राजस्थान दूरसंचार सर्किल की प्रौद्योगिकी-वार (वायर, डब्ल्यूएलएल, सीएमटीएस)

क्र. सं.	एसएसए का नाम	वायर्ड (लाइनें)		डब्ल्यूएलएल (लाइनें)		सीएमटीएस	
		एक्सचेंजों की कुल संख्या	कुल क्षमता (लाइनें)	बीटीएस की कुल संख्या	सभी बीटीएस की कुल क्षमता (लाइनें)	बीटीएस की कुल संख्या	सभी बीटीएस की कुल रेडियो क्षमता (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	95	126776	13	12500		
2.	अलवर	118	111864	14	12750		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बांसवाड़ा	78	60468	7	7500		
4.	बाड़मेर	84	48104	10	7750		
5.	भरतपुर	82	80000	8	7000		
6.	भीलवाड़ा	87	75316	16	14000		
7.	बीकानेर	83	75070	6	5500		
8.	बूंदी	41	23760	2	1750		
9.	चित्तौड़गढ़	62	54688	10	8500		
10.	चूरू	102	70588	9	9000		
11.	जैसलमेर	36	18608	3	3000		
12.	जयपुर	211	376726	33	31500	1089	1174870
13.	झालावाड़	35	26396	7	5750		
14.	झुनझुनु	76	78950	9	9000		
15.	जोधपुर	125	143652	17	16750		
16.	कोटा	97	126970	14	11750		
17.	नागौर	109	87620	18	17250		
18.	पाली	146	112088	10	8250		
19.	सवाई माधोपुर	63	49392	10	7500		
20.	सीकर	109	92840	10	11250		
21.	सिरोही	131	86300	11	9750		
22.	श्री गंगानगर	185	178908	22	18750		
23.	टोंक	48	30736	4.	3500		
24.	उदयपुर	143	143960	17	15000		

विवरण-III

2006-07 के लिए क्षमता बढ़ाने की योजना
(बीएसएनएल/एमटीएनएल)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	वायर्ड लाइनें *	डब्ल्यूएलएल लाइनें	सीएमटीएस लाइनें
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		400	1,000
2.	आंध्र प्रदेश		60600	500,000
3.	असम		11200	30,000
4.	बिहार		60000	100,000
5.	छत्तीसगढ़		8100	400,000
6.	गुजरात		37000	900,000
7.	हरियाणा		34300	300,000
8.	हिमाचल प्रदेश		16100	150,000
9.	जम्मू व कश्मीर		12600	100,000
10.	झारखंड		17300	34,000
11.	कर्नाटक		84500	200,000
12.	केरल		126600	175,000
13.	मध्य प्रदेश		39100	700,000
14.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)		94300	1,400,000
15.	पूर्वोत्तर-I		3300	60,000
16.	पूर्वोत्तर-II		4200	50,000
17.	उड़ीसा		16200	200,000
18.	पंजाब		56100	200,000
19.	राजस्थान		76100	600,000
20.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर		33700	800,000
21.	उत्तरांचल		3900	100,000
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)		51900	900,000
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)		12300	300,000
24.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)		85900	250,000
25.	कोलकाता		50700	300,000
26.	चेन्नई		3600	250000
	कुल (बीएसएनएल)		1,000,000	9,000,000
27.	एमटीएनएल, मुंबई			800,000
28.	एमटीएनएल, दिल्ली			800,000
	कुल (एमटीएनएल)			1,600,000

विवरण-IV

राजस्थान दूरसंचार सर्किल (बीएसएनएल) में क्षमता बढ़ाने की योजना

क्र. सं.	एसएसए का नाम	डब्ल्यूएलएल (लाइनें)		सीएमटीएस की क्षमता में वृद्धि (लाइनें)
		बीटीएस की कुल संख्या	सभी बीटीएस की कुल क्षमता (लाइनें)	
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	16	12000	

1	2	3	4	5
2.	अलवर	16	12000	
3.	बांसवाड़ा	28	21000	
4.	बाड़मेर	33	24750	
5.	भरतपुर	15	11250	
6.	भीलवाड़ा	19	14250	
7.	बीकानेर	33	24750	
8.	बूंदी	14	10500	
9.	चित्तौड़गढ़	17	12750	
10.	चूरू	26	19500	
11.	जैसलमेर	28	21000	
12.	जयपुर	33	24750	6.0 लाख
13.	झालावाड़	12	9000	
14.	झुन्झुनू	8	6000	
15.	जोधपुर	27	20250	
16.	कोटा	25	18750	
17.	नागौर	24	18000	
18.	पाली	12	9000	
19.	सवाई माधोपुर	17	12750	
20.	सीकर	28	21000	
21.	सिरोही	30	22500	
22.	श्रीगंगानगर	17	12750	
23.	टॉक	13	9750	
24.	उदयपुर	44	33000	
	जोड़	535	401250	

नोट : वायरलाइन क्षमता में वृद्धि की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सेलवन का कार्य-निष्पादन

1057. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलवन का कार्य-निष्पादन काफी असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सेलवन के कवरेज का प्रतिशत कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा सेलवन की कनेक्टिविटी और कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड की "ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशंस (जीएसएम)" आधारित सेल्यूलर सेवा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है तथा यह सेवा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा विनिर्धारित सेवा-गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों को सामान्यत: पूरा कर रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, आंध्र प्रदेश में 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 62% गांवों में भारत संचार निगम लि. की जीएसएम आधारित मोबाइल सेवाओं की सुविधा प्रत्यक्षत:/आनुषंगिक (इंसिडेंटल) रूप से उपलब्ध है।

(घ) भारत संचार निगम लि. के सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है और कार्य-निष्पादन की दृष्टि से पूरा-पूरा

उपयोग भी किया जा रहा है। ट्राई द्वारा विनिर्धारित सेवा-गुणवत्ता संबंधी मानदंडों के अनुसार, कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, भारत संचार निगम लि. द्वारा इस नेटवर्क का लगातार मॉनीटर भी किया जाता है। भारत संचार निगम लि. ने, अन्य योजनाओं के साथ, 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को उत्तरोत्तर रूप से कवर करने की योजना बनाई है तथा तदनुसार उपस्कर के प्रापण हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 को सिटी रिंग रोड के साथ जोड़ना

1058. **श्री अशोक अर्गल** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश से मुरैना राष्ट्रीय राजमार्ग को ए.बी. रोड से अंबा रोड और ग्वालियर रोड तक सिटी रिंग रोड से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को जोड़ने वाले ग्वालियर बाइपास (42 कि.मी.) का निर्माण किया जा रहा है।

उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति

1059. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के दौरान उत्तरांचल से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित निधियों का वर्षवार, सड़क-वार और कार्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) राज्यों को धनराशि का आबंटन सड़क-वार और कार्य-वार नहीं किया जाता। उत्तरांचल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित धनराशि के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आबंटित धनराशि (करोड़ रुपए)
2004-05	39.04
2005-06	57.16
2006-07	49.52

[अनुवाद]

स्टिलवेल रोड को पुनः खोलना

1060. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्टिलवेल रोड को वाणिज्यिक आयोग हेतु पुनः खोले जाने के मामले को म्यांमार और चीन के समक्ष उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मार्ग को खोले जाने की व्यवहार्यता और संभावनाओं के संबंध में अध्ययन यदि कोई किया गया है, का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार स्टिलवेल रोड को पुन: खोलने के मामले पर पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने पर विचार कर रही है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुपालन रिपोर्ट

1061. **श्री वृष किशोर त्रिपाठी :**
श्री के.सी. सिंह "बाबा" :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्रतिवर्ष छह मानदंडों पर अनुपालन रिपोर्ट लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर निजी आपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ऐसे कदम से ग्राहकों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) दूरसंचार ऑपिरटरों का विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण उपायों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ट्राई द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) "ट्राई" ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे सेल्युलर प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज संबंधी माइग्रेशन प्रभारों, रिपोर्टिंग-आवश्यकता, उचित विज्ञापनों, प्रतिभूति जमा-राशियों इत्यादि से संबंधित प्रशुल्क मामलों पर ट्राई द्वारा जारी 9 निर्देशों का अनुपालन सतत आधार पर करें।

(ग) इस दिशा में प्रथम अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सेवा प्रदाताओं को 31.7.2006 तक का समय दिया गया है।

(घ) इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ता को विकल्प संबंधी जानकारी देना और प्रशुल्क के संबंध में उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना है।

(ङ) उपभोक्ता-संरक्षण संबंधी उपायों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए "ट्राई" द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिनमें अन्य प्रयासों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ट्राई ने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की स्वीकृति के लिए, सेवा प्रदाताओं और पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की परस्पर सहमति से "दूरसंचार सेवाओं के सामान्य चार्टर" को अंतिम रूप दिया है। यह चार्टर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा की शर्तें सुनिश्चित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों/निदेशक सिद्धांतों के स्वरूप वाला है और इसे सभी सेवा प्रदाताओं ने स्वीकार कर लिया है।

- ट्राई की पहल पर, उपभोक्ताओं की शिकायतों का जवाब देने के लिए सेवा प्रदाताओं ने सभी सेवा क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों को नामित किया है। इन नोडल अधिकारियों के नाम और पते "ट्राई" की वेबसाइट और सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर दिए गए हैं।

- उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनमें जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से, "ट्राई" अपने सभी उपभोक्ता-संरक्षण संबंधी उपायों का व्यापक प्रचार करता रहा है। ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर ब्यौरा देने और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा, उक्त प्राधिकरण सभी अग्रणी समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित करता रहा है, जिनमें उपभोक्ता-हित-संवर्द्धन के लिए "ट्राई" द्वारा किए गए उपायों की खास-खास बातों का उल्लेख किया गया है।

- उपभोक्ताओं के हित-संरक्षण हेतु ट्राई ने विनियमन के रूप में सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का निर्धारण किया है तथा आवधिक कार्य-निष्पादन रिपोर्टों, उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षणों और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखा परीक्षा एवं प्रत्यक्ष निरीक्षणों के जरिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों का वस्तुनिष्ठ-मूल्यांकन करके इस विनियमन के क्रियान्वयन पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

- ट्राई, उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों से शिकायत के रूप में विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण उपायों की कार्यान्वयन संबंधी सूचना भी प्राप्त करता है। यथापेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

नेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेन्स

1062. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेन्स स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित सेंटर की केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स की पद्धति पर कार्य करने की योजना है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मसूरी स्थित राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के वर्तमान पाठ्यक्रम को आई.ए.एस. संवर्ग के प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों के बराबर के स्तर तक संशोधित और अद्यतन करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों के प्रकार का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) अन्तर राज्यीय परिषद ने 28 जून, 2005 को हुई अपनी बैठक में "सुशासन पर कार्य योजना की रूपरेखा" पर विचार किया तथा 139 सूत्री कार्ययोजना की पुष्टि कर दी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुशासन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र (एन.सी.जी.जी.) की स्थापना की जानी शामिल है। सुशासन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की अभिकल्पना एक विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में की गई है जो भारत तथा विकासशील देशों में सुशासन संबंधी सुधारों में मार्गदर्शन करेगा।

(ङ) और (च) डा. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिला स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अभी सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

खाड़ी में भारतीयों द्वारा आत्महत्याएं

1063. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकेले खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों द्वारा लगभग 169 आत्महत्याएं की गई हैं जैसा कि दिनांक 15 मई, 2006 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए/जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) दोहा, आबु धाबी, बहरीन, मस्कट, रियाद और कुवैत स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वर्ष 2005 में खाड़ी में कुल 269 और वर्ष 2006 में अब तक 166 भारतीय राष्ट्रिकों ने आत्महत्या कर ली। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि निजी, वित्तीय, पारिवारिक और कार्य से संबंधित।

खाड़ी के प्रमुख देशों में आत्महत्याओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

मिशन/देश का नाम	2005	2006- आज तक	कुल
कतर	3	6	9
सं.अ. अमीरात	100	69	169
बहरीन	23	11	34
ओमान	44	23	67
सऊदी अरब	69	37	106
कुवैत	30	20	50
कुल	269	166	435

(ग) खाड़ी के देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मिशनों ने सामुदायिक कल्याण की देख-रेख करने के लिए अधिकारी नामित किये हैं। इस प्रयोजनार्थ मिशन काउंसलिंग और कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रावधानों के साथ-साथ स्वयं और सामुदायिक कल्याण संघों के साथ मिलकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं। कुछ मिशन महीने में एक बार "खुले मंच" का आयोजन करते हैं जिसमें कोई भी भारतीय राष्ट्रिक मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निजी और कार्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर सकता है।

15.11.2003 से भर्ती एजेंटों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वे सभी रोजगार दस्तावेज यथा मांग पत्र, मुख्तारनामा और रोजगार संविदा के मूल नमूने प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त कमजोर श्रेणियों अर्थात् अकुशल कामगार/नौकरानी/घरेलू कामगार के मामलों में इन रोजगार दस्तावेजों को संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा प्रमाणित कराये जाने की आवश्यकता होती है।

गुजरात में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1064. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम से गुजरात में 1000 मेगावाट क्षमता के दो अलग-अलग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित और चालू किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार ने, भावी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थलों का मूल्यांकन करने के वास्ते एक स्थल चयन समिति (एसएससी) गठित की है। इस समय यह स्थल चयन समिति, अन्य तटवर्ती राज्यों के साथ-साथ गुजरात राज्य के स्थलों का भी मूल्यांकन कर रही है। तथापि, 1000 मेगावाट-ई क्षमता के परमाणु विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित ब्यौरे और कार्य-रीतियां अंतर्राष्ट्रीय असैन्स परमाणु ऊर्जा सहकार प्रारंभ होने के संबंध में चल रही गतिविधियों पर निर्भर करेगी।

वी.एस.एन.एल. की अतिरिक्त भूमि का डिमर्जर

1065. **श्री सुकमनी सरोज** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के साथ अतिरिक्त भूमि के डिमर्जर के संबंध में बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वी.एस.एन.एल. के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है और उक्त भूमि किन-किन राज्यों में स्थित है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) "विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) की फालतू भूमि की वियुक्ति (डिमर्जर)" संबंधी मामला वीएसएनएल के साथ सक्रिय रूप से उठाया जा रहा है।

(ख) शेयर धारकों के करार के अनुसार, नीतिगत भागीदार नामत: पीएफएल (पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड) टाटा समूह की एक कम्पनी, ने एक भूसंपति कंपनी नामत: एचपीआईएल (हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड) का गठन किया है जिसे फालतू भूमि की वियुक्ति की जानी है। मै. पी एफ एल/वी एस एन एल ने शुल्कों/करों इत्यादि संबंधी देयताओं के बारे में कतिपय मुद्दे उठाए हैं। सरकार इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में है ताकि "वियुक्ति-योजना" को अंतिम रूप दिया जा सके।

(ग) वीएसएनएल के पास उपलब्ध फालतू भूमि तथा जिन-जिन राज्यों में उक्त भूमि स्थित है, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	स्थल	घोषित फालतू भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	राज्य
1	2	3	4
1.	दीघी-पुणे	524.00	महाराष्ट्र
2.	हाली शहर-कोलकाता	35.19	पश्चिम बंगाल
3.	छतरपुर-नई दिल्ली	58.00	दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

1	2	3	4
4.	ग्रेटर कैलाश-नई दिल्ली	70.00	दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
5.	पाडियानल्लूर-चेन्नई	85.94	तमिलनाडु
	जोड़	773.13	

राइट्स द्वारा परिवहन के संबंध में अध्ययन

1066. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड से परिवहन के संबंध में अध्ययन करने के लिए कहा है जैसा कि दिनांक 5 जुलाई, 2006 के 'द फाइनेंसियल एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) परिवहन के सभी यंत्रीकृत साधनों में वर्तमान यातायात प्रवाह कितना है और इसकी लागत कितनी है; और

(घ) राइट्स द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लागत सहित यातायात के सभी यंत्रीकृत साधनों में वर्तमान ट्रैफिक प्रवाह संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। चालू समग्र परिवहन प्रणाली अध्ययन से यातायात के चार प्रमुख यंत्रीकृत साधनों—रेल मार्गों, हवाई मार्गों और पोत परिवहन को कवर करते हुए ट्रैफिक प्रवाह के परिणाम प्राप्त होंगे और वर्ष 2025-2026 तक विशिष्टीकृत सभी वर्षों के लिए साधन-वार ट्रैफिक मांग के पूर्वानुमान भी होंगे। इस अध्ययन से अंतर-मॉडल परिवहन संसाधन लागतों का विश्लेषण करने और इष्टतम अंतर मोडल मिक्स के निर्धारण में भी सहायता मिलेगी।

(घ) राइट्स द्वारा वर्ष 2007 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा शिकायतों का निपटान

1067. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उसे भेजी गई शिकायतों की तह में जाने का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यथाअपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इससके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उसके कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु कोई समयावधि निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ), केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी शिकायत की जांच करने अथवा जांच करवाने अथवा जांच-पड़ताल करवाने की शक्तियां प्रदान करती है। तथापि, आयोग को मिली अधिसंख्य शिकायतों जिनमें से अधिकांश गैर सतर्कता से संबंधित होती हैं (जिन्हें संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक विभागों द्वारा निबटाया जाना अपेक्षित होता है) अथवा ऐसे मामलों/कर्मचारियों के संबंध में होती हैं जो आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, के मद्देनजर आयोग ने शिकायत-निबटान नीति बनाई है। इस नीति के अनुसार, केवल सतर्कता संबंधी शिकायतों का अन्वेषण करवाया जाता है। यह जांच-पड़ताल सामान्यत: संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है और आयोग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 03 माह की समय-सीमा नियत की गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन

1068. श्री वाडिराज रामकृष्ण :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1 जून, 2005 के संकल्प में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों हेतु एक केन्द्रक तथा अधिकार प्रदत्त निकाय के रूप में सेवा प्रदान करेगा।

(ग) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग दिनांक 3 जुलाई, 2006 की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया जा चुका है और 12 जुलाई, 2006 से प्रभावी हो गया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा पासपोर्ट जारी करना

1069. योगी आदित्यनाथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा कथित रूप से भारत का दौरा करने के लिए आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को अवगत करा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) कुछ ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं कि आतंकवाद के संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक पाए गए। सरकार पाकिस्तान के साथ सभी स्तरों पर अपनी बातचीत में निरंतर इस तथ्य पर बल देती रही है कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वह आतंकवाद को समर्थन देने वाले ढांचे को स्थायी आधार पर समाप्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए। सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा वार्ता प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा 6 जनवरी, 200: को को गई वचनबद्धता के मूल वाक्य पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी भू-भाग से किसी भी प्रकार के आतंकवाद के समर्थन की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान ने सदैव इस बात से इंकार किया है कि पाकिस्तान और इसके नियंत्रणाधीन भू-भाग में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं।

पाकिस्तान को पोत-रोधीमिसाइल की आपूर्ति

1070. श्री मित्रसेन यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को पोतरोधी मिसाइल "हारपून" की आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को ऐसी कितनी मिसाइलें दिए जाने की संभावना है;

(ग) इन हारपून मिसाइलों की क्या विशेषताएं हैं;

(घ) क्या उक्त आपूर्ति से क्षेत्र में सामरिक संतुलन की खतरा उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डी एस सी ए) ने पाकिस्तान को हारपून ब्लाक II एंटी शिप मिसाइल और साथ ही इससे संबंधित उपकरणों और सेवाओं की संभावित बिक्री की सूचना अमरीकी कांग्रेस को दी है। पाकिस्तान ने 50 यू जी एम-84 एल (पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला), 50 आर जी एम-84 एल (सतह से छोड़ा जाने वाला), और 30 ए जी एम-84 एल (हवा से छोड़ा जाने वाला), ब्लॉक II हारपून मिसाइल, 5 इनकैप्सुलेटेड हारपून कमान लांच प्रणाली और इससे संबंधित सहायक उपकरण एवं सेवाएं बेचे जाने का अनुरोध किया है।

(ग) हारपून सभी मौसमों में प्रयोग के लिए उपयुक्त क्षैतिज एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है जो समुद्र की सतह को छूकर चलने वाले युद्धक प्रक्षेप पथ और सक्रिय रडार निर्देशन प्रणाली से सुसज्जित है। यह मिसाइल 67 नॉटिकल मील से अधिक दूरी तक 500 पाउंड के युद्धक विस्फोटक के साथ मार कर सकता है।

(घ) कांग्रेस की अपनी अधिसूचना में अमरीकी डी एस सी ए ने कहा है कि इस उपकरण की प्रस्तावित बिक्री से इस क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ेगा। फिर भी सरकार पाकिस्तान द्वारा उन्नत हथियारों की खरीद किये जाने के संबंध में चिंतित है क्योंकि इनका उपयोग भारत के विरुद्ध किया जा सकता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में कथित वित्तीय अनियमितताएं

1071. **श्री रशीद मसूद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई सी सी आर) में कथित वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कथित रूप से सांस्कृतिक ग्रुप की आड़ में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में पूर्व में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला जिनमें एक सांस्कृतिक मंडली को विदेश भेजने का मामला भी शामिल है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है, जिनकी जांच अभी चल रही है।

[अनुवाद]

धनराशि के उपयोग की समीक्षा

1072. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु राज्यों को आवंटित की गई धनराशि के उपयोग की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) किन-किन राज्यों ने विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की है;

(घ) क्या सरकार इन राज्यों पर कोई अर्थदण्ड लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 हेतु उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निधियन सहित ऊर्जा क्षेत्र को अपनी राज्य योजनाओं के तहत राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) आगामी दसवीं योजनावधि (2002-07) में, 11,157 मेगावाट की लक्ष्य वृद्धि राज्य क्षेत्र हेतु विचारित की गई थी, जिसके मुकाबले दसवीं योजनावधि के पहले चार वर्षों में, 4574 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त कर ली गई है। दसवीं योजना हेतु राज्यवार लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण-II और पहले चार वर्षों में वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्यवार आबंटन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	2003-04 (अनुमोदित)	2004-05 (अनुमोदित)	2005-06 (अनुमोदित)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2175.55	2125.86	515.51

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	114.52	155.30	80.73
3.	असम	191.42	290.48	586.29
4.	बिहार	493.68	667.88	476.54
5.	छत्तीसगढ़	30.81	157.17	100.00
6.	गोवा	71.82	98.99	111.52
7.	गुजरात	762.24	635.45	830.49
8.	हरियाणा	280.00	470.00	445.00
9.	हिमाचल प्रदेश	155.70	57.50	115.83
10.	जम्मू और कश्मीर	611.29	719.89	1153.41
11.	झारखंड	204.50	380.63	401.37
12.	कर्नाटक	1094.94	2711.89	1849.73
13.	केरल	619.00	693.00	750.00
14.	मध्य प्रदेश	814.75	916.92	1322.97
15.	महाराष्ट्र	413.48	382.43	711.63
16.	मणिपुर	71.00	61.20	57.90
17.	मेघालय	118.08	157.11	213.00
18.	मिजोरम	45.40	57.86	61.26
19.	नागालैण्ड	46.60	65.48	63.45
20.	उड़ीसा	671.21	502.25	795.71
21.	पंजाब	576.00	783.92	955.75
22.	राजस्थान	1186.00	1816.18	1905.76
23.	सिक्किम	39.50	90.75	36.40
24.	तमिलनाडु	1294.81	1255.53	1362.36
25.	त्रिपुरा	53.87	43.69	52.34
26.	उत्तर प्रदेश	965.83	835.78	710.09
27.	उत्तरांचल	310.67	253.84	327.77
28.	पश्चिम बंगाल	1222.74	1567.48	2078.55
	उप जोड़ (राज्य)	14635.41	17954.46	18071.36
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	29.10	25.00
2.	चंडीगढ़	19.60	19.95	28.64
3.	दादरा व नगर हवेली	12.81	9.36	9.42
4.	दमन और दीव	12.71	10.44	12.98
5.	दिल्ली	1462.25	932.50	486.54
6.	लक्षद्वीप	2.00	2.09	8.21
7.	पांडिचेरी	27.00	28.00	34.00
	उप जोड़ (सं. रा. क्षेत्र)	1561.37	1031.44	604.79
	जोड़ (राज्य और सं. रा. क्षेत्र)	16196.78	18985.90	18676.15

विवरण-II

2002-06 के दौरान दसवीं योजना क्षमता वृद्धि के राज्यवार विवरण

(मेगावाट में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दसवीं योजना लक्ष्य 2002-07	वार्षिक क्षमता वृद्धि				कुल क्षमता वृद्धि (दसवीं योजना के पहले चार वर्ष) 2002-06
			2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	948	300	150	0	0	450
2.	असम	138	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	420	0	0	0	0	0
4.	दिल्ली	226	226	0	0	0	226
5.	गुजरात	664	16	107	181	325	629
6.	हरियाणा	500	0	0	500	0	500
7.	हिमाचल प्रदेश	192	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	450	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	210	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	1000	210	15	165	110	500
11.	केरल	100	0	0	0	0	0
12.	मणिपुर	18	18	0	0	0	18
13.	मेघालय	132	0	0	0	0	0
14.	मिजोरम	103	0	0	23	0	23
15.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	1422	92	0	200	456	748

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	महाराष्ट्र	892	27	0	95	216	338
18.	उड़ीसा	150	0	0	0	0	0
19.	पांडिचेरी	100	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	668	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	660	75	445	0	0	520
22.	तमिलनाडु	434	94	100	0	150	344
23.	त्रिपुरा	42	42	0	0	21	63
24.	उत्तरांचल	304	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	710	0	0	0	210	210
26.	पश्चिम बंगाल	670	0	0	0	0	0
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	0	0	6	0	6
	समग्र राज्य क्षेत्रक	11157	1100	817	1169	1488	4574

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में अनियमितताएं

1073. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) ने अपनी अद्यतन रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की सहायक कम्पनियों के कार्यकरण में अनियमितताओं की ओर संकेत किया है;

(ख) क्या इन कम्पनियों की कई परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण सरकार को घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायक कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने वर्ष 2004-05 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कतिपय टिप्पणियां की हैं:-

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में विद्युत आवश्यकता का गलत आकलन।
- भारत कोकिंग कोल लि. में बॉयलर के लिए इस्पात ग्रेड वाले कोयले की खपत के कारण राजस्व की परिहार्य हानि।
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में केप्टिव विद्युत संयंत्रों की समकालिकता के न होने के कारण कथारा में केप्टिव विद्युत संयंत्र पर अनुपयोगी निवेश और परिहार्य व्यय।

– नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. में अधिक सांविधिक देयताओं के भुगतान में परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

– वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में तोलसेतुओं की स्थापना में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि।

– अनुपयोगी व्यय जिसकी वजह से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में निधियों में अवरुद्धता हुई।

– सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट लि. में आयकर अग्रिम के कम भुगतान के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान।

– महानदी कोलफील्ड्स लि. आदि में परियोजना के क्रियान्वयन में देरी।

(ख) सी.ए.जी. रिपोर्ट में पाया गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) की 7 परियोजनाओं की अग्रिम कार्य योजना के कार्यान्वयन को समय पर पूरा नहीं किया जा सका जो परियोजना के पूर्णता कार्यक्रम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

(ग) और (घ) सी.ए.जी. रिपोर्ट में उल्लिखित महानदी कोलफील्ड्स लि. की 7 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

– आज की तिथि के अनुसार बसुन्धरा (डब्ल्यू) ओसी, भुवनेश्वरी ओसी, कनिहा ओसी तथा कुल्दा ओसी सभी स्वीकृत परियोजनाएं हैं और समय पर चल रही हैं।

– गर्जनबहल ओसी - ईएमपी को स्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना रिपोर्ट को भी पी.आई.बी. ने स्वीकृत कर दिया है। केवल सरकार के अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है। उत्पादन के प्रथम वर्ष का कार्यक्रम 11वीं योजना के दौरान का है।

– कैप्टिव ब्लाक के आबंटन के साथ संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में विलम्ब, विभिन्न कारणों की वजह से परियोजना रिपोर्ट को पुन: तैयार करने की आवश्यकता के कारण तालाबीरा-III ओसी तथा गोपालप्रसाद ओसी के लिए पी.आर. तैयार करने में विलम्ब हो रहा है और इन्हें तैयार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का 11वीं योजना के दौरान उत्पादन का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

उदारीकरण के अनुरूप रोजगार सृजित न होना

1074. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी की गई पांचवीं आर्थिक गणना के आरंभिक आंकड़ों से यह पता चला है कि उदारीकरण के अनुरूप रोजगार सृजन नहीं हुआ है क्योंकि वर्ष 1998-2005 के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र में केवल 2.5 प्रतिशत रोजगार सृजित हुए हैं जबकि सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों में 4.8 प्रतिशत रोजगार सृजित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में रोजगार में कम वृद्धि होने में श्रम कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये या उठाये जा रहे हैं कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप रोजगार सृजित हों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी.के. वासन) : (क) और (ख) पांचवी आर्थिक गणना 2005 में अपने उपभोग के एकमात्र उद्देश्य को छोड़कर वस्तुओं तथा/अथवा सेवाओं के उत्पादन तथा/अथवा वितरण में संलग्न सभी उद्यमों (फसल उत्पादन एवं बागान में संलग्न उद्यमों को छोड़कर) को शामिल किया गया था। अस्थायी परिणामों के अनुसार 1998-2005 की अवधि के दौरान उद्यमों में कुल औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.8% थी। कुल रोजगार में तदनुरूपी वृद्धि दर 2.49% थी।

(ग) और (घ) श्रम कानून का उद्देश्य कामगारों के हितों की रक्षा करना तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। श्रम कानूनों एवं रोजगार वृद्धि के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है।

[हिन्दी]

पेयजल की बोतल में कीटनाशी

1075. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न ब्रांडों की पेयजल की बोतलों में कीटनाशी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो इस संबंध में परीक्षण के मानदण्ड बदलने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) बोतल बंद पेयजल में कीटनाशी अवशिष्टों के लिए अधिकतम सहन-सीमा, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित मानक कानूनन जरूरी हैं। कीटनाशी अवशिष्टों के लिए अधिकतम सहन सीमा इस प्रकार है:–

(i) एकल रूप में निर्धारित कीटनाशी अवशिष्ट — 0.0001 मिग्रा./लीटर से अधिक नहीं (यहां विनिर्दिष्ट अवशिष्टों की सीमा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित परीक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण किया जाएगा।

(ii) कुल कीटनाशी अवशिष्ट — 0.0005 मिग्रा./लीटर से अधिक नहीं (यहां विनिर्दिष्ट अवशिष्टों की सीमा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित परीक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण किया जाएगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का उल्लंघन करके बोतलबंद पेयजल के विनिर्माण/विक्रय को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी नमूने लेते हैं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

1076. **श्री रघुनाथ झा** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों संख्या 101, 24, 1 और 2 की स्थिति काफी खराब है और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एस. मुनियप्पा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	101	कुल 65 कि.मी. लंबाई में से 35 कि.मी. लंबाई बड़े गड्ढों और उपरि बिटुमनस सतह के क्षरण के कारण खराब स्थिति में है और शेष 30 कि.मी. लंबाई यातायात योग्य स्थिति में है।	इस 35 कि.मी. लंबाई में सुधार के लिए 29.98 करोड़ रु. की लागत से दो लेन बनाने के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

1	2	3	4
2.	24	सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।	सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। लखनऊ-सीतापुर खंड में 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है।
3.	1	सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।	सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। जलांधर-अमृतसर खंड को चौड़ा करने का कार्य शुरू किया गया है।
4.	2	पश्चिम बंगाल में बरवा अड्डा से पानागढ़ के बीच कुछ खंड को छोड़कर सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।	सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है और 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

ईंट विनिर्माताओं को कोयले की आपूर्ति

1077. **श्री रामदास आठवले :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ईंट विनिर्माताओं को सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय ईंट और टाइल विनिर्माता संघ (ए.आई.बी.टी.एम.एफ.), नई दिल्ली, की राज्य और जिला इकाइयों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति करने हेतु कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में ए.आई.बी.टी.एम.एफ. और जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) आल इंडिया ब्रिक एण्ड टाइल मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन (एआईबीटीएमएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोजन आधार पर ईंट भट्ठों को कोयले की आपूर्ति के लिए युक्तिसंगत मात्रा के आबंटन और संस्थागत व्यवस्था के लिए अभ्यावेदन दिए हैं।

खुली बिक्री योजना (ओ.एस.एस.) के तहत राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त प्रायोजन के आधार पर ईंट-भट्ठे को पहले कोयले की आपूर्ति की गई। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता में नीति को निरस्त कर दिया। इसलिए, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ई-मार्किटिंग नामक नई योजना आरंभ की गई है जो पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल योजना है, उपभोक्ताओं और गैर-उपभोक्ताओं के लिए खुली है, जो अपने अधिमत स्रोत से अपनी आवश्यकता के अनुसार मात्रा के लिए भाग ले सकते हैं और बोली लगा सकते हैं। सी.आई.एल. ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत बेचे जाने के लिए 36 मिलियन टन कोयले का आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लि. को अधिसूचित मूल्य से 20% अधिक पर राज्य सरकार के उपक्रमों और एनसीसीएफ के माध्यम से छोटे-छोटे औद्योगिक यूनिट को आपूर्ति के लिए 5 मिलियन टन

कोयले का विपणन करने का भी निर्देश दिया गया है। उपरोक्त के अनुसार कोयले की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से ईंट भट्ठों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

[अनुवाद]

लाहौर में वाणिज्य दूतावास को पुनः खोलना

1078. **श्री एस. अजय कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाहौर में अपने वाणिज्य दूतावास को पुनः खोलने के साथ-साथ नाथूला सीमा को खोलने के बाद यातुंग में एक व्यापार मिशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बकिंघम नहर हेतु धनराशि

1079. **श्री किन्नेरपु येरननायडु :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा से चेन्नई तक नौवहन के प्रयोजन हेतु बकिंघम नहर के लिए कोई धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) काकीनाडा नहर, इलुरू नहर, कोम्मामुर नहर और बकिंघम नहर ने एकीकृत कृष्णा नदी के वज़ीराबाद-विजयवाड़ा-विस्तार के साथ-साथ, विजयवाड़ा से चेन्नई तक के विस्तार से युक्त गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजामुंदरी-विस्तार को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जाना सरकार के विचाराधीन है। इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कर दिए जाने पर इसे विकसित करने के लिए धन का आबंटन किया जाएगा।

[हिन्दी]

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की पद्धति में परिवर्तन

1080. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**

श्री काशीराम राणा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) लिखने की पद्धति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गोपनीय रिपोर्ट लिखने की वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(च) उक्त समिति की सिफ़ारिशें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) जी, हां। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने की प्रणाली में परिवर्तन करने और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संबंध में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के स्थान पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली की विस्तृत रूप-रेखा में, करिअर योजना और प्रशिक्षण के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग, कार्य योजना तैयार किया जाना, स्वास्थ्य जांच, संख्यात्मक ग्रेडिंग, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, व्यापक वैयक्तिक डोजियर का रखरखाव, रिपोर्ट का प्रकटीकरण और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि के संबंध में अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के लिए रैफरल बोर्ड का गठन किया जाना शामिल है।

(ग) से (च) अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, पैनल में नाम शामिल करने और तैनाती करने की प्रणाली की समीक्षा किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष लैफ्टिनैन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) सुरिन्द्र नाथ की अध्यक्षता में वर्ष 2002 में एक दल गठित किया गया था। इस दल ने जुलाई, 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उपर्युक्त दल की मुख्य सिफारिशें, अधिकारियों के समग्र विकास के लिए उनके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग करने और उसकी

तैनाती ऐसे क्षेत्र में करने से संबंधित है जहां उसकी योग्यता और क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सके।

अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 74 का विस्तार

1081. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 74 (पिलीभीत-पुरनपुर-खुतर-गोला रोड) के विस्तार हेतु स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष में इस कार्य को शुरू करने हेतु कोई समय-बद्ध योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पीलीभीत-पुरनपुर-खुतर-गोला रोड राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों हेतु सामाजिक सुरक्षा उपाय

1082. **श्री काशीराम राणा :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खेल के क्षेत्र में सक्रिय युवाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित दो योजनायें कार्यान्वित कर रहा है:–

1. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि– पिछले वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ी जो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, को मुख्य रूप से सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त योजना के तहत्, कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले खिलाड़ी प्रतिमाह 2500/- रु. तक की मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, खिलाड़ियों के लिए खेल स्पर्धाओं में भाग लेते समय अथवा प्रशिक्षण के दौरान घायल हो जाने की स्थिति में 40,000/- रु. तथा गंभीर रूप से घायल हो जाने की स्थिति में 1.00 लाख रु. तक के चिकित्सीय उपचार का प्रावधान है।

2. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पेंशन के लिए खेल निधि– योजना के अंतर्गत, ओलंपिक खेलों, विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिपों, एशियाई/राष्ट्रमंडल तथा पैरा-ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन दी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 को चौड़ा करना

1083. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के अंबाला-जीरकपुर सेक्शन को चार लेन वाला बनाने के कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) पंजाब में केंद्रीय सहायता से शुरू की गई सभी सड़क परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के अंबाला-जीरकपुर सेक्शन को चार लेन वाला बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर किया जा रहा है। 16 नवंबर, 2005 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। कार्य चल रहा है और नवंबर, 2008 तक इसके पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लगभग 257 करोड़ रु. के 100 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 84 कार्य पूरे हो चुके हैं और 16 कार्य चल रहे हैं। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत लगभग 16 करोड़ रु. के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं।

नेटवर्क पर संकुलन को रोकने हेतु कदम

1084. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल नेटवर्क पर संकुलन बढ़ता जा रहा है जिससे मोबाइल उपभोक्ताओं को गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारत संचार निगम लिमिटेड की इस संबंध में कथित रूप से खिंचाई की है जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 2006 के "दि इकोनॉमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सामान्यत: भारत संचार निगम लि. के "ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम)" आधारित सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क में संकुलता स्तर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्क के भीतर है।

जहां तक उक्त समाचार-पत्र की रिपोर्ट का संबंध है, भारत संचार निगम लि. को "प्वाइंट ऑफ इन्टरकनैक्शन (पीओआई)" में संकुलता के संबंध में ट्राई से पत्र प्राप्त हुआ था। ट्राई द्वारा भेजी गई संकुलता संबंधी पीओआई की सूची में उन स्थानों की संख्या का प्रतिशत बहुत कम है जहां पीओआई विद्यमान है। इस संबंध में बीएसएनएल की स्थिति के बारे में ट्राई को बता दिया गया था। भारत संचार निगम लि. ने "प्वाइंट ऑफ इन्टरकनैक्शन" प्रदान करने संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं और इस समय कई पीओआई 90 से 120 दिनों के भीतर प्रदान किए जा रहे हैं जबकि बीएसएनएल और निजी प्रचालकों के बीच इन्टरकनैक्शन करार में 12 महीने की समय-सीमा रखी गई है।

भारत संचार निगम लि. द्वारा आवश्यक प्रबंध करने पर भी कई बार निजी प्रचालकों के तैयार न होने के कारण पीओआई प्रदान करने में देरी हो जाती है। प्रचालक भी लगातार नई टैरिफ योजनाओं की घोषणा करते रहते हैं जिससे परियात की गति में तेजी आ जाती है, परिणामत: कुछ स्थानों में संकुलता उत्पन्न हो जाती है। अपेक्षित अतिरिक्त पीओआई की क्षमता तत्काल प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है।

बीएसएनएल ने निजी प्रचालकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी मांग की सूचना पहले दें ताकि व्यवहार्य सीमा तक उपस्कर की अधिप्राप्ति, पीओआई प्रदान करने की आवश्यकता के लिए अग्रिम योजना बनायी जा सके।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:–

(i) इन्टरकनैक्शन की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) तथा निजी सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करना।

(ii) "सैल साइटों" के त्वरित क्लियरेंस के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही करना।

नए यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र

1085. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर उड़ीसा और झारखंड में नए यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने व चालू किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) नए यूरेनियम संसाधन संयंत्रों को निम्नलिखित स्थलों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:-

(i) झारखंड के सिंहभूम (पूर्व) जिले में बंदुहुरंग;

(ii) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में सेरीपल्ली;

(iii) आंध्र प्रदेश के कुडुपा जिले में तुम्मलापल्ली;

(iv) मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में मवताबाह; और

(v) उड़ीसा के गंजम जिले में छतरपुर में एक मोनाजाइट संसाधन संयंत्र जो यूरेनियम तथा थोरियम मानों वाले दोनों किस्म के खनिजों को निकालेगा।

(ग) बंदुहुरंग स्थित संसाधन संयंत्र को इस वर्ष के अंत तक कमीशन किए जाने की आशा है। दूसरे संयंत्रों के मामले में, विभिन्न परियोजना-पूर्व संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सभी प्रकार की सांविधिक अनुमति प्राप्त हो जाने और सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही प्रारम्भ किया जाएगा।

बीजिंग ओलम्पिक हेतु तैयारियां

1086. श्री फ्रांसिस फैन्चम : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजिंग ओलम्पिक में देश के प्रतिनिधित्व हेतु तैयारियां शुरू हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में हुई प्रगति की व्यवस्थित तरीके से निगरानी करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ बनाई जाने वाली वैकल्पिक योजनाएं/व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) खिलाड़ियों तथा टीमों की तैयारी सहित, विभिन्न खेल विधाओं में खेलों का विकास, प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका पोषण करना, मुख्यत: संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार दीर्घावधिक विकास योजनाओं में निहित कार्यक्रमों के अनुसार, उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन तथा भारतीय एवं विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता, देश में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रशिक्षण एवं सहभागिता आदि के लिए विदेशों में टीम भेजने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

तदनुसार, एशियाई/राष्ट्रमंडल/सैफ/ओलंपिक खेलों जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीमों/खिलाड़ियों की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रत्येक खेल-विधा के लिए चार वर्ष की अवधि हेतु दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के परामर्श से प्रतिवर्ष इन दीर्घावधिक विकास योजनाओं की समीक्षा करता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियागिताओं में टीमों के प्रदर्शन के आधार पर उनको संशोधित करते हैं।

इसके अलावा, "प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना" और "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के अंतर्गत उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन तथा देश और विदेश में प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

(घ) और (ङ) टीमों/खिलाड़ियों के प्रदर्शन तथा दीर्घावधिक विकास योजनाओं की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत शुरू की गयी परियोजनाएं

1087. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गयी उन परियोजनाओं

का ब्यौरा क्या है जिनके लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधियां मुहैया करायी गयी हैं;

(ख) क्या वर्ष 2005-2006 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि को जिलों को पूर्णरूपेण संवितरित नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों को वास्तविक रूप में संवितरित की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष निधियों को कब तक संवितरित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चौ.के. वासन) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन, परियोजनाएं संबंधित संसद सदस्य की अनुशंसा पर संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा मंजूर की जाती है। जिला प्राधिकारियों से एमपीलैड्स कार्यों को विशेष रूप से वैबसाइट www.mplads.gov.in पर अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। कुछ कार्यों का ब्यौरा पहले से ही वैबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय केवल अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण कार्यों की संख्या का ही प्रबोधन करता है। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण कार्यों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान 1580 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। इसमें से 1433.90 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनावों के कारण पांच राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण निधियां पूर्ण रूप से वितरित नहीं की जा सकीं।

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 में निधियों के राज्य-वार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां अव्यपगत हैं। भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में जारी नहीं की गई निधियां अनुवर्ती वर्षों में जारी करने के लिए अग्रेनीत की जाएंगी बशर्ते सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होती हों।

विवरण-I

वर्ष	अनुशंसित कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
2003-04	117069	108932	91415
2004-05	81472	65356	112225
2005-06	81152	77045	77617
कुल	279693	241333	271257

विवरण-II

जारी राशि (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	112	101.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	6
3.	असम	43	35
4.	बिहार	84.5	100.05
5.	गोवा	4	7
6.	गुजरात	55.5	70
7.	हरियाणा	26.5	27
8.	हिमाचल प्रदेश	13	17
9.	जम्मू और कश्मीर	12	23.3
10.	कर्नाटक	65	85
11.	केरल	21.5	39
12.	मध्य प्रदेश	79.5	78
13.	महाराष्ट्र	110.5	117

1	2	3	4
14.	मणिपुर	6	6
15.	मेघालय	6	7
16.	मिजोरम	4	4
17.	नागालैंड	3	5
18.	उड़ीसा	52.5	61
19.	पंजाब	34	37
20.	राजस्थान	66.5	71
21.	सिक्किम	5	4
22.	तमिलनाडु	117.5	103
23.	त्रिपुरा	6	6
24.	उत्तर प्रदेश	207	215.5
25.	पश्चिम बंगाल	65.5	91.5
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2
27.	चंडीगढ़	4	1
28.	दादर और नगर हवेली	1	3
29.	दमण व दीव	2	2
30.	दिल्ली	17	17.05
31.	लक्षद्वीप	1	2
32.	पांडिचेरी	1	1
33.	छत्तीसगढ़	30	32
34.	उत्तरांचल	18.5	16
35.	झारखंड	27.5	41
	कुल	1310.00	1433.90

पोत-निर्माण क्षेत्र में निवेश

1088. **श्री पी. करुप्पाकरन :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, पोत-निर्माण-क्षेत्र में अवसंरचना और अनुसंधान अधिकल्प आधार के आधुनिकीकरण करने हेतु इस क्षेत्र में लगभग 7,000 करोड़ रु. निवेश करने का है, जैसा कि दिनांक 20 मई, 2006 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो पोताश्रय स्थापित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड का पुनरुत्थान किया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों का आधुनिकीकरण करवाया जाना और उनकी क्षमता का बढ़ाया जाना, अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्डों का स्थापित किया जाना तथा राष्ट्रीय पोत-डिजाइन और अनुसंधान-केन्द्र की अभिकल्पन (डिजाइन) और अनुसंधान-क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से उसे अपेक्षित सुविधाओं से सम्पन्न करके सशक्त किया जाना परिकल्पित है। पोत-निर्माण-क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं और अनुसंधान अभिकल्पन (डिजाइन) आधार को आधुनिकीकृत करने हेतु प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, संलग्न है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्ड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है,

जिनमें से एक शिपयार्ड पूर्वी तट पर और दूसरा शिपयार्ड पश्चिमी तट पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्डों को स्थापित किए जाने के उपयुक्त स्थल चुनने और उन्हें स्थापित किया जाना सुकर बनाने के उपाय सुझाने हेतु, भारतीय पत्तन-संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। इन शिपयार्डों को स्थापित किए जाने पर लगभग 3000 करोड़ रु. का निवेश किए जाने का अनुमान है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. स.	परियोजना-शीर्ष	परियोजना की संख्या	धन जुटाए जाने की व्यवस्था का पैटर्न			कुल
			बजट-सहायता	आई ई बी आर	गैर सरकारी/ अन्य	
1.	(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की पूंजीगत पुनर्संरचना और उसका पुनरूत्थान	2	814.50	—	—	814.50
	(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का आधुनिकीकरण		261.00	—	—	261.00
2.	(क) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट एंजीनियर्स लिमिटेड का पुनरुत्थान	2	390.09	—	—	390.00
	(ख) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट एंजीनियर्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण		170.00	—	—	170.00
3.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2				
	(क) लघु पोत-मरम्मत-प्रभाग		—	160.00	—	160.00
	(ख) कोचीन शिपयार्ड लिमिटिड में सुविधाओं का बढ़ाया जाना		—	800.00	—	800.00
4.	राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान-केन्द्र को उसकी डिजाइन और अनुसंधान-क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सशक्त किया जाना	1	100.00	—	—	100.00
5.	अंतर राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्डों का स्थापित किया जाना	1	1500.00	—	1500.00	3000.00
6.	गैर सरकारी क्षेत्र के मौजूदा शिपयार्डों में गैर-सरकारी क्षेत्र का निवेश	—	—	—	1500.00	1500.00
	महायोग		3235.59	960.00	3000.00	7195.59

[हिन्दी]

कृषि/आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाना

1089. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र और आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक इन क्षेत्रों में वृद्धि दर कितनी रही है; और

(ग) इसे बढ़ाने हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र और आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने की योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल हैं। इसे समय दसवीं पंचवर्षीय और दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है। ये दोनों दस्तावेज संसद के ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 2007-08 से 2011-12 है, तैयार नहीं हुई है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय लेखा के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र और आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि दर को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:–

कृषि और आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि दर

(स्थिर मूल्यों पर, 1999-2000 आधार वर्ष)

क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
कृषि	0.0	6.2	-6.9	10.0	0.7
अवसंरचना					
(i) विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	2.0	1.7	4.8	4.8	4.3
(ii) निर्माण*	6.1	4.0	7.7	10.9	12.5
(iii) रेलवे	4.1	7.4	6.1	5.0	7.2
(iv) अन्य साधनों द्वारा परिवहन	7.7	4.0	10.3	11.9	12.6
(v) अन्य साधनों द्वारा परिवहन	6.1	0.6	-4.4	5.4	2.0
(vi) संचार	26.9	19.5	25.7	26.0	21.3

नोट : *'निर्माण' अवसंरचना में शामिल है, क्योंकि सड़कों के निर्माण आदि का लेखा इस शीर्ष के अंतर्गत दिया जाता है।

[अनुवाद]

निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों को लाभ

1090. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा क्षेत्र सहित गैर-सरकारी क्षेत्रों में निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों को लाभ प्रदान किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके लिए कर में कोई छूट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) गैर-सरकारी क्षेत्रों में जिनमें शिक्षा के क्षेत्र सहित अधिकांश क्षेत्र स्वत: नियोजन के अंतर्गत प्रत्यक्ष: विदेशी निवेश के लिए खुले हैं, में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाएं संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. अनिवासी भारतीयों आवास और वास्तविक आवास विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए स्वत: नियोजन के अंतर्गत शत-प्रतिशत निवेश कर सकते हैं:-

   – सेवा भूखंडों का विकास और तैयार आवासीय स्थलों का निर्माण;

   – व्यावसायिक केन्द्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्यक स्थलों का निर्माण करने वाले वास्तविक संपदा में निवेश;

   – नगर विकास;

   – सड़कों और पुलों सहित नगर और क्षेत्रीय स्थल पर शहरी संरचना सुविधाएं;

   – उपर्युक्त गतिविधियों में भागीदारी उद्यमों में निवेश; और

   – आवासीय वित्त संस्थाओं में निवेश।

2. अप्रवासी भारतीय विमान टैक्सी संचालन में लगी भारतीय कंपनियों में शत-प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। (विदेशी कंपनियों के लिए केवल 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।)

अप्रवासी भारतीयों के लिए अन्य सुविधाएं

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत निवेशों के अतिरिक्त, अप्रवासी भारतीय विभिन्न विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विनियमों के अंतर्गत अन्य योजनाओं में निम्नलिखित गतिविधियों/क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं:-

   – म्यूच्वल फंड

   – पीएसयू बॉन्ड में निवेश

   – कृषि/बागान गतिविधि अथवा वास्तविक सम्पदा कारोबार को छोड़कर स्वामित्व/साझेदारी कार्यों में शत-प्रतिशत इक्विटी तक निवेश। (विदेशी कंपनियों को साझेदारी फर्मों/स्वामित्व यूनिटों में निवेश की अनुमति नहीं है।)

   – पोर्टफोलियो निवेश योजनाएं: अप्रवासी भारतीयों को पोर्टफोलियों के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों से माध्यमिक बाजार खरीदारी की मार्फत शेयरों और डिबेन्चरों में निवेश की अनुमति है। निवेश की सीमाएं क्रमश: 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं। यह सीमाएं विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियों निवेश सीमाओं के अतिरिक्त हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अप्रवासी निवेशों में एफ. आई.आई. द्वारा आधिक्य न हो।

   – अप्रवासी भारतीय कृषि भूमि/बागान सम्पत्ति/फार्म हाउस के अलावा अचल सम्पत्ति खरीद सकते हैं और सम्पत्ति को एक आवासीय अन्य अप्रवासी भारतीय को हस्तान्तरिक कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश में सड़क परियोजनाएं

1091. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अलावा कोई नई परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ाने हेतु आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा 4 लेन बनाने के निम्नलिखित प्रस्ताव अभिनिर्धारित/प्रारंभ किए गए हैं:–

1.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II (उत्तर-दक्षिण महामार्ग	कुल अभिनिर्धारित लंबाई 771 कि.मी. है जिसमें से 39 कि.मी. में पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी हैं और 345 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है। शेष लंबाई के लिए कार्य सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

2.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क	कुल अभिनिर्धारित लंबाई 285 कि.मी. है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ख	कुल अभिनिर्धारित लंबाई 222 कि.मी. है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदन दिया है।
4.	गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंड	35 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाई जा चुकी हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, गत पांच वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 486.00 करोड रु. की लागत से 1746 कि.मी. लंबाई में सुधार कार्य और 55 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से 4590 कि.मी. राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए जाने के लिए 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

एनोफिलिस के कारण हुई मौतें

1092. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झारखण्ड के सभी जिलों में एनोफिलिस के कारण हुई मौतों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार झारखण्ड सरकार को डी. डी.टी. की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) एनोफिलिस एक वेक्टर मच्छर होता है जो मलेरिया विषाणु का संचरण करता है। मलेरिया के कारण हुई मौतों का जिला-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

जिले का नाम	मौतें			
	2003	2004	2005	2006*
गुमला	11	12	9	1
गोंडा	0	27	5	0
देवगढ़	0	1	0	0
लोहारगाढ़	0	0	1	0
प. सिंहभूम	0	0	5	0
पलामू	0	0	1	0
लातेहर	1	0	0	0
गढ़वा	1	0	0	0
कुल	13	40	21	1

*अप्रैल तक

(ग) झारखण्ड राज्य द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है। राज्य की तकनीकी आवश्यकताओं और राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ की गई चर्चा के आधार पर राज्यों को 2004-05 और 2005-06 के दौरान व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियेजना के तहत क्रमश: 77.19 लाख रुपए और 146.50 लाख रुपए की निधियां जारी की गई हैं। झारखण्ड राज्य को मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों के विकास हेतु बनी ग्लोबल निधि सहायता प्राप्त गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना के तहत शामिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार से मलेरिया रोधी औषधों, मच्छरदानियों और कीटनाशी के रूप में यह राज्य सामग्री सहायता भी प्राप्त करता है।

(घ) और (ङ) वेक्टर मच्छरों पर नियंत्रण के लिए डी डी टी (50 प्रतिशत डब्ल्यू डी पी) का इन्डोर रेजीड्यूअल स्प्रे के लिए प्रयोग होता है। झारखण्ड राज्य की तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीटी की निम्न मात्रा की आपूर्ति की गई है।

(एमटी में मात्रा)

वर्ष	आपूर्ति की गई मात्रा
2003-04	672.00
2004-05	640.00
2005-06	800.00

[अनुवाद]

बीएसएनएल की टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं के विरुद्ध शिकायतें

1093. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मो. ताहिर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल पटले :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान देश में भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं से भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त शिकायतों की राज्यवार, व स्थानवार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान, बुनियादी सेवाओं और मोबाइल सेवाओं के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या से संबंधित सूचना, दूरसंचार सर्किल-वार, संलग्न विवरण-I में दी गई है। सामान्यत: दूरसंचार सर्किल भारत संघ के राज्यों के साथ "को-टर्मिनस" होते हैं।

(ग) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

शिकायतों का ब्यौरा

दूरसंचार सर्किल का नाम	बुनियादी टेलीफोन से संबंधित शिकायतें 1.7.2005 से 30.6.2006	मोबाइल टेलीफोन से संबंधित शिकायतें 1.7.2005 से 30.6.2006
1	2	3
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	57416	3663
आंध्र प्रदेश	3673002	39903
असम	523643	29101
बिहार	1138405	51028
छत्तीसगढ़	350228	19193
गुजरात	2999484	169822
हरियाणा	1067107	51299
हिमाचल प्रदेश	634989	15879
जम्मू और कश्मीर	510301	53485
झारखंड	436872	11973
कर्नाटक	2911651	117827
केरल	4247559	31510
मध्य प्रदेश	738556	82789

1	2	3
महाराष्ट्र	4721628	304939
पूर्वोत्तर-I	91940	3030
पूर्वोत्तर-II	129315	6587
उड़ीसा	753247	10728
पंजाब	2261924	37868
राजस्थान	1882115	72616
तमिलनाडु	1748515	55300
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1758941	135089
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1482207	57239
उत्तरांचल	474266	82121
पश्चिम बंगाल	33409	49011
कोलकाता	2547297	127321
चेन्नई	1109390	156669

विवरण

की गई/प्रस्तावित कार्यवाही

(क) उपभोक्ता सेवा

- क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों की सरल अभिगम्यता।
- टौल मुक्त सेवाएं : दोष दर्ज करने के लिए 198, सर्किल कार्यालयों/मैट्रो जिलों में शिकायतें दर्ज करने के लिए 1094/1095।
- सर्किल कार्यालय के अलावा, सभी एसएसए में जन शिकायत (पीजी) कक्ष में शिकायतें दर्ज करना। सभी गौण स्विचन क्षेत्रों तथा सर्किल कार्यालयों में पीजी नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और उनका ब्यौरा अर्थात् फोन नंबर, फैक्स नंबर तथा ई-मेल, बीएसएनएल की वैबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।
- एसएसए में (2 महीने में एक बार) तथा सर्किल स्तर पर (तीन महीने में एक बार) नियमित रूप से टेलीफोन अदालतें आयोजित करना।
- एसएसए तथा सर्किल स्तर पर नियमित खुले सत्र आयोजित करना।
- टीएसी सदस्यों (छह माह में एक बार) तथा स्थानीय उपभोक्ता संगठनों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना।
- विभिन्न आवश्यकताओं उदाहरणार्थ नया कनेक्शन, टेलीफोन शिफ्ट करना, कनेक्शन बंद कराने इत्यादि के लिए सरलीकृत आवेदन फार्म।
- एक खिड़की (सिंगल विण्डो) सूचना केन्द्रों को सेवा प्रदान करने के लिए समस्त देश भर में काल घर।
- भारत संचार निगम लिमिटिड (बीएसएनएल) की जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन्स) आधारित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की शिकायतें, अन्य स्थानों के साथ-साथ काल घरों में दर्ज की जाएंगी (9400024365)।
- विलम्ब कम करने और त्रुटियां कम करने के लिए निर्देशिका पूछताछ वाणिज्यिक सेवाओं तथा बिलिंग कार्य का कम्प्यूटरीकरण करना।
- वैब आधारित राष्ट्रीय टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी)।
- नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से अनुरक्षण कार्मिकों में व्यवहारगत तथा तकनीकी कौशल की वृद्धि करना।

(ख) बिलिंग

- एसटीडी का दुरुपयोग रोकने के लिए बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपभोक्ता को डायनमिक लॉक सुविधा प्रदान की जाती है।
- बिलिंग में त्रुटियां कम करने के लिए बीएसएनएल कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन बिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है।

– ग्राहकों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर उन्हें एसटीडी कालों के ब्यौरे भी प्रदान किये जाते हैं।

– नई प्रशुल्क योजनाएं भी शुरू की गयी हैं जिनमें ग्राहक को घटी दरों पर कतिपय सीमा तक काल करने के लिए पैकेज प्लान की पेशकश की जाती है।

– जब भी ग्राहक टेलीफोन बिल प्राप्त करने के लिए काउंटर पर जाते हैं उन्हें डुप्लिकेट टेलीफोन बिल नि:शुल्क प्रदान किये जाते हैं।

– सरल बिल प्रपत्र प्रयोग में लाया जा रहा है जिसे सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है, इसमें बिलिंग की अवधि, किराया, कालों की संख्या और उनका प्रभार, ट्रंक कालों का प्रभार, लागू कर इत्यादि का ब्यौरा शामिल होता है।

– अधिक राशि की बिलिंग–प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र में सुगम सम्पर्क के लिए एक-एक नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

(ग) नेटवर्क का उन्नयन

– भारत संचार निगम लि. के सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क में सतत रूप से वृद्धि की जा रही है और कार्यनिष्पादन की दृष्टि से इसका अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

– विश्वसनीय डिजिटल मीडिया पर सभी एक्सचेंजों को जोड़ना।

– वृहत ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप प्रणाली की शुरूआत करना।

– अल्प दूरी के प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी) में इन्टरऐक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) आधारित केन्द्रीकृत फाल्ट-बुकिंग।

– टेलीफोन एक्सचेंज/माध्यमों का अनुश्रवण संबंधी निष्पादन।

– एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन।

– सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एएनआरएएक्स (ऐक्सेस नेटवर्क रूरल आटोमैटिक एक्सचेंजों) में बदलना।

– विद्युत आपूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए अनुरक्षण युक्त बैटरी सेटों और इंजिन आल्टरनेटरों की व्यवस्था।

– ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एफडब्ल्यूटी सहित डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक अनुरक्षण ठेका दिया गया और नई आपूर्तियों में वार्षिक अनुरक्षण ठेके की व्यवस्था करना।

– अधिक टाक टाइम और स्टैण्डबाई टाइम प्रदान करने के लिए, अनुरक्षण मुक्त उच्च क्षमता की बाह्य बैटरी की व्यवस्था करना।

– 90 के 300 वोल्ट के वोल्टेज रेंज में प्रचालन करने के लिए एफडब्ल्यूटी का बैटरी चार्जर।

– डब्ल्यूएलएल की कवरेज बढ़ाने के लिए अधिकाधिक बेस ट्रांससीवर स्टेशनों (बीटीएस) की योजना बनायी जाती है।

ग्यारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र

1094. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांच महीनों के विलम्ब के पश्चात् ग्यारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र का प्रथम प्रारूप सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रारूप पत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उसमें क्या दिशानिर्देश दिए गये हैं; और

(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों हेतु क्या अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) दिनांक 27 और 28 जून, 2005 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की 51वीं बैठक में योजना आयोग को दिसम्बर, 2005 के अंत तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार कर लेने का निदेश दिया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय का प्रारूप दृष्टिकोण पत्र विभिन्न पणधारियों अर्थात् राज्य सरकार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग, शिक्षाविद/विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने हेतु तैयार कर लिया गया है। जनता की व्यापक रूप से टिप्पणियों हेतु इसे 19 जून, 2006 को योजना आयोग के वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

(ग) प्रारूप दृष्टिकोण पत्र के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के व्यापक उद्देश्यों में अर्थव्यवस्था में 8.5 प्रतिशत, कृषि हेतु 3.9 प्रतिशत तथा उद्योग व सेवा क्षेत्रक के लिए 9 प्रतिशत तक विकास दर में तेजी लाना शामिल है। इसका लक्ष्य शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य हेतु व्यापक कार्यनीति, गरीबी कम करने, अधिक रोजगार सुअवसर पैदा करने, तथा ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सशक्त समावेशित विकास पर भी है। इसके अतिरिक्त, इसका लक्ष्य ग्रामीण शहरी असमानता कम करना तथा अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे वंचित समूहों का सुधार करना है।

(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, सहित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों हेतु 8.5 प्रतिशत की तदनुरूपी विकास दर अभी निर्धारित नहीं की गई है।

पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया में प्रगति

1095. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के बावजूद पाकिस्तान के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त मामले को पाकिस्तान की जानकारी में लाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) पाकिस्तान के साथ विश्वासोत्पादक उपायों के निर्माण, वार्ता और सहयोग की जारी प्रक्रिया को तेज करने के निरंतर प्रयास किये गये हैं। भारत-पाकिस्तान समग्र वार्ता के दो दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं अभी तीसरा दौर चल रहा है। विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नवम्बर, 2003 से ही नियंत्रण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक भू-स्थिति रेखा पर युद्धविराम कायम है। अनेक विश्वासोत्पादक उपायों का क्रियान्वयन किया गया है। नये परिवहन एवं संचार संपर्क स्थापित किये गये हैं। पिछले वर्ष भारत ने पाकिस्तान के लिए 90,663 वीजा जारी किये। दोनों देशों में कैद नागरिक बंदियों और मछुआरों को रिहा करने के मानवीय मसले पर पर्याप्त प्रगति हुई है। समग्र वार्ता के आरंभ के बाद से भारत ने 277 पाकिस्तानी नागरिक बंदियों और 281 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया है जबकि पाकिस्तान ने 181 भारतीय बंदियों और 1264 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है।

(ख) से (घ) पाकिस्तान को बता दिया गया है कि समग्र वार्ता के तीसरे दौर की समीक्षा करने के लिए आयोजित होने वाली विदेश सचिव स्तरीय बातचीत स्थगित कर दी गयी है और राजनयिक माध्यमों के जरिए नयी तिथियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। हालांकि यह तभी आगे चल सकती है जब 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में सन्निहित वचनबद्धताओं के अनुरूप पाकिस्तान अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कार्रवाई करे।

(ङ) पाकिस्तान ने विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के स्थगन को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद ने वार्ता की तारीखें पुन: निर्धारित किये जाने की बात इसलिए नहीं स्वीकार की कि विस्फोटों से तथाकथित रूप से पाकिस्तान को जोड़ा गया है बल्कि इसलिए कि भारत की कुछ "घरेलू" समस्याएं हैं। 20 जुलाई, 2006 को दिये गये एक संबोधन में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने वार्ता के स्थगन को उन आतंकवादियों की सफलता करार दिया जो समग्र वार्ता प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 पर एक्सप्रेस-वे की स्थिति

1096. श्री ए. साई प्रताप : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 पर चार लेनों वाले एक्सप्रेस-वे की निर्माण की स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इसे शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर चार लेन के एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को चार लेन का बनाने का कार्य चल रहा है। हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच कुल 265 कि.मी. लंबाई में से 89 कि.मी. को पहले ही चार लेन का बना दिया गया है और शेष लंबाई को बी ओ टी आधार पर चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक में शामिल किया गया है जिसके लिए इस समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

भारतीय डाक अधिनियम में संशोधन

1097. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय डाक अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विधेयक के प्रारूप को जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो डाक अधिनियम में मुख्यत: क्या-क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसे कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। नए संचार संबंधी विकास को ध्यान में रखना होगा। जहां आवश्यक एवं संभव हो वहां स्पर्धा अपेक्षित है। मौजूदा तकनीकी एवं आर्थिक विकास के मद्देनजर एक क्रियाशील अधिनियम की आवश्यकता है। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में उपलब्ध अप्रयुक्त और निरर्थक संदर्भों जैसे ''यूनाइटेड किंगडम'' और ''हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट'' आदि को हटाने के लिए संशोधन की भी आवश्यकता है।

(ग) प्रस्तावित भारतीय डाकघर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2006 के प्रारूप को 19.04.2006 से 10.05.2006 तक विचार तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पब्लिक डोमेन "www.indiapost.gov.in" में रखा गया था।

(घ) भारतीय डाकघर अधिनियम (संशोधन) विधकय 2006 के प्रारूप में प्रस्तावित मुख्य संशोधन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) भारतीय डाकघर अधिनियम (संशोधन) विधकय 2006 को संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

विवरण

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में किये जाने वाले प्रस्तावित मुख्य संशोधन

(i) कुछ अपवादों को छोड़कर आकस्मिक सेवाओं के साथ-साथ सभी पत्रों को सम्प्रेषित करने के लिए केन्द्र सरकार के अनन्य विशेषाधिकार को उदारीकृत करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करना;

(ii) पत्र की परिभाषा को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है;

(iii) ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ''कुरियर'' के रूप में अभिज्ञात निजी उद्यमियों का पंजीकरण करना एवं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करना;

(iv) भारत के अंदर एवं बाहर और भारत की सीमा के अंदर प्रचालनरत पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए अलग-अलग वार्षिक फीस एवं फीस की व्यवस्था करना;

(v) डाक विभाग सहित मेल क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं के

लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र मेल नियामक प्राधिकरण का प्रावधान करना;

(vi) पंजीकरण प्राधिकरण एवं पंजीकृत सेवा प्रदाताओं, सेवा प्रदाताओं के बीच और सेवा प्रदाताओं और ग्राहक समूह के बीच विवादों का निपटान करने के लिए मेल विवाद निपटान अधिकरण का प्रावधान करना;

(vii) भारत सरकार के विश्व सेवा दायित्व (यूएसओ) के अंश को पूरा करने के लिए बड़े पंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व में भागीदारी का प्रावधान करना;

(viii) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्ति प्रदान करना:–

– स्टांपिंग मशीन के द्वारा डाक मदों पर डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के लिए छूट देना;

– डाक टिकट फ्रैंकिंग मशीनों के प्रयोग, रखरखाव और निरीक्षण की निगरानी करना;

– देश के डिजीटल अंतराल को भरने के लिए ई-आधारित सेवाओं को प्रारंभ करना;

– अपने विश्व सेवा दायित्व (यूएसओ) को पूरा करने के लिए के साथ-साथ पर्याप्त संसाधन सृजित करने के लिए नई ग्राहकोन्मुख सेवाओं एवं उत्पादों की शुरूआत;

(ix) डाक सेवा बोर्ड के लिए सांविधिक आधार प्रदान करना;

(x) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाए मौद्रिक एवं अन्य दंडों को बढ़ाकर उन्हें और प्रभावी बनाया गया है; और

(xi) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में न केवल डाकघरों को बल्कि पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को भी कवर करने के लिए दंड के क्षेत्र को व्यापक किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन

1098. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियां** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या प्रगति हुई है और अनुमानत: कितनी जनसंख्या के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच के दायरे से बाहर हैं;

(ख) चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान इस मिशन के लिए केन्द्र द्वारा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस मिशन के दायरे में लाई गई जनसंख्या और क्षेत्र का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मिशन के लिए केन्द्रीय निधि के आबंटन हेतु क्या मापदंड अपनाया गया है और निधियों के तथाकथित 'लिकेज', अन्यत्र उपयोग अथवा दुर्विनियोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ 12 अप्रैल, 2005 को किया गया है इसका उद्देश्य समाज के निर्धन, असुरक्षित वर्गों को एकीकृत, व्यापक और प्रभावी बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है।

अभी तक 34 राज्यों और संघ क्षेत्रों में राज्य स्वास्थ्य मिशन गठित कर लिए गए हैं, 33 राज्यों और संघ क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों को मिला दिया गया है, 29 राज्यों में सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटियों को मिला दिया गया है, 6067 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत की गई हैं। 10 राज्यों में 1.21 लाख आशाओं का भी चयन कर लिया गया है।

वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीणों की संख्या 74.2 करोड़ है। ये लोग 1,46,026 उपकेन्द्रों 23,236 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 3,346 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा में 19,269 उपकेन्द्रों, 4,337 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 3,206 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 6731 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) के कुल आबंटन में से राज्यों को 6310.55 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है।

(ख) वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्यवार आवंटन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को खराब सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य सूचकों वाले 18 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए देश-भर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) राज्यों को धन का आबंटन अनेक पैरामीटरों के आधार पर है। बुनियादी सुविधाओं के रख-रखाव के संबंध में आबंटन जनसंख्या के आधार पर है। रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के मामले में आवंटन जनसंख्या और रोग की व्यापकता के आधार पर किए जाते हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II के अंतर्गत कमजोर प्रमुख स्वास्थ्य/जनानकीय सूचकों वाले राज्यों पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियों का आवंटन उसी ढंग से किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए बढ़ाकर निधियां प्रदान करता है। इसलिए सभी स्तरों पर व्यापक निगरानी और जवाबदेही नयाचार सुनिश्चित किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी के जरिए, आंकड़े एकत्र करके और सभी स्तरों पर लेखे और प्रबंधकीय क्षमता के निर्माण के माध्यम से बढ़ी हुई जवाबदेही की योजना है।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्यवार आवंटन का ब्यौरा

क्र. स.	राज्य का नाम/ संघ शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कीमों के लिए कुल धनराशि (रुपए लाख में)	
		2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27760.49	40023.98
2.	बिहार	39821.5	57142.44
3.	छत्तीसगढ़	11799.96	16730.98
4.	गोवा	635.09	928.11
5.	गुजरात	30682.3	30529.89
6.	हरियाणा	6933.18	11243.25
7.	हिमाचल प्रदेश	4358.22	5757.93
8.	जम्मू व कश्मीर	5180.34	6328.67
9	झारखण्ड	15769.48	21991.47
10.	कर्नाटक	18756.41	28459.03
11.	केरल	11738.02	16900.08
12.	मध्य प्रदेश	28076.37	39296.59
13.	महाराष्ट्र	31071.63	48763.55
14.	उड़ीसा	19672.15	27230.66
15.	पंजाब	7509.28	12210.46
16.	राजस्थान	26426.54	38898.74
17.	तमिलनाडु	21273.35	32238.17
18.	उत्तर प्रदेश	74669.32	108685.03
19.	उत्तरांचल	5185.93	6916.8
20.	पश्चिम बंगाल	27728.9	41265.24
21.	अरुणाचल प्रदेश	2637.96	3204.31
22.	असम	24797.21	51300.36
23.	मणिपुर	3362.81	5381.46
24.	मेघालय	3215.47	5263.1
25.	मिजोरम	3121.08	2839.83

1	2	3	4
26.	नागालैंड	3041.52	4921.02
27.	सिक्किम	791.98	1458.89
28.	त्रिपुरा	5058.88	6652.68
29.	दिल्ली	3136.07	5359.73
30.	पांडिचेरी	267.46	521.63
31.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	563.07	895.3
32.	चंडीगढ़	328.6	618.57
33.	दादरा एवं नगर हवेली	202.91	319.2
34.	दमण व दीव	146.59	329.35
35.	लक्षद्वीप	121.68	206.2
	कुल	465841.75	680812.7

कोयले का तेल में परिवर्तन

1099. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोयले का तेल में परिवर्तन आर्थिक रूप से अर्थक्षम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले से तेल का उत्पादन करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने व्यापारिक उद्देश्य के लिए कोयला आधारित मीथेन का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोयले को तेल में परिवर्तित करने के तकनीकी पहलुओं को अन्य देशों में प्रमाणित कर दिया गया है और यह हमारे देश में भी संभव हो सकता है। विभिन्न प्रकार के भारतीय कोयले के साथ आर्थिक व्यवहार्यता को अभी प्रमाणित करना है।

आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के कोयला संसाधनों से तरल ईंधन के उत्पादन के लिए कोयला तरलीकरण प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रही है। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा आयल इंडिया लि. के सदस्यों का एक संयुक्त कार्यदल (जे.टी.एफ.) गठित किया गया है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोयले की पर्याप्त उपलब्धता की व्यवहार्यता एवं संबंधित मामलों का समाधान निकालने का पता लगाएगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सी.आई.एल. ने व्यवसाय प्रयोजन के लिए कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) का उत्पादन शुरू नहीं किया है।

(ङ) और (च) सी.बी.एम. के उत्पादन तथा वाणिज्यिक उपयोगिता प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए जी.ओ.आई./यू.एन.डी.पी./जी.ई.एफ. द्वारा वित्त-पोषित एक निदर्शन परियोजना इस समय झरिया कोलफील्ड में चल रही है। इस परियोजना के अलावा, सी.आई.एल. ने झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों के 2 ब्लाकों में सी.बी.एम. के विकास के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) के संग भागीदार के रूप में 2 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) प्राप्त किए हैं। इन दो ब्लाकों में सी.बी.एम. के वाणिज्यिक विकास की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए स्लिम होल ड्रिलिंग के माध्यम से अन्वेषण एवं पाइलेट मूल्यांकन प्रगति पर है।

सेवा एसोसिएशनों/यूनियनों की मान्यता

1100. **श्रीमती पी. सतीदेवी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारियों के सेवा एसोसिएशनों/यूनियनों की मान्यता हेतु मार्च, 2002 में दिए गए आदेश के अंतर्गत पुर्नसत्यापन प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा;

(ख) इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सत्यापन के प्रथम चरण में मान्यता प्राप्त दो सेवा संगठनों की वर्तमान स्थिति, प्रथम चरण में मान्यता नहीं प्राप्त करने वाले सेवा संगठनों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) मार्च, 2002 में प्रारम्भ की गई सत्यापन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में, 33 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को लिखे गए पत्र में से, केवल 16 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से पूरे उत्तर प्राप्त हुए हैं। शेष संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए नियमित रूप से ध्यान दिलाया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी एसोसिएशन और केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी यूनियन को वर्ष 2000 में मान्यता प्रदान की गई थी। इन दो संगठनों की सदस्यता के पुनर्सत्यापन की अवधि के दौरान, पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक, उनकी मान्यता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन संगठनों को मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी जो पहले मान्यता प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

कम्प्यूटर वायरस को रोकने के लिए कदम

1101. **श्री पी. मोहन** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कामसूत्र नामक कम्प्यूटर वायरस "ब्लैकवार्म" को प्रभावी रूप से रोकने के लिए कोई सोल्यूशन ईजाद किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन राज्यों में इसने सरकारी विभागों में कम्प्यूटर मेमोरी को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है;

(ङ) क्या "ब्लैकवार्म" द्वारा उड़ाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सभी विभागों को जारी किए गए एहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन जवाब टीम (सर्ट-इन) ने अपनी वेबसाइट (http://www.cert-in.org.in) में इस वार्म के विरुद्ध सुधारात्मक उपायों तथा इसकी रोकथाम के लिए सलाह संबंधी उपाय प्रकाशित किए हैं तथा देश में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोक्ताओं को सावधान कर दिया गया है। एन्टी वायरस विक्रेताओं ने इस वॉर्म की रोकथाम के लिए क्लीन व स्कैन उपस्कर होस्ट किए हैं। जिन्हें अपनी वबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इन उपस्करों के लिंक सर्ट-इन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सर्ट-इन ने 'होम कम्प्यूटर को प्राप्त करने के संबंध में घरेलू प्रयोक्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी प्रकाशित किए हैं, जिसमें ऐसे वार्म से सुरक्षित करने के निवारक उपायों के बारे में जानकारी दी गयी है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) देश में कम्प्यूटर पर ब्लैकवार्म कंप्यूटर वायरस का असरदार प्रभाव नहीं था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सर्ट-इन ने सभी सरकारी विभागों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के संगठनों को कंप्यूटर वायरस की धमकियों से जूझने के लिए आवश्यक प्रति उपाय तत्काल लागू करने के लिए सावधान किया है। सर्ट-इन ने अधिकांश संगठनों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की।

वी सैट आधारित धनादेश प्रणाली

1102. **श्रीमती मिनाती सेन** :
श्री रघुनाथ झा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग द्वारा समाज के गरीब वर्गों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के धनादेशों को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने हेतु समर्थ बनाने के उद्देश्य से उपग्रह के माध्यम से धनादेश सूचना को भेजने हेतु वर्ष 1995 में "वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल" (वीसैट) आधारित धनादेश प्रणाली शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वी सैट के माध्यम से धनादेशों के शत प्रतिशत प्रसारण के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2004-05 तक केवल 13.54 प्रतिशत धनादेश ही प्रसारित किए जा सके;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कमियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) शुरू में देश भर में वर्ष 1995 में कोड डिवीजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) टेक्नोलोजी पर आधारित 77 वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीसैट) शुरू किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2001 में, डाटा के तीव्र गति से प्रसारण के लिए टाइम डिवीजन मल्टिपल एक्सेस (टीडीएमए) टेक्नोलोजी पर आधारित 150 हाई स्पीड वी सैट शुरू किए गए। ऐसे हाई स्पीड वीसैटों के स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निम्नलिखित भाग (घ) में यथा उल्लिखित कारणों से वीसैट के माध्यम से मनीआर्डरों के 100% प्रसारण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(घ) ग्राहकों को प्राप्ति का अधिकतम लाभ देने के लिए स्थानीय मनीआर्डरों को, जो आजकल के कुल मनीआर्डरों का बहुत बड़ा प्रतिशत है, वीसैट के माध्यम से नहीं भेजा जाता। इसके अलावा, स्पीड पोस्ट मनीआर्डर, स्थानीय भाषाओं में लंबे सूचना संदेशों वाले मनीआर्डर भी वीसैट के माध्यम से नहीं भेजे जाते, यही इसके कारण हैं।

(ङ) मनीआर्डरों की थोक इनपुटिंग के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में सुधार इस नैटवर्क द्वारा कवर किए गए डाकघरों की संख्या बढ़ाना, मनीआर्डर परियात और प्रणाली के कार्यकरण की दैनिक मानीटरिंग आदि, इस परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कुछ प्रमुख कदम हैं।

विवरण

देश में वीसैटों का राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वीसैट केंद्र का नाम	वीसैटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, कुडप्पा, गुंटूर, हनामकोंडा, हैदराबाद, कुर्नूल, नांदयाल, नेल्लूर, निजामाबाद, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगरम	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	1
3.	असम	धुबरी, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, करीमगंज, नौगांव, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया	9
4.	बिहार	भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया, सासाराम	9
5.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	चंडीगढ़	1

1	2	3	4
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, रायपुर	2
7.	दिल्ली	अशोक विहार, नई दिल्ली जीपीओ, 56 एपीओ, संसद मार्ग डाक भवन	4
8.	गुजरात	अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधी नगर, जामनगर, मेहसाणा, नादियाड, नवसारी, राजकोट, सूरत, वडोदरा	11
9.	हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, रोहतक	6
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, मंडी, शिमला	3
11.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर	2
12.	झारखंड	जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग	3
13.	कर्नाटक	बैंगलूर, बेलगांव, बीजापुर, दावनगेरे, गुलबर्ग, हासन, हुबली, मैंगलूर, मैसूर, शिमोगा	10
14.	केरल	कालीकट, एरणाकुलम, कण्णूर, कोल्लम, कोट्टयम, पालघाट, त्रिशूर, त्रिवेंद्रम	8
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर	5
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, दादर, मुंबई जीपीओ, नागपुर, नासिक, पुणे, रत्नागिरि	7
17.	मणिपुर	इंफाल	1
18.	मिजोरम	ऐजल	1
19.	मेघालय	शिलांग	1
20.	नागालैंड	कोहिमा	1
21.	उड़ीसा	बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, राऊरकेला, संबलपुर	5
22.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	पांडिचेरी	1
23.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला	5
24.	राजस्थान	अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर	5
25.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, ईरोड, मदुरै, ऊटी, पालयमकोटई, सेलम, त्रिच्चि, विरुदुनगर	9
26.	त्रिपुरा	अगरतला	1

1	2	3	4
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोंडा, फैजाबाद	16
28.	उत्तरांचल	देहरादून	1
29.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, कोलकाता, गंगतोक, हावड़ा, सिलिगुड़ी, 99 एपीओ	6
30.	गोवा	पणजी	1
	कुल		150

सी जी एच एस लाभार्थी

1104. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों में राज्यवार और श्रेणीवार कुल कितने सी जी एच एस लाभार्थी और कार्डधारक हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

निजी अस्पतालों को सी जी एच एस के अंतर्गत शामिल करना

1105. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद, हरियाणा में रहने वाले सेवारत और सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल में भर्ती करने के लिए सी जी एच एस द्वारा केवल एक निजी अस्पताल (एस्कोर्टस ह्रास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर) को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फरीदाबाद में सी जी एच एस लाभार्थियों की मांग को पूरा करने के लिए कुछेक अन्य निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम/निदान केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत साथ लगे (सेटेलाइट) कस्बे फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल (ऐस्कार्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र) और एक नैदानिक केन्द्र फरीदाबाद सी.टी. स्केन केन्द्र को पैनल में रखा गया हैं तथापि, फरीदाबाद में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में किसी भी निजी मान्यता-प्राप्त अस्पताल/नैदानिक केन्द्र से रेफरल उपचार प्राप्त कर सकते हैं। रेफरल को और अधिक आसान बनाने के लिए इस कस्बे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपाती और गैर-आपाती रोगियों को सीधे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन निजी माध्यम-प्राप्त अस्पतालों को भेजने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जो अस्पताल अपना-नाम पैनल में रखने के लिए आवेदन करते हैं और उनके आवेदनों की जांच करने पर इसके लिए पात्र पाया जाता है तो उनका निरीक्षण किया जाता है और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इनको मान्यता देने के मुद्दे पर विचार किया जाता है।

कैंसर के मामलों में वृद्धि

1106. श्री अलोक कुमार मेहता :
डा. के. धनराजू :
श्रीमती सी.एस. सुजाता :

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या कैंसर के मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस बीमारी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत संचालित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 7-9 लाख नए कैंसर रोगियों का प्रत्येक वर्ष पता लगाया जाता है और किसी भी समय देश में 2 से 2.5 मिलियन कैंसर रोगी होते हैं। कैंसर रोगियों की संख्या के बारे में राज्य-वार आंकड़ा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपनी रजिस्ट्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कैंसर से संबंधित आंकड़ा एकत्र कर रही है। विभिन्न रजिस्ट्रियों में विभिन्न कैंसर स्थलों की घटना दरों में परिवर्तनों का सांख्यिकीय महत्व और इनके संभावित कारणों का आकलन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम द्वारा किया जाता है।

(ङ) 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के नाते कैंसर का शुरू में पता लगाने, निदान और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभिन्न राज्य सरकारों का दायित्व है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन सी सी पी) की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रोग की जांच करके, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देकर और जागरुकता पैदा करके कैंसर का शुरू में पता लगाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। केन्द्र सरकार, उपचार सुविधाएं देने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियोथेरेपी इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके भी राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में परीक्षण सुविधाओं समेत कैंसर का व्यापक स्तर पर पता लगाने और प्रबंधन सुविधाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

"मापिया" पौधे की खेती

1107. श्री एम. शिवन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमप्टोथीसिन का सर्वाधिक प्रतिशत धारण करने वाला "मापिया" विश्व में कैंसर की उत्तम दवाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के पास कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगाये जाने वाले इस "मापिया" पौधे की खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जैसाकि आर टी आई, इन्टरनेशनल द्वारा बताया गया है कि मापिया पौधे के तनों और पत्तों में 0.15% कैम्पटोथिसिन होता है और यह पौधा कैंसर के उपचार में विशिष्ट औषध साबित हुआ है क्योंकि इसमें एंजाइम टी एन ए टोपोएसोमरेज-I होता है और यह कैंसर सैल को नष्ट कर देता है। आयुष अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस पौधे की उपचार और वाणिज्यक दृष्टि से जांच कर सकती हैं।

(ख) और (ग) क्योंकि इस पौधे की बाजार मांग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, टिश्यू संवर्धन सुविधा की स्थापना और मापिया को वाणिज्यिक रूप में बढ़ावा देने हेतु एक प्रस्ताव राज्य औषधीय पादप बोर्ड, कर्नाटक सरकार के विचाराधीन है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन

1108. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय जेनेटिक कंपनियों के लिए किसी औषधि का विपणन करने से पहले अपने स्वयं के नैदानिक परीक्षण करने को अनिवार्य बनाने हेतु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप दवाइयों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं। भारतीय जेनरिक कंपनियों को औषध के विपणन से पूर्व उनके द्वारा स्वयं क्लीनिकीय परीक्षण करने को कानूनन अनिवार्य बनाने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जी-8 शिखर सम्मेलन

1109. **श्री शिशुपाल पटले :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में जी-8 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या कुछेक देशों ने आतंकवाद की समस्या से निपटने के प्रयोजन का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या समर्थक देशों ने उक्त खतरे से निपटने के लिए कोई सहायता देने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा और संसर्ग जन्य रोगों के खिलाफ लड़ाई पर चर्चाएं हुई, जो कि शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं विश्व व्यापार को अन्य चुनौतियां पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इन विचार-विमर्शों से शिखर सम्मेलन में भागीदारी कर रहे जी-8 और इससे बाहर के अन्य देशों के साथ हमें अपने दृष्टिकोण को बांटने का मौका मिला।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारत सहित जी-8, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के राज्याध्यक्षों की परिषद के अध्यक्ष, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष और शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने शिखर सम्मेलन में एक वक्तव्य पारित किया जिसमें 11 जुलाई, 2006 को भारत में हुए आतंकवादी हमलों और ऐसे अन्य हमलों के आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाने के लिए सभी अनिवार्य उपाय करने की बात कही गई है।

डाकघरों में सुविधाएं

1110. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल पटले :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में राशि जमा करने की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों में हाल ही में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर राज्यों के सभी डाकघरों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषकर महाराष्ट्र में स्थानवार कितने डाकघरों का अभी तक कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीएसएनएल टावरों से कनेक्टिविटी

1111. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सैकड़ों टावर लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बीएसएनएल के इन टावरों से टेलीफोनों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है;

(ग) यदि हां, तो इन टावरों से टेलीफोनों की कनेक्टिविटी कब तक हो पायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) आज की स्थिति के अनुसार, बाराबंकी जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड के 41 मोबाइल टॉवर कार्यरत हैं। ये सभी टॉवर प्रचालन में हैं तथा मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन

1112. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विस कम्पनीज (नैसकॉम) ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की शर्तों में बदलाव की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) नैस्कॉम ने कुछ मुद्दे और प्रश्न उठाए हैं तथा कुछ संस्तुतियां की हैं, जिनमें ये शामिल हैं:—

(1) एसटीपी योजना को बंद करने से कर के लाभ के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा जिससे सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी विशेष रूप से लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए, जबकि उद्योग के 90% से अधिक भाग में ये उद्यम शामिल हैं।

(2) एसटीपी इकाइयों के लिए कर में छूट अगले 6 वर्षों के लिए जारी रहनी चाहिए ताकि कंपनियों को लाभ मिलना जारी रहे और उन्हें एसईजेड के ढांचे के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने का समय मिल सके, जिसे वस्तुत: चालू होने में अभी 2 या 3 वर्ष लगेंगे। कंपनियों के पास अगले 5 वर्षों के लिए एसटीपी का विकल्प होगा तथा यदि एसईजेड की मूलसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित हो गई हैं तो 5वें वर्ष के अंत में एसटीपी योजना को बंद किया जा सकता है और ऐसी कंपनियां जो आगे लाभ प्राप्त करना चाहती हैं वे एसईजेड का लाभ उठा सकती हैं।

(3) छूट का अभिकलन करने की प्रणाली, जिसकी अनुच्छेद 10एए में परिकल्पना की गई है कि फलस्वरूप निर्यात से होने वाले लाभ में पर्याप्त कर लगेगा और इस प्रकार मूल आशय व्यर्थ हो जाएगा। इस अनुच्छेद में प्रथम दृष्टया विनिर्माण उद्योग की तुलना में सेवा उद्योग से भेदभाव किया गया है।

(4) निर्मित क्षेत्र की न्यूनतम सीमा वर्तमान 10,00,000 वर्ग फुट से घटाकर 200,000 वर्ग फुट की जा सकती है जिसमें लगभग 2000 कम्रचारी कार्य करेंगे।

(ग) सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन फरवरी, 06 में किया गया तथा इसकी रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ अप्रैल, 2006 में प्रस्तुत कर दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अंतरण

1113. **श्री गणेश प्रसाद सिंह :** क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय प्रायोजित

योजनाओं का अंतरण के बारे में 2 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को अंतरित करने के लिए चयनित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग आगामी कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होंगे; और

(ख) राज्यों को इन योजनाओं को अंतरित करने के पीछे क्या तर्क है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) राज्यों को अंतरित की जाने हेतु पहचान की गई स्कीमों के ब्यौरे, आगे की जाने वाली कार्रवाई हेतु उत्तरदायी मंत्रालयों/विभागों के नामों सहित संलग्न विवरण में इंगित हैं।

(ख) योजना आयोग ने पुन: संरचना/आमेलन; राज्यों को अंतरण; केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों में पुन: वर्गीकरण; बंद की जाने वाली स्कीमों और चालू रखी जाने वाली स्कीमों के माध्यम से संसाधनों के पुन: प्राथमिकीकरण और विकास प्रयासों के समेकन को सुकर बनाने को ध्यान में रखते हुए सभी 207 चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के युक्तिकरण/पुन: श्रेणीकरण का कार्य 2004-05 में शुरू किया था।

विवरण

राज्यों को अंतरित किए जाने हेतु योजना आयोग द्वारा पहचान की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

(करोड़ रु.)

क्र. स.	राज्य	बजट अनुमान 2004-05	वास्तविक अनुमान 2004-05	बजट अनुमान 2005-06
1	2	3	4	5
	स्वास्थ्य विभाग			
1.	राज्यों को सहायता सहित नशा मुक्ति कार्यक्रम	7.00	6.14	शून्य
	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग			
2.	परिवहन सब्सिडी स्कीम	36.00	59.21	5.00
	महिला एवं बाल विकास विभाग			
3.	बालिका समृद्धि योजना	0.03	39.73	0.03
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
4.	विकलांगों को रोजगार	2.00	1.55	0.01
	पर्यटन विभाग			
5.	जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का पुनरुद्धार (जम्मू व कश्मीर पैकेज)	9.00	9.00	कोई परिव्यय नहीं
	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग			
6.	रात्रि आश्रय	4.00	4.00	0.00
	जलसंसाधन मंत्रालय			
7.	तटीय और गंगा बेसिन के अतिरिक्त अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्य	6.00	3.40	9.98
8.	देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निकासी का सुधार	14.00	9.50	18.60
	परिवार कल्याण विभाग			
9.	पहले से ही उपलब्ध वाहनों का रख-रखाव	55.00	—	कोई परिव्यय नहीं
10.	जिला परियोजनाएं	0.00	—	कोई परिव्यय नहीं
11.	समुदाय प्रोत्साहन स्कीम	1.00	—	कोई परिव्यय नहीं

1	2	3	4	5
12.	मोपेड्स की आपूर्ति	0.00	—	कोई परिव्यय नहीं
	राज्यों को अंतरण हेतु प्रस्तावित चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कुल परिव्यय	134.03	132.53	33.62

प्रमुख पत्तनों से गाद निकालने का कार्य

1114. **श्री चुएल ओराम :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ प्रमुख पत्तनों से गाद निकालने का कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त कार्य के लिए कितना खर्च होने का अनुमान है और दसवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) पत्तनों की अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने की लगातार चल रही प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, महापत्तनों पर आने वाले जलयानों की ड्राबाव से संबंधित बढ़ती अपेक्षाएं पूरी करने हेतु, महापत्तनों द्वारा अपने जलमार्गों और अन्य पत्तन-क्षेत्रों की गहराई बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर बड़े पैमाने पर निकर्षण से संबंधित कार्य-कलाप संचालित किए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में महापत्तनों में बड़े पैमाने पर निकर्षण की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नीचे प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार 1114.58 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है:-

क्र. स.	महापत्तन का नाम	आवंटन (करोड़ रु.)
1	2	3
(i)	कोलकाता	350.00
(ii)	मुंबई	40.00
(iii)	जवाहरलाल नेहरु	1.06
(iv)	चेन्नई	20.00
(v)	कोचीन	0.00
(vi)	विशाखापट्टणम	40.43
(vii)	कांडला	67.00
(viii)	मुरगांव	40.00
(ix)	पारादीप	99.99
(x)	नवमंगलूर	9.10
(xi)	तूतीकोरिन	47.00
(xii)	इन्नौर	300.00
	कुल	1114.58

वर्ष, 2002 से वर्ष 2007 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में बड़े पैमाने पर निकर्षण करवाए जाने की निम्नलिखित परियोजनाएं निष्पादित की जानी आरंभ की गई हैं:-

क्र.	महापत्तन का नाम	परियोजना का नाम	किया गया/ संभावित खर्च (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	जवाहरलाल नेहरु	सेवा घाट के पीछे दलदल का निकर्षण	2.79
2.	चेन्नई	डॉ. अंबेडकर डॉक बेसिन और घाटों का और अधिक गहरा किया जाना	6.40

1	2	3	4
3.	कोचीन	राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल घाट पर निकर्षण	23.98
4.	विशाखापट्टनम	आंतरिक बंदरगाह-प्रवेश-जलमार्ग चरण-I को और अधिक गहरा तथा चौड़ा किया जाना	24.31
5.	कांडला	सोगल-जलमार्ग एवं सोगल जलमार्ग तक पहुंचने के जलमार्गों को और अधिक गहरा तथा चौड़ा किया जाना तथा कांडला क्रीक तक पहुंचने के जलमार्गों में अवस्थित जलमार्ग को और अधिक गहरा तथा चौड़ा किया जाना	64.33
6.	मुरगांव	जलमार्ग और घाट संख्या 9 को और अधिक गहरा किया जाना	32.00
7.	नवमंगलूर	गहरे ड्राफ्ट से युक्त बहुउद्देशीय घाट के सामने बड़े पैमाने पर निकर्षण	6.50
8.	तूतीकोरिन	डॉक बेसिन में घाट संख्या 8 के सामने निकर्षण	42.05

बड़े पैमाने पर निकर्षण के अलावा, मझपत्तन, मौजूदा गहराई बनाए रखने की दृष्टि से भी निकर्षण से संबंधित कार्य करवाते हैं। रख-रखाव से संबंधित निकर्षण पर होने वाला खर्च, राजस्व-खाते से वहन किया जाता है, न कि आयोजनागत धनराशि से।

विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के संस्थानों की स्थापना

1115. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग ने देशभर में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से राज्यों में इन संस्थानों की स्थान-वार स्थापना की जायेगी; और

(ग) इन संस्थानों की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एसएसी-पीएम) की सिफारिशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने पुणे और कोलकाता में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर्स) की स्थापना की है। एक तीसरा आईआईएसईआर पंजाब में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) पुणे और कोलकाता में आईआईएसईआर्स में शैक्षणिक सत्र अगस्त, 2006 से शुरू होगा। पंजाब में आईआईएसईआर्स की स्थापना करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और शैक्षणिक सत्र 2007-08 से शुरू होने की आशा है।

कांगो में भारतीय सैन्य कार्मिकों को भेजना

1116. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भारत से कांगो में अपने सैन्य कार्मिकों को भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र की ओर से उस देश में पहले से ही कितने सैन्य कार्मिक तैनात हैं; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र की ओर से अन्य देशों में हमारे कितने सैन्य कार्मिक देश-वार तैनात हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर भारतीय सैनिकों को पहली

बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र मिशन (मोनुक) के लिए वर्ष 2004 में तैनात किया गया था। अभी मोनुक में 3,555 सैनिक तैनात हैं। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत से पैदल सेना की एक बटालियन (850 सैनिक) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिन्हें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कटंगा प्रांत में तैनात करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और पैदल सेना की एक बटालियन की तैनाती शुरू कर दी गयी है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र की ओर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 49 देशों के 16,587 सैनिक तैनात हैं।

(घ) संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों के भाग के रूप में भारत के 8,663 सैनिक अन्य देशों में तैनात हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन (मोनुक)	3,555
सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (उनमिस)	2,622
इथोपिया और एरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (उनमी)	1,613
लेबनान में अंतरिम बल (यूनीफिल)	672
गोलान पहाड़ियों में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण बल (अनडोफ)	187
कोट डी आयवरी में संयुक्त राष्ट्र मिशन (ओनुसी)	8
बुरूंडि में संयुक्त राष्ट्र मिशन (ओनुब)	6

अधिकारियों के जीवनवृत्तों से जाति हटाना

1117. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति के लिए परिचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के जीवन-वृत्तों में से उनकी जाति के उल्लेख को हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 21 जुलाई, 2006 के 'टाइम्स ऑफ इंण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा

1118. **श्री मो. ताहिर :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री अशोक कुमार रावत :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर में सस्ती और अति तीव्र ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में कथित रूप से असफल रही है जैसा कि दिनांक 7 जून, 2006 के हिन्दी "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में अब तक कितने ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान किये गए हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ङ) क्या भारतीय दूरभाष विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्राडबैण्ड नेटवर्क के विकास हेतु बेतार योजना पर विचार के लिए निर्देश दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। ब्रॉडबैण्ड की परिभाषा एक "हमेशा चालू रहने वाले" डेटा कनेक्शन के रूप में दी जाती है जो इंटरनेट अभिगम सहित अंतर्संबधित सेवाओं को संबल प्रदान करने में तथा किसी उपभोक्ता विशेष को 256 किलो बिट प्रति सेकंड के न्यूनतम डाउन लोड स्पीड से कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) क्रमशः 250 रु. और 199 रु. प्रतिमाह की दर पर ब्रॉडबैण्ड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो वहनीय, उचित और प्रतिस्पर्धी हैं।

(ग) प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.55 मिलियन है।

(घ) बीएसएनएल के ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट कनेक्शनों की मांग करने वाले लगभग 10,000 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ङ) और (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में बाह्य उपयोग के लिए 5.150-5.350 गीगाहर्टस और 5.725-5.875 गीगाहर्टस की आवृत्ति को लाइसेंस मुक्त करने पर विचार करने तथा ब्रॉडबैण्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक उपयोग में नहीं लाए जा रहे अतिरिक्त स्पेक्ट्रमों की पहचान करने की सिफारिश की है।

(छ) बाह्य उपयोग/अनुप्रयोगों के लिए 5.150-5.350 गीगाहर्टस और 5.725-5.875 गीगाहर्टस आवृत्ति बैंडों को लाइसेंस मुक्त करने से संबंधित मामले पर मौजूदा प्रयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया है। वर्तमान में, बाह्य उपयोग के लिए इन आवृत्ति बैंडों को लाइसेंस मुक्त करना मौजूदा आबंटनों को देखते हुए संभव नहीं हो सका है।

[अनुवाद]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1119. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग के डाकघरों, प्रशासन इत्यादि के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग संबंधी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने दो पब्लिक काउंटर, डाक लेखा कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय, से अधिक काउंटर वाले सभी बड़े डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग संबंधी दसवीं योजना स्कीम को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत अभी तक निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कार्यालय	लक्ष्य	अभी तक कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की कुल संख्या
डाकघर	7700	8163
प्रशासनिक कार्यालय	245	239*
डाक लेखा कार्यालय	22	22

*6 प्रशासनिक कार्यालयों की स्वतंत्र स्थापना नहीं है।

(घ) डाकघरों, डाक लेखा कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी दसवीं योजना स्कीम के अंतर्गत आबंटित कुल धनराशि 836.27 करोड़ रुपये है और अभी तक उक्त परियोजना पर 463 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ङ) लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं।

[हिन्दी]

स्मारक टिकटों को जारी करना

1120. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के संत श्री तानपुरे महाराज की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने की मांग गत तीन वर्षों से मंत्रालय के समक्ष लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से व्यक्तियों अथवा संतों की स्मृति में राज्य-वार स्मारक डाक टिकट जारी किए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों की फिलैटलिक सलाहकार समिति (पीएसी) मौजूदा मानदंडों के आधार पर जांच करती है। जिन विभूतियों पर स्मारक डाक-टिकट जारी किया जाना होता है उनका राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। स्मरण किया जाने वाला अवसर जन्मशती अथवा 10वीं/25वीं/50वीं/100वीं पुण्यतिथि होनी चाहिए। श्री तानपुरे महाराज पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव की फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा 06.12.2003 को तथा पुन: 17.05.2005 को जांच की गई लेकिन इसकी सिफारिश नहीं की गई। प्रस्तावकों को भी पूरी तरह से सूचित कर दिया था।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों अथवा संतों पर जारी किए गए स्मारक डाक-टिकटों की राज्यवार सूची संलग्न में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2003 के दौरान व्यक्तियों पर जारी किए गए डाक-टिकट

क्र.सं.	डाक-टिकट का नाम	जारी करने की तारीख	राज्य
1	2	3	4
1.	घंटशाला	11.02.2003	आंध्र प्रदेश
	एस के किर्लोसकर	26.02.2003	महाराष्ट्र
	कुसुमाग्रज	14.03.2003	महाराष्ट्र
	संत एकनाथ	23.03.2003	महाराष्ट्र
	फ्रेंक एंथनी	28.03.2003	मध्य प्रदेश
	काकाजी महाराज	30.03.2003	गुजरात
	दुर्गादास	02.05.2003	पंजाब
8-11.	अतीत के सुनहले स्वर	15.05.2003	
	किशोर कुमार		
	मुकेश		

1	2	3	4
	मुहम्मद रफी		
	हेमंत कुमार		
12.	मुक्ता बाई	30.05.2003	महाराष्ट्र
	वी.के. राजवाडे	23.06.2003	महाराष्ट्र
	बड़े गुलाम अली खां	30.06.2003	पंजाब
	जनार्दन स्वामी	24.09.2003	महाराष्ट्र
16-18.	ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता	09.10.2003	केरल
	मलयालम		
	जी शंकरकुरुप		
	एस.के. पोट्टक्काड		
	तकषि शिवशंकर पिल्लै		
19.	के. शिवराम कारंद	10.10.2003	कर्नाटक
20.	नरेन्द्र मोहन	14.10.2003	उत्तर प्रदेश
21.	गोविंद राव पनसारे	21.10.2003	महाराष्ट्र
22.	हरिवंशराय बच्चन	27.11.2003	उत्तर प्रदेश
23.	यशपाल	03.12.2003	पंजाब
24.	मुकुट बिहारी लाल भार्गव	18.12.2003	राजस्थान
25.	स्वामी स्वरूपानंद जी	20.12.2003	महाराष्ट्र
26-27.	व्यक्तित्व श्रृंखला : लोक संगीत	29.12.2003	पश्चिम बंगाल और राजस्थान
	लालन फकीर		
	अल्लाह जिलाई बाई		
28.	मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र	31.12.2003	उत्तरांचल
29.	एस. निजलिंगप्पा	31.12.2003	कर्नाटक

वर्ष 2004 में व्यक्तियों पर जारी डाक-टिकट

क्र.सं.	डाक-टिकट का नाम	जारी करने की तारीख	राज्य
1	2	3	4
1.	चि.द्वा. देशमुख	14.01.2004	महाराष्ट्र
2.	नानी ए. पालखीवाला	16.01.2004	महाराष्ट्र
3.	डा. बी.डी. गरवारे	06.02.2004	महाराष्ट्र
4.	अण्णमाचार्य	18.03.2004	आंध्र प्रदेश
5.	वी. लक्ष्मीनारायण	14.04.2004	तमिलनाडु
6.	बाजी राव पेशवा	28.04.2004	महाराष्ट्र
7.	सिद्धर स्वामीगल	15.05 2004	तमिलनाडु
8.	इंद्र चंद्र शास्त्री	27.05.2004	हरियाणा
9.	ज्योति प्रसाद अगरवाला	17.06.2004	असम
10.	पी.एन. पणिक्कर	19.06.2004	तमिलनाडु
11.	आचार्य भिक्षु	30.06.2004	राजस्थान
12.	मुरासोलि मारन	17.08.2004	तमिलनाडु
13.	एस.एस. वासन	26.08.2004	तमिलनाडु
14.	पाणिनी	30.08.2004	पंजाब/पाकिस्तान
15.	के. सुब्रह्मणियम	10.09.2004	तमिलनाडु
16.	एम.सी. छागला	01.10.2004	महाराष्ट्र
17.	तिरुपुर कुमारन	04.10.2004	तमिलनाडु
18.	गुरुदत्त	10.10.2004	पश्चिम बंगाल
19.	मुल्लु पांडियर बंधु	24.10.2004	तमिलनाडु
20.	एस. रोरिक	27.10.2004	रूसी

1	2	3	4
21.	डा. तेन्नेट्टि विश्वनाथम	10.11.2004	आंध्र प्रदेश
22.	वालचंद हीराचंद	23.11.2004	महाराष्ट्र
23.	दूलाभया काग	25.11.2004	गुजरात
24.	भगत पूरन सिंह	10.12 2004	पंजाब
25.	भास्कर सेतुपति	27.12.2004	तमिलनाडु

वर्ष 2005 में व्यक्तियों पर जारी डाक-टिकट

क्र.सं.	डाक-टिकट का नाम	जारी करने की तारीख	राज्य
1.	पद्मपद सिंघानिया	03.02.2005	उत्तर प्रदेश
2.	कृष्णकांत	27.02.2005	पंजाब
3.	माधवराव सिंधिया	10.03.2005	मध्य प्रदेश
4.	नारायण मेघंजी लोखंडे	03.05.2005	महाराष्ट्र
5.	अब्दुल कय्यूम अंसारी	07.07.2005	बिहार
6.	धीरन चिन्नमलै	31.07.2005	तमिलनाडु
7.	प्रताप सिंह कैरों	01.10.2005	पंजाब
8.	ए.एम.एम. मुरुगप्पा चेट्टियार	01.10.2005	तमिलनाडु
9.	डॉ. टी.एस. सौंद्रम	02.10.2005	तमिलनाडु
10.	कविमणि देसिग विनायगम पिल्लै	21.10.2005	तमिलनाडु
11.	वी. कल्याणसुंदरनार	21.10.2005	तमिलनाडु
12.	अयोतिदास पंडितर	21.10.2005	तमिलनाडु
13.	प्रबोध चंद्र	24.10.2005	पंजाब
14.	जवाहरलाल दरदा	02.12.2005	महाराष्ट्र
15.	एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी	18.12.2005	तमिलनाडु

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फ्लूराइड अनुसंधान संस्थान

1121. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूजल में फ्लूराइड की उच्च मात्रा की समस्या के समाधान के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय फ्लूराइड अनुसंधान संस्थान का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एंबुलेंसों को लगाना

1122. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारों वाले 3000 कि.मी. लंबे राजमार्ग के लिए अप्रैल, 2007 तक अत्याधुनिक एंबुलेंसो की तैनाती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में किसी निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्ण हो चुके खंड के औसतन 50 कि.मी. के लिए एंबुलेंस लगाए जाने की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नीति पहले से ही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल टावरों की स्थापना

1123. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितने मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई;

(ख) क्या सभी मंजूर किये गए टावरों को स्थापित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) विभिन्न राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2004-05 और 2005-06 में दौरान नियोजित मोबाइल टावरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के रॉलआऊट में निम्नलिखित कठिनाइयां आईं:-

(i) कुछ राज्यों में छत के ऊपर टावरों को लगाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा अनुमति प्रदान करने में विलंब।

(ii) कुछ राज्यों में राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में विलंब।

(iii) विक्रेताओं द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में विलंब।

(iv) उपस्कर विक्रेताओं द्वारा अवसंरचना संबंधी मदों की आपूर्ति में विलंब।

(v) उपस्कर विक्रेताओं द्वारा नेटवर्क के रॉलआऊट में विलंब।

(vi) भवनों को किराये पर लेने में विवाद।

(घ) शेष मोबाइल टावरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान संस्थापित किए जाने की संभावना है।

विवरण

मोबाइल बेस ट्रांसमीशन स्टेशनों (बीटीएस) का नियोजन

क्र. स.	राज्य का नाम	नियोजित क्षमता उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए मोबाइल टावरों की वर्षवार संख्या	
		2004-05	2005-06
1	2	3	4
	बीएसएनएल		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	41	शून्य*
2.	बिहार	549	शून्य*
3.	झारखंड	342	शून्य*
4.	उड़ीसा	597	शून्य*
5.	पश्चिम बंगाल	546	शून्य*
6.	कोलकाता टेलीफोन्स	144	शून्य*
7.	पूर्वोत्तर I	236	शून्य*
8.	पूर्वोत्तर II	52	शून्य*
9.	असम	428	शून्य*
10.	गुजरात	403	1272
11.	मध्य प्रदेश	110	570
12.	छत्तीसगढ़	33	176
13.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	157	740
14.	हरियाणा	100	550
15.	हिमाचल प्रदेश	270	55
16.	पंजाब	884	शून्य
17.	राजस्थान	287	892
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	209	707
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	689	187
20.	उत्तरांचल	225	86
21.	जम्मू व कश्मीर	71	308
22.	आंध्र प्रदेश	1311	शून्य*
23.	कर्नाटक	909	शून्य*
24.	केरल	1145	शून्य*
25.	तमिलनाडु	961	शून्य*
26.	चेन्नई टेलीफोन्स	555	शून्य*
	एमटीएनएल		
1.	दिल्ली	402	8
2.	मुंबई	401	15

* वर्ष 2004-05 में नियोजित क्षमता और इसके लिए टावर को 9-15 महीनों की समय-सीमा के भीतर रॉलआऊट किए जाने की योजना थी जिसे आमतौर पर दो वित्तीय वर्षों में किया जाता है। पूर्वी और दक्षिणी जोनों के लिए आगे और आदेश विक्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किए गए जो 2005-06 में दक्षिणी और पूर्वी जोनों में टावरों (बीटीएस) के लिए कोई अतिरिक्त आदेश नहीं होने से प्रदर्शित होता है।

शारीरिक रूप से अशक्त खिलाड़ियों हेतु विशेष कोष

1124. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में शारीरिक रूप से अशक्त कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धन के अभाव और समय पर सरकारी सहायता न मिलने के कारण शारीरिक रूप से अशक्त कुछ खिलाड़ी देश से बाहर होने वाले टूर्नामेंट स्थल पर नहीं पहुंच पाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे प्रयोजनों के लिए एक विशेष कोष की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में 115 शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया है।

(ख) से (च) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 5 अक्तूबर, 2005 को भारतीय पैरालंपिक समिति को मान्यता प्रदान की है और इसे प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। तब से भारतीय पैरालंपिक समिति राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना के अंतर्गत अनुमोदित पैटर्न के अनुरूप भारत में खेल स्पर्धाओं के आयोजन तथा विदेशों में टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र है। परिसंघ को मान्यता प्रदान करने के बाद से मान्यता प्राप्त परिसंघ द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, सहायता उपलब्ध न कराये जाने का कोई उदाहरण मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है। मान्यता प्रदान करने की तारीख से पहले सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों का बनाना

1125. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेनों का बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को बनाओ-चलाओ और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) अगरतला, आइजोल, इम्फाल, इटानगर, कोहिमा और शिलांग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ख और पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। गुवाहाटी पूर्व-पश्चिम महामार्ग के संरेखण पर पड़ता है जिसका पहले से ही चार लेन के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य चल रहा है। गंगटोक को पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ख और पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अभी तक सरकार द्वारा निवेश से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है सिवाय शिलांग और कोहिमा को जोड़ने के मामले के। अनुमानित लागत का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आइजोल, इम्फाल, कोहिमा, इटानगर और शिलांग को चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का कार्य बी ओ टी आधार पर किया जाना है।

(ङ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी/परामर्शदाता की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।

यूएसओ कोष का उपयोग

1126. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिवर्सल सर्विस आबलिगेशन (यूएसओ) कोष में वर्तमान में कुल कितनी धनराशि है;

(ख) क्या सरकार ने देश के 66,822 राजस्व ग्रामों में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से यूएसओ कोष के उपयोग के सरलीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सरकारी दूरभाष (वीपीटी) प्रदान करने और ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना को उन्नत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में 1500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। यूएसओएफ ने देश के ऐसे 66,822 पात्र गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार किया है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनमें वो गांव शामिल नहीं हैं जिन गांवों की जनसंख्या 100 से कम है तथा जो घने जंगलों और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों, आदि में स्थित हैं। 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार, इन गांवों में से 27,481 गांवों में बीएसएनएल द्वारा पहले ही वीपीटी प्रदान किए जा चुके हैं। शेष 39,341 गांवों में नवंबर, 2007 तक वीपीटी प्रदान किए जाएंगे।

(घ) देश के प्रत्येक गांव में वीपीटी प्रदान करने और ग्रामीण टेलीफोन अवसंरचना को भी उन्नत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) 100 से कम की जनसंख्या वाले, घने जंगलों और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांवों को छोड़कर, उन सभी शेष गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाएंगे जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ii) 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले और पीसीओ की सुविधा रहित गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोनों (आरसीपी) की व्यवस्था।

(iii) मल्टी-एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी को बदलना।

(iv) वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में मांग पर ग्रामीण वैयक्तिक फोन कनेक्शन (आरडीईएल) प्रदान करना।

(v) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायरलेस-इन-लोकल-लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क की स्थापना करना।

(vi) बीएसएनएल द्वारा लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए पहले के 2.5 कि.मी. के बाहरी केबल संबंधी मानदंडों में छूट देकर 5 कि.मी. करना।

(vii) बीएसएनएल ने व्यापक स्तर पर अवसंरचना की संस्थापना करने की योजना बनाई है जिससे मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

भू-विस्थापितों को रोजगार

1127. **श्री एस.के. खारवेनचन :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कोयला कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण किये जाने के परिणामस्वरूप हुए भू-विस्थापित के लिए एक स्थायी मासिक आय योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भू-विस्थापितों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे मामलों में रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कोयला खनन में, भूमि अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है। कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार सहित पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1700 पात्र भू-वंचितों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में पूजा स्थल

1128. **श्री अविनाश राव खन्ना** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान स्थित हिंदुओं/सिखों के पूजा स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन निकायों के नाम क्या हैं जो उक्त पूजा स्थलों का रख-रखाव करते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पूजा स्थलों की यात्रा करने के लिए विशेष वीजा जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को दीपालपुर, जिला उकारा में स्थित बाबा लालू जसराई की गद्दी के बारे में जानकारी है;

(च) यदि हां, उक्त पूजा स्थल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या सरकार उक्त पूजा स्थल पर पूजा करने देने हेतु कोई व्यवस्था कर रही है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान सरकार को धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के कई सौ पूजा स्थल हैं। धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर भारत ने पाकिस्तान के साथ 1974 में एक द्विपक्षीय, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इस समय पाकिस्तान में स्थित पंद्रह पूजा स्थल उक्त प्रोतोकोल के अधीन हैं जहां भारतीय जा कर पूजा कर सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब (रावलपिंडी)
2. गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब (रावलपिंडी)
3. महाराज रंजीत सिंह जी की समाधि (लाहौर)
4. गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब (लाहौर)
5. गुरुद्वारा जनम अस्थान (लाहौर)
6. गुरुद्वारा दीवानखाना (लाहौर)
7. गुरुद्वारा शहीदगंज, सिंघानियां (लाहौर)
8. गुरुद्वारा भाई तारा सिंह (लाहौर)
9. छठे गुरु का गुरुद्वारा, मोजांग (लाहौर)
10. श्री गुरु रामदास का जन्मस्थान (लाहौर)
11. गुरुदारा छेवीं पादशाही, मोजांग (लाहौर)
12. श्री कटासराज स्थित धार्मिक स्थल
13. शादानी दरबार, हयात पिताफी
14. साधु बेला, खानपुर और मीरपुर माथेलो
15. हजरत दाता गंज बख्श धार्मिक स्थल (लाहौर)

(ख) पाकिस्तान की सरकार के प्रभार के अधीन जो पूजा स्थल हैं उनका रखरखाव एवाकी ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड (ई टी पी बी), धार्मिक मामलों का मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कुछ स्थलों का रख-रखाव

स्थानीय हिंदू/सिख समुदायों द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारों को रख-रखाव भी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (पी एस जी पी सी) की सहायता से ई टी पी बी द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक महत्व के कुछ मंदिरों का रखरखाव भी ई टी पी बी द्वारा ही किया जाता है।

(ग) और (घ) इन स्थलों की यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा पर 1974 के द्विपक्षीय प्रोतोकोल के अनुसार की जाती है। तीर्थयात्रा दलों के सदस्यों को भ्रमण श्रेणी का वीजा जारी किया जाता है।

(ङ) से (झ) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ठकारा जिले के दीपलपुल में बाबा लालू जसराई की गद्दी के संबंध में धार्मिक स्थल की दशा के बारे में भक्तों की चिंता की जानकारी सरकार को है। इस धार्मिक स्थल के अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरण की है। उक्त पूजा स्थल की मरम्मत के लिए पाकिस्तान को निधियां देने का सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एड्स अनुसंधान संस्थान

1129. श्री सुग्रीव सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच आई वी से लड़ने के लिए माइक्रोबीसाइड्स के विकास तथा परीक्षण करने के लिए कुछ अग्रणी भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थानों का चयन किया गया है जैसा कि 17 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) वी ई आर जी केयर चेन्नई, सैंट जोन्स मेडिकल कालेज, बैंगलोर और राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे जैसे अनुसंधान/चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न कैन्डीडेट वेजिनल माइक्रोबाईसाईडिज के साथ क्लिनिकल जांच की जा रही है।

(ख) सी ओ एन आर ए डी, यू एस ए के वित्तपोषण से वाई आर जी केयर चेन्नई, सैंट जोन्स मेडिकल कालेज, बैंगलौर में 6% सेलूलोज सल्फेट, जो कि एक माइक्रोबाईसाइड है, के साथ चरण-III के क्लिनिकल परीक्षण आरंभ किए जा चुके हैं। साथ ही एन ए आर आई, पुणे में टेनोफोविर जैल के साथ चरण-II के क्लिनिकल परीक्षण भी आरम्भ हो चुके हैं। यह अध्ययन राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरीका के वित्तपोषण से किया जा रहा है।

(ग) 6% सेल्यूलोज सल्फेट जैल के साथ चरण-III में वाई आर जी केयर और सैंट जोन्स मेडिकल कालेज हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित है जबकि टेनोफोविर जैल के साथ एन ए आर आई, पुणे हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, संयुक्त राज्य अमरीका चरण-II में लगभग 2 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा है।

असम में रोजगार सृजन

1130. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीन वर्षों की अवधि में 320 करोड़ रुपये की सहायता देकर असम में रोजगार का सृजन करने तथा असम की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम में जुलाई 2005 में सामान्य योजना, विशेष योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के अलावा शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रस्ताव को उचित रूप से बनाने के लिए योजना आयोग को सलाह दी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग के कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री ने नवम्बर, 2004 में असम राज्य की अपनी यात्रा के दौरान इच्छा व्यक्त की थी कि असम राज्य के लिए रोजगार सृजन की रूप रेखा तैयार की जाए। योजना आयोग के अनुरोध पर असम

की राज्य सरकार ने 669 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रोजगार सृजन की एक स्कीम तैयार की है जिसमें 349 करोड़ रुपये कृषक और बैंक के योगदान के रूप में और 320 करोड़ रुपये मिशन की लागत के रूप में शामिल है। स्कीम का वित्तपोषण राज्य क्षेत्रक से होना चाहिए। किंचित अंतराल योजना आयोग द्वारा राज्यों को विशेष योजना सहायता/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही निधि से भरे जा सकते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकार ने स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। योजना आयोग का कृतिक बल एक भिन्न प्रयोजन के लिए गठित किया गया है।

[हिन्दी]

सर क्रीक का सर्वेक्षण

1131. **श्री सज्जन कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के मध्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित समुद्री सीमा के वर्ष 2009 में अमान्य होने से पूर्व सर क्रीक के सर्वेक्षण के लिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने हेतु जून, 2006 में हुई समग्र वार्ता में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सर क्रीक के संबंध में बातचीत 6-7 अगस्त, 2004 को हुई जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया और इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों का अदान-प्रदान किया। 28-29 मई, 2005 तक रावलपिंडी में हुई चर्चा के अगले दौर में दोनों पक्ष दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए मुद्दों का शीर्ष समाधान करने के उद्देश्य से चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए। 25-26 मई, 2006 तक नई दिल्ली में सर क्रीक पर आयोजित समग्र वार्ता चर्चाओं के तीसरे दौर में सर क्रीक में जमीनी सीमा और समुद्री सीमा के चित्रांकन पर चर्चा हुई। नवम्बर, 2006 और मार्च, 2007 के बीच सर क्रीक, इससे जुड़े क्षेत्रों और जल का संयुक्त सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया। यह भी सहमति हुई कि अगस्त, 2006 में होने वाली तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक में संयुक्त सर्वेक्षण की सीमा और इसके तौर-तरीकों का निर्धारण किया जाएगा। इस बैठक में समुद्री सीमा के चित्रण के लिए विकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी।

[अनुवाद]

हाजियों के आवास हेतु नई श्रेणी

1132. **श्री चाडिगा रामकृष्णा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज समिति ने भारत से जाने वाले हाजियों के लिए विद्यमान चार श्रेणियों के अतिरिक्त एक नई श्रेणी बनाई है जिससे भारत में प्रत्येक हाजी के लिए 10,000 रुपये की बचत होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हज 2006-II के लिए प्रत्येक श्रेणी से एकत्रित किये गये शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस वर्ष जनवरी में हुई हज-I यात्रा के लिए तथा इस वर्ष दिसम्बर में होने वाली हज-II यात्रा के लिए आंध्र प्रदेश हेतु आबंटित धार्मिक यात्रियों के कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कोटा बढ़ाये जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) हज 2006-II के लिए 1650/- सउदी रियाल प्रति तीर्थयात्री की दर से एक नई श्रेणी "शीशा" शुरू की जा रही है। श्रेणी I, II, III तथा "अजीजिया" के लिए क्रमशः 2700/-, 2200/-, 1650/- और 1050/- सउदी रियाल प्रति तीर्थयात्री की दर से हज-2006-II के लिए किराया लिया जा रहा है।

(ग) सरकार द्वारा कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता है।

(घ) हज 2006-I में आंध्र प्रदेश के लिए कोटा 6385 तीर्थयात्री था। हज 2006-II के लिए आंध्र प्रदेश का कोटा 6,806 तीर्थयात्री हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केंद्रीय हज समिति के 1,00,000 तीर्थयात्रियों के कोटे को

भारतीय हज समिति द्वारा विभिन्न राज्यों को उनकी मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पहले ही पूर्णत: बांट दिया गया है।

संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजना को स्थापित किया जाना

1133. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सी.आई.एल. की सहायत कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनी अर्थात् वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श गांव संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाना

1134. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में आदर्श गांव संसाधन केन्द्र (वी.आर.सी.) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आदर्श गांव संसाधन केन्द्र इसरो द्वारा विकसित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अब तक पहचान किये गये स्थलों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) अंतरिक्ष विभाग ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण संसाधन केंद्रों (वी आर सी) की स्थापना हेतु एक कार्यक्रम की शुरूआत की है।

(ख) ये वी आर सी दूर-चिकित्सा; दूर-शिक्षा; कृषि, भूमि और जल संसाधन, मौसम एवं मछली उद्योग पर प्राकृतिक संसाधनों की सूचना तथा परामर्शों जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दसे प्राप्त सेवाएं प्रदान करने हेतु अभिप्रेत हैं। वी आर सी का लक्ष्य एकल विंडो प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को ऐसी सेवाएं सीधे मुहैया कराना है।

(ग) चयनित गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से इसरो द्वारा वी आर सी विकसित और स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई की सहायता से आंध्र प्रदेश में अब तक 2 वी आर सी-एक महबूबनगर जिले के मूसापेट में और दूसरा आई सी आर आई एस ए टी, हैदराबाद में स्थापित किए गए हैं। विराजु फाउंडेशन एवं धान फाउंडेशन की सहायता से अदिलाबाद, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटुर, हैदराबाद, कृष्णा, नलगोंडा और पश्चिमी गोदावरी नामक 8 जिलों में अन्य 31 वी आर सी स्थापित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुवैत के साथ श्रम समझौता

1135. श्री महेश कनोडिया : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुवैत सरकार के साथ कोई श्रम समझौता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री चाचालर राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2003 से एक समझौता ज्ञापन का एक प्रारूप

दोनों देशों के विचाराधीन है। प्रारूप पर नई दिल्ली में 17-18 जुलाई, 2006 को हुई कुवैत-भारत संयुक्त तकनीकी कार्यदल की बैठक के दौरान चर्चा हुई थी। समझौता ज्ञापन को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कन्टेनर ट्रांशिपमेंट-टर्मिनल-सुविधा

1136. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी बड़े पत्तनों में कन्टेनर ट्रांशिपमेंट-टर्मिनल-सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं तो उन पत्तनों के नाम क्या हैं जहां उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या इंटरनेशनल कन्टेनर ट्रांशिपमेंट विकसित करने के लिए दुबई पोर्ट इंटरनेशनल इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सात महापत्तनों अर्थात् कोलकाता-पत्तन (कोलकाता डॉक प्रणाली और हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स दोनों), विशाखापट्टणम-पत्तन, चेन्नई-पत्तन, तूतीकोरिन-पत्तन, कोचीन-पत्तन, मुंबई-पत्तन और जवाहर लाल नेहरु-पत्तन में अनन्य रूप में कंटेनरीकृत जहाजी माल ही संभालने की क्षमता उपलब्ध है। पांच महापत्तनों अर्थात् पारादीप-पत्तन, इन्नौर-पत्तन, नवमंगलूर-पत्तन, मुरगांव-पत्तन और कांडला-पत्तन में अनन्य रूप से कंटेनरीकृत जहाजी माल ही संभालने की क्षमता नहीं है।

(ग) और (घ) खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों की बोलियों से युक्त निविदाओं के आधार पर, कोचीन-पत्तन पर बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय-यानांतरण-टर्मिनल को विकसित करने, उसका प्रबंधन और संचालन करने की परियोजना के निष्पादन का ठेका दिए जाने हेतु दुबई पोर्टस् इंटरनेशनल को चुना गया। उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन हेतु, दुबई पोर्टस् इंटरनेशनल (अब दुबई पोर्टस् वर्ल्ड), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की एक सहायक कंपनी, मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ने 31 जनवरी, 2005 को कोचीन-पत्तन-न्यास से करार कर लिया है।

पड़ौसी देशों के लिए वीजा उदार बनाना

1137. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से और अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करना आसान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा उदारीकरण की सुविधा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का विचार पड़ौसी देशों को उदार वीजा व्यवस्था प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) 30 जून, 2006 को पाकिस्तान के संघीय आन्तरिक मंत्री आफताब अहमद खान शेरपाव ने घोषणा की कि पाकिस्तान को एक पर्यटक, व्यवसाय, व्यापार और निवेश अनुकूल देश बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने मौजूदा पाकिस्तानी वीजा नीति में 'पर्याप्त परिवर्तन' किया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। तथापि उद्घोषित 69 'व्यापार अनुकूल' देशों और 23 'पर्यटन अनुकूल' देशों की पाकिस्तानी सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान द्वारा उद्घोषित कुल भारत-विशिष्ट उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं – सिविल सोसाइटी, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा तलाकशुदाओं के लिए वीजा का तीन माह से दो वर्ष तक का विस्तार, विनिर्दिष्ट टूर-संचालकों के माध्यम से भारत के पर्यटकों के दल को 14 दिन के बजाए 30 दिनों का वीजा, पाकिस्तान के निर्दिष्ट धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारतीय राष्ट्रिकों (10 से कम संख्या में नहीं) के तीर्थाटन वीजा को पहले से अनुमत्य 5 दिनों के बजाए 15 दिनों तक, 'व्यापार वीजा' की

शुरूआत जिसमें अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन अधिकतम 30 दिनों तक ठहरने और बहु-प्रवेश के साथ छह माह की समयावधि परिकल्पित है, और पाकिस्तान में पदस्थापित भारतीय राजनयिकों के राजनयिक तथा गैर-राजनयिक वीजाओं का तेजी से निपटान करना।

(ग) और (घ) सरकार का दृढ़तापूर्वक मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना उत्पन्न करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारक है – लोगों का लोगों से संपर्क और उसने एक ऐसी वीजा प्रणाली बनाने की निरन्तर कोशिश की है जिससे कि ऐसे संपर्कों को बढ़ावा मिले। इस नीति के अनुसरण में सरकार ने सितम्बर, 2004 में एकपक्षीय वीजा उदारीकरण की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए बहु-प्रदेशी वीजा जारी करने, 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों जैसे पाकिस्तानी नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुलिस में रिपोर्ट करने से उन्मुक्ति प्रदान करना शामिल है। दिसंबर, 2004 में लोगों की कुछ निश्चित श्रेणियों को बाधा पहुंचने पर वीजा प्रदान करने तथा पाकिस्तानी छात्रों को मामले-दर-मामले आधार पर भारतीय संस्थाओं में प्रवेश की अनुमति देने जैसे अतिरिक्त वीजा उदारीकरण उपायों की सरकार ने घोषणा की।

भारत ने, भूतपूर्व विदेश मंत्री की 2-5 अक्तूबर, 2005 तक की पाकिस्तान यात्रा के दौरान मौजूदा भारत-पाकिस्तान वीजा करार में संशोधन लाने के लिए पाकिस्तान को एक प्रस्ताव का प्रारूप प्रस्तुत किया था। प्रारूप में दोनों देशों के लोगों के लिए लंबी अवधि की यात्रा वीजाओं की परिकल्पना की गई है और सीमा-पार से लोगों के आसान आवगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्र, तीर्थयात्रियों तथा व्यापार वीजा जैसे वीजा की नई श्रेणियों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान ने इस प्रारूप वीजा करार पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार तथा चीन लोक गणराज्य के बीच वीजा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर एक नए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से वर्ष 2003 से चीन के साथ वीजा व्यवस्था सरल हो गयी है। बंगलादेश, श्रीलंका और म्यामांर के साथ सरकार का पहले से ही एक उपयुक्त उदारीकृत वीजा प्रणाली है। इसके अलावा 1 मार्च, 1992 से सार्क वीजा उन्मुक्ति योजना कार्य करने लगा है। यह योजना सार्क देशों के लोगों की कुछ अनुमोदित श्रेणियों के लिए अनुमान्य है।

[हिन्दी]

शहरों तथा गांवों के बीच बढ़ता अंतर

1138. **डा. चिंता मोहन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक तथा सामाजिक असमानता से हिंसक माहौल को बढ़ावा मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस स्थिति से निपटने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच निरन्तर बढ़ती आर्थिक असमानता के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक असमानता के क्षेत्र में तथा जुड़ाव के संबंध में बहुत कम अध्ययन हुआ है, और फलस्वरूप ऐसी सहलग्नता के बारे में कम जानकारी है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं हुई है। तथापि, "असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों को डील करने संबंधी विकासात्मक मुद्दों" के संबंध में श्री डी. बंदोपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है।

(ङ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग), से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी-क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) 2.32 गुणा था। वर्ष 1993-94 के लिए तत्संबंधी अनुपात 2.34 था। इससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 1980-81 और 1993-94 के बीच ग्रामीण-शहरी आय अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1993-94 के बाद आय स्तर में ग्रामीण-शहरी अंतर दर्शाने वाली कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थानों के लिए विदेशी धनराशि

1139. श्री के.एस. राव : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर भौतिक आधारित संरचना के विकास, कर्मचारियों की आवश्यकता तथा निगरानी तंत्र के लिए विदेशी धनराशि आकर्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थानों को धनराशि के आबंटन तथा स्थानान्तरण की गति बढ़ाने तथा इसके प्रभावी उपयोग के लिए एक नया तंत्र विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां पंचायती राज संस्थानों के अधीन जिला योजना समितियां या तो कार्य नहीं कर रही हैं या विकास योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करते हुए पाई गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) अब तक की स्थिति के अनुसार ऐसी किसी भी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, यह अभिज्ञात किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को इन न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबस्टेंशियल अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया है कि यूपीए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों द्वारा गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को दी गई सभी निधियां न तो विलंबित होती है और न ही विचलित। अनुवीक्षण सख्त होगा। इसके अलावा, राज्यों के साथ परामर्श के बाद यूपीए सरकार ऐसी निधियों को सीधे ही निर्वाचित पंचायतों के नामे डालने पर विचार करेगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां पर भी पंचायतों के लिए लक्षित निधियां न तो विलंबित होती है और न ही विचलित जहां पर ये राज्य की समेकित निधियों से पारित होती है, बैंकिंग चैनलों के जरिए निधियों के द्रुत हस्तांतरण की रीतियों की जांच करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 2005 में प्रस्तुत कर दी है और अब राज्यों के 12वें वित्त आयोग अनुदानों के हस्तांतरण को सरल बनाने हेतु रिपोर्ट के घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) ने पंचायती राज मंत्रालय के निदेशों पर एक निधि हस्तांतरण सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है जो प्रक्रियात्मक विलंबों को कम कर सकता है तथा रिलीजों के बेहतर अनुवीक्षण में सहायता दे सकता है। राज्य इस सॉफ्टवेयर उपयोग के जरिए पंचायतों को निधियों का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण बैंकों/ट्रेजरियों के जरिए प्रत्यक्ष तौर पर कर सकते हैं। ये सिफारिशें राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों को अगले विचार के लिए अग्रेषित कर दी गई हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने (क) मजदूरी रोजगार योजनाओं जैसे कि एस जी आर वाई, कार्य के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम और एन आर ई जी ए, (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता जैसे कि स्वजल धारा, ए आर डब्ल्यू एस पी और समग्र स्वच्छता अभियान (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (घ) सर्व शिक्षा अभियान तथा आई सी डी एस का योजनाओं को प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत कवरेज के लिए अभिज्ञात किया है। वित्त मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर इस पहल का समर्थन किया है। इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् की शक्तिसंपन्न उप-समिति जिसकी बैठक पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में 12 जून, 2006 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, ने भी इस मामले पर विचार किया है। इस संबंध में बैठक में मामले से संबद्ध निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:—

(i) बैंकिंग चैनलों के जरिए पंचायतों को द्रुत निधि हस्तांतरण की संभाव्यता संबंधी समिति ने उन प्रणालियों की सिफारिश

की थी जो राज्यों द्वारा अपनाई जानी चाहिए ताकि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियां पंचायतों को राज्य की समेकित निधि के जरिए भेजी जा सके। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओ एम) दिनांक 13.1.2003 और 6.2.2003 में अंतर्विष्ट विशिष्ट प्रावधान को रिस्टोर किया जाए। राज्यों को प्रत्येक पंचायत के लिए हस्तांतरण की तारीख और राशि सहित विशेष गांव ब्लॉक और जिला पंचायत के बैंक खाते अथवा उप-ट्रेजरी खाते में, जैसा भी मामला हो, राज्य की ट्रेजरियों से निधियों के हस्तांतरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए और इसको सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में रखना चाहिए। ग्राम स्वराज के अंतर्गत अथवा अन्यथा निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के समुचित प्रशिक्षण को केन्द्र सरकार की सहायता से पंचायत के कार्य-निष्पादन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु विस्तार प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) योजना आयोग अथवा अन्य संबंधित प्राधिकरण पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा रही अबंधित निधियों और पंचायतों के बीच उनके वितरण में समेकन के लिए उपलब्ध निधियों की मात्रा के बारे में राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके योजना की समीक्षा करें। राज्य पंचायतों को उनके निधि-प्रवाह को गति देने की प्रक्रिया को भी जारी रखें।

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुवीक्षण प्रक्रिया को भी यौक्तिक बनाया जाना चाहिए।

(iv) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) उन ब्लॉकों में अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना एक समयबद्ध तरीके से करने पर विचार करता है जहां पर ये मौजूद नहीं है।

(v) केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के 6% तक का एक निर्धारित प्रतिशतता को क्षमता निर्माण, स्टॉफ सपोर्ट और अनुवीक्षण हेतु एक एकल विंडो में समेकित किया जाए।

(vi) अब तक की स्थिति के अनुसार राज्य की निधियों का प्रवाह ट्रेजरियों के जरिए जारी रहना चाहिए, किंतु केन्द्रीय निधियों को राज्य की ट्रेजरियों से पंचायत बैंक खातों में बिना विलंब अथवा विचलन के पास होने की आवश्यकता होगी।

(ङ) और (च) संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में यह अनुबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिलों की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए एक जिला आयोजना समिति गठित की जायेगी। जिला आयोजना समितियां योजनाएं तैयार करने के लिए निदेशित हैं। योजनाओं का कार्यान्वयन उनकी भूमिका का भाग नहीं है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जिला आयोजना समितियों के गठन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है

(छ) जिला आयोजना समितियों का गठन शीघ्रातिशीघ्र करने की आवश्यकता हेतु राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) पंचायती राज मंत्रालय ने निचले स्तर की आयोजना पर एक विशेष समूह गठित किया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट 28.03.2006 को प्रस्तुत की थी जिसको पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय के आधार पर, योजना आयोग ने अक्टूबर, 2005 में राज्य सरकारों के योजना सचिवों को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें राज्य सरकारों को जिला आयोजना समितियों का गठन उनके वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व कर लेनी की सलाह दी थी। पंचायती राज मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को संचालित करने के लिए 8-9 मई, 2006 को राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति (एन आई पी एफ पी) के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में योजना आयोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यशाला के संयुक्त निष्कर्षों में उन राज्यों में जिला आयोजना समितियों (डीपीसी) का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-डी के प्रावधानों के अनुसार 15 जून, 2006 तक कर लिया जाना शामिल था जहां पर जिला आयोजना समितियां (डीपीसी) गठित नहीं की गई हैं। उन राज्यों, जिनमें जिला आयोजना समितियों के गठन के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है, से कार्यकारी आदेशों के जरिए इस संबंध में विधायी प्रावधानों

के लागू होने की लंबित रहते हुए भी इनका गठन शीर्ष करने का अनुरोध किया गया था।

(ii) दिनांक 12.06.2006 को संपन्न राष्ट्रीय विकास परिषद् की शक्ति संपन्न् उप-समिति के बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों को जिला आयोजना समितियों का गठन शीघ्र 15 जुलाई, 2006 तक अथवा जितना जल्दी संभव हो सके, तक संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-डी के प्रावधानों के अनुसार कर लेना चाहिए। जहां पर राज्यों के पास जिला आयोजना समितियों के गठन के लिए समुचित कानूनी आधार मौजूद नहीं है, तो इनका गठन कार्यकारी आदेशों के जरिए, इस संबंध में विधायी प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रिया के लंबित रहते हुए भी किया जा सकता है।

(iii) पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों की परिषद की भुवनेश्वर में 14-15 जून, 2006 को संपन्न् बैठक के दौरान राज्य सरकारों पर पुन: जिला आयोजना समितियों का गठन, करने तथा जिला आयोजना समितियों को संचालित करने का दबाव बनाया गया है।

उपर्युक्त निर्णय राज्यों को वितरित कर दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री द्वारा 19 अप्रैल, 2006 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा 24 मई, 2006 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को राज्यों पर जिला आयोजना समितियों को गठन करने तथा पंचायतों द्वारा योजना बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने एवं संवैधानिक अध्यादेश के अनुसार जिला आयोजना समितियों के जरिए उनके समेकन के लिए दबाव बनाने हेतु पत्र लिखे गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गठित डी पी सी (हां/नहीं)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	नहीं
3.	असम	हां
4.	बिहार	नहीं (नए चुनावों के कारण लंबित)
5.	छत्तीसगढ़	हां
6.	गोवा	हां
7.	गुजरात	नहीं
8.	हरियाणा	नहीं (नए चुनावों के कारण लंबित)
9.	हिमाचल प्रदेश	हां
10.	झारखंड	नहीं
11.	कर्नाटक	हां
12.	केरल	हां
13.	मध्य प्रदेश	हां
14.	महाराष्ट्र	नहीं
15.	मणिपुर	हां
16.	उड़ीसा	हां
17.	पंजाब	नहीं
18.	राजस्थान	हां
19.	सिक्किम	हां
20.	तमिलनाडु	हां
21.	त्रिपुरा	नहीं
22.	उत्तर प्रदेश	नहीं
23.	उत्तरांचल	नहीं
24.	पश्चिम बंगाल	हां
25.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	हां

1	2	3
26.	चंडीगढ़	नहीं
27.	दादरा एवं नगर हवेली	हां
28.	दमन एवं दीव	हां
29.	लक्षद्वीप	हां
30.	पांडिचेरी	नहीं

[हिन्दी]

राज्य-राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन

1140. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कितने राज्य-राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया, और

(ख) इन राज्यों में अलग-अलग कितनी लंबाई के राज्य-राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए गए?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान बिहार में तीन राज्यीय सड़कों और उत्तर प्रदेश में 8 राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया है।

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्यीय सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अभी तक परिवर्तित लंबाई क्रमशः 3537 कि.मी. और 5599 कि.मी. है।

[अनुवाद]

बीजिंग-ल्हासा रेल सेवा

1141. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2006 के प्रारंभ में बीजिंग-ल्हासा रेल सेवा शुरू हो गई है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रेलगाड़ी के चालू होने से सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के ल्हासा से चीन के किंघाई प्रांत के गोलमुड तक रेल लाइन को औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2006 से खोल दिया गया है। इस रेल लाइन को खोल दिये जाने से बीजिंग से ल्हासा तक रेल संपर्क हो गया है और चीन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इससे चीन के पश्चिमी क्षेत्र के विकास में सहयोग मिलने की आशा है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर, जिसका कि भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, नियमित रूप से नजर रखती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

पाकिस्तान द्वारा रिएक्टर का निर्माण

1142. **श्री अधीर चौधरी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान कथित तौर पर 1000 मेगावाट रिएक्टर के निर्माण की प्रक्रिया में है जिससे प्लूटोरियम उत्पादन की इसकी क्षमता बीस गुणा बढ़ जाएगी जैसाकि 25 जुलाई, 2006 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामतः इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सरकार को इस खबर की जानकारी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने 24 जुलाई, 2006 को कहा कि पाकिस्तान नाभिकीय शस्त्र संपन्न राष्ट्र है और पाकिस्तान के नाभिकीय संयत्रों के ब्यौरे और कार्यक्रमों का खुलासा नहीं किया जा सकता। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि खुशाब एक प्रसिद्ध नाभिकीय केंद्र है।

(ग) और (घ) भारत हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। सरकार पड़ोसी देशों की प्रसार संबंधी प्रवृत्तियों पर बराबर नजर रखती है। सरकार पूरी तरह सतर्क रहती है और भारत की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. द्वारा धनराशि का उपयोग

1143. श्री इंसराज जी. अहीर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियों को अर्थ मूविंग तथा तकनीकी प्रबंधन के लिए जारी की गई धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके लिए जारी धनराशि को खर्च करने में विफलता के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ जारी धनराशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सी. आई.एल) की सहायक कंपनियों के लिए हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) हेतु दी गई राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है जैसाकि निम्नलिखित ब्यौरे से देखा जा सकता है:-

(करोड़ रु. में)

	2003-04	2004-05	2005-06
बजट अनुमान	1127.92	1093.94	1266.25
वास्तविक	510.66	456.81	838.08
अंतर	617.26	637.13	428.17

"हैम" पर पूंजीगत व्यय में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:-

(i) "हैम" की खरीद की नीति में परिवर्तन

(ii) परियोजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब

(iii) भूमि विशेषकर वनभूमि के अधिग्रहण में विलंब

(iv) गांवों के पुनर्वास में विलम्ब

(v) विभागीय उपकरण से किराये के उपकरण के विकल्प में परिवर्तन

(vi) घाटे में चल रही सहायक कंपनियों की निधि की खराब स्थिति

(vii) निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। "हैम" पर कम व्यय के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2003-04	298.50	306.36
2004-05	314.00	323.58
2005-06	343.00	343.39

(च) यथार्थवादी आकलन तैयार करने के लिए कंपनी की वार्षिक योजना तैयार करते समय सभी एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। इसके

अतिरिक्त, व्यय की गति का पर्यवेक्षण करने के लिए और मौजूदा कठिनाइयों के अधीन इसमें सुधार लाने के लिए क्षेत्र स्तर, सहायक कंपनी स्तर और सी.आई.एल. स्तर पर नियमित मानीटरिंग तंत्र है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से एकत्रित धनराशि

1144. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम्स में नवम्बर, 2005 से शुरू किए गए नए उपभोक्ता शुल्क के परिणामस्वरूप धनराशि एकत्रित करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज की तारीख तक इससे वस्तुत: कितनी धनराशि एकत्र हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नर्सों की भर्ती पर ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंध

1145. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
डा. के.एस. मनोज :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर की नर्सों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भारत सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे अधिक भारत की नर्सें भर्ती की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री चाचालार रवि) : (क) से (ङ) जी, नहीं। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर से नर्सों की भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, 3 जुलाई, 2006 को ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन गृह कार्यालय की 'स्किल्स शार्टेज ऑक्यूपेशन्स लिस्ट्स' में से 'सामान्य नर्सें' को हटा दिया है। विनियम में यह परिवर्तन कतिपय विशेषज्ञताओं में आधुनिक और वरिष्ठ नर्स श्रेणियों को प्रभावित नहीं करता है।

विनियम में परिवर्तन ब्रिटेन के नियोक्ताओं पर नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय भर्ती करने को नहीं रोकता है। उन्हें यह दर्शाना होता है कि वे पहले ब्रिटेन अथवा यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के आवेदक से पद को नहीं भर सकते हैं। नये विनियम 14 अगस्त, 2006 से लागू किए जाने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय भर्ती पर इसके संभावित प्रभाव की अभी कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान बस सेवा

1146. **योगी आदित्यनाथ** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने स्थानों से भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू की गई है; और

(ख) वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) श्रीनगर और मुजफ्फराबाद (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) के बीच 7 अप्रैल, 2005 को पाक्षिक बस सेवा आरंभ की गई है। इस बस में यात्रा दोनों पक्षों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रवेश परमिटों के आधार पर होती है। यह सेवा, जिसे 8 अक्तूबर, 2005 को भूकम्प में आधारभूत संरचना के नष्ट हो जाने के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, 20 फरवरी, 2006 को पुन: आरंभ कर दी गई है।

सप्ताह में दो बार चलने वाली अमृतसर-लाहौर बस और अमृतसर ननकाना साहब बस सेवा क्रमश: 24 जनवरी, 2006 और 24 मार्च,

2006 को आरंभ हुई। पुंछ-रावलकोट की पाक्षिक बस सेवा का उद्घाटन 20 जून, 2006 को किया गया। इस बस पर यात्रा की प्रक्रिया वही है जो श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा की है।

[अनुवाद]

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन

1147. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमीग्रेशन क्लियरेंस के नए मानकों के कारण विदेशों में नौकरी तलाशने वाले भारतीयों को कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) जी, नहीं। कोई नये मानदंड लागू नहीं किये गये हैं। तथापि, उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाने, सही मानवोचित उत्प्रवास को बढ़ावा देने और श्रमिकों का बेहतर संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में व्यापक संशोधन हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है।

खेलों के विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1148. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सुविधाएं खेलों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार खेलों के विकास हेतु और अधिक धनराशि प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) 31.3.2005 तक, मंत्रालय अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर खेल सुविधाओं के सृजन जैसे खेल परिसर, स्टेडियम, तरणताल, खेल मैदान का विकास, खेल उपस्कर की खरीद आदि के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है बशर्ते राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हो। केन्द्र सरकार ने दिनांक 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को खेल अवस्थापना योजनाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। अत: खेल अवस्थापना परियोजनाओं के नये मामले राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से वित्तपोषित किए जाएंगे। तदनुसार सभी राज्य सरकारों को फरवरी, 2005 में सूचित कर दिया गया था।

(ग) पहले चल रही खेल अवस्थापना योजनाओं के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती थी, तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

(घ) जी, हां। मौजूदा सुविधाएं देश में खेलों की क्षमता का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहायता की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों, जो कि पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय है को विदेश में टूर्नामेंट में भागीदारी और प्रशिक्षण, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण भी निम्न खेल संवर्धनकारी योजनाएं चला रहा है:– (1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (2) सेना बाल खेल कंपनी (3) विशेष क्षेत्र खेल (4) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र और (5) उत्कृष्टता केन्द्र।

इसके अतिरिक्त प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल उपस्कर की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण और देश तथा विदेश में प्रतिभागिता के अवसर के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तथापि उपर्युक्त (घ) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दावेदारों जैसे पंचायती राज संस्थानों, नेहरू युवा केन्द्रों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की सहभागिता से पंचायत युवा खेल अभियान के संवर्धन पर विचार किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-2004		2004-2005		2005-2006 (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	484.527	14	123.75	7	45.00	1
2	अरुणाचल प्रदेश	191.00	5	27.00	1	71.00	1
3	असम	17	2	188.09	8	7.00	1
4	बिहार	0	0	0	0	0	0
5	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	65.00	2	0	0
8	हरियाणा	40.17	2	118.13	16	32.80	4
9	हिमाचल प्रदेश	100.21	8	118.63	10	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	26.82	18	22.50	1	0	0
11.	कर्नाटक	58.7	8	101.3	9	0	0
12.	केरल	13.01	4	1.50	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मध्य प्रदेश	152.27	13	115.40	6	18.00	1
14.	महाराष्ट्र	238.43	13	169.04	9	45.08	2
15.	मणिपुर	0	0	22.50	3	0	0
16.	मेघालय	100.11	5	234.55	5	0	0
17.	मिजोरम	136.32	21	30.00	1	59.59	1
18.	नागालैंड	962.46	21	115.98	12	45.00	1
19.	उड़ीसा	0.05	1	0.75	1	0	0
20.	पंजाब	45.00	1	0	0	0	0
21.	राजस्थान	25.00	2	8.72	1	23.00	1
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	170.36	22	81.15	13	50.52	2
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	46.94	3	69.23	6	83.00	4
26.	पश्चिम बंगाल	20.07	15	49.70	4	0	0
27.	छत्तीसगढ़	78.50	4	0	0	0	0
28.	झारखंड	0	0	30.00	1	0	0
29.	उत्तरांचल	0	0	94.80	5	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
	कुल	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19

विवरण–II

वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार) खेल उपकरणों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	1	2.76	3	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.35	4	7.74	7	0	0
3.	असम	30.88	41	22.18	38	0	0
4.	बिहार	3.29	3	7.53	8	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1.13	2	3.32	4	0	0
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0	0
7.	गोवा	0.00	0	1.08	1	0	0
8.	गुजरात	2.98	4	1.42	2	0	0
9.	हरियाणा	43.36	59	24.17	41	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5.72	15	10.21	14	0	0
11.	जम्मू व कश्मीर	3.17	3	9.64	14	0	0
12.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	16.75	26	12.10	18	0	0
14.	केरल	0.00	0	15.48	17	0	0
15.	मध्य प्रदेश	22.95	29	13.67	20	0	0
16.	महाराष्ट्र	51.63	58	54.19	71	8.63	27
17.	मणिपुर	3.26	5.	1.48	2	0	0
18.	मेघालय	1.08	1	9.37	10	0	0
19.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0	0
20.	नागालैंड	0.00	0	3.80	5	0	0
21.	उड़ीसा	44.21	55	61.99	80	8.60	28
22.	पंजाब	2.56	3	0.63	2	0	0
23.	राजस्थान	25.19	29	18.76	30	0	0
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0	0
25.	तमिलनाडु	7.65	21	3.70	6	0	0
26.	त्रिपुरा	0.37	1	0.40	1	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	39.60	47	51.11	75	0.89	3
28.	उत्तरांचल	11.04	12	18.44	26	1.87	6
29.	पश्चिम बंगाल	77.98	106	127.15	167	0	0
	केन्द्र शासित क्षेत्र						
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0	0
34.	दमन व दीव	000	0	0.00	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0	0
	कुल	399.63	525	482.45	662	19.99	64

विवरण-III

वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाखों रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या	जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या	जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87.82	27	97.22	36	5.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
3.	असम	26.81	10	126.31	48	0	0
4.	बिहार	20.60	4	0.00	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	20.70	9	0	0
6.	गोवा	0.00	0	2.70	1	0	0
7.	गुजरात	18.27	10	28.20	1	0	0
8.	हरियाणा	10.31	9	26.86	4	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5.85	3	7.37	4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0	0
11.	झारखंड	0.00	0	2.70	1	0	0
12.	कर्नाटक	39.35	35	149.87	63	12.00	1
13.	केरल	39.80	18	45.07	24	0	0
14.	मध्य प्रदेश	10.80	4	26.10	7	0	0
15.	महाराष्ट्र	197.53	98	244.15	115	20.85	2
16.	मणिपुर	25.03	3	17.80	5	0	0
17.	मिजोरम	10.72	4	0.00	0	0	0
18.	मेघालय	0.00	0	10.80	4	0	0
19.	नागालैण्ड	22.50	11	19.20	10	0	0
20.	उड़ीसा	83.60	40	57.98	32	0	0
21.	पंजाब	52.68	13	29.45	11	10.00	1
22.	राजस्थान	4.20	2	7.20	3	0	0
23.	तमिलनाडु	164.81	27	169.80	29	17.12	1
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	101.56	41	158.65	62	45.00	3
26.	उत्तरांचल	24.60	10	16.80	8	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	79.86	42	141.28	63	0	0
28.	दिल्ली	53.50	2	62.64	1	40.03	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	0	1.00	1	0.00	0
	कुल	1080.25	413	1472.00	555	150.00	10

विवरण-IV

वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार) सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाखों रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	20.00	1	0	0
2.	हरियाणा	30.00	1	0.00	0	0	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
7.	महाराष्ट्र	50.00	1	15.00	1	0	0
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	50.00	1	0	0
10.	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	65.00	1	0	0
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	150.00	3
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0	0
14.	दिल्ली	20.00	1	0.00	0	0	0
15.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0	0
16.	झारखंड	100.00	1	0.00	0	0	0
	कुल	200	4	150	4	150	3

कुवैत युद्ध के पीड़ितों को मुआवजा

1149. **श्री पी. करुणाकरन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत युद्ध के मुआवजे के लिए बड़ी संख्या में लोगों विशेषकर केरल के लोगों से अब भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवेदनों को जमा कराने की निर्धारित समय-सीमा बढ़ाने के लिए यू एन कंप्रीहेनसिव कमीशन से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग (यू एन सी सी) द्वारा, जैसा कि निर्णय लिया गया था, दावों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 1996 थी। इस तिथि के बाद यू एन सी सी ने किसी प्रकार का दावा संबंधी आवेदन स्वीकार करने से मना कर दिया था। उसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए हमें लिखा है और अभी भी लिख रहे हैं। ऐसे पत्र केरल सहित देश के सभी भागों से प्राप्त हुए हैं।

हाल ही में सरकार ने उन लापता दावेदारों का नाम विज्ञापित किया है जिनके दावे यू एन सी सी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं किंतु उन लोगों द्वारा अपने नवीनतम पते की सूचना नहीं दी गई है। इसके प्रत्युत्तर में इस सूची में शामिल दावेदारों से जिनमें केरल के दावेदार भी शामिल हैं बड़ी संख्या में हमें पत्र मिल रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन नए आवेदन प्राप्त करने के लिए नहीं है, केरल सहित देश के सभी भागों से बड़ी संख्या में लोग सरकार को पत्र लिख कर नए सिरे से आवेदन करने की मांग कर रहे हैं।

वैध भारतीय दावेदारों तथा केरल के दावेदारों से संबंधित तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने कई अवसरों पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाए जाने का यू एन सी सी से अनुरोध किया है। अभी तक यू एन सी सी ने नए दावे स्वीकार करने की 1 जनवरी, 1996 की समय-सीमा को बढ़ाने के भारत सरकार के अनुरोधों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

विवरण

भारतीय दावेदारों और केरल से दावेदारों के संबंध में तुलनात्मक ब्यौरे दर्शाने वाली तालिका

	विषय	अखिल भारतीय	केरल
1.	जिन दावेदारों ने आवेदन किया उनकी कुल संख्या	100,000 से अधिक	33117
2.	कुल दावेदार जिन्होंने भुगतान प्राप्त किया	100,000 से अधिक	31817
3.	कुल अदा की गई राशि	4600 करोड़ रुपए (1 बिलियन अमरीकी डालर)	1150 करोड़ रुपए 250 (मिलियन अमरीकी डालर)
4.	जिन दावेदारों का पता न लग सका उनकी कुल संख्या	6500	466
5.	01-01-1996 के बाद प्रस्तुत किया गया दावा	लगभग 50,000	5000

[हिन्दी]

दूतावासों/उच्चायोगों में खर्च में कथित अनियमितताएं

1150. **श्री रशीद मसूद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों में खर्च संबंधी कथित अनियमितताओं के मामलों के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या दूतावासों तथा उच्चायोगों को खर्च के संबंध में नियमों की अवहेलना करते पाया गया;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2005 और 2006 (गत दो वर्ष) की रिपोर्ट के लंबित पैरा में से बीस विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों और हाई कमीशनों में "व्यय की अनियमितताओं से संबंधित हैं। इन पैराओं में उल्लिखित कुछ अनियमितताएं तो प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं और कुछ अधिकारियों से वसूली संबंधी है। प्रक्रियात्मक प्रकृति की अथवा परिस्थितियों द्वारा न्यायोचित, मान ली गई अनियमितताओं की संख्या तेरह है और उन्हें मंत्रालय द्वारा नियमित किए जाने की आवश्यकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शेष सात पैरा जिन्हें "अनियमिताताएं" मान लिया गया है, उन पैराओं को समायोजित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो वसूली द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ख) ऐसे लंबित पैराओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मंत्रालय ने प्रणाली को कारगर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि प्रक्रियात्मक प्रकृति की अनियमितताओं का परिहार किया जा सके। किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) भारतीय राजदूतावासों और हाईकमीशनों के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमों की समीक्षा की गई है/उनमें छूट दी गई है ताकि मिशनों के उत्तरदायित्वों और साथ ही साथ मुद्रास्फीति की स्थितियों तथा विनिमय दरों की बदलती जरूरतों को पूरा किया सके।

(ii) भारतीय राजदूतावासों और हाईकमीशनों में अभिभावी परिस्थितियों को देखते हुए बजट का पुन: आवंटन यथा बढ़े हुए चीजा कार्य के लिए स्टेशनरी की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए संवर्धित आवंटन किया गया है, सुरक्षा पर्यावरण में परिवर्तन और बढ़े हुए चीजा कार्य के लिए कर्मचारियों की अपेक्षाओं के लिए प्रावधान किया गया है, इत्यादि।

(iii) सामान्य तौर पर देखी गई प्रक्रियात्मक कमियों पर परिपत्र तथा दिशानिर्देश समय-समय पर सभी भारतीय राजदूतावासों और हाईकमीशनों में भेजे जाते हैं और भारतीय राजदूतावासों और हाईकमीशनों के प्रमुखों को ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

(iv) बजटीय नियंत्रण करने तथा रोकड़ प्रबंधन को नियमित करने के लिए मासिक आधार पर व्यय पर नजर रखने के लिए मंत्रालय ने एक तंत्र का गठन किया है।

(v) विदेशों में तैनाती पर जाने से पूर्व कार्मिकों को वित्तीय मामलों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन मामलों, जहां अनिमितताएं प्रक्रियात्मक प्रकृति की नहीं हैं, में संबंधित अधिकारियों से राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई की गई है/की जा रही है।

(च) उन मामलों में, जहां किया गया व्यय प्रक्रियात्मक प्रकृति का नहीं है, संबंधित अधिकारियों से राशि की वसूली करने के लिए उपचारी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों और हाईकमीशनों पर कुल व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2005 की रिपोर्ट संख्या 2

क्र. सं.	पैरा सं.	शीर्षक
1	2	3
1.	6.1	स्वतंत्र राजदूत के कार्यालय के सृजन पर परिहार्य व्यय 15.95 करोड़ रु.
2.	6.2	बाल शिक्षा योजना के अंतर्गत अग्राह्य मदों का पालन न करना 1.25 करोड़ रु.
3.	6.4	सिंगापुर में शोफर की अनियमित नियुक्ति - 56.48 लाख रु.
4.	6.6	आवास की लीज पर अप्राधिकृत और परिहार्य व्यय, न्यूयार्क 28.36 लाख रु.
5.	6.7	अतिरिक्त स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर अधिशेष खर्च, नैरोबी 22.27 लाख रु.
6.	6.8	न्यायिक कार्रवाई जिससे निरर्थक व्यय हुआ, दारस्सलाम 14.93 लाख रु.
7.	6.9	सरकारी धन की हानि, लंदन - 11.18 लाख रु.
8.	6.10	व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग, उलान बातर 10.89 लाख रु.
9.	6.11	रिक्त आवास पर परिहार्य व्यय, हमबर्ग - 10.72 लाख रु.
10.	6.12	प्रधान कॉंसल द्वारा अग्रिम को अवैध रूप से रोककर रखना, चेनकूवर 2.69 लाख रु.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2006 की रिपोर्ट संख्या 2

क्र. सं.	पैरा सं.	शीर्षक
1	2	3
11.	4.1.2	सुरक्षा गार्ड पर अप्राधिकृत व्यय, प्रीटोरिया - 1.31 करोड़ रु.
12.	4.1.3	कारों की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय - रियाद, माहे, जोहानसबर्ग 46.64 लाख रु.
13.	4.1.4	प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन में अप्राधिकृत व्यय लुआंडा, हरारे - 15.96 लाख रु.
14.	4.1.5	स्टेशनरी की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय, 14 मिशन, 1.35 करोड़ रु.
15.	4.1.6	उद्यान अनुदान का अप्राधिकृत और अतिरेक भुगतान जोहानसबर्ग, साना और माहे, 8.15 लाख रु.
16.	4.1.7	सेल फोन पर अप्राधिकृत व्यय - 6 मिशन, 13.49 लाख रु.
17.	4.1.8	सी ई ए के अंतर्गत अग्राह्य मदों की वसूली करने में असफलता - 9 मिशन, 15.08 लाख रु.
18.	4.2	आकस्मिक कर्मचारियों पर अप्राधिकृत व्यय - मिशन, 2.54 करोड़ रु.
19.	4.4	परिहार्य अतिरिक्त व्यय - पोर्ट मोर्सबी, सूवा और हेलसिंकी, 1.44 करोड़ रु.
20.	4.6	परिहार्य अतिरिक्त व्यय, हज शिष्टमण्डल, 24.50 लाख रु.

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए समिति

1151. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य लोगों की जानकारी के बिना उनके मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजना संभव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रौद्योगिकी के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) अन्य लोगों की जानकारी के बिना उनके मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजना केवल ब्राउजर इंटरफेस के माध्यम से ही संभव है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने के लिए समिति गठित की गई थी:-

(i) यह ज्ञात करना कि इस प्रकार से प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कैसे संभव है।

(ii) सामान्य एसएमएस सेवा को जारी रखते हुए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने संबंधी उपाय करना।

(iii) दूरसंचार सेवा प्रदाता की भूमिका।

(iv) कोई अन्य मुद्दे जिन पर समिति के सदस्य समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक समझते हों।

(ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सीडीएमए नेटवर्क का विस्तार

1152. श्री पी.एस. गड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सीडीएमए आधारित अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्पेक्ट्रम का उपयोग न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एमटीएनएल तथा बीएसएनएल से उपयोग न किए गए स्पेक्ट्रम को खाली करने का निदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। एमटीएनएल और बीएसएनएल अपने सीडीएमए आधारित नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं।

(ख) एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 4 लाख लाइनों की 2000 1x सीडीएमए नेटवर्क की संस्थापना कर रहा है जबकि बीएसएनएल में संस्थापनाधीन सीडीएमए उपस्कर की क्षमता 10,48,600 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एमटीएनएल को उन्हें आबंटित सीडीएमए कैरियरों को सुव्यवस्थित करने की सलाह दी गई है जिसके फलस्वरूप शेष सीडीएमए स्पेक्ट्रम को वापिस किए जाने की संभावना है। बीएसएनएल को उनके सेवा लाइसेंस करार के संगत प्रावधानों के अनुसार 2.5+ 2.5 मैगाहर्टज की प्रारंभिक सीडीएमए स्पेक्ट्रम ही आबंटित किया गया है। अतः, अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को खाली करने के लिए बीएसएनएल को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

1153. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का विचार देश के विभिन्न भागों विशेषकर तमिलनाडु में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) प्रशिक्षण केन्द्रों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) का शिमोगा (कर्नाटक) और मायीलादुथुराई (तमिलनाडु) में विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र, मंगला स्टेडियम, मंगलौर (कर्नाटक) और मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र), मगध विश्वविद्यालय, गया (बिहार) तथा रायपुर (छत्तीसगढ़) में विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र (एस.ए.जी.) स्थापित करने का विचार है।

इसके अतिरिक्त, नागरकोइल (तमिलनाडु) में उप-केन्द्र स्थापित करने का एक निर्णय लिया गया था जिस पर भूमि के प्रयोग के विनियमों से संबंधित कुछ मदों के कारण कार्य रुका हुआ है।

अवस्थापना को कार्य करने लायक बनाने के लिए समय-अनुसूची मुख्यत: भा.खे.प्रा. पर बिना ऋणभार डाले भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करती है; एस.टी.सी. के मामले में, छात्रावासों के लिए इमारतों को सौंपने; तथा समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने, जिसके बाद प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ रखने के लिए भा.खे.प्रा. को कार्रवाई करनी होती है। उपर्युक्त के अनुसार, अपेक्षित वास्तविक अवस्थापना पर कब्जा मिलने के बाद केन्द्र के चालू होने में लगभग 12-18 महीने लगते हैं।

हालांकि भा.खे.प्रा. को सौंपी गई अवस्थापना के स्थान और गणुवत्ता के आधार पर लागत में अंतर हो जाता है तथापि, वर्तमान आकलनों के अनुसार सामान्यत: लागत निम्नानुसार है:-

योजना	अनावर्ती लागत (रु. लाखों में)	आवर्ती लागत (रु. लाखों में)
एस.टी.सी.	10.00	28.27
एस.ए.जी.	760.00	28.27
उप-केन्द्र	2590.00	शिविरवासियों और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या पर निर्भर

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संबंधी रणनीति

1154. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी परमाणु ईंधन संसाधनों पर आधारित कोई परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संबंधी रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। देश में उपलब्ध थोरियम के विशाल भंडारों का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु करने के लिए एक त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम की परिकल्पना देश में परमाणु विद्युत कार्यक्रम की शुरुआत के समय से ही की गई है।

(ख) इस कार्यक्रम के तीन चरण हैं:-

- पहले चरण में, देश में उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित दाबित भारी पानी रिएक्टर, (पीएचडब्ल्यू आर)।
- दूसरे चरण में, प्लूटोनियम-यूरेनियम ईंधन चक्र का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)।
- तीसरे चरण में, अपने थोरियम के विशाल स्रोतों का उपयोग करने के लिए रिएक्टर।

इन तीनों चरणों का ईंधन चक्र संबंध महत्वपूर्ण है और इनसे क्रमवार गुजरना पड़ता है।

(ग) इस समय, कुल 3900 मेगावाट-ई क्षमता वाले 16 (14 दाबित भारी पानी रिएक्टर और दो क्वथन जल रिएक्टर) विद्युत रिएक्टर परिचालनरत हैं। इनके अतिरिक्त, चार दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर्ज) और दो साधारण जल रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर्ज) निर्माणाधीन हैं।

तमिलनाडु में कलपाक्कम नामक स्थान पर 500 मेगावाट-ई क्षमता के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) का निर्माण-कार्य शुरू करके दूसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है।

थोरियम का उपयोग बड़े पैमाने पर करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्श परियोजना की वर्तमान में लाइसेंस-पूर्व समीक्षा की जा रही है। थोरियम से निकाले गए यूरेनियम-233 पर चलने वाला एक छोटा अनुसंधान रिएक्टर 'कलपाक्कम मिनी रिएक्टर (कामिनी)' पहले से ही परिचालनरत है।

[हिन्दी]

परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी

1155. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु हिन्दी को परीक्षा का माध्यम बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर (भाषा के प्रश्न-पत्रों को छोड़कर) अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य भाषा में देने का विकल्प पहले ही मौजूद है।

कर्मचारी चयन आयोग ने वर्तमान वर्ष के दौरान मैट्रिक स्तर (मुख्य) परीक्षा के प्रश्न-पत्रों (भाषा के विशिष्ट प्रश्न-पत्रों को छोड़कर) का उत्तर अंग्रेजी के अतिरिक्त भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में दिया जा सकना निम्नानुसार शुरू किया है:-

(i) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' तथा आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के पदों के लिए "सामान्य अध्ययन" तथा "निबंध" के प्रश्न-पत्रों का उत्तर दिए जाने हेतु।

(ii) अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए "सामान्य अध्ययन" तथा 'अंकगणित' के प्रश्न-पत्रों का उत्तर दिए जाने हेतु।

एम.सी.एल. की परियोजनाओं में विलम्ब

1156. **श्री सुपकनी सरोज :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल. की कुछ परियोजनाओं में 10 वर्ष तक का विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में विलम्ब के कारण इनकी लागत में वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो कम्पनी को आज की तारीख तक कुल कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसमें 10 वर्षों तक का विलम्ब हुआ है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त प्रश्न (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

आग्रहन कार्यालयों में कथित कदाचार

1157. **श्री सुव्रत बोस :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देशभर के आग्रहन स्वीकृति कार्यालयों में चल रहे कथित कदाचार के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी बी आई तथा केन्द्रीय सतर्कता विभाग ने आग्रहन कार्यालयों विशेषकर केरल में तिरुअनंतपुरम तथा कोच्चि जाकर स्वयं कोई सत्यापन तथा जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) लंबित आवेदनों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार की योजना एस एस एल सी पास प्रमाण-पत्र धारकों को अपेक्षित आपात निरीक्षण प्रमुख से पृथक करने की है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ङ) उत्प्रवास संरक्षी के कुछ कार्यालयों जिनमें तिरुअनंतपुरम भी शामिल है, में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे हैं। मामलों की जांच विभिन्न स्तरों पर चल रही है। उत्प्रवास प्रक्रिया को कारगर बनाने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं ताकि इसे सरल और पारदर्शी बनाया जा सके, इनमें उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन शामिल है।

(च) और (छ) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत-बंगलादेश प्रत्यर्पण संधि

1158. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने प्रत्यर्पण संधि के लिए बंगलादेश को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलादेश भारत द्वारा भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस संधि पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है; और

(घ) दोनों देशों के लिए यह कितनी उपयोगी होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) प्रत्यर्पण संधि के पाठ का प्रारूप जून, 2003 में बंगलादेश की सरकार को भेजा गया था। बंगलादेश सरकार ने सूचित किया है कि उक्त प्रारूप की जांच की जा रही है और आश्वासन दिया कि वह अपनी प्रतिक्रिया शीघ्र भेजेगी।

(घ) बंगलादेश के साथ संपन्न की जाने वाली प्रत्यर्पण संधि से दोनों देशों को एक-दूसरे के भूक्षेत्र में सक्रिय/आश्रय लेने वाले वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय गलियारों पर कार्य पूरा किया जाना

1159. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गलियारों को पूर्ण करने से संबंधित कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है अथवा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भूमि अर्जन के अभाव में रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितना कार्य किया जाना शेष है तथा इसके क्या कारण हैं

(ग) इससे लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई है; और

(घ) कार्य में तेजी लाने तथा इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण स्वीकृति आदि में समस्याओं के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। अधिक लागत, यदि कोई है, का पता परियोजनाओं के पूरे होने के बाद ही चल पाएगा।

(घ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एन एच ए आई परियोजनाओं का विवरण

(30-06-2006 की स्थिति के अनुसार)

उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं

परियोजना	कुल लंबाई	पूर्ण/4 लेन	कार्यान्वय-नाधीन	शेष
1	2	3	4	5
स्वर्णिम चतुर्भुज	754	556	199	0

1	2	3	4	5
उत्तर-दक्षिण	201	23	149	29
पूर्व-पश्चिम	653	52	601	0
पत्तन संपर्क	0	0	0	0
अन्य	149	57	92	0
एनएचडीपी चरण IIIक	266	0	199	67
एनएचडीपी चरण IIIख	352	डी पी आर कार्य चल रहा है		

मध्य प्रदेश में परियोजनाएं

परियोजना	कुल लंबाई	पूर्ण/4 लेन	कार्यान्वय-नाधीन	शेष
स्वर्णिम चतुर्भुज	0	0	0	0
उत्तर-दक्षिण	536	42	436	59
पूर्व-पश्चिम	118	0	118	0
पत्तन संपर्क	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	0
एनएचडीपी चरण IIIक	94	0	94	0
एनएचडीपी चरण IIIख	707	398 - डी पी आर कार्य चल रहा है 309 - डी पी आर निविदा आमंत्रित की जानी है		

विवरण-II

परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय

परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकॉन इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) नॉन-पर्फोमिंग ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए रिटैंशन मनी जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) की वसूली

स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाण-पत्र (आई पी सी) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

अस्पताल सेवाओं में सुधार

1160. श्री ब्रजेश पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की स्थिति के अनुसार अस्पतालों में सेवाओं में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ चालू पंचवर्षीय योजना में राज्यों को और धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राज्य के सरकारी अस्पतालों (अभिघात परिचर्या केंद्र) में आपातकालीन सेवाओं की उन्नयन संबंधी स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (1.4.2003 से आज तक) के दौरान 116 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से उन 44 अस्पतालों को अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है जिन्हें स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त पाया गया था।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस स्कीम के लिए 110 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान है और इस आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क की स्थापना

1161. श्री वसुभाई भलाभाई चारड : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000+ इंटरनेट समर्थित आम सेवा केन्द्रों की भूमिका की सुविधा को बनाने के वातावरण की एक प्रारूप योजना तैयार की है। ये केन्द्र जनता के पास तक सरकारी और अन्य निजी सेवाओं को एक मिश्रित रूप में प्रदान करने की संभावना है और इससे ग्रामीण जनता इंटरनेट की कार्य प्रणाली कर पाएगी।

(ग) इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

समुद्रीय पर्यटन पोत-परिवहन नीति

1162. श्री मित्रसेन यादव :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई समुद्रीय पर्यटन पोत-परिवहन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोत-परिवहन द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार समिति ने पर्यटन-मंत्रालय के साथ परामर्श करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में समुद्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है अथवा उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत में समुद्री परिभ्रमण की वृद्धि एवं विकास के उत्प्रेरण तथा समुद्री परिभ्रमण की एक नीति निर्धारित करने की दृष्टि से, माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता तथा माननीया पर्यटन-मंत्री की सह अध्यक्षता में क उच्चाधिकार प्राप्त कार्य-संचालन-दल (एच पी एस जी) गठित कर दिया गया है। उपर्युक्त कार्य-संचालन-दल, भारत-सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ, राज्य-सरकारों से भी समन्वयन करेगा और उपर्युक्त नीति निर्धारित किए जाने के प्रयोजन से विचार-विमर्श का संचालन/मार्गदर्शन करेगा।

(ङ) भारत में समुद्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं:-

(i) दिसंबर 2003 से 5 वर्षों की अवधि के लिए समुद्री परिभ्रमण-पोतों के लिए तट-व्यापार में छूट दी गई है।

(ii) घाट को किराए पर लेने, पॉयलटेज आदि सहित जलयान से संबद्ध शुल्कों में 50% तक की छूट दी गई है।

(iii) मुंबई, मुरगांव, नवमंगलूर, कोचीन, तूतीकोरिन और चेन्नई में अवस्थित पत्तनों को भारतीय समुद्री परिभ्रमण परिपथ के भाग के रूप में नियोजित किया जा रहा है।

(iv) पर्यटकों द्वारा बाधा-रहित यात्रा सुकर बनाने की दृष्टि से पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया जा रहा है।

(v) समुद्री परिभ्रमण-संचालक, मैसर्स ओशन क्रूजिज इंडिया प्रा. लि. को कोचीन के रास्ते गोवा से लक्षद्वीप तक समुद्री परिभ्रमण संचालित किए जाने की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार, समुद्री परिभ्रमण संचालक, मैसर्स स्टार क्रूजिज का मुंबई से लक्षद्वीप (कदमत द्वीप) तक और मुंबई से गोवा तक समुद्री परिभ्रमण संचालित किए जाने की अनुमति दे दी गई है।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम में मोबाइल फोन निर्माण फैक्टरी की स्थापना

1163. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के गांधीनगर जिले में निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम में मोबाइल फोन निर्माण फैक्टरी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान गुजरात के जामनगर तथा पोरबंदर जिलों के लिए कितने मोबाइल टेलीफोन टावर संस्वीकृत किए गए हैं;

(ङ) इन जिलों में इनमें से अब तक कितने टावर लगाए गए हैं;

(च) शेष टावर कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीतियों के अनुसार, दूरसंचार संबंधी उपस्करों की विनिर्माणकारी इकाई लगाने के लिए किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत में कहीं भी दूरसंचार उपस्कर विनिर्माणकारी इकाइयां (मोबाइल फोन सहित) लगाने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति है। भारत सरकार इन पहल कार्यों के लिए किसी प्रकार की इक्विटी भागीदारी प्रदान नहीं करती।

(घ) और (ङ) सरकार किसी प्रकार के मोबाइल टेलीफोन टावरों की मंजूरी प्रदान नहीं करती तथा प्रचालक अपनी व्यावसायिक योजना के आधार पर उक्त टॉवरों की संस्थापना करते हैं। मोबाइल टेलीफोन

सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रचालकों को केवल लाइसेंस जारी किए जाते हैं। सरकार निजी प्रचालकों द्वारा संस्थापित टॉवरों के आंकड़े नहीं रखती। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

जिला/वर्ष	जामनगर			पोरबंदर		
	योजनागत	संस्थापित	शेष	योजनागत	संस्थापित	शेष
2004-05	16	16	0	1	1	0
2005-06	60	1	59	19	0	19

(च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) वर्ष 2006-07 के अंत तक शेष टॉवरों की संस्थापना करेगा।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1164. **श्री रघुनाथ झा** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने डाकघरों में बचत बैंक प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण हेतु संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार कुल कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं तथा संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर की शुरुआत के बाद कितने डाकघर कंप्यूटरीकृत किए गए हैं;

(ग) क्या संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में उपभोक्ता अनुकूल विशेषताएं नहीं हैं जैसे एक बचत योजना से दूसरी बचत योजना में धनराशि का आटोमेटिक हस्तांतरण आदि;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अपने सभी डाकघरों में बैंकिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार 1,55,516 डाकघर हैं। 445 कंप्यूटरीकृत विभागीय डाकघरों में संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में एक बचत योजना से दूसरी बचत योजना के लिए धनराशि के स्वत: हस्तांतरण जैसी ग्राहकोनुकूल विशेषताओं का प्रावधान है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कंप्यूटरीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। डाकघरों में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, प्रगामी तौर पर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर लगाया जाता है।

स्वैच्छिक रक्त दान

1165. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में स्वैच्छिक रक्त दाता काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 2005 के दौरान देश

में स्वैच्छिक रक्त संग्रह का अनुपात 51.9% था। तथापि, कुछ राज्यों जैसे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) ने स्वैच्छिक रक्त संग्रह में अत्यधिक अच्छा कार्य किया है। वर्ष 2005 के दौरान स्वैच्छिक रक्त संग्रह का राजयवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप कर रहा है:-

(i) संलग्न विवरण-II के अनुसार 2006-07 के दौरान देश में 45000 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करना। प्रत्येक शिविर को न्यूनतम 100 यूनिट रक्त का संग्रह करना है, तथा

(ii) युवाओं को अभिप्रेरित करने के लिए हिमायती कार्यशालाएं तथा जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना और इसके द्वारा उन्हें स्वैच्छिक रक्त दाताओं के रूप में भर्ती करना एवं रखना।

विवरण-I

वर्ष 2005 के दौरान एकत्र किए गए राज्यवार कुल रक्त यूनिट

क्र. सं.	राज्य	कुल रक्त संग्रह	स्वैच्छिक	%	प्रतिस्थापन	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद एमएसीएस	115295	74912	64.97	40383	35.03
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3906	2877	73.66	1029	26.34
3.	आंध्र प्रदेश	373105	189127	50.69	183978	49.31
4.	अरुणाचल प्रदेश	1486	1342	90.31	144	9.69
5.	असम	71178	32333	45.43	38845	54.57
6.	बिहार	47622	12100	25.41	35522	74.59
7.	चण्डीगढ़	54138	39144	72.3	14994	27.7
8.	चेन्नई एमएसीएस	111496	99329	89.09	12167	10.91
9.	छतीसगढ़	27945	8004	28.64	19941	71.36
10.	दादरा और नगर हवेली	2218	2218	100	0	0
11.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
12.	दिल्ली	292348	77580	26.54	214768	73.46
13.	गोवा	8276	4231	51.12	4045	48.88

1	2	3	4	5	6	7
14.	गुजरात	500204	317338	63.44	182866	36.56
15.	हरियाणा	125229	40707	32.51	84522	67.49
16.	हिमाचल प्रदेश	15390	9680	62.9	5710	37.1
17.	जम्मू व कश्मीर	38778	7861	20.27	30917	79.73
18.	झारखंड	60672	15993	26.36	44679	73.64
19.	कर्नाटक	356656	184796	51.81	171860	48.19
20.	केरल	161036	64838	40.26	96198	59.74
21.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
22.	मध्य प्रदेश	174606	66430	38.05	108176	61.95
23.	महाराष्ट्र	220523	187508	85.03	33015	14.97
24.	मणिपुर	14731	1454	9.87	13277	90.13
25.	मेघालय	3174	327	10.3	2847	89.7
26.	मिजोरम	12241	7277	59.45	4964	40.55
27.	मुम्बई एमएसीएस	174345	90928	52.15	83417	47.85
28.	नागालैण्ड	1672	583	34.87	1089	65.13
29.	उड़ीसा	156193	84964	54.4	71229	45.6
30.	पांडिचेरी	12823	5780	45.08	7043	54.92
31.	पंजाब	203325	35780	17.6	167545	82.4
32.	राजस्थान	153262	35258	23.01	118004	76.99
33.	सिक्किम	1218	375	30.79	843	69.21
34.	तमिलनाडु	153120	111262	72.66	41858	27.34
35.	त्रिपुरा	17174	12070	70.28	5104	29.72
36.	उत्तर प्रदेश	311818	74503	23.89	237315	76.11

1	2	3	4	5	6	7
37.	उत्तरांचल	29271	4043	13.81	25228	86.19
38.	पश्चिम बंगाल	510465	441177	86.43	69288	13.57
	कुल	4516939	2344129	51.9	2172810	48.1

मोटे अक्षरों में लिखे गए राज्य : उच्च निष्पादन करने वाले राज्य (>60% स्वैच्छिक)

मोटे अक्षरों - इटालिक में लिखे गए राज्य : मध्यम निष्पादन करने वाले राज्य (45-60% स्वैच्छिक के बीच)

सामान्य ढंग से लिखे गए राज्य : निम्न निष्पादन करने वाले राज्य (<35% स्वैच्छिक)

विवरण-II

वर्ष 2006-07 के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए राज्यवार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावित स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद एमएसीएस	500
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30
3.	आंध्र प्रदेश	4000
4.	अरुणाचल प्रदेश	50
5.	असम	500
6.	बिहार	650
7.	चण्डीगढ़	250
8.	चेन्नई एमएसीएस	750
9.	छत्तीसगढ़	500
10.	दादरा और नगर हवेली	50
11.	दमन और दीव	25
12.	दिल्ली	1000
13.	गोवा	100
14.	गुजरात	5300
15.	हरियाणा	950
16.	हिमाचल प्रदेश	200
17.	जम्मू व कश्मीर	200
18.	झारखंड	1900
19.	कर्नाटक	3000
20.	केरल	1000
21.	लक्षद्वीप	20
22.	मध्य प्रदेश	3500
23.	महाराष्ट्र	5000
24.	मणिपुर	125
25.	मेघालय	100

1	2	3
26.	मिजोरम	100
27.	मुम्बई एमएसीएस	1000
28.	नागालैण्ड	200
29.	उड़ीसा	1200
30.	पांडिचेरी	400
31.	पंजाब	750
32.	राजस्थान	1500
33.	सिक्किम	25
34.	तमिलनाडु	2000
35.	त्रिपुरा	25
36.	उत्तर प्रदेश	2500
37.	उत्तरांचल	600
38.	पश्चिम बंगाल	5000
	कुल	45000

एड्स/एच आई वी पर एन सी ए ई आर का सर्वेक्षण

1166. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में एच आई वी से पीड़ित लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गई, 29 प्रतिशत को ऋण नहीं दिए तथा 20 प्रतिशत को लाभ नहीं दिए गए और इनमें से एक बड़ी संख्या को या तो नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेने के लिए बाध्य किया गया है जैसा कि दिनांक 21 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार एच आई वी पाजिटिव कुल 2385 लोगों से बात करने पर पता चला कि उनमें से 1152 नौकरी करते थे। 300 लोगों, जिन्होंने अपना एच आई वी स्टेट्स बताया था, में से 31 व्यक्तियों ने कार्य स्थल पर भेदभाव सूचित किया। इन 31 व्यक्तियों में से 9 लोगों को प्रोन्नति और ऋण सुविधा नहीं दी गई, 6 लोगों को लाभ नहीं दिए गए और 3 लोगों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर किया गया।

(ग) और (घ) सरकार कार्य स्थल पर एच आई वी पाजिटिव लोगों से भेदभाव नहीं करने को बढ़ावा देती है। निर्धारित नीति यह है कि सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर रोजगार प्रदान करने के लिए और रोजगार के दौरान स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई भी अनिवार्य एच आई वी जांच पूर्व-शर्त के रूप में थोपी नहीं जानी चाहिए। नाको ने सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को कार्यस्थल नीति सिद्धांत जारी किए हैं जिसमें उनको इस संबंध में नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है।

सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को यह सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य में उपचार प्रयोजन के लिए सरकार अस्पतालों में आने वाले एच आई वी पाजिटिव रोगियों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए।

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सर्विस

1167. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सर्विस देश के कुछ ही डाकघरों (पीओ)/स्पीड पोस्ट केन्द्रों (एसपीसी) पर ही उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी सेवा को प्रदान करने वाले डाकघरों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य डाकघरों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों में इन सेवाओं को प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान देश में प्रदान किए जाने वाली ऐसी सेवा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले देश के डाकघरों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और यह व्यावसायिक हितों और प्रचालनात्मक व्यवहार्यता पर आधारित है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	डाकघर/स्पीड पोस्ट केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. विशाखापट्टनम राष्ट्रीय एसपीसी
		2. हैदराबाद, प्रधान डाकघर
		3. खैरताबाद, प्रधान डाकघर
		4. सिकंदराबाद, प्रधान डाकघर
		5. हुमायूंनगर, प्रधान डाकघर
		6. जुबली हिल्स, प्रधान डाकघर
2.	असम	1. गुवाहाटी, एसपीसी
		2. सिलचर, एसपीसी
		3. डिब्रूगढ़, एसपीसी
		4. जोरहाट, एसपीसी
3.	अरुणाचल प्रदेश	1. इटानगर
4.	बिहार	1. पटना, जीपीओ
		2. मुजफ्फरपुर, प्रधान डाकघर
5.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर
6.	दिल्ली	1. एसपीसी मार्केट रोड, नई दिल्ली
		2. दिल्ली, जीपीओ
		3. कृष्णानगर, प्रधान डाकघर दिल्ली-51
		4. अशोक विहार, प्रधान डाकघर
		5. रमेश नगर, प्रधान डाकघर
		6. कालकाजी
7.	गोवा	1. वासको द गामा एसजी
8.	गुजरात	1. आश्रम रोड एसपीसी, अहमदाबाद
		2. वडोदरा, प्रधान डाकघर
		3. सूरत, प्रधान डाकघर
		4. राजकोट, प्रधान डाकघर
		5. अहमदाबाद, प्रधान डाकघर
		6. नवरंगपुर, प्रधान डाकघर
		7. रेवडी बाजार, प्रधान डाकघर
		8. नानपुरा, प्रधान डाकघर
9.	हरियाणा	1. अंबाला, जीपीओ
		2. गुड़गांव, प्रधान डाकघर
		3. फरीदाबाद, प्रधान डाकघर

1	2	3
		4. कुरुक्षेत्र, प्रधान डाकघर
		5. करनाल, प्रधान डाकघर
		6. पानीपत, प्रधान डाकघर
10.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला, जीपीओ
		2. धर्मशाला, प्रधान डाकघर
		3. हमीरपुर, प्रधान डाकघर
		4. सोलन, प्रधान डाकघर
		5. मंडी, प्रधान डाकघर
11.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू, प्रधान डाकघर
		2. श्रीनगर, प्रधान डाकघर
12.	झारखंड	1. रांची, प्रधान डाकघर
		2. धनबाद, प्रधान डाकघर
		3. जमशेदपुर, प्रधान डाकघर
13.	कर्नाटक	1. बागलकोट, एसपीसी
		2. बेलगांव, एसपीसी
		3. बेलारी, एसपीसी
		4. बीदर, एसपीसी
		5. बीजापुर, एसपीसी
		6. गडग, एसपीसी
		7. गुलबर्ग, एसपीसी
		8. हवेरी, एसपीसी
		9. रायचूर, एसपीसी
		10. सिरसी, एसपीसी
		11. चिकमंगलूर, एसपीसी
		12. दावनगेरे, एसपीसी
		13. चित्रदुर्ग, एसपीसी
		14. हासन, एसपीसी
		15. मडीकेरी, एसपीसी
		16. हुबली, एसपीसी
		17. कोलार, एसपीसी
		18. मांडया, एसपीसी
		19. मैंगलूर, एसपीसी
		20. उडुपी, एसपीसी
		21. साइंस इंस्टिटयूट, बेंगलूर
		22. बसवनगुड़ी, प्रधान डाकघर
		23. मैसर, एसपीसी
		24. करवार, एसपीसी
		25. शिमोगा, एसपीसी
		26. टुमकूर, एसपीसी
		27. कामराज नगर, एसपीसी
		28. बेंगलूर, एसपीसी
		29. बडकल, एसपीसी
		30. यादगिरी, एसपीसी
14.	केरल	1. त्रिवेंद्रम, एसपीसी

1	2	3
		2. कोल्लम, एसपीसी
		3. तिरुवल्ला, एसपीसी
		4. कोट्टयम, एसपीसी
		5. एरणाकुल, एसपीसी
		6. आलुवा, एसपीसी
		7. त्रिशूर, एसपीसी
		8. कोच्चि, एसपीसी
15.	महाराष्ट्र	1. मुंबई, जीपीओ
		2. अंधेरी, प्रधान डाकघर
		3. ठाणे, प्रधान डाकघर
		4. पुणे, जीपीओ
		5. शिवाजी, प्रधान डाकघर
		6. एसपीसी नासिक
		7. नागपुर, जीपीओ
		8. औरंगाबाद, एसपीसी
16.	मध्य प्रदेश	1. सीटीटी भोपाल
		2. जीपीओ भोपाल
		3. रविशंकर नगर भोपाल पीओ
		4. भेल पीओ, भोपाल
		5. इंदौर, जीपीओ
		6. उज्जैन, प्रधान डाकघर
		7. ग्वालियर, प्रधान डाकघर
		8. इंदौर सिटी, प्रधान डाकघर
17.	मेघालय	1. शिलांग
18.	मणिपुर	1. इंफाल
19	मिजोरम	1. एजल
20.	नागालैंड	1. दीमापुर
		2. कोहिमा
21.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर, जीपीओ
		2. कटक, जीपीओ
		3. पुरी, प्रधान डाकघर
		4. बालासोर, प्रधान डाकघर
		5. भद्रक, प्रधान डाकघर
		6. बारपेटा, प्रधान डाकघर
		7. चांदनी चौक, प्रधान डाकघर
		8. खुर्दा, प्रधान डाकघर
		9. नयागढ़, प्रधान डाकघर
		10. कौंद्रपाडा, प्रधान डाकघर
		11. जगतसिंहपुर, प्रधान डाकघर
		12. जाजपुर, प्रधान डाकघर
		13. अठगढ, प्रधान डाकघर
		14. जलेश्वर, प्रधान डाकघर
		15. रायरंगपुर, प्रधान डाकघर
		16. जलेश्वर, प्रधान डाकघर

1	2	3
		17. बहरामपुर, प्रधान डाकघर
		18. पुलबनी, प्रधान डाकघर
		19. भवानीपटना, प्रधान डाकघर
		20. असका, प्रधान डाकघर
		21. भंजनगर, प्रधान डाकघर
		22. जयपुर, प्रधान डाकघर
		23. कोरापुट, प्रधान डाकघर
		24. रायगढ़, प्रधान डाकघर
		25. छत्रपुर, प्रधान डाकघर
		26. पार्लक मुंडी, प्रधान डाकघर
		27. झारसूगोडा, प्रधान डाकघर
		28. संबलपुर, प्रधान डाकघर
		29. बर्मोझार, प्रधान डाकघर
		30. धेंकनाल, प्रधान डाकघर
		31. अंगुल, प्रधान डाकघर
		32. बुलंगीर, प्रधान डाकघर
		33. सुंदरगढ़, प्रधान डाकघर
		34. राऊरकेला, प्रधान डाकघर
		35. उदितनगर, प्रधान डाकघर
		36. बारीपद, प्रधान डाकघर
		37. रायरंग, प्रधान डाकघर
		38. जाजपुर, प्रधान डाकघर
		39. नवपाड़ा, प्रधान डाकघर
		40. बोधराज, प्रधान डाकघर
		41. नवरंग, प्रधान डाकघर
22.	पंजाब	1. चंडीगढ़, एसपीसी (संघ शासित क्षेत्र)
		2. लुधियाना, एसपीसी
		3. जालंधर, एसपीसी
		4. अमृतसर, एसपीसी
		5. भंटिडा, एसपीसी
		6. बटाला, एसपीसी
		7. फिरोजपुर, एसपीसी
		8. फरीदकोट, एसपीसी
		9. गुरदासपुर, एसपीसी
		10. होशियारपुर, एसपीसी
		11. कपूरथला, एसपीसी
		12. सरहिन्द, एसपीसी
		13. नवाशहर, एसपीसी
		14. मोगा, एसपीसी
		15. फगवाड़ा, एसपीसी
		16. रोपड़, एसपीसी
		17. राजपुरा, एसपीसी
		18. संगरूर, एसपीसी
		19. पटियाला, एसपीसी

1	2	3
		20. मानसा, एसपीसी
		21. मुक्तसर, एसपीसी
23.	राजस्थान	1. जयपुर, प्रधान डाकघर
		2. अजमेर, प्रधान डाकघर
		3. जोधपुर, प्रधान डाकघर
		4. उदयपुर, प्रधान डाकघर
24.	त्रिपुरा	1. अगरतला, प्रधान डाकघर
25.	तमिलनाडु	1. चेन्नई, एसपीसी
		2. अण्णा रोड, प्रधान डाकघर
		3. ट्रिप्लिकेन, उप डाकघर
		4. आईआईटी, डाकघर
		5. वडपलनी, डाकघर
		6. अण्ण नगर, डाकघर
		7. पार्क टाउन, प्रधान डाकघर
		8. टी नगर, प्रधान डाकघर
		9. मइलापुर, प्रधान डाकघर
		10. चेन्नई जीपीओ
		11. सेंट थोमस माउंट, प्रधान डाकघर
		12. अडयार, डाकघर
		13. ताम्बरम, डाकघर
		14. चिरुचापल्ली
		15. कारूर
		16. मदुरै
		17. तूतिकोरिन
		18. नागरकोविल
		19. पांडिचेरी, प्रधान डाकघर (संघ शासित क्षेत्र)
26.	उत्तरांचल	1. देहरादून, प्रधान डाकघर
		2. हल्द्वानी, प्रधान डाकघर
		3. रूड़की, प्रधान डाकघर
		4. कोटद्वार, प्रधान डाकघर
27.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ, जीपीओ
		2. बरेली, एसपीसी
		3. कानपुर, एसपीसी
		4. गोरखपुर
		5. एसपीसी, गाजियाबाद
		6. नोएडा, एसपीसी
		7. मेरठ, एसपीसी
		8. इलाहाबाद, एसपीसी
		9. वाराणसी, एसपीसी
		10. मुरादाबाद, एसपीसी
		11. सहारनपुर, एसपीसी
		12. आगरा, प्रधान डाकघर
28.	पश्चिम बंगाल	1. कोलकाता, जीपीओ

1	2	3
		2. बीडन स्ट्रीट, डाकघर
		3. बीएनसीसी, एसपीसी
		4. एस बी रोड, डाकघर
		5. अलीपुर, प्रधान डाकघर
		6. सिलीगुड़ी, प्रधान डाकघर
		7. खड्गपुर, प्रधान डाकघर
29.	सिक्किम	1. गंगटोक, प्रधान डाकघर

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द किया जाना

1168. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी कंपनियों तथा राज्य बिजली बोर्डों को रक्षित कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने आबंटन रद्द किए जाने की संभावना है तथा किन-किन कंपनियों के आबंटन रद्द किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विद्युत संकट को देखते हुए सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों को कुछ रियायत देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) किसी कंपनी के पक्ष में कोयला ब्लॉक के आबंटन संबंधी पत्र के नियमों व शर्तों के अनुसार, अन्त्य उपयोग संयंत्र के कार्यान्वयन और कोयला परियोजना के विकास में असंतोषजनक प्रगति के लिए तथा आबंटन की शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन के लिए ब्लॉक रद्द किया जा सकता है।

(ग) केप्टिव खनन के लिए तीन कोयला ब्लॉक, जिनमें से एक-एक मैसर्स कलिंग पावर कारपोरेशन लि., मैसर्स वीडियोकॉन पावर लि. और मैसर्स लॉयड मेटल्स एंड इंजीनियरिंग लि. को आबंटित किया गया था, अन्त्य-उपयोग संयंत्र के कार्यान्वयन और केप्टिव खान के विकास में असंतोषजनक प्रगति के लिए वि-आबंटित कर दिए गए। साथ ही, मैसर्स सेंट्रल कोलियरीज कंपनी लि. के पक्ष में केप्टिव ब्लॉक के लिए दिया गया पट्टा केप्टिव उपयोग की शर्त के उल्लंघन के कारण निरस्त घोषित कर दिया गया।

(घ) और (ङ) कोयला ब्लॉक के आबंटन के मामले में, विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता देने का निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है।

[अनुवाद]

अंतर-राज्यीय सड़कों के लिए निधियां

1169. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री अनन्त नायक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अंतर-राज्यीय तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसी सड़कों को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित तथा संस्वीकृति की गई; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इन सड़कों को पूरा करने के संबंध में कितनी प्रगति की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) अंतर-राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नाम की कोई सड़कें नहीं हैं। तथापि, सरकार केंद्र

द्वारा प्रायोजित 'आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय संपर्क' स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए प्रस्ताव मंजूर करती है। सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित अंतर-राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़क/पुल परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास कार्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लिए जाते हैं और परियोजना के कार्य चरणबद्ध रूप में पूरे किए जाते हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान इस स्कीम के लिए क्रमशः 170.59 करोड़ रुपए और 170.61 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। वर्ष 2005-06 के दौरान 86.09 करोड़ रुपए जारी किए गए थे तथा वर्ष 2006-07 के लिए अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(घ) आज की तारीख तक इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित 65 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। जबकि इतनी ही परियोजनाएं प्रगति पर हैं। शेष प्रस्ताव मंजूरी और निविदाओं के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित राज्यवार सड़क/पुल परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	58.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	40.43
3.	असम	16	31.13
4.	बिहार	3	15.47
5.	छत्तीसगढ़	4	35.37
6.	गोवा	1	0.33
7.	गुजरात	37	71.40
8.	हरियाणा	6	35.02
9.	हिमाचल प्रदेश	7	31.07
10.	जम्मू और कश्मीर	7	15.98
11.	झारखंड	2	19.00
12.	कर्नाटक	16	116.99
13.	केरल	1	13.00
14.	मध्य प्रदेश	11	31.62
15.	महाराष्ट्र	23	52.47
16.	मणिपुर	3	39.98
17.	मेघालय	3	16.00
18.	मिजोरम	5	45.66
19.	नागालैंड	8	109.83
20.	उड़ीसा	13	70.96
21.	पंजाब	5	24.37
22.	राजस्थान	13	36.55
23.	सिक्किम	8	70.84
24.	तमिलनाडु	5	20.78
25.	त्रिपुरा	5	21.66
26.	उत्तरांचल	8	77.51
27.	उत्तर प्रदेश	8	59.96
28.	पश्चिम बंगाल	3	45.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00

1	2	3	4
30.	चंडीगढ़	3	8.55
31.	दादरा एवं नगर हवेली	5	7.90
32.	दमन और दीव	2	8.66

राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम

1170. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत और टीके शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक शुरू किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। बैसिली काल्मेट-गुअेरीन (बी सी जी), (डिप्थीरिया, पर्टयूसिस, टिटनेस) डी पी टी, (ओरल पोलियो वैक्सीन), ओ पी वी और खसरा वैक्सीन राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। निम्नलिखित वैक्सीनें शुरू की जाने की कार्रवाई चल रही है:-

(i) वर्ष 2002-06 में 15 शहरों और 33 जिलों में प्रायोगिक आधार पर हैपाटाइटिस-बी वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा डी पी टी बूस्टर खुराक के मूल्यांकित सर्वेक्षण के आधार पर 11 बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों तक इसका विस्तार किया जाए तथा यह कार्य इसी वर्ष की अंतिम तिमाही तक शुरू होने की संभावना है।

(ii) चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम) में उच्च जोखिम वाले 11 जिलों में जे ई वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है और इसके बाद इन्हीं जिलों में सामान्य टीकाकरण में जे ई वैक्सीन को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

1171. **श्री सुग्रीव सिंह** :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम की प्रगति तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम महंगाई, सरकारी व्यय कम करने तथा अल्पसंख्यक कार्यक्रम में मुद्दों पर घरेलू मोर्चे पर अपने वादे पूरे करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा प्रकाशित "रिपोर्ट टू द पीपल 2004-2006" में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) की प्रगति तथा उपलब्धियां शामिल हैं। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट (www.pmindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकार की प्रतिबद्धता की सामान्य रूपरेखा दी गई है तथा विशेष अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से उद्भूत कार्रवाई के सभी बिंदुओं का संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित प्रबोधन किया जा रहा है तथा भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार ये समय-समय पर मंत्रिमंडल और उसकी समितियों के समक्ष भी विचारार्थ आते हैं।

शिक्षा में ग्रामर प्रणाली

1172. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने शिक्षा में वाउचर प्रणाली को दोहराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इस संबंध में शैक्षिक संस्थानों और विशेषज्ञों सहित आम व्यक्ति की राय ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र इस समय योजना आयोग में तैयार किया जा रहा है। शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के क्षेत्र में कई सुझाव दिए जा रहे हैं, इनमें से एक सुझाव विद्यालयों में वाउचर प्रणाली लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में है। एक विचार यह व्यक्त किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा में वाउचर स्कीमें समानता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती हैं जहां पर्याप्त निजी आपूर्ति विद्यमान हो बशर्ते कि वे आर्थिक जरूरत में छात्रों को नि:शुल्कता देने के लिए निजी स्कूलों पर सुनिश्चित अपेक्षाओं से जुड़े हों।

वर्तमान में वाउचर प्रणाली के गुण-दोषों पर गंभीरता से चर्चा की जा रही हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र में वाउचर प्रणाली को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू करने की संभावना की भी इस अवधारणा के परीक्षण हेतु जांच की जा ही है। विभिन्न संगठनों से वाउचर प्रणाली के संबंध में कुछ साहित्य प्राप्त हुआ है। योजना आयोग द्वारा वाउचर प्रणाली पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा में सड़कों का उन्नयन

1173. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के सहयोग से उड़ीसा में राज्य की कुछ सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राज्यीय सड़कों का विकास करना मूल रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करके ऐसी सड़कों के विकास के लिए कार्रवाई की जाती है। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर लगभग 553 किलोमीटर की कुल लंबाई को चार लेन का बनाने की परिकल्पना की गई है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी प्रगति पर है। इसमें से, एन एच डी पी-IIIक में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (चंडीखोल, धुबरी-तलचर खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-क्योंझर-रॉक्सी-राजामुंडा सड़क) के लगभग 406 किलोमीटर का कार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य पूरा होने पर दिसंबर, 2006 तक सौंपे जाने का लक्ष्य है और इसके दिसंबर, 2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-बाड़गढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (भुवनेश्वर-पुरी सड़क) के लगभग 147 किलोमीटर की शेष लंबाई एन एच डी पी-IIIख में शामिल है तथा सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य को अनुमोदित किया है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के पूरा होने पर ही आबंटित की जाने वाली निधियों के बारे में पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति वाले शैक्षिक संस्थान

1174. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन संस्थानों में कितने छात्रों को प्रवेश मिला हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रत्येक वर्ष आयुर्वेदाचार्य (बीएएमएस)/कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बीयूएमएस) और सिद्ध मरुतुवा अरिग्नार (बीएसएमएस) पाठ्यक्रम की प्रथम वृत्ति और आयुर्वेद वाचस्पति [एमडी (आयुर्वेद)], माहिर-ए-तिब्ब-ओ-जराहत [एमडी (यूनानी)] तथा सिद्ध मरुतुवा पेरिग्नार [एमडी (सिद्ध)] स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं साढ़े पांच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक (बीएनवाईएस) में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

स्नातकपूर्व

आयुर्वेदाचार्य (बीएएमएस)	9875
कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बीयूएमएस)	1525
सिद्ध मरुतुवा अरिग्नार (बीएसएमएस)	320
प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक (बीएनवाईएस)	385

स्नातकोत्तर

एम डी (आयुर्वेद)	880
एम डी (यूनानी)	73
एम डी (सिद्ध)	110

विवरण

31.03.2006 के अनुसार भारित कॉलेजों का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योग व प्रा. चिकित्सा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4	2	0	1	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	1	0	0	0	1
4.	बिहार	11	4	0	0	15
5.	छत्तीसगढ़	2	1	0	1	4
6.	दिल्ली	1	2	0	0	3
7.	गोवा	1	0	0	0	1
8.	गुजरात	10	0	0	1	11
9.	हरियाणा	6	0	0	0	6

1	2	3	4	5	6	7
10.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1
11.	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	0	3
12.	झारखंड	1	0	0	0	1
13.	कर्नाटक	50	5	0	3	58
14.	केरल	12	0	1	0	13
15.	मध्य प्रदेश	14	4	0	0	18
16.	महाराष्ट्र	57	5	0	0	62
17.	उड़ीसा	6	0	0	0	6
18.	पंजाब	11	0	0	0	11
19.	राजस्थान	6	2	0	0	8
20.	तमिलनाडु	6	1	6	4	17
21.	उत्तरांचल	3	0	0	0	3
22.	उत्तर प्रदेश	14	9	0	0	23
23.	पश्चिम बंगाल	3	1	0	0	4
24.	चण्डीगढ़	1	0	0	0	1
	योग	222	38	7	10	277

*साढ़े पांच वर्षीय बी.एन.वाई.एस. व्यावसायिक्रम प्रदान कर रहे कॉलेज।

टिप्पणी : सीसीआईएम और सीसीआरवाईएन से प्राप्त सूचना पर आधारित।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा

1175. श्री अधीर चौधरी :
श्री वल्लभनेनी :
श्री निखिल कुमार :

श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के सत्ताच्युत तालिबान शासन ने भारतीयों को वहां अपनी परियोजनाएं बंद करने की अपनी चेतावनी कथित तौर पर दोहरायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान जा रहे भारतीयों के लिए कोई परामर्श जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीय सुरक्षित हैं; और

(च) यदि नहीं, तो भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। अफगानिस्तान में काम करने वाले भारतीयों को निष्कासित तालीबान शासन से समय-समय पर धमकियां मिलती रहती हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में भारतीयों की हत्या की कड़ी निन्दा की थी और इसके लिए तालीबान और उसके प्रायोजकों को उत्तरदायी ठहराया था। सरकार तालीबान को एक आतंकवादी संगठन मानती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी सच्चाई को जानने और मानवता के प्रति इस विपत्ति को दूर करने में सहयोग करने का आह्वान करती है। सरकार ने अफगानिस्तान को सतत् सहायता प्रदान करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार अफगानिस्तान स्थित अपने राजदूतावासों/कौंसलावासों के और विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से समय-समय पर अफगानिस्तान जाने वालों को यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। अफगानिस्तान में कार्य करने वाले सभी भारतीयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे काबुल स्थित भारत के राजदूतावास में स्वयं को पंजीकृत करवाएं। इसके अतिरिक्त भारतीयों को ये अनुदेश भी दिए गए हैं कि आवश्यकता महसूस होने पर वे अपने नियोक्ताओं और राजदूतावास को सूचित करें और सुरक्षा के यथोचित उपाय करें।

(ङ) और (च) भारत सरकार अफगानिस्तान में भारतीय कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी संभव उपाय कर रही है। अफगानिस्तान स्थित भारतीय मिशन अफगानिस्तान में भारतीय कामगारों के हितार्थ नियमित सुरक्षा संबंधी सलाह और अद्यतन सूचना जारी कर रहे हैं। भारत सरकार विभिन्न स्तरों पर अफगानिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और उसने अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण IV, V, VI और VII का क्रियान्वयन

1176. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण IV, V, VI और VII के क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी निविदाएं दी गयीं और इन निविदाओं की राशि कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम तथा उनकी किलोमीटर में लंबाई कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) यह मंत्रालय सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण IV, V, VI और VII पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपाय कर रहा है। अवसंरचना संबंधी समिति ने दिनांक 8.4.2006 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान इन चरणों के लिए वित्त पोषण योजना को अनुमोदित किया है।

(ख) विवरण इस प्रकार हैं:-

1. एन एच डी पी चरण IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल/मध्यम लेन की लगभग 20,000 किलोमीटर लंबाई का पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन में उन्नयन।

2. एन एच डी पी चरण V के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किलोमीटर को 6 लेन का बनाना।

3. एन एच डी पी चरण VI के अंतर्गत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे का विकास।

4. एन एच डी पी चरण VII के अंतर्गत अपेक्षित स्थानों बाइपासों, फ्लाईओवरों, रेलवे उपरि पुलों इत्यादि का निमार्ण कार्य।

इस परियोजना की अनुमानित लागत इस प्रकार है:-

क्रम सं.	परियोजना	धनराशि (करोड़ रु.)
1.	एन एच डी पी चरण-IV	27800
2.	एन एच डी पी चरण-V	41210
3.	एन एच डी पी चरण-VI	16680
4.	एन एच डी पी चरण-VII	16680

(ग) उपर्युक्त परियोजना के लिए गत वित्त वर्ष के दौरान कोई ठेका नहीं सौंपा गया है।

(घ) एन एच डी पी चरण IV, V, VI और VII को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 का पूरा होना

1177. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामाबाद, जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर निर्माण कार्य की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इसे पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 16 की कुल लंबाई 504 किलोमीटर है, जिसमें से 293 किलोमीटर की लंबाई सीमा सड़क संगठन को और 211 किलोमीटर लंबाई आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपी गई है। सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यों की प्रगति इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या होने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(ग) कार्यों की त्वरित प्रगति के लिए अतिरिक्त कार्य बल की तैनाती, कार्मिकों के लिए समर्पित सुरक्षा के प्रावधान और सीमा सड़क संगठन को सुसज्जित करने जैसे उपाय प्रस्तावित हैं।

(घ) और (ङ) निधियों की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्र में समर्पित सुरक्षा के प्रावधान के बाद ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यों की गति पकड़ने की आशा है।

[अनुवाद]

'एम्स' में आरक्षण मानदण्डों का उल्लंघन

1178. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्स प्राधिकारियों द्वारा रोजगार में अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के लिए सांविधिक आरक्षण मानदण्डों का नियमित उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के नियुक्त अभ्यर्थियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(घ) मैरिट के आधार पर चयनित आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन रीजनल नेवीगेशनल सेटेलाइट सिस्टम

1179. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरो (आई एस आर ओ) ने इण्डियन रीजनल नेवीगेशनल सेटेलाइट सिस्टम (आई आर एन एस एस) की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई आर एन एस एस के कब से काम शुरू करने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मई 2006 में 1420 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारतीय उप महाद्वीप में नौवहन और कालमापन सेवाएं प्रदान करने के लिए सात उपग्रहों के समूह सहित एक "भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आई आर एन एस एस)" की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय प्रमोचक राकेटों का उपयोग करते हुए इन उपग्रहों को प्रमोचित करने का प्रस्ताव है।

(ग) 6-7 वर्षों में आई आर एन एस एस को प्राप्त करने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना के लिए प्रबंधन संरचना की पहचान कर ली गई है। आई आर एन एस एस में भागीदारी के लिए उद्योग को अवसरों की जानकारी प्रदान करने हेतु एक इसरो-उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण अवयवों और प्रणालियों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

अमरीकी कंपनी सूची में शामिल भारतीय कंपनियां

1180. श्री प्रवेश चण्डा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय भारतीय कंपनियों को अमरीकी वाणिज्य विभाग कंपनी सूची से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तरल प्रणोदक प्रणाली केन्द्र तथा श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केन्द्र अमरीकी कंपनी सूची में अब भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1998 में भारत पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंध के अनुसार अमोनियम परक्लोरेट परीक्षण संयंत्र (ए पी ई पी), अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो मुख्यालय), अंतरिक्ष विभाग के इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई आई एस यू), द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (एल पी एस सी), द्रव नोदन जांच सुविधा (एल पी टी एफ), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी आर एल), ठोस नोदक बूस्टर संयंत्र (स्प्रोब), अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एस ए सी), श्रीहरिकोटा रेंज (शार), अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला (एस पी एल), थुम्बा भू-मध्यरेखीय राकेट प्रमोचन केंद्र (टर्ल्स) और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) सहित विविध भारतीय संस्थानों को अमरीकी वाणिज्य विभाग की कंपनी सूची में रखा गया था। ए पी ई पी, डी ओ एस, पी आर एल, एस पी एल और टर्ल्स को अक्तूबर, 2001 में कंपनी सूची से हटा दिया गया, तथा इसरो दूरमिति, अनुवर्तन एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक) को सूची में जोड़ दिया गया। इसरो मुख्यालय को सितंबर, 2004 में सूची से हटा दिया गया। इस्ट्रैक, आई आई एस यू और एस ए सी को अगस्त, 2005 में सूची से हटाया गया।

(ग) जी, हां। एल पी एस सी, शार, स्प्रोब और वी एस एस सी अब भी अमरीकी कंपनी सूची में शामिल हैं।

(घ) इन संस्थानों को कंपनी सूची में बनाए रखने के कारण अमरीकी सरकार को ज्ञात हैं। भारत सरकार ने सभी भारतीय संस्थाओं को कंपनी सूची से हटाए जाने की मांग की है।

[हिन्दी]

जैव-चिकित्सीय अनुसंधान केन्द्र

1181. श्री रशीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-चिकित्सीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान

परिषद की 11वीं योजना अवधि के दौरान गैर-संचारी रोगों से संबंधित तीन जैव-चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालय खोलना

1182. श्री के.सी. पलनिसामी :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2005-06 के दौरान आज तक राज्यों में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से विशेषत: महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चिकित्सा महाविद्यालयों के राज्य-वार कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) नए मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हर वर्ष अगस्त के महीने में प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 2005-06 में नए मेडिकल कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव निम्नलिखित राज्य सरकारों से प्राप्त हुए थे:-

क्र.सं.	राज्य सरकार	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1 (एक)
2.	छत्तीसगढ़	1 (एक)
3.	कर्नाटक	1 (एक)
4.	उत्तरांचल	1 (एक)
5.	उत्तर प्रदेश	1 (एक)

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए मेडिकल कालेज खोलने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है। कमियों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने कर्नाटक और उत्तरांचल द्वारा क्रमश: शिमोगा और श्रीनगर में एक मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की है। महाराष्ट्र सरकार से इस अवधि के दौरान और आज तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी एक-एक संस्था खोलने का प्रस्ताव है। इन राज्यों को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर चिकित्सीय अवसंरचना, मृत्यु और रूग्णता की उच्च घटना, अति विशिष्टता वाली सेवाओं की जरूरत आदि के संदर्भ में कमियां हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम को तीन वर्ष के भीतर कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

डाकघर संचालन प्रणाली में परिवर्तन

1183. श्री वृष किशोर त्रिपाठी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाकघरों की संचालन प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है, दो से अधिक पब्लिक काउंटर वाले सभी बड़े डाकघरों की कम्प्यूटरीकरण संबंधी योजना को अनुमोदित किया गया है तरकि विभिन्न प्रकार की डाक सेवाओं के लिए एकल काउंटर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को पंक्ति में कम प्रतीक्षा करनी पड़े। कम्प्यूटरीकरण से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रचालन लागत में कमी आएगी।

शिकायतों पर तीव्रता से कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ डाक प्रयोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए प्रयोग की जा रही मैनुअल पद्धति को वैब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली में बदल दिया गया है।

रजिस्ट्रीकृत डाक के निपटान की मैनुअल पद्धति से जुड़ी कमियों को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के प्रयोग किये जाने की योजना है।

बड़ी मात्रा में डाक की मैनुअल छंटाई का तीव्र निपटान करने तथा विलम्ब को कम करने के लिए बड़े डाक केन्द्रों में कम्प्यूटर इंटरफेस छंटाई मशीनें लगाने की योजना बनाई गई है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7700 डाकघरों के कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा वह उससे अधिक हो चुका है।

रजिस्टर्ड मेल (सीआरसी) पर कार्रवाई करने वाले 100 मेल डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का भी प्रस्ताव है।

दिल्ली एवं कोलकाता में कम्प्यूटर इंटरफेस छंटाई मशीनें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) अब तक, 8163 डाकघरों में कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है और समूचे देश में वैब आधारित सुविधा से सुसज्जित 1116 ग्राहक सुविधा केन्द्र खोले गए हैं। इसके अलावा, 34 कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) स्थापित किए गए हैं और वर्ष 2006-07 के दौरान 66 और केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। स्वचालित मेल प्रोसेसिंग मशीनें स्थापित की गई हैं जो मुम्बई एवं चेन्नई में कार्य कर रही हैं। इन मशीनों की दिल्ली एवं कोलकाता में स्थापना करने के बारे में कार्रवाई जारी है।

उन डाकघरों में जहां कम्प्यूटर कार्यरत हैं, ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए काम-काज के समय को कम से कम एक घंटा बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

ब्रिटिश जेलों में भारतीय

1184. **श्री तूफानी सरोज :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश जेलों में अनेक भारतीय नागरिक बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश में जेल में बंद भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है और उनके अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना यू.के. स्थित हमारे मिशनों और केंद्रों से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मद पर सरकारी व्यय में वृद्धि

1185. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य कार्यक्रमों के व्यय को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मद पर सरकारी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% से बढ़ाकर 2.3% करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया है। इस उद्देश्य से तथा सभी को सुलभ, गुणवत्ता वाली और वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है। इस मिशन में देशभर में ग्रामीण लोगों को कारगर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान किए जाने की व्यवस्था है जिसमें निम्न स्वास्थ्य सूचकों और स्वास्थ्य के कमजोर ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाओं की स्थापना करके तथा 13 संस्थाओं को एकबारगी सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्यों में तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों को दूरभाष सुविधाएं

1186. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी ग्राम पंचायतों को दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं;

(घ) सभी पंचायतों को कब तक दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) विभाग ग्रामीण टेलीफोनों द्वारा कवर किए गए गांवों के संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव करता है। 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में 5,46,506 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

30.06.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	198
2.	आंध्र प्रदेश	25193
3.	असम	23691
4.	बिहार	38475
5.	झारखंड	26984
6.	गुजरात	17321
7.	हरियाणा	6811
8.	हिमाचल प्रदेश	16903
9.	जम्मू व कश्मीर	5141
10.	कर्नाटक	27066
11.	मध्य प्रदेश	46136
12.	छत्तीसगढ़	16584
13.	महाराष्ट्र	37153
14.	पूर्वोत्तर-I	4365
15.	पूर्वोत्तर-II	3608
16.	उड़ीसा	40753
17.	पंजाब	12722
18.	राजस्थान	30886
19.	तमिलनाडु	17899

1	2	3
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	76006
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21268
22.	उत्तरांचल	12132
23.	पश्चिम बंगाल	37306
24.	कोलकाता	437
25.	केरल	1468
	कुल	546506

[अनुवाद]

वन्दे मातरम् योजना

1187. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्भवती महिलाओं के मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए वन्दे मातरम योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से कितने प्राइवेट स्त्री रोग विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं; और

(घ) चालू वर्ष के लिए इस योजना हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) वंदे मातरम योजना को भारतीय प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञानी सोसाइटी परिसंघ (एफओजीएसआई) के संरक्षण में एक स्वैच्छिक योजना के रूप में फरवरी, 2004 में शुरू किया गया था। एफओजीएसआई ने अपने सदस्यों से अपील की है कि वे प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व एवं प्रसव पश्चात् जांच के लिए नि:शुल्क ओपीडी सेवाओं तथा परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था करें एवं ऐसी महिलाएं जिन्हें किन्ही जटिल समसयाओं के लिए उपचार की आवश्यकता है, उन्हें पर्व अभिज्ञात रेफरल केन्द्रों में रेफर करें। सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयंसेवी डाक्टरों को उनके क्लिनिकों के लिए नि:शुल्क वंदे मातरम बोर्ड प्रदान करके सहायता प्रदान करें, इस योजना एवं स्वयंसेवी डाक्टरों के बारे में जागरुकता पैदा करें तथा प्रत्येक माह की 9 तारीख को इन डाक्टरों के क्लिनिकों में आने वाले रोगियों के लिए नि:शुल्क वितरण हेतु आयरन फोलिक एसिड गोली, इंजेक्शन टेटनस टोक्साइड, कंडोम एवं खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां इत्यादि भी प्रदान करें। ये सामग्रियां प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला प्रशासन के पास उपलब्ध निधियों एवं औषधों में से प्रदान की जानी होती हैं। इसलिए इस योजना के लिए अलग से कोई निधि नियत नहीं की गई है। एफओजीएसआई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1653 प्राइवेट स्त्रीरोग विज्ञानियों ने अपनी सेवाएं प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने को इस योजना से संबद्ध करवाया।

असम में मलेरिया का प्रकोप

1188. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में हाल ही में मलेरिया के प्रकोप से कुल कितनी आबादी प्रभावित हुई है और कितनी मौतों की सूचना है;

(ख) इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कितनी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए;

(ग) क्या आबंटित धन का उपयोग नहीं किए जाने तथा निवारणात्मक और निगरानी कार्य की अपर्याप्तता के साथ-साथ कर्मचारियों की कमी के कारण यह प्रकोप फैला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ-साथ छिड़काव उपकरण और दस्ते की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी हैं;

(च) क्या सरकार प्रभावित परिवारों की अनुग्रह अनुदान देने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) असम राज्य मलेरिया की स्थानिकमारी वाला राज्य है। असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलावार मलेरिया स्थिति का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। मलेरिया के हाल के प्रकोप के दौरान अत्यधिक प्रभावित जिले लखीमपुर और उसके बाद गोलाघाट, करबी एंग्लॉग और कामरूप थे, उनके ब्यौरे विवरण-I(क) में दिए गए है।

(ख) भारत सरकार असम को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने हेतु 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता और कार्यक्रम की सहायता करने हेतु अपेक्षित सभी सामग्री प्रदान करती है। इस प्रकार, 1994 से असम सरकार को राज्य की तकनीकी आवश्यकता के अनुसार मलेरिया-रोधी औषधें और घरों के अन्दर अवशिष्ट छिड़काव के लिए डीडीटी प्रदान की जा रही है। मानीटरिंग और पर्यवेक्षण सहित कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना राज्य की जिम्मेदारी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को प्रदान की गई नकद सहायता और वस्तुगत सहायता विवरण-II और III पर संलग्न है।

असम राज्य को जुलाई, 2005 से वैश्विक निधि सहायता प्राप्त एड्स, क्षयरोग और मलेरिया तीव्रीकृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अधीन अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा रही है। यह सहायता जागरुकता पैदा करने, सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, मच्छरदानियों को कीटनाशक औषधों से संसाधित करने, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मच्छरदानियां वितरित करने, बुखार के रोगियों के लिए एसपी-एसीटी का वितरण करने और औषध प्रतिरोधक क्षेत्रों में गंभीर और जटिल किस्म के मलेरिया रोगियों का आर्टीथर इंजेक्शन से उपचार करने तथा दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में त्वरित नैदानिक किटों की आपूर्ति करके नैदानिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए है।

हाल ही के प्रकोप के दौरान राज्य को नीचे दर्शाए अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है:-

क्र.सं.	मद	आपूर्ति की गई मात्राएं
1	2	3
1.	डीडीटी (एमटी में)	900
2.	क्लोरोक्वीन (लाख में)	80
3.	प्रीमाक्वीन 7.5 एमजी (लाख में)	5
4.	प्रीमाक्वीन 2.5 एमजी (लाख में)	35
5.	क्वीनाइन इंजेक्शन (संख्या)	50650
6.	सल्फाडोक्सीन-पीवाई सम्मिश्रण	156800
7.	काम्बीब्लीस्टर पैक (क्लोरो+प्राइमा) लाख में	2.08
8.	मेलाथियोन तकनीकी (1)	500
9.	एस पी फ्लो लीटर में	4450
10.	मच्छरदानियां	200000
11.	आरटीथर इंजेक्शन	11080
12.	आर डी किट	10000
13.	परासिटामोल गोलियां लाख में	5.39
14.	टैमफोस लीटर में	100
15.	फेनटियोन लीटर में	200
16.	स्टिररप पम्प	47

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय राज्य में मलेरिया स्थिति की पूरी तरह मानिटरिंग कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ने स्थिति की ऑन दी स्पाट समीक्षा के लिए दौरा किया और मलेरिया के निवारण और नियंत्रण पर राज्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत की। शिलांग और गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालयों से टीमों को दैनिक स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए अभी भी तैनात किया हुआ है। राज्य की सहायता करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, पटना से भी एक टीम को भेजा गया है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य को वृहद संभारतंत्र आपूर्ति भी प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) निगरानी कार्य अपर्याप्त रहा है जिससे अनुपचारित रोगियों के कारण समुदाय में परजीवी बढ़ता रहा है। राज्य में अनुमोदित 638 एमपीडब्ल्यू की संख्या की तुलना में 320 एमपी डब्ल्यू (एम) कार्यरत हैं। कर्मिकों की कमी से निगरानी में कमी और निवारक एवं निगरानी संबंधी कार्य की अपर्याप्तता रही है। निधियों का आबंटन और भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रदत्त नकद सहायता में से अप्रयुक्त धनराशि विवरण-IV पर दी गई है।

(ङ) निदेशक स्वास्थ्य सेवा, असम से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों की नियुक्ति और राज्य सरकार द्वारा छिड़काव करने वाले उपकरणों को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने पहले दौर में 678 स्प्रे स्क्वाड और दूसरे चरण, 2006 625 स्क्वाड लगाएं हैं और प्रत्येक दौर में 75 दिनों की अवधि है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य का उत्तरदायित्व है तथापि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

मलेरिया की जिला-वार जानपदिकरोगविज्ञानी स्थिति—2003-2005

असम

क्र. सं.	जिला	वर्ष	पीओपी (000 'एस)	बीएससी	बीएसई	पाजिटिव मामले			पीएफ %	एबीईआर	एपीआई	एसपीआर	एएफएल	एसएफआर	मौतें
						पीवी	पीएफ	कुल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	दुबरी	2003	1630	109492	109492	108	1444	1552	93.04	6.72	0.95	1.42	0.89	1.32	1
		2004	1641	98966	98966	82	1074	1156	92.91	6.03	0.70	1.17	0.65	1.09	0
		2005	1667	94314	94314	69	997	1066	93.53	5.66	0.64	1.13	0.60	1.06	0
2	कोकराझार	2003	796	66168	66168	1038	3803	4841	78.56	8.31	6.08	7.32	4.78	5.75	0
		2004	818	63654	63654	935	3465	4400	78.75	7.78	5.38	6.91	4.24	5.44	0
		2005	831	71040	71040	1069	4895	5964	82.08	8.55	7.18	8.40	5.89	6.89	3
3	गोलपाडा	2003	892	70053	70053	762	3047	3809	79.99	7.85	4.27	5.44	3.42	4.35	0
		2004	909	66753	66753	576	3154	3730	84.56	7.34	4.10	5.59	3.47	4.72	1
		2005	924	65431	65431	473	2587	3060	84.54	7.08	3.31	4.68	2.80	3.95	0
4	बोंगईगांव	2003	979	69602	69602	237	1881	2118	88.81	7.11	2.16	3.04	1.92	2.70	0
		2004	932	62035	62035	127	2046	2173	94.16	6.66	2.33	3.50	2.20	3.30	0
		2005	960	79168	79168	235	2645	2880	91.84	8.25	3.00	3.64	2.76	3.34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	बारपेटा	2003	1618	89409	89409	986	646	1632	39.58	5.53	1.01	1.83	0.40	0.72	0
		2004	1661	80801	80801	705	508	1213	41.88	4.86	0.73	1.50	0.31	0.63	2
		2005	1672	98316	98316	731	1014	1745	58.11	5.88	1.04	1.77	0.61	1.03	1
6	नलबारी	2003	1229	74606	74606	341	1125	1466	76.74	6.07	1.19	1.96	0.92	1.51	0
		2004	1256	71445	71445	262	806	1068	75.47	5.69	0.85	1.49	0.64	1.13	0
		2005	1269	90798	90798	439	1845	2284	80.78	7.16	1.80	2.52	1.45	2.03	4
7	कामरूप	2003	2563	172996	172996	522	3715	4237	87.68	6.75	1.65	2.45	1.45	2.15	0
		2004	2636	161735	161735	406	3602	4008	89.87	6.14	1.52	2.48	1.37	2.23	0
		2005	2652	174942	174942	819	3057	3876	78.87	6.60	1.46	2.22	1.15	1.75	1
8	दारंग	2003	1629	116436	116436	10906	1297	12203	10.63	7.15	7.49	10.48	0.80	1.11	1
		2004	1649	77100	77100	5648	732	6380	11.47	4.68	3.87	8.27	0.44	0.95	0
		2005	1663	107353	107353	8168	2182	10350	21.08	6.46	6.22	9.64	1.31	2.03	7
9	सोनितपुर	2003	1876	163392	163392	3222	1562	4784	32.65	8.71	2.55	2.93	0.83	0.96	9
		2004	1984	141761	141761	1599	506	2105	24.04	7.15	1.06	1.48	0.26	0.36	2
		2005	2007	183469	183469	2148	1256	3404	36.90	9.14	1.70	1.86	0.63	0.68	8
10	लखीमपुर	2003	969	77004	77004	3035	41	3076	1.33	7.95	3.17	3.99	0.04	0.05	0
		2004	987	64554	64554	1296	13	1309	0.99	6.54	1.33	2.03	0.01	0.02	0
		2005	992	66869	66869	2063	257	2320	11.08	6.74	2.34	3.47	0.26	0.38	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	धेमाजी	2003	617	33322	33322	866	98	964	10.17	5.40	1.56	2.89	0.16	0.29	4
		2004	623	28286	28286	321	75	396	18.94	4.54	0.64	1.40	0.12	0.27	0
		2005	627	28004	28004	835	142	977	14.53	4.47	1.56	3.49	0.23	0.51	8
12	डिब्रूगढ़	2003	1576	119797	119797	8	28	36	77.78	7.60	0.02	0.03	0.02	0.02	0
		2004	1581	94226	94226	6	17	23	73.91	5.96	0.01	0.02	0.01	0.02	0
		2005	1582	94936	94936	9	29	38	76.32	6.00	0.02	0.04	0.02	0.03	2
13	तिनसुकिया	2003	1246	76184	76184	1096	410	1506	27.22	6.11	1.21	1.98	0.33	0.54	0
		2004	1257	62293	62293	797	277	1074	25.79	4.96	0.85	1.72	0.22	0.44	0
		2005	1258	61909	61909	578	160	738	21.68	4.92	0.59	1.19	0.13	0.26	0
14	शिवसागर	2003	1107	67688	67688	4	19	23	82.61	6.11	0.02	0.03	0.02	0.03	0
		2004	1108	57578	57578	1	16	17	94.12	5.20	0.02	0.03	0.01	0.03	0
		2005	1109	63867	63867	5	21	26	80.77	5.76	0.02	0.04	0.02	0.03	0
15	जोरहाट	2003	1151	74568	74568	48	88	136	64.71	6.48	0.12	0.18	0.08	0.12	0
		2004	1164	68236	68236	37	49	86	56.98	5.86	0.07	0.13	0.04	0.07	0
		2005	1177	71032	71032	44	52	96	54.17	6.04	0.08	0.14	0.04	0.07	1
16	गोलाघाट	2003	1050	85352	85352	295	176	471	37.37	8.13	0.45	0.55	0.17	0.21	3
		2004	1056	66793	66793	193	57	250	22.80	6.33	0.24	0.37	0.05	0.09	1
		2005	1060	78781	78781	191	90	281	32.03	7.43	0.27	0.36	0.08	0.11	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	नागांव	2003	2104	209716	209716	1461	3541	5002	70.79	9.97	2.38	2.39	1.68	1.69	9
		2004	2104	175443	175443	1415	2638	4053	65.09	8.34	1.93	2.31	1.25	1.50	5
		2005	2118	185083	185083	1634	2687	4321	62.18	8.74	2.04	2.33	1.27	1.45	4
18	मोरीगांव	2003	782	40927	40927	126	226	352	64.20	5.23	0.45	0.86	0.29	0.55	0
		2004	788	35869	35869	119	187	306	61.11	4.55	0.39	0.85	0.24	0.52	0
		2005	789	35112	35112	215	348	563	61.81	4.45	0.71	1.60	0.44	0.99	9
19	कार्बी-आंगलोंग	2003	808	168860	168860	2263	11221	13484	83.22	20.90	16.69	7.99	13.89	6.65	18
		2004	818	165539	165539	1452	11310	12762	88.62	20.24	15.60	7.71	13.83	6.83	34
		2005	832	185090	185090	2040	11390	13430	84.81	22.25	16.14	7.26	13.69	6.15	33
20	एन.सी. हिल्स	2003	201	24674	24674	452	2099	2551	82.28	12.28	12.69	10.34	10.44	8.51	1
		2004	203	24408	24408	653	1898	2551	74.40	12.02	12.57	10.45	9.35	7.78	0
		2005	205	24195	24195	620	1967	2587	76.03	11.80	12.62	10.69	9.60	8.13	0
21	कछार (सिल्चर)	2003	1157	88829	88829	15	3941	3956	99.62	7.68	3.42	4.45	3.41	4.44	1
		2004	1648	72311	72311	32	3428	3460	99.08	4.39	2.10	4.78	2.08	4.74	0
		2005	1672	85240	85240	5	2802	2807	99.82	5.10	1.68	3.29	1.68	3.29	0
22	हैलाकांडी	2003	689	75734	75734	36	7532	7568	99.52	10.99	10.98	9.99	10.93	9.95	6
		2004	698	70113	70113	23	5299	5322	99.57	10.04	7.62	7.59	7.59	7.56	9
		2005	704	65539	65539	15	4755	4770	99.69	9.31	6.78	7.28	6.75	7.26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	करीमगंज	2003	1184	59011	59011	75	728	803	90.66	4.98	0.68	1.36	0.61	1.23	0
		2004	1209	43661	43661	40	252	292	86.30	3.61	0.24	0.67	0.21	0.58	0
		2005	1231	39773	39773	27	275	302	91.06	3.23	0.25	0.76	0.22	0.69	1
	राज्य कुल	2003	27853	2133820	2133820	27902	48668	76570	63.56	7.66	2.75	3.59	1.75	2.28	53
		2004	28730	1853560	1853560	16725	41409	58134	71.23	6.45	2.02	3.14	1.44	2.23	54
		2005	29001	2050261	2050261	22432	45453	67885	66.96	7.07	2.34	3.31	1.57	2.22	113

विवरण-I(क)

वर्ष 2006 के दौरान मलेरिया से हुई जिलावार मौतें (25-07-06 तक)

जिला	मौतें
1	2
बारपेट	7
बोगाइगांव	1
कछार	0
दारंग	5
धेमाजी	12
धूबारी	8
डिब्रूगढ़	2
गोलपाड़ा	3
गोलाघाट	42
हैलाकांडी	2
जोरहाट	8
कामरूप	23
के-अंगलौंग	33
करीमगंज	6
कोकराझार	6
लखीमपुर	78
मोरीगांव	6
नागांव	7
नलबारी	6
एन.सी. हिल्स	1
सिबसागर	1
सोनितपुर	9
तिनसुखिया	9
कुल	275

विवरण-II

असम राज्य को प्रदान किए गए संभार तंत्र—सप्लाई की स्थिति (सप्लाई की गई मात्रा)

क्र.सं.	सामग्री	सप्लाई की गई मात्रा		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	डी डी टी (एम टी में)	1102.00	1102.00	1030.00
2.	क्लोरोक्वीन (लाख में)	234.50	451.00	200.00
3.	प्रिमाक्वीन 7.5 मि.ग्रा. (लाख में)	कोई मांग नहीं	10.00	60.00

1	2	3	4	5
4.	प्रिमाक्वीन 2.5 मि.ग्रा. (लाख में)	कोई मांग नहीं	5.00	33.00
5.	सल्फा पायरेमेथाइमिन सम्मिश्रण गोली (लाख में)	3.00	0.30	5.00
6.	कम्बी ब्लिस्टर पैक (गोली) आर्टीस्युनेट+एस पी (संख्या)	–	–	22600.00
7.	कुनैन इंजेक्शन (संख्या)	85000 एम्प.	20210	105000.00
8.	कुनैन गोली (संख्या)	2000000 गोली		220000.00
9.	आर्टीथर इंजेक्शन (संख्या)	–	–	61500.00
10.	त्वरित मैदानिक किट			120000.00
11.	पायरेथ्रम सत्व 2% (लीटर)	शून्य	शून्य	500.00
12.	डेल्टामेथ्रिन 2.5-एस सी (लीटर में)			2879.00

विवरण-III

असम राज्य को जारी एवं उसके द्वारा उपयोग की गई 100% नकद सहायता

वर्ष	जारी	उपयोग	प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	उपलब्ध शेष	टिप्पणियां
2003-04	0.00	645.70	645.70 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ	929.65	1575.35 लाख रुपए के विगत शेष में से
2004-05	550.00	649.01	649.01*	830.64	* राज्य सरकार के पास उपलब्ध 929.65 लाख रु. में से
2005-06	207.77	सूचना प्राप्त नहीं हुई	प्राप्त नहीं हुआ	1038.41*	*2005-06 के दौरान 415.55 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया। पूववर्ती वर्षों के उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण 207.77 लाख रु. की शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। राज्य के पास उपलब्ध शेष राशि 1038.41 लाख रु. (830.64 रु. 2004-05 + 207.77 रु.- 2005-06 = 1038.41) है।

लेबनान से भारतीयों को निकालना

1189. **श्री एस.के. खारवेनथन :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कितने भारतीय लेबनान में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने लेबनान से भारतीयों को निकालने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लेबनान से अब तक कितने भारतीय निकाले गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) लेबनान में हमले आरम्भ होने पर लगभग 12000 भारतीय राष्ट्रिक लेबनान में रह रहे थे।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अब तक 1687 भारतीयों को लेबनान से भारत भेजा जा चुका है। उन्हें बेरूत से साइप्रस स्थित लरनाका में भारतीय नौसेना के जलपोतों द्वारा लाया गया और वहां से उन्हें एअर इण्डिया के वायुयानों से भारत भेजा गया।

विदेश मंत्रालय के राजनयिकों के बैग्स निजी कंपनियों को सौंपा जाना

1190. **श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित मिशनों में हमारे राजनयिकों तथा मुख्यालय के बीच भारतीय राजनयिकों तथा मुख्यालय के बीच भारतीय राजनयिकों के बैग जिनमें अतिगोपनीय अधिकारिक कोड, संदेश और इस तरह की चीजों की सम्भलाई तथा परिवहन कार्य निजी कंपनियों के पास चले गए हैं जैसाकि 15 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस निजी कंपनी को ठेका दिया गया था;

(घ) ऐसे ठेके देने हेतु क्या तरीका/मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(ङ) किन-किन कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया था?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें पहले एक्स-रे करना, डिलीवरी से पूर्व टैग लगाना और आने/जाने वाले प्रेषणों के लिए अन्य दस्तावेज जुटाना अपेक्षित है, यह निर्णय लिया गया कि आगे मिशनों को भेजे जाने के लिए विभिन्न एअरलाइनों को सौंपने के लिए साउथ ब्लॉक और अकबर भवन से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक डिप्लोमैटिक बैग पहुंचाने और आने वाले डिप्लोमैटिक बैगों की प्राप्ति की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी यदि इस कार्य को किसी व्यावसायिक एजेंसी को सौंप दिया जाए। यह भी तर्क दिया गया कि व्यवसायिक एजेंसी की व्यवस्था बेहतर होगी और वे विशेषीकृत कार्य को करने में अधिक दक्ष होंगे। सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि फर्म का कार्य बंद और मुहरबंद राजनयिक बैगों को केवल एअरपोर्ट स्थित एअरलाइनों से/तक लाना/ले जाना होगा।

(ग) मैसर्स डैडसन ग्लोबल कारगो (सी. एच. ए. सं. आर. 093/98) को अनुबंध सौंपा गया जिस पर 3 जुलाई, 2006 को हस्ताक्षर हुए।

(घ) मंत्रालय के विधिक एवं संधि प्रभाग द्वारा प्रारूप समझौते के पुनरीक्षण और सामान्य वित्तीय नियमों पर आंतरिक वित्त और लागत दृष्टिकोण से मंजूरी के उपरांत एअर इण्डिया और डाक विभाग सहित दस कंपनियों के लिए सीमित टैंडर (सुरक्षा और विशेषीकरण आवश्यकता को देखते हुए) जारी किया गया। डाक विभाग ने डाक चैनल से पृथक डिप्लोमैटिक बैगों के प्रेषण में अपनी असमर्थता व्यक्त की। टैंडर में निहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली न्यूनतम कोटेशन को अनुबंध प्रदान किया गया बशर्ते सुरक्षा मंजूरी हासिल हो।

(ङ) तीन कंपनियों नामत: (i) मैसर्स डैडसन ग्लोबल कारगो, डी-229 डिफेन्स कॉलोनी नई दिल्ली, (ii) मैसर्स भारा एण्ड कं. प्रा. लि., 42 सत्यनिकेतन, नई दिल्ली और (iii) मैसर्स मेगा एअर एण्ड सी कारगो, 2004, 2 कम्यूनिटी सेंटर, फेज I, नारायणा, नई दिल्ली ने सीमित टैंडर के लिए कोटेशन दी।

सेटेलाइट मनीआर्डर स्टेशन

1191. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में हाई स्पीड वी एस ए टी सेटेलाइट मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यरत सेटेलाइट मनीआर्डर स्टेशनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2006-07 के दौरान देश में कुछ और डाकघर खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन हेतु कितना धन आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देशभर में 150 हाई स्पीड वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) मनीआर्डर सेटेलाइट स्टेशन स्थापित किए हैं। वीसैट स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 150 वीसैट स्टेशन इस समय अस्थाई रूप से काम नहीं कर रहे हैं और मनीआर्डरों को वैकल्पिक माध्यमों से पारेषित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वित्तीय आत्मनिर्भरता और इसके साथ-साथ डाक नेटवर्क के युक्तीकरण प्राप्त करने के दसवीं पंचवर्षीय योजना के नीति निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2004-05 से नए डाकघर खोलने के लक्ष्य आबंटित नहीं किए जा रहे हैं। अत: वर्ष 2006-07 के लिए नए डाकघर खोलने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, यदि डाकघर खोलना औचित्यसम्मत पाया जाता है तो उसे किसी ऐसे मौजूदा डाकघर की पुन:स्थापना के माध्यम से खोला जा सकता है जो अपने वर्तमान स्थान पर विभागीय मानदण्डों के अनुसार औचित्यसम्मत नहीं है।

विवरण

देश में वीसैटों का राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वीसैट केंद्र का नाम	वीसैटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, कुडप्पा, गुंटूर, हनामकोंडा, हैदराबाद, कुर्नूल, नांदयाल, नेल्लूर, निजामाबाद, राजमुंद्री, रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाडा, विजयनगरम	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	1
3.	असम	धुबरी, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, करीमगंज, नवगांव, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया	9
4.	बिहार	भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया, सासाराम	9
5.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	चंडीगढ़	1

2	3	4
6. छत्तीसगढ़	बिलासपुर, रायपुर	2
7. दिल्ली	अशोक विहार, नई दिल्ली जीपीओ, 56 एपीओ, संसद मार्ग डाक भवन	4
8. गुजरात	अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, नदियाद, नवसराय, राजकोट, सूरत, वडोदरा	11
9. हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, करनाल, रोहतक	6
10. हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, मंडी, शिमला	3
11. जम्मू व कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर	2
12. झारखंड	जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग	3
13. कर्नाटक	बेंगलोर, बेलगांव, बीजापुर, दावनगेरे, गुलबर्ग, हासन, हुबली, मैंगलूर, मैसूर, शिमोगा	10
14. केरल	कालीकट, एरणाकुलम, कण्णूर, कोल्लम, कोट्टयम, पालघाट, त्रिशूर, त्रिवेंद्रम	8
15. मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर	5
16. महाराष्ट्र	औरंगाबाद, दादर, मुंबई जीपीओ, नागपुर, नासिक, पुणे, रत्नागिरी	7
17. मणिपुर	इंफाल	1
18. मिजोरम	ऐजल	1
19. मेघालय	शिलांग	1
20. नागालैंड	कोहिमा	1
21. उड़ीसा	बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, राऊरकेला, संबलपुर	5
22. पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	पांडिचेरी	1
23. पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला	5
24. राजस्थान	अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर	5
25. तमिलनाडु	चेन्नई, कायेम्बटूर, ईरोड, मदुरै, ऊटी, पालयमकोटई, सेलम, त्रिच्ची, विरुदुनगर	9
26. त्रिपुरा	अगरतला	1

1	2	3	4
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोंडा, फैजाबाद	16
28.	उत्तरांचल	देहरादून	1
29.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, कोलकाता, गंगतोक, हावड़ा, सिलिगुड़ी, 99 एपीओ	6
30.	गोवा	पणजी	1
	कुल		150

पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में आतंकवादी शिविर

1192. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री निखिल कुमार :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री रघुनाथ झा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में कथित रूप से भारी संख्या में आतंकवादी शिविर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) जी, हां। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 52 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं। सरकार ने सभी स्तरों पर पाकिस्तान के साथ अपने क्रियाकलापों के दौरान निरंतर इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए प्रभावी कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान वार्ता प्रक्रिया 6 जनवरी, 2004 की उस वचनबद्धता पर आधारित है कि पाकिस्तान किसी भी हाल में अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्र का उपयोग आतंकवाद के समर्थन के लिए नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने हमेशा ही पाकिस्तान और अपने नियंत्रण वाले प्रदेशों में आतंकवादी शिविरों की उपस्थिति से इंकार किया है। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के भाग के रूप में सरकार इस संबंध में होने वाली घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नियमित रूप से अवगत रखती है।

भारतीय उग्रवादी गुट अभी भी अपने आश्रय, प्रशिक्षण शिविरों, हथियारों के परिवहन तथा परागमन के लिए बंगलादेश के भूक्षेत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। बंगलादेश की नागरिक और सैन्य आसूचना एजेंसियां इन उग्रवादी गुटों का समर्थन करती हैं। सितम्बर-अक्तूबर, 2005 में महानिदेशक स्तरीय सीमा सुरक्षा बल-बंगलादेश रायफल्स की बैठक में 172 भारतीय उग्रवादी गुटों और 307 अपराधियों/उग्रवादियों की एक सूची सौंपी गयी। हालांकि बंगलादेश इन बातों से पूर्णत: इन्कार करने की नीति अपना रहा है।

आपदा चेतावनी सहायता प्रणाली

1193. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल रीमोट सेंसिग एजेंसी, हैदराबाद में आपदा चेतावनी सहायता प्रणाली स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अंतरिक्ष विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायक सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वी एस ए टी आधारित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आपदा चेतावनी और उपशमन प्रयासों में उक्त अंतरिक्ष निविष्टियां आपदाओं से होने वाली क्षति को रोकने में किस प्रकार समर्थ होगी?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। अंतरिक्ष विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन सहायता सेवाएं मुख्यत: उपग्रह, वायवीय और अन्य समानांतर सूचना एवं आपातकालीन संचार सहायता से व्युत्पन्न मूल्य संवर्धित उत्पादों में प्रदान की जाती हैं। ये सूचना उत्पाद मानचित्रों के रूप में होते हैं, जोकि सक्रिय रूप से आपदा के प्रभाव, क्षति एवं भेद्यता को भी चित्रित करते हैं। स्थापना के समय से ही आपदा प्रबंध सहायता कार्यक्रम ने देश की प्रमुख प्राकृतिक विपदाओं में व्यापक भूमिका निभाई है—जिसमें 26 दिसंबर, 2004 की सुनामी, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में द्रुत प्लावन के खतरे उत्पन्न करने वाले सतलुज बेसिन में कृत्रिम झील, देश के विभिन्न हिस्सों में आवती प्लावनों, सूखों, भू-स्खलनों, दावानलों और भूंकपों के मानीटरन शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अंतरिक्ष विभाग तीन चरणों में आपातकालीन संचारों के लिए वीसैट आधारित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को क्रियान्वित कर रहा है। दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, भारतीय सर्वेक्षण, महासागर विकास विभाग इत्यादि और राज्य की राजधानियों जैसे आंकड़ा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ है। दूसरे चरण में आपदा की अधिक संभावना वाले जिला मुख्यालयों को जोड़ने की योजना है।

(ङ) आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाले लाभों में विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना निवेशों को संश्लेषित करना, वास्तविक काल के आधार पर सूचना उत्पन्न करना तथा उसे प्रकीर्णित करने की क्षमता शामिल है। इन सूचना निवेशों के आधार पर राहत, उपशमन और विनियामक उपायों पर कार्रवाई की योजना तैयार और प्रारंभ की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में हृदय रोगियों हेतु सुविधाएं

1194. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हृदयाघात से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वैराजू फाउंडेशन, हैदराबाद और जार्ज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ को इससे संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित सर्वेक्षण रिपोर्ट की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हृदयाघात की रोकथाम एवं इसके उपचार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार समाज के निम्न आय समूह के लोगों को हृदय शल्य चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में हृदय रोगी द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों में जा रहे हैं। तथापि, यह दर्शाने के लिए कि देश में एक निश्चित अवधि में हृद्यरोगियों की संख्या बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में हृदय रोगों पर कोई दीर्घकालिक जानपदिकरोग विज्ञानी अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैराजू फाउंडेशन, हैदराबाद और जार्ज इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल हार्ट की सर्वेक्षण रिपोर्ट की वित्त-पोषित नहीं किया गया है। वैराजू फाउंडेशन, हैदराबाद के सहयोग से आन्ध्र प्रदेश में किए गए रोगों के भार संबंधी अध्ययन में यह पता लगाया गया कि आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे पुरुषों और महिलाओं में हृद्वाहिका रोग मृत्युदर के प्रमुख कारण हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार का प्रस्ताव हृद्य वाहिका रोगों, आघात तथा मधुमेह के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्डियो वास्कुलर रोग (सीवीडी) एवं मधुमेह निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने एवं कार्यान्वित करने का है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं नैदानिक उपकरणों की व्यवस्था करना शामिल है। शहरी, परिशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लागत-सार्थक नेदानिक परिचर्या तथा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के साथ जोखिम मूल्यांकन, रोग की शीघ्र पहचान एवं निवारण पर बल दिया जाएगा।

(च) और (छ) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत बड़े जानलेवा रोगों (हृद्य रोगों सहित) से पीड़ित गरीबी रेखा के नीचे के रोगियों को किसी भी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

ब्रिटेन से भारतीय चिकित्सकों को निकाला जाना

1195. **श्री प्रबोध पाण्डा :**
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने गैर-यूरोपियन मुख्यत: भारतीय चिकित्सकों को ब्रिटेन छोड़ने के लिए कतिपय नए बाध्यकारी कानून पारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन चिकित्सकों की शिकायतों का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री चायालार रवि) : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार ने 7 मार्च, 2006 को नए उत्प्रवासन और रोजगार विनियम लागू किए हैं जिसके अन्तर्गत सभी गैर-यूरोपीय डाक्टरों को उस तारीख के बाद ब्रिटेन में काम करने के लिए कार्य परमिट लेना होगा। तथापि, कार्य-परमिट विशिष्ट रिक्तियों के आधार पर दिया जाएगा जिनके लिए ब्रिटेन/यूरोपीय डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) यह मामला ब्रिटेन में भारतीय मिशन द्वारा ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ समय-समय पर उठाया गया है।

मेल मोटर सर्विस

1196. **श्री वृष किशोर त्रिपाठी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान मेल मोटर सर्विस पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रति किलोमीटर औसत लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार मेल मोटर सर्विस हेतु सी एन जी चालित मेल वैन आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मेल मोटर सर्विस के समूचे बेड़े को सी एन जी में कब तक परिवर्तित किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) वर्ष 2004-05 में मेल मोटर सेवा पर 50.7 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2005.06 में 55.1 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ख) वर्ष 2004-05 में प्रति कि.मी. औसत लागत 19.86 रुपये तथा वर्ष 2005-06 में यह 20.48 रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) फिलहाल, मुम्बई में 120 सीएनजी चालित वाहन हैं तथा दिल्ली में ऐसे 6 वाहन हैं।

(ङ) समूचे एमएमएस बेड़े को सीएनजी में परिवर्तित करना व्यवहार्य नहीं है।

मंत्री का विदेश दौरा

1197. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में खाड़ी देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा के बारे में इन देशों के श्रम मंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) जी, हां। हाल के दौरे में कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल थे। बहरीन में, वहां के श्रम मंत्री महामहिम डा. मजीद बिन मुशिन अल-अलवी के साथ परिचर्चा हुई थी। परिचर्चा के दौरान, दो मुद्दों अर्थात् (i) उन भारतीयों, जिनकी हाल ही में अल-दना नौका दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, के परिवारों को मुआवजे का भुगतान, (ii) बहरीन में भारतीय श्रमिकों का उनके नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाना जिसके परिणामस्वरूप एक मामले में श्रमिक हड़ताल पर हैं पर बातचीत हुई। संयुक्त अरब अमीरात में, वहां के श्रम मंत्री महामहिम, डा. अली बिन अब्दुल्ला अल काबी के साथ भारतीय श्रमिकों से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में मजदूरी का भुगतान न किए जाने, काम करने की खराब परिस्थितियों, बेईमान बिचौलियों द्वारा समूह यात्रा वीजा जारी करने के लिए कोटा प्रणाली के दुरुपयोग के मामले शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप मेजबान देशों में विदेशी नियोक्ताओं द्वारा प्रवासी भारतीय श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। दोनों बैठकों में खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों का संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रबन्ध सहित श्रमिक मंडी सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोनों महानुभावों ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के बेहतर संरक्षण और अधिक कल्याण के लिए श्रमिक सुधारों के उद्देश्य से नई पहल की जा रही हैं।

[हिन्दी]

अवसंरचना विकास हेतु योजनाएं

1198. श्री ब्रजेश पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अवसंरचना विकास हेतु व्यापक योजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य और प्रस्तावित परियोजनाएं कौन सी हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की जानी है; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) जी, नहीं। योजना आयोग को विशिष्ट रूप से किसी भी राज्य से अवसंरचना विकास हेतु व्यापक योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। अवसंरचना संबंधी प्रस्तावित परिव्यय प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना का भाग होते हैं जिन पर योजना आयोग द्वारा राज्यों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करते समय विचार किया जाता है। विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के केन्द्रीय वित्तपोषण के प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग को भिजवाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पारादीप-पत्तन पर यातायात प्रबंध क्रियाकलाप

1199. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 2005-06 में पारादीप पत्तन पर यातायात प्रबंध क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन पर कुल कितने मिलियन टन यातायात का प्रबंध किया गया;

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) यातायात प्रबंध सुविधाओं में और वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पारादीप-पत्तन पर पिछले वर्ष संभाले गए कुछ प्रमुख वस्तुओं से संबंधित जहाजी माल के यातायात की तुलना

में वर्ष, 2005-06 के दौरान संभाले गए जहाजी माल के यातायात का विवरण, निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

वस्तु	वर्ष, 2005-06 के दौरान संभाला यातायात	वर्ष, 2004-05 के दौरान संभाला यातायात	वृद्धि का प्रतिशत
पी ओ एल	0.91	0.84	8.33
लौह-अयस्क	10.27	9.05	13.48
उर्वरक (कच्चा माल)	1.57	2.60	-39.62
थर्मल कोयला	12.53	10.94	14.53
कोककर कोयला	3.76	3.27	14.98
कंटेनर (20 फीट समान इकाइयों की संख्या)	0.05 (3417)	0.03 (2281)	66.67 (49.80)
अन्य जहाजी माल	4.02	3.37	19.28
कुल	33.11	30.10	10

(ग) और (घ) पारादीप-पत्तन द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संभाला गया जहाजी माल का यातायात और उसमें हुई वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	मिलियन टन	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि का प्रतिशत
2003-04	25.31	5.9
2004-05	30.10	18.9
2005-06	33.11	10.0

(ङ) देश में जहाजी माल का यातायात संभाले जाने की दृष्टि से महापत्तनों के काम-काज के संचालन में सुधार करना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। पोत-परिवहन-विभाग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम में, उपर्युक्त पत्तन की क्षमता बढ़ाकर 88.66 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की दृष्टि से घाटों को विकसित किए जाने, जलमार्ग को और अधिक गहरा किए जाने, उपस्करों का उन्नयन/आधुनिकीकरण करवाए जाने, उपर्युक्त पत्तन को रेल-सड़क से जोड़े जाने से युक्त कुल 28 परियोजनाएं, वर्ष, 2011-2012 तक की अवधि में निष्पादित किए जाने की योजना रखी गई है।

ग्रामसेट कार्यक्रम

1200. श्री सुग्रीव सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य स्तर पर संचार नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु 'ग्रामसेट' कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्यक्रम वर्तमान में किन राज्यों में चल रहा है;

(घ) शेष राज्यों को 'ग्रामसेट' कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा में नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ग्रामसेट नेटवर्कों की स्थापना की गई है।

(घ) सरकार ने वी आर सी (ग्रामीण संसाधन केंद्र) के रूप में शिक्षा, चिकित्सा और प्राकृतिक संसाधन सूचना को आवृत्त करने हेतु ग्रामसेट नेटवर्क के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है तथा सभी राज्यों को आवृत्त करने हेतु इसका विस्तार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रारंभ में उड़ीसा में ग्रामसेट नेटवर्क प्रसारण मोड में था। अब सभी जिलों और प्रखंडों को आवृत्त

करने हेतु अन्योन्यक्रिया बहाल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना

1201. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों में तेजी लाने हेतु अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका चन्द्रयान अभियान पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतरिक्ष प्रयोगशाला एक पूर्णत: स्वदेशी परियोजना होगी;

(च) यदि हां, तो क्या देश में उक्त परियोजना हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी एवं संसाधन उपलब्ध हैं; और

(छ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अंतरिक्षयान पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस आर ई) और एस्ट्रोसैट जैसे अंतरिक्ष-आधारित परीक्षणों के आयोजन की योजना है। 500 कि.ग्रा. भार के एस आर ई में एक धातु रचना विज्ञान संबंधी परीक्षण आयोजित किया जायेगा तथा अंतरिक्ष में संसाधित नमूनों को पुन: प्राप्त किया जायेगा और इन्हें अध्ययनों के लिए वापस लाया जायेगा। एस्ट्रोसैट खगोल भौतिकी से संबंधित उपकरणों को अपने साथ ले जायेगा, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों को लगभग दो वर्षों की अवधि के लिए वाह्य अंतरिक्ष और मंदाकिनी संबंधी परिघटनाओं के अन्वेषण के अवसर प्राप्त होंगे।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

इजरायल स्पेस एजेंसी के साथ समझौता

1202. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उपग्रहों के प्रक्षेपण के संबंध में इजरायल स्पेस एजेंसी (आई एस ए) के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई एस ए की मंशा अपने अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु जी सेट-4 उपग्रह का उपयोग करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) अंतरिक्ष विभाग के एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने इजरायल के एक उपग्रह को प्रमोचित करने हेतु वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) उपग्रह का वजन 300 कि.ग्रा. है और इसे निम्न भू-कक्षा में प्रमोचित किया जाएगा।

(ग) और (घ) जीसैट-4 उपग्रह अंतरिक्षयान में खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए इजरायल अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रदत्त एक परा-बैंगनी दूरबीन प्रतिबिंबित्र अपने साथ ले जाएगा। इन आंकड़ों पर भारत और इजरायल के वैज्ञानिक समुदाय की साझेदारी होगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों में आप्टिकल फाइबर केबल

1203. **श्री राजेश पाठक** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) महानगर अेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली के सभी 337 टेलीफोन एक्सचेंज और मुंबई के 193 एक्सचेंज आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ जोड़े गए हैं। जहां तक भारत संचार निगम निमिटेड (बीएसएनएल) का संबंध है, 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार 94.8% टेलीफोन एक्सचेंजों में ऑप्टिकल फाइबर संयोजना (कनेक्टिविटी) है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शेष एक्सचेंज अन्य विश्वसनीय माध्यमों पर कार्य कर रहे हैं। इन शेष एक्सचेजों को ऑप्टिकल फाइबर संयोजन (कनेक्टिविटी) प्रदान करना तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

बीएसएनएल-ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) संयोजन युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	एक्सचेंजों की कुल संख्या	ओएफसी माध्यम युक्त एक्सचेंज	ओएफसी माध्यम युक्त एक्सचेंजों का %	अन्य विश्वसनीय माध्यम वाले एक्सचेंज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3608	3294	91.3	314
2.	असम	598	562	94.0	36
3.	बिहार	1163	1120	96.3	43
4.	झारखंड	458	457	99.8	1
5.	गुजरात	3227	3227	100.0	0
6.	हरियाणा	1121	1116	99.6	5
7.	हिमाचल प्रदेश	979	789	80.6	190
8.	जम्मू और कश्मीर	366	286	78.1	80
9.	कर्नाटक	2713	2706	99.7	7
10.	केरल	1227	1214	98.9	13
11.	मध्य प्रदेश	2790	2585	92.7	205
12	छत्तीसगढ़	634	537	84.7	97
13	महाराष्ट्र	4818	4623	96.0	195

1	2	3	4	5	6
14.	गोवा	136	136	100.0	0
15.	मेघालय	103	75	72.8	28
16.	मिजोरम	76	23	30.3	53
17.	त्रिपुरा	97	84	86.6	13
18.	अरुणाचल प्रदेश	103	32	31.1	71
19.	मणिपुर	55	45	81.8	10
20.	नागालैंड	59	28	47.5	31
21.	उड़ीसा	1150	1146	99.7	4
22.	पंजाब	1553	1551	99.9	2
23.	राजस्थान	2346	2280	97.2	66
24.	तमिलनाडु	2378	2288	96.2	90
25.	उत्तर प्रदेश	3252	2973	91.4	279
26.	उत्तरांचल	453	389	85.9	64
27.	पश्चिम बंगाल	1879	1857	98.8	22
28.	सिक्किम	47	44	93.6	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49	39	79.6	10
	कुल	37438	35506	94.8	1932

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क को चार लेनों वाला बनाना

1204. **श्री भर्तृहरि महताब :**

श्री अनन्त नायक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क को चार लेनों वाला बनाए जाने की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए अभी तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क को चार लेनों वाला बनाए जाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) उड़ीसा में 427.40 करोड़ रुपए की लागत पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क को चार लेन बनाने का कार्य मंजूर किया गया था।

(ग) परियोजना की वास्तविक प्रगति 40.47 प्रतिशत है।

(घ) इस परियोजना को जून, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

लेखन सामग्री की खरीद

1205. **श्री रघुनाथ झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान लेखन सामग्री तथा सामान्य मदों की खरीद के लिए इस अनिवार्य शर्त के साथ कि "मंत्रालय न्यूनतम दरों को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है तथा बिना कारण बताए किसी/प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है" निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "यह अनिवार्य शर्त सीवीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त निविदाओं पर आज की तिथि तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा वस्तुएं एल-1 निविदाकार के अलावा एल-1 दरों पर खरीदी जा रही हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निविदाओं में प्राप्त दरों तथा एल-1 दरों पर खरीद की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) सीवीसी, मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए तथा वस्तुओं को एल-1 निविदाकारों की बजाए एल-1 दरों पर खरीदने की नीति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सीवीसी मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर दरें नहीं दर्शाए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ज) जी, हां। जुलाई, 2005 तक स्टेशनरी और सामान्य मदों का प्रापण अनुमोदित सरकारी दुकानों अर्थात् केन्द्रीय भंडार/एनसीसीएफ के माध्यम से किया जाता था। नए सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जीएफआर) के कार्यान्वयन में इन दुकानों के माध्यम से स्टेशनरी मदों की खरीद के लिए कोई तरजीह नहीं दी गई है। इस प्रकार, इनको नए सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगी आधार पर खरीदना अपेक्षित है। तदनुसार, विभाग ने जनवरी, 2006 में खुली निविदा आमंत्रित की। पन्द्रह एजेन्सियों ने निविदाएं भेजी थी। मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि सभी 15 एजेन्सियां लगभग 340 मदों में से किसी न किसी मद में न्यूनतम निविदादाता थी, इनमें बहुलोतों से आंशिक आपूर्तियां भी शामिल थी। यह भी देखा गया कि एक ही मद के संबंध में बताए गए मूल्य में काफी ज्यादा अन्तर था। इसलिए प्रस्ताव पर आगे कार्यवाई करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इससे बहुत प्रशासनिक समस्याएं हो सकती थी। अत: यह निर्णय लिया गया था कि अन्य सरकारी विभागों को सामान की पहले से ही आपूर्ति कर रही एजेंसियों से स्टेशनरी मदों तथा अन्य साधारण मदों को वर्गीकृत करके सीमित निविदा मंगाई जाएं। प्रापण संबंधी प्रक्रिया का सुझाव देने हेतु एक समिति भी गठित की गई थी। मई, 2006 में सीमिति निविदाएं मंगाई गई। 8 एजेंसियों से प्राप्त किए गए कोटेशन और उनके मूल्यांकन के आधार पर 4 एजेंसियों को न्यूनतम निविदाकर्ता (एल-1) पाया गया। न्यूनतम निविदाकर्ताओं द्वारा कोट की गई कुछ मुख्य मदों की दरों तथा उन दरों जिन पर यह विभाग एनसीसीएफ के माध्यम से इन मदों का प्रापण कर रहा था, का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अनुमोदित दरें अब कम हैं। ये दरें उन दरों के साथ भी तुलनीय हैं जिन पर अन्य सरकारी विभाग प्रापण कर रहा है। तदनुसार इन मदों की आपूर्ति करने के लिए आंतरिक वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् इन न्यूनतम निविदाकर्ताओं को आर्डर दिए गए हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार इन एजेंसियों के नाम मंत्रालय की वेबसाइट पी भी डाले गए हैं।

अत:, सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों और केन्द्रीय सतर्कता

आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पूरी सावधानी बरती गई है।

औषधीय जड़ी-बूटियों का सर्वेक्षण

1206. श्रीमती मिनाती सेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् तथा केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विचार उत्तरी बंगाल तथा दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ी जिले में औषधीय जड़ी-बूटियों का सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरी बंगाल में औषधीय जड़ी-बूटी संरक्षण क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वायत्त संगठन केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के पास अगली योजना के दौरान इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल राज्य में राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी) की स्थापना राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्कीमों के कार्यान्वयन और औषधीय पादपों के विकास से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए की गई है। बोर्ड संवर्धनात्मक स्कीमों के अंतर्गत औषधीय पादपों के स्व-स्थाने/बाह्य-स्थाने संरक्षण के लिए स्कीमों को कार्यान्वित करता रहा है। औषधीय पादपों के संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों सहित पश्चिम बंगाल राज्य में पहले से संस्वीकृत कर दिया गया है। एसएमपीबी द्वारा प्रेषित उपयुक्त प्रस्तावों पर एनएमपीबी द्वारा संस्वीकृति हेतु विचार किया जाता है।

औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों (एमपीसीए) को सीसीएफ-II कार्यक्रम के अंतर्गत यूएनडीपी द्वारा सहायता प्राप्त और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा संवृद्धि हेतु औषधीय पादप और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को संवर्धित करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" नाम से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में संघटित किया जा सकता है।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन

1207. श्री पी.एस. गड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने स्पेक्ट्रम प्रबंधन संबंधी अपने 28वें प्रतिवेदन में प्रतिरक्षा से 1900 मेगाहर्ट्स बैंड को सीडीएमए ऑपरेटरों हेतु रिक्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या करार के सेवा लाइसेंस के अनुसार आरंभ में जीएसएम ऑपरेटर को सीडीएमए ऑपरेटर के 2.5 मेगाहर्ट्स+2.5 मेगाहर्ट्स की तुलना में 4.4 मेगाहर्ट्स + 4.4 मेगाहर्ट्स मिलता है जोकि 2 : 1 के अनुपात में है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है इस समय जो भी स्पेक्ट्रम उपलब्ध है अथवा रक्षा मंत्रालय द्वारा रिक्त किए जाने के बाद जो भी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा, वह जीएसएम तथा सीडीएमए प्रचालकों को समयबद्ध तरीके से प्रदान कर दिया जाए।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा रिक्त किए जाने के बाद जिस स्पेक्ट्रम के उपलब्ध होने की संभावना है उसे जीएसएम और सीडीएमए दोनों दूरसंचार प्रचालकों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवंटित करने पर विचार किया जाएगा। किंतु यह आवंटन संबंधित फ्रीक्वेंसी बैंडों में इस तरह की प्रौद्योगिकियों के लिए उपस्कर की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाएगा।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) प्रारंभिक स्पेक्ट्रम की यह मात्रा संबंधित प्रौद्योगिकियों

का प्रयोग करने वाले नेटवर्कों के प्रारंभिक रॉल आउट हेतु तकनीकी अपेक्षा मानी गयी थी।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

1208. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संबंधित संगठनों में अनुकंपा आधार पर भर्ती किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर भर्ती हेतु निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देश क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति बनाता है। अनुकंपा के आधार पर भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार, दिवंगत कर्मचारी अथवा चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त हो गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए सामान्य भर्ती-प्रक्रिया में ढील देते हुए विचार किया जाता है। इस प्रकार की नियुक्तियां किसी वर्ष के दौरान रिक्त हुए समूह 'ग' और समूह 'घ' (तकनीकी पदों को छोड़कर) की सीधी भर्ती के कुल पदों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक के पदों पर सर्वाधिक उपयुक्त मामलों में ही की जानी होती हैं। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में किसी आवेदन को अधिकतम तीन वर्ष तक विचाराधीन रखा जा सकता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 283(अ) जो 12 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (वाहनों/निजी कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि 284(अ) जो 12 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 427(अ) जो 17 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (आवास का आबंटन) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4545/2006]

(2) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि न्यास), मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि न्यास), मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4546/2006]

(3) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363(अ) जो 13 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

(उतराई स्थान, माल उतारने-चढ़ाने के स्थान, घट्टी, भांडागार, शेडों तथा अन्य प्रकीर्ण सेवाओं के प्रयोग के लिए दरों का नियतन) संशोधन नियम, 2004 को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4547/2006]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2006 जो 10 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 134 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4548/2006]

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 22 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ) जो 18 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के स्केल V और ऊपर के सभी आफीसर्स को आफीशियल्स को श्रेणी में शामिल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4549/2006]

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2006, जो 16 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2006, जो 16 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2006, जो 16 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2006, जो 16 मई, 2006 के भारत के राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4550/2006]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4551/2006]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 4 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 9 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4552/2006]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 6) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-4/2000-ए एण्ड पी (खंड दो) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4553/2006]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 561(अ) जो 19 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 585(अ) जो 24 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 51(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 586(अ) जो 24 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 587(अ) जो 24 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 621(अ) जो 28 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 622(अ) जो 28 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 637(अ) और का.आ. 638(अ) जो 3 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा करने (चार लेनों वाला बनाने और जंक्शन में सुधार/मुक्त प्रवाह सुविधाओं का निर्माण), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 645(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46

(कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 651(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1040(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 652(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्यमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा काने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 672(अ), का.आ. 673(अ), का.आ. 675(अ), का.आ. 676(अ), का.आ. 680(अ), का.आ. 682(अ), का.आ. 685(अ), का.आ. 686(अ) और का.आ. 687(अ) जो 11 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा काने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 674(अ), का.आ. 677(अ) से का.आ. 679(अ), का.आ. 681(अ), का.आ. 683(अ) और का.आ. 684(अ) जो 11 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै) से (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 711(अ) जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1455(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 712(अ) जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 713(अ) और का.आ. 714(अ) जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सौलह) का.आ. 715(अ) जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोपुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 823(अ) से का.आ. 825 (अ) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(अठारह) का.आ. 693(अ) जो 12 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में गुना बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 729(अ) जो 18 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खण्ड) को जोड़ने वाले ग्वालियर बाईपास के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 730(अ) जो 18 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) को जोड़ने वाले ग्वालियर बाईपास के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 832(अ) और का.आ. 833(अ) जो 31 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खण्ड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) को जोड़ने वाले ग्वालियर बाईपास के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 886(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-कालाघाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 908(अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 958(अ) जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जून, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 866(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 828(अ) जो 30 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 880(अ) से का.आ. 882(अ) जो 12 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों (सलेम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सताईस) का.आ. 888(अ) जो 13 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 900(अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम मदुरै से मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 901(अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 902(अ) और का.आ. 903(अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 904(अ) और का.आ. 905(अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै से मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 927(अ) जो 22 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 पर चेन्नई बाईपास (प्रक्रम-दो) के लिए ग्रेड सेपेरेटर के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 934(अ) जो 23 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 943(अ) जो 23 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 16(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ. 944(अ) जो 23 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 17(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 950(अ) जो 27 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 974(अ) जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 382(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ. 889(अ) जो 13 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में दो टोल प्लाजा में से किसी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (रायपुर-दुर्ग खण्ड) के चार लेन वाले भाग का प्रयोग करने वालों से उद्ग्रहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 864(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिराकपुर-पंचकुला-कालका खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 865(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (कालका-शिमला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 949(अ) जो 26 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का.आ. 961(अ) जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे और सतारा के बीच खम्बटरी घाट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के मौजूदा दो लेन वाले भागों को पक्का बनाने सहित सुरंग के साथ दो अतिरिक्त लेनों के निर्माण से वसूले जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 926(अ) जो 22 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 822(अ) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 789(अ) जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 790(अ) जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि अर्जित करने के लिए झज्जर के जिला राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 802(अ) जो 25 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अम्बाला-जिरकपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 960(अ) जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-II (सोनीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 569(अ) जो 19 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (कोटा बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 642(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़ से कोटा खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 644(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1807(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ. 694(अ) से 699(अ) जो 12 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 705(अ) जो 13 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 784(अ) जो 23 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से शुरू होने वाले तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11अ (विस्तार) पर समाप्त होने वाले दौसा बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 867(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जन हेतु भरतपुर के सब-डिवीजन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 868(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1438(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तावन) का.आ. 869(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1440(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ. 870(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1439(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का.आ. 871(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1441(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का.आ. 872(अ), जो जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा-भरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 679(अ), जो 12 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 784(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट किया गया है।

(बासठ) का.आ. 874(अ), जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 835(अ) से का.आ. 837(अ), जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौसठ) का.आ. 659(अ), जो 6 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 690(अ), जो 12 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासठ) का.आ. 827(अ), जो 30 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 860(अ), जो 7 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु सोलन, हिमाचल प्रदेश के अपर जिला मजिस्ट्रेट को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 639(अ), जो 3 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट) से (पठानकोट-जम्मू) खंडों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (i से x) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4554/2006]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों आपकी जानकारी के लिए मैं गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

स्वीकार किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 14 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर और 736 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा-पटल पर रखे गये।

सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव, जिसे 25.07.2006 को विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्तुत किया "देश के विभिन्न भागों में सुनियोजित आतंकवादी हिंसा, जैसा कि हाल ही में 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की सात लोकल ट्रेनों में हुए श्रंखलाबद्ध बम विस्फोटों जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए और 700 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे, से उजागर होता है कि निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता" के बारे में चर्चा की थी। प्रस्ताव पर छः घंटे तथा छः मिनट चर्चा हुई और अस्वीकृत कर दिया गया।

सभा ने दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों श्री किन्जरपु येरननायडु द्वारा (एक) "देश के विभिन्न भागों विशेषकर आंध्र प्रदेश में चिकुनगुनिया बुखार से उत्पन्न स्थिति" तथा श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा "भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा खाता खुलवाने, ड्राफ्ट जारी करने तथा समाशोधन परिचालन सहित कतिपय महत्वपूर्ण बैंककारी कार्यकलापों को आऊटसोर्सिंग की अनुमति दिए जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति" के बारे में चर्चा की।

सभा में डा. चिन्ता मोहन द्वारा "आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि" के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत लगभग सात घंटे तथा 25 मिनट की एक अल्पावधि की चर्चा की।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के पश्चात् तथा सभा के स्थगन होने से पूर्व अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 62 विषयों पर चर्चा हुई। इस अवधि के दौरान नियम 377 के अंतर्गत 42 मुद्दों को भी उठाया गया।

जहां तक विधायी कार्यों का संबंध है, सभा द्वारा खाद्य सुरक्षा तथा मानक विधेयक, 2005 को पारित करने से पूर्व इस पर लगभग चार घंटे तथा 10 मिनट की चर्चा की गई।

सभा ने बीमांकक विधेयक, 2005 पर भी लगभग 18 मिनट चर्चा की। तथापि चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों का संबंध है, 19 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। फसल बीमा विधेयक, 2005 फसलों को बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से तथा उससे संबंधित मामलों को श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर और विचार किया गया तथा लगभग दो घंटे और 17 मिनट की चर्चा हुई। तथापि चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

इस दौरान, विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों द्वारा दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

सप्ताह के दौरान व्यवधान तथा स्थगन के कारण लगभग सात घंटे तथा 28 मिनट के बहुमूल्य समय की बर्बादी हुई।

तथापि कार्यों के आवश्यक मदों पर विचार करने के लिए सभा की कार्यवाही देर तक चली तथा छः घंटे और तीन मिनट अतिरिक्त समय तक सभा की कार्यवाही चली।

छः घंटे तथा तीन मिनट जिस अवधि के दौरान सभा देर तक बैठी, सभा के सामान्य कार्य पूरे होने के पश्चात् दो घंटे तथा 8 मिनट के समय में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा की गयी।

मैं माननीय सदस्यों का कार्यवाही के दौरान उनके सहयोग तथा आचरण के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोध के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मैं "सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों की जांच" विषय पर समिति के पांचवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(एक) तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : महोदय, मैं उर्वरकों से

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

संबंधित मूल्य निर्धारण और फीड स्टॉक नीतियों के संबंध में समिति के दसवें प्रतिवेदन (चौदहवां लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2005-06 का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) "कीटनाशकों का उत्पादन और उपलब्धता" के बारे में तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का 48वां प्रतिवेदन।

(2) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों 2005-2006" के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) का 8वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : महोदय, मैं "रक्षा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा की समीक्षा" के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

उन्तीसवां से तैंतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 31वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक नेटवर्क का कार्यकरण और विस्तार', के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, मैं

"हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मो. सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं "दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)" विषय पर समिति के आठवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी और चण्डीगढ़) के प्रशासन के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जल विवाद अधिकरणों द्वारा दिए गए विभिन्न पंचाटों के कथित उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है इसलिए हमें इस पर इस तरीके से चर्चा करनी चाहिए कि किसी प्रकार की अनिश्चितता अथवा गलतफहमी पैदा न हो।

श्री अर्जुन सेठी।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे इस विषय पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :

"जल विवाद अधिकरणों द्वारा दिए गए विभिन्न पंचाटों का कथित उल्लंघन।"

*जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : बेसिन राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) तथा उड़ीसा के बीच दिनांक 2 अप्रैल, 1980 को अंतर्राज्यीय समझौते में आंध प्रदेश सरकार द्वारा 150 फुट एफआरएल/एमडब्ल्यूएल सहित पोलावरम परियोजना के निर्माण की व्यवस्था है। इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि या तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सुरक्षात्मक तटबंध का निर्माण और रखरखाव किया जाए या पोलावरम परियोजना की लागत पर पश्च जल प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण एफआरएल 150 फुट से अधिक किए जाने पर प्रभावित होने की संभावना वाली भूमि और संपत्ति के मुआवजे की अदायगी की जाए।

यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन है और इस परियोजना को योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान कर दी है। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी जनजातीय मामला मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

---

*पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4556/2006।

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

पोलावरम जलाशय द्वारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जलमग्नता से प्रभावित होने की संभावना वाले भूभागों की जलमग्नता संबंधी मुद्दे पर जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकारों के साथ बैठक की है। जल संसाधन मंत्रालय ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने तथा मामले का समाधान करने के लिए पक्षकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक 26 सितम्बर, 2006 को नई दिल्ली में बुलाई है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्माननीय सभा में इस विशेष मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जनता की भलाई के लिए किसी राज्य विशेष द्वारा किसी परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के विरुद्ध नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यही भावना होनी चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी : मेरी वास्तविक समस्या या चिंता तभी उत्पन्न होती है जब किसी राज्य द्वारा किसी परियोजना के क्रियान्वयन से अन्य राज्यों के हित प्रभावित होते हैं। जैसाकि मैंने कहा कि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

जहां तक गोदावरी जल-विवाद अधिकरण का संबंध है, माननीय मंत्री ने यह कहा है कि अधिकरण ने 150 फुट एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. तक परियोजना के निर्माण की सिफारिश की है। मंत्री महोदय, ने और कुछ नहीं कहा है तथा उन्होंने गोदावरी जल-विवाद अधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को स्वीकार किया है। अब यह बताया गया है कि संबंधित राज्यों की वर्ष 1997 में एक अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि 36 लाख क्यूसेक का डिजायन स्वीकार करने पश्च जल प्रभाव के कारण जल स्तर 182 फुट एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. तक बढ़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा के सात गांव और 1026 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने की संभावना है।

यदि वे परियोजना निर्माण 150 फुट एफ आर एल/एम.डब्ल्यू.एल. तक ही रखते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि संबंधित राज्य इस बात से सहमत है। अब यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने एक बैठक में सूचित किया है कि वे परियोजना का 182 फुट एफ आर एल/एम.डब्ल्यू.एल तक निर्माण करेंगे जिससे उड़ीसा के अनेक गांव विशेषरूप से मलकाना जिला प्रभावित होगा। महोदय, इन क्षेत्रों में जैसा कि आप जानते हैं कि विशेषरूप से बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और इसके कारण उनके घर पानी में डूब जाएंगे।

उड़ीसा सरकार ने अनेक बार उन्हें लिखा कि वे 182 फुट एफ आर एल/एम डब्ल्यू एल से अधिक निर्माण न करें। केन्द्रीय जल आयोग के तत्वावधान में अनेक बार बैठकें भी हुई हैं। जहां तक मुझे याद है, तीन बार अर्थात् 1997, 2000 और 2001 में इस मुद्दे को निपटाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने बैठकें भी की हैं। प्रत्येक बैठक में केन्द्रीय जल आयोग और उड़ीसा सरकार, दोनों ने आंध्र प्रदेश सरकार से पश्च जल प्रभाव का ब्यौरा देने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय जल आयोग तथा उड़ीसा सरकार जांच के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तथा 182 फुट एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. तक पश्च जल की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे।

आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। इसलिए यह मुद्दा अभी भी केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना का निर्माण 150 फुट एफ.आर. तक रखेगी अथवा उन्होंने इसे बढ़ाकर 182 फुट कर दिया है।

दूसरे, मैंने परियोजना के ब्यौरे के संबंध में इस सत्र में ही अनेक प्रश्न पूछे हैं। आज भी उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात का ब्यौरा नहीं दिया है कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना का निर्माण स्तर 182 फुट एफ.आर. करेगी। मैं इसके बारे में ब्यौरा जानना चाहता हूं। इसी प्रकार, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी है। इस विषय के संबंध में वह अतारांकित प्रश्न का उत्तर ही टाल गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंदिरा सागर अथवा पोलावरम परियोजना के निर्माण की स्थिति के बारे में नहीं बताया है। मंत्री महोदय ने सभा में यह उत्तर दिया है।

एक अन्य बात मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति देने में कितना समय लगा। 10.10.2005 को परियोजना संबंधी रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास भेजी गई और मंत्रालय ने 25.10.2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 15 दिन के भीतर ही पर्यावरण स्वीकृति प्रदान दे दी गई। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इस परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का केवल 15 दिन के भीतर ही किस तरह अध्ययन किया जा सकता

है जबकि इस तरह की कई परियोजनाएं महीनों और वर्षों से लंबित पड़ी हैं। उन परियोजनाओं को मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया क्योंकि इस परियोजना के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई है। हाल ही में श्री विजयकृष्णन के मार्गनिर्देशन में इस समिति ने पोलावरम परियोजना का दौरा किया। 'आदिवासी समसिख्म' परिषद् ने इस परियोजना का विरोध करते हुए भारी रैली निकाली। परिषद के राज्य संयोजन ने एक ज्ञापन भी दिया और ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले संभावित विस्थापित आदिवासी समूहों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि सी.पी.आई. (एम) नेताओं ने उस होटल के सामने इस परियोजना का विरोध किया जहां समिति के सदस्य रातभर ठहरे थे। वे इसलिए नाराज थे क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को एक-एक करके समिति के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा रही थी जबकि अन्य शिष्टमंडल को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। यह समस्या है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना का निर्माण 182 फुट एफ आर तक होगा?

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इस बारे में कोई जानकारी है। यदि उनके पास कोई जानकारी नहीं है तो क्या वे इस क्षेत्र में कोई शिष्टमंडल भेजेंगे ताकि वह वहां की समस्या का अध्ययन कर सके।

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि मैं जनता के लाभ के लिए किसी भी परियोजना को क्रियान्वयन के कारण उड़ीसा राज्य प्रभावित होगा, मैं उसके बारे में चिंतित हूं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इसके संबंध में कोई जानकारी है अथवा नहीं। संबंधित राज्य सरकार प्रभावित राज्यों को तथा स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है,

अध्यक्ष महोदय : अब श्री महताब सीधा-सीधा दूसरा प्रश्न पूछेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, ऐसा कहा गया है कि किसी भी सभ्यता के विकास और विनाश में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पृथ्वी पर सबसे सामान्य तत्व है। परन्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल एक प्रतिशत जल ही उपलब्ध है।

महोदय, गोदावरी नदी एक अन्तर्राज्यीय नदी है जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। इस नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य शामिल हैं। जैसा कि कहा गया है कि पहले न्यायाधिकरण का गठन वर्ष 1969 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2 अप्रैल, 1980 को प्रस्तुत की। इस न्यायाधिकरण का मुख्य पंचाट यह था कि पोलावरम परियोजना के अभिकल्प पहलू को पूरी तरह से केन्द्रीय जल आयोग पर छोड़ दिया गया। राजामुंद्री से नदी बहाव के विपरीत 52 कि.मी. की दूरी पर इसे बनाया जाना था। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया है कि हमारी चिंता यह है कि यदि इस परियोजना को अमल में लाया जाएगा तो गोदावरी की सहायक नदियों अर्थात् साबरी तथा सिलेरी, जो उड़ीसा के मलकानगिरी जिले से होकर गुजरती है, अनेक गावों तथा बसावटों, विशाल वन भूमि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों, जो कि खनिज पदार्थों से भरपूर हैं, से जलमग्न हो जायेंगे। ये वो तीन पहलू हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, इसलिए मेरा प्रश्न है कि साबरी तथा सिलेरी नदियों के साथ-साथ उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के मोतू तहसील तक के क्षेत्र जलमग्न हो जायेंगे और इससे 10 से अधिक गांव पानी में डूब जायेंगे तथा हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हो जायेंगे। 1980 के समझौते के अनुसार 150 फुट अथवा 45.72 एफ आर एल/एम डब्ल्यू एल मी. जिसका पंचाट में उल्लेख किया गया था, तक ही परियोजना का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा अभिकल्प पहलू तथा अन्य बातों को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगा कि आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, पिछले वर्ष दिसम्बर में विशेष उल्लेख के दौरान मैंने इस विषय को उठाया था जिसका माननीय मंत्री जी ने हाल ही में 21 जुलाई को उत्तर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह न केवल मेरे लिए बल्कि उड़ीसा सरकार के लिए भी एक समाचार है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय

[श्री भर्तृहरि महताब]

परियोजना शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है। जब केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दिए जाने की प्रतिक्षा की जा रही है तो आंध्र प्रदेश सरकार का यह कर्तव्य है और केन्द्र सरकार को भी इसे लागू करना चाहिए कि वह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति उड़ीसा राज्य सरकार के पास भेजे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। विवाद का मुद्दा यह है कि तीन बैठकों में तीन अलग-अलग प्रकार की सूचनाएं दी गयी हैं।

यदि आप 150 फुट तक निर्माण रखना चाहते हैं तो वैसी ही रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। यदि आप 182 फुट चाहते हैं तो यह आपकी समस्या है। हम इससे सहमत हों या न हों। आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। परन्तु पर्यावरण स्वीकृति तथा अन्य प्रयोजनों के लिए आप तीन-अलग-अलग स्थानों पर तीन अलग-अलग रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे हैं। यही हमारा विरोध है। आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए केवल एक रिपोर्ट लागू करें। आप 182 फुट की बात कर रहे हैं, केन्द्रीय जल आयोग को 180 फुट बता रहे हैं और उड़ीसा सरकार को 150 फुट बता रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उड़ीसा सरकार आग्रह कर रही है कि 1980 के पंचाट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त फील्ड सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा भी कहा गया था कि इसकी अनुमानित लागत 9265 करोड़ रु. होगी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि इसकी अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रु. होगी। मुझे नहीं मालूम कि लागत के बारे में जो कुछ आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है उसके बारे में केन्द्र सरकार अवगत है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसे राज्यों द्वारा हल किया जाना चाहिए। हमें इसी भावना से कार्य करना चाहिए। सभी संबंधित राज्यों द्वारा इस समस्या का हल करना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब : आप जब निर्माण लागत में वृद्धि कर रहे हैं तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। हमारी यही चिंता है कि आप हमें जानकारी दें। आप इसे 40,000 करोड़ रु. तक बढ़ा सकते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : महताब जी समाप्त कीजिए। मुझे खेद है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं आपको पहले ही आठ मिनट दे चुका हूं। अन्यथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का महत्व ही समाप्त हो जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं तीन मुद्दे और उठाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का अपार भंडार है। यहां लौह अयस्क पाया जाता है। सिंगारेनी कोलफील्ड यहां तक फैला हुआ है और इस परियोजना से जो क्षेत्र जलमग्न होगा वह इसी का भाग होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक सहयोगी तथा कुशल वक्ता हैं। आप अपना प्रश्न क्यों नहीं पूछते?

श्री भर्तृहरि महताब : सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यदि यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के विचाराधीन है तो मंत्री महोदय को इसके बारे में बताना चाहिए। ईआईए आधारित अध्ययन अब अप्रचलित हो गया है। यह 2001 की जनगणना से मेल नहीं खाता।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि सभी जनजातीय क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक नई बात कह रहे हैं। मैंने उड़ीसा के तीन वरिष्ठ सदस्यों को बोलने के लिए पुकारा है। ज्यों ही मेरा ध्यान इस ओर दिलाया गया मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दी। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं? यदि आप इसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने विषय के महत्व को कम नहीं किया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, यह विषय संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है। क्या इसके अध्ययन का प्रयास किया गया है? केंद्र सरकार का कोई भी विभाग जनजातियों को उस क्षेत्र से विस्थापित नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप न करें।

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करने के लिए आपके आभारी हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विगत की तरह उड़ीसा का हमेशा ही नुकसान हुआ है। संप्रग सरकार हमेशा ही उड़ीसा के हितों के विरुद्ध रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। आंध्र प्रदेश ने भारत सरकार की मिली-भगत से पंचाट का उल्लंघन किया है। यही हमारा आरोप हैं। उन्होंने पंचाट का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : मैं केवल स्पष्टीकरण ही मांग रहा हूं। मैं अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्लेख नहीं करूंगा।

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1980 में यह पंचाट दिया था। पंचाट में यह स्पष्ट है कि उन्हें केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति लेनी चाहिए। क्या उन्होंने इस परियोजना पर कार्य करने से पूर्व स्वीकृति ले ली है? यह मेरा पहला प्रश्न है। समझौते को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग को इस परियोजना के अभिकल्प को अन्तिम रूप देना चाहिए। क्या केन्द्रीय जल आयोग ने यह तय किया है?

उन्होंने अभिकल्प को अंतिम रूप दे दिया है, उन्होंने इस बात को भी अंतिम रूप दे दिया है कि कितना जल स्तर रखा जाएगा? मैं यह जानना चाहता हूं क्या इन सब बातों को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। यह प्रश्न वन और पर्यावरणीय स्वीकृति से उत्पन्न हुआ है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 25 अक्तूबर, 2005 को प्रदान की गयी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार 4606 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। उसमें से 3249 हेक्टेयर वन भूमि है। इसके अनुसार 6312 जनजातिय लोग प्रभावित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मलकानगिरी एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोगी द्वारा इसका व्यापक रूप से उल्लेख किया जा चुका है। इसकी पुनरावृत्ति से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : राज्य नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित है। वे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रही है ...*(व्यवधान)* उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आंध्र प्रदेश राज्य दिखा रहा है*।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उस शब्द का प्रयोग न करें। उस शब्द का लोप किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : ठीक है। लेकिन वे सी.डब्ल्यू.सी. तथा भारत सरकार की स्वीकृति बिना ही इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मैं और दो सदस्यो को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : केन्द्रीय अधिकारिता समिति का गठन किया गया है तथा राज्य सरकारों को समिति के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मामले को निपटाने का अनुरोध किया है...*(व्यवधान)* हम आंध्र प्रदेश के हितों के विरुद्ध नहीं हैं ...*(व्यवधान)* केन्द्रीय अधिकारिता समिति का गठन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय अधिकारिता समिति से आवश्यक अनुमति लेने के पश्चात् इस परियोजना पर कार्यवाही करेगी। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इस कारण से मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया है। ये बहुत संवेदनशील मामले हैं। आखिरकार, हम सभी भारतीय हैं और इस महान देश के रहने वाले हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं का इस तरह से समाधान किया जाए कि हमारे देश की छवि भी बनी रहे। सरकार इसका उत्तर देगी। सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के विचारों पर भी ध्यान देना होगा। आपने इस मामले को बड़े जोरदार ढंग से उठाया है। मुझे एकाध सदस्यों को और बोलने की अनुमति देने दीजिए। सूची में तीन सदस्यों के नाम उल्लिखित हैं। आप जानते हैं कि दो और सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी है। मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। निःसंदेह, मैं ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हूं। यदि आप सभा में आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो हम किस तरह सभा का संचालन कर सकते हैं? अभी हमें उड़ीसा के सदस्यों के विचारों का पता चला है। मंत्री महोदय उत्तर देंगे। वे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।

(व्यवधान)

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : उन्हें निर्माण कार्य रोकना चाहिए। सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : धैर्य रखें। मैं पहले ही प्रो. एम. रामदास को बुला चुका हूं।

प्रो. रामदास आप पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं?

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय के उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदय, प्रो. रामदास पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पांडिचेरी आंध्र प्रदेश के मुद्दे का समर्थन करता है।

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव (एलूरू) : मैं आंध्र प्रदेश की ओर से बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आपने सूचना देने का कभी कष्ट नहीं किया है। आप अभी सक्रिय हुए हैं। आप तो अपने राज्य के बारे में बहुत अधिक चिंतित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। यह एक रिवाज बन गयी है। प्रो. रामदास, आप एक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया स्पष्टीकरण मांगें अन्यथा मैं इस मामले को समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी के कराईकल क्षेत्र के संबंध में कावेरी अधिकरण एवार्ड के उल्लंघन की ओर दिलाना चाहता हूं। यह उन चार राज्यों में से एक है जो कावेरी अधिकरण एवार्ड के अंतर्गत आते हैं। जैसाकि आप जानते हैं, कि कावेरी अधिकरण एवार्ड द्वारा दिए गए पंचाट के उल्लंघन के कारण कराईकल क्षेत्र के अंतिम छोर में पिछले 15 वर्षों में छह टी.एम.सी. पानी नहीं पहुंच पाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप कावेरी अधिकरण के मुद्दे पर चले गए हैं। मुझे खेद है। वाद-विवाद में न पड़ें।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : महोदय, यह वाद-विवाद नहीं है। मैं तो केवल कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इसी मुद्दे पर बोल सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं आता है?

प्रो. एम. रामदास : महोदय, यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत ही आता है। यह मामला जल-विवाद अधिकरणों द्वारा दिए गए विभिन्न पंचाटों के उल्लंघन के बारे में है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ बहस मत कीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

प्रो. एम. रामदास : महोदय, कावेरी अधिकरण द्वारा दिए गए पंचाटों का निरंतर उल्लंघन होता है।

कावेरी अधिकरण पंचाट को, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु को 205 टी.एम.सी. पानी तथा कराईकल को 6 टी.एम.सी. पानी देना विनिर्दिष्ट किया गया है, लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। यह पंचाट वर्ष 1991 में दिया गया था और पिछले 15 वर्षों से इसका उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में कावेरी प्राधिकरण का भी गठन किया गया है लेकिन इसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। प्राधिकरण में माननीय प्रधानमंत्री तथा चार मुख्यमंत्री हैं। उनके पास अधिकरण का पंचाट लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

अत:, क्या सरकार पंचाटों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु भाखड़ा नांगल नदी घाटी प्राधिकरण की तरह पर कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन करेगी अथवा उसे ऐसा प्राधिकरण बनाएगी जिसके पास कानूनी शक्ति हो और तकनीकी व्यक्ति हों?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। कृपया बात समाप्त कीजिए अन्यथा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं श्री के.एस. राव को बुला रहा हूं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रत्येक नोटिस के साथ मुझे नियम 197 शब्द जोड़ना पड़ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं समय देने में असमर्थ हूं; मैं समय देने के लिए इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैंने कहा था कि दो सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है। लेकिन आप चर्चा से काफी बाहर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछा है। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब, श्री के.एस. राव। कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित एक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, मैं उनके साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अध्यक्षपीठ को निर्देश देने की कोशिश न करें। इस गंदी आदत को छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया केवल दो प्रश्न उठाने की अनुमति दे दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : जी नहीं, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत समझिए कि मैं इतना कमजोर हूं कि मैं सभा में अनुशासन लागू नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : मैं अभी भी स्पष्टीकरण मांग रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूछिए। आप एक प्रश्न पूछने में कितना समय लेंगे?

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं लीक से हटकर निर्धारित समय और नियमों के भीतर यथासम्भव सदस्यों को बोलने का अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन किसी को भी अध्यक्षपीठ की समस्याओं पर विचार करने की चिंता नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : दूसरे, मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह जल संग्रहण के लिए कराईकल क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर 'चैक डैम' का निर्माण करेगी ताकि किसान कृषि कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकें और सरकार उन्हें जल अनुपलब्धता से बचा सके....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अवसर का पूर्णत: दुरुपयोग किया है।

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव : महोदय, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के नौ जिलों के तीन करोड़ लोगों की महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के.एस. राव]

की बछावत पंचाट के अनुसार दो वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों के बीच इस संबंध में एक स्पष्ट समझौता हुआ था। यदि इस परियोजना के कारण उड़ीसा जलमग्न होता है तो दोनों सरकारों में सहमति हुई थी कि उड़ीसा सरकार के पास आप्लावन को रोकने के लिए यह विकल्प होगा कि वह उस विशेष क्षेत्र में मिट्टी का बांध बनाने के लिए कहे अथवा इस क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग करे। इसलिए इस परियोजना का 150 फीट की ऊंचाई तक निर्माण करने में कोई उल्लंघन नहीं है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य करना और जल संसाधन मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) को बिना और देर किए कब तक मंजूरी दे दी जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे मुझे बहुत खेद है। मैंने कभी भी पांच से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे। अन्यथा मैं चर्चा को समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह शोभा नहीं देता। प्रो. रासा सिंह रावत आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका नाम इसके लिए नोटिस देने वालों में नहीं था। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए दिए नोटिस में आपका नाम नहीं था। आप नियम जानते हैं। केवल पांच सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप पूरा डिसकशन करना चाहते हैं तो उसके लिए समय देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रावत आपके नेता एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अन्य सदस्य भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपने नेता के बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बहस की अनुमति दूंगा। किंतु यह ध्यानाकर्षण के नाम पर नहीं होनी चाहिए। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं जानबूझकर नियमों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दूंगा। मैं स्वयं सुझाव दे रहा हूं कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में नियम 193 के आधीन सूचना दें। मैं विचार करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रतिदिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं। जब से मैं अध्यक्ष बना हूं मैंने 78 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को अनुमति दी है। कृपया पता लगाएं कि पहले ऐसे कितने प्रस्तावों की अनुमति दी गई थी। यदि आप मुझे सहयोग नहीं देंगे तो मैं ऐसे कैसे कार्य करूंगा। मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : इस पर डिबेट होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

मैं इस मामले पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री ज्ञारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं अलग पार्टी से हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पूरा सम्मान दिया है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि आज आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री महताब के प्रारंभिक वक्तव्य ने मेरे दिल और दिमाग में हर्ष पैदा कर दिया है, जब उन्होंने कहा कि वह और उनके सहयोगी किसी विकास परियोजना अथवा पोलावरम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं।

श्री अर्जुन सेठी : हम भी इसके खिलाफ नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन सोज : वह बहुत अच्छा वक्तव्य था। यही भावना होनी चाहिए। हम विकास चाहते है। हम उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जो विस्थापित हो गए हैं। उनके बारे में भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए। आपने इसके बारे में अच्छी शुरूआत की है।

प्रारम्भ में मैं सम्माननीय सभा को इस जानकारी से अवगत करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना का निर्माण करना चाहती है। इस परियोजना से 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और इससे 4.69 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसलिए यह आंध्र प्रदेश के लिए विकास की अच्छी स्थिति होगी। गोदावरी अधिकरण का बांध निर्माण और समानता तथा न्याय के आधार पर विस्थापितों के साथ व्यवहार के बारे में बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण है। इसका वहां पूरी तरह अनुपालन हो रहा है।

आंध्र प्रदेश में आप्लावन 601 वर्ग कि.मी. तक है; मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह 24 वर्ग कि.मी. है तथा उड़ीसा में यह केवल 12 वर्ग कि.मी. होगा। श्री महताब और उनके सहयोगियों ने प्रश्न उठाया है कि क्या ऊंचाई 150 फिट होगी अथवा यह 180 फिट तक जा सकती है। सबसे पहले मैं इस सम्माननीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि अधिकरण का इसके बारे में क्या विचार था। यह पैराग्राफ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए। इसमें कहा गया है :

"उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना के निर्माण पर सहमत हैं ताकि उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में मोतू/कॉटा में पश्च जल के प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण अधिकतम आप्लावन आर.एल. +150 फीट से अधिक न हों। केंद्रीय जल आयोग के परामर्श से अधिकतम संभावित बाढ़ के लिए इस परियोजना की डिजाइन तैयार की जाएगी जिससे कि उपर्युक्त उल्लिखित आप्लावन की सीमा पार न हो। सरकार और प्राइवेट पार्टियों को आप्लावित भूमि और सम्पत्तियां, दोनों के लिए उड़ीसा राज्य में परियोजना निर्माण के समय लागू मानकों के आधार पर मुआवजे और पुनर्वास की लागत परियोजना से ली जाएगी। वास्तविक रूप से आप्लावन के पूर्व परियोजना की लागत पर माडल गांव बनाये जाएंगे जिनमें सभी सुविधाएं होंगी।"

इसकी आगे व्याख्या करने वाला एक और पैराग्राफ है। इसलिए, मैं जल्दी से श्री महताब के प्रश्न पर चर्चा करता हूं जो कि निश्चित है। बांध को 180 फीट तक ऊंचा करने का कोई प्रावधान और प्रश्न नहीं है। किंतु गोदावरी अधिकरण ने सावधानी के साथ यह निर्णय लिया है। इसका अभी उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि कभी-कभी मूसलाधार वर्षा के कारण बहने वाले पानी पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने आगे स्पष्ट किया :

"(क) उन सभी भवनों, जिनकी संबंधित भूमि आर.एल.+150 (एक सौ पचास) फीट से ऊपर स्थित है, जो कि पश्च जल प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण प्रभावित होगी, के लिए मुआवजा दिया जाए और विस्थापितों इत्यादि का परियोजना की लागत पर उसी पैटर्न पर पुनर्वास किया जाए जैसे आर.एल. +150 (एक सौ पचास) फीट से कम पर किया जाता है।"

अथवा

मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। यदि बांध की एफ.आर.एल. जो कि 150 फीट है, में कोई वृद्धि की जाती है तो यह वृद्धि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उड़ीसा सरकार के साथ विचार-विमर्श नहीं हो जाता है। उसमें केंद्रीय जल आयोग को शामिल किया जाएगा। किंतु अब जैसी स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय जल आयोग पूरी परियोजना का मूल्यांकन कर रहा है...*(व्यवधान)* पूरी परियोजना का मूल्याकन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बिल्कुल सही और निश्चित वक्तव्य दिया है कि यह 150 फीट का ही होगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : केंद्रीय जल आयोग इसका मूल्यांकन कर रहा है। पूरी परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। मैंने बताया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : यह स्वीकृति केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही दी गई थी वन के दृष्टिकोण से नहीं...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : जब बांध डिजाइन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया है तो वे मंजूरी कैसे दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

किंतु जैसे ही मैंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 7 फरवरी, 2006 को मुझसे मिले और हमने गोदावरी पंचाट पर चर्चा की। मैं इस सम्माननीय सभा में बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गोदावरी अधिकरण अवार्ड का अक्षरशः पालन किया जाएगा और वह उड़ीसा सरकार से सम्पर्क करने का उपाय करेंगे। उन्होंने कहा है कि अधिकारी स्तर की बैठक होगी और उसके बाद वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मैंने उनको भी एक पत्र लिखा हैं कि उन्हें उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। उन्होने उनसे बात की और तत्पश्चात् 27 फरवरी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मेरे पास आए और इस परियोजना पर चर्चा की। उन्होने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते गोदावरी पंचाट को पूरी तरह लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मुआवजा दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से यह स्थिति पैदा हो गई।

उसके बाद मैं पत्रों के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्रियों के सम्पर्क में हूं और मैंने 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सावधान कर दिया था और मैंने उन्हें जो लिखा है उसका अंतिम भाग पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

> "पश्च जल स्तर के निर्धारण के आकार पर उड़ीसा सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल आयोग को सूचित करना चाहिए कि गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट में यथा उल्लिखित दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपनाएंगे?"

इस तरह उड़ीसा सरकार के पास विकल्प उपलब्ध हैं। जब तक उड़ीसा सरकार कोई विकल्प नहीं अपनाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अतः किसी बात का खतरा नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है—कि वह गोदावरी पंचाट का पालन करेंगे और यह मेरे मंत्रालय के रिकार्ड में है। मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाये गए प्रश्न के उत्तर में यही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उन्होंने एक और प्रश्न उठाया था कि क्या डी पी आर उपलब्ध होगी। सके बारे में पारदर्शी होना पड़ेगा। हमारे यहां लोकतंत्र है। डी पी आर तैयार की जाएगी और इसे उड़ीसा सरकार को भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्यों नहीं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मंत्री जी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं अगले विषय पर बढ़ता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम आप मंत्री रहे हैं। आपको परिपक्वता दिखानी चाहिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : मैं भी मिनिस्टर रह चुका हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी उड़ीसा में जो प्राब्लम हो रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। कृपया मेरी पूरी बात सुनिए।

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो परियोजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है। मैं उन्हें कुछ भी कहने के लिए कह नहीं सकता और आप भी नहीं कह सकते।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : और सुरक्षोपाय करने हेतु तथा अंतिम करार के बारे में निश्चित होने के लिए मैंने अगस्त में दो मुख्यमंत्रियों की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बैठक बुलाई है परन्तु सत्र के कारण इसे सितम्बर तक स्थगित कर दिया गया है। इसलिए, मेरी संतुष्टि के अनुसार ही उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और मैं इसके बारे में कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाओं को पूरी सभा ने जान लिया है और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसे ध्यान में रखेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, श्री अर्जुन सेठी ने भी 180 फीट के बारे में वही बात दोहराई है। 180 फीट तक ऊंचाई बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि हम 180 फीट तक ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो यह केंद्रीय जल आयोग की अनुमति से, उड़ीसा सरकार की अनुमति से और उड़ीसा सरकार को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में पूर्ण सावधानी अपनाते हुए करना पड़ेगा। उनके संतुष्ट होने पर यह कार्य किया जाएगा। इसलिए, मैंने श्री अर्जुन सेठी के प्रश्न का उत्तर दिया है।

प्रो. रामदास ने कावेरी नदी जल विवाद की बात की है। मैं उसका उत्तर अभी नहीं दे सकता। यह अलग स्थिति है परन्तु मैं इसकी जांच करूंगा और उन्हें स्थिति से अवगत कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप जांच करें और कावेरी के बारे में उन्हें बताएं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने कहा है कि उड़ीसा को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं कि इसका सवाल नहीं उठता। सभा को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उड़ीसा को नुकसान नहीं होगा।

जहां तक केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी का संबंध है तो मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय जल आयोग मूल्यांकन प्रक्रिया से ही गुजर रहा है।

श्री के.एस. राव कहते हैं कि यह आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मैं उनसे सहमत हूं कि यह उनके लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है और उनके यहां विकास हुआ है। किंतु हमें विस्थापितों का भी ध्यान रखना होगा और उड़ीसा को गोदावरी ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार पूर्ण मुआवजा देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : पर्यावरण मंजूरी पर भी ध्यान दें। मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है और हर कार्य गोदावरी ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार ही किया जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : हम माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं...*(व्यवधान)* इससे उड़ीसा के हितों को खतरा पैदा हो जाएगा। हम इसके खिलाफ हैं...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जब अधिकल्प भी अभी तक तैयार नहीं किया गया है और जब इसकी सी डब्ल्यू सी द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है तो पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी कैसे दे दी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपकी ओर से कहा है कि पर्यावरणीय मंजूरी कैसे दी गई थी।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री हूं। मैं पर्यावरण मंत्री नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह पर्यावरण मंत्री नहीं हैं। आप कृपया पता लगाकर उन्हें बताएं।

अब हम प्रश्न काल के पश्चात् महत्वपूर्ण मामलों पर आते हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम माननीय मंत्री के उत्तर से सहमत नहीं हैं; इसलिए हम विरोध स्वरूप बाहर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है।

अपराह्न 12.52 बजे

(इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, हम भी माननीय मंत्री के उत्तर से सहमत नहीं हैं इसलिए हम भी विरोध स्वरूप बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.52½ बजे

(इस समय श्री विक्रम केशरी देव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह अध्यक्ष के खिलाफ नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब की बारी लंच के बाद आयेगी। प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे 58 माननीय सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसलिए मैं संभवत: अपराह्न 1.00 बजे तक यह नहीं कर सकता। इसलिए, कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करे मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, 31 जुलाई को दिल्ली में कई घटनाएं घटीं, जिनमें 11 हत्याएं हुईं। इन 11 हत्याओं में एक परिवार के दो व्यक्ति, एक परिवार का एक व्यक्ति और एक परिवार के सात व्यक्तियों की हत्या हुई। जिस परिवार के सात व्यक्तियों की हत्या हुई, उसमें युवतियां भी थीं। उसकी सिर्फ हत्या ही नहीं हुई, बल्कि उस युवती के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उसका प्राइवेट अंग काट दिया गया और एक के ऊपर एक लाश रखकर अपराधी वहां से भाग गये।

दिल्ली आपराधिक घटनाओं में अपना एक इतिहास बना रहा है। वैसे तो देश के हर भाग में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, विधि-व्यवस्था की स्थिति बुरी से बुरी है, लेकिन दिल्ली में चलती हुई गाड़ी में बलात्कार, इस तरह से एक-एक परिवार के सात व्यक्तियों की हत्या और युवतियों के साथ बलात्कार, उनका अंग काटकर और एक के ऊपर एक लाश रखने की घटना से हमको लगता है कि यह देश में एक अनहोनी घटना के रूप में देखी जाती है। दिल्ली का प्रशासन न सिर्फ राज्य सरकार के, बल्कि केन्द्र सरकार के भी जिम्मे है और यहां सारे लोग बैठे हुए हैं। यहां प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सारे आला पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इस घटना से यह बात साफ हो चुकी है कि अपराधियों के मन से कानून और पुलिस का भय समाप्त हो चुका है।

हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस गम्भीर सवाल पर सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे कि अपराधियों पर काबू पाने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है। कानून का राज स्थापित करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में वे कौन सी कार्यवाई करने जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं और सिर्फ अनुरोध नहीं, प्रिय रंजन दासमुंशी जी बैठे हुए हैं, ऐसी गम्भीर घटना पर सरकार रैस्पॉस नहीं लेगी तो किस घटना पर रैस्पॉस लेगी। ये सदन में आश्वासन दें कि ये क्या करने जा रहे हैं, नहीं तो गृह मंत्री जी यहां आकर सदन में इस बात का उत्तर दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह मामला उठाने की अनुमति दी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम तो आपके सब आदेश मानते हैं, आप सरकार को भी कहिये कि रैस्पॉंड करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं दिल्ली के सदस्य को भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सरकार को भी बोला है, सुबह ऑलरेडी बोला है, आपने सुना है।

[अनुवाद]

अन्य मामले पर वे एक वक्तव्य देंगे। कानून-व्यवस्था एक गम्भीर मामला है और मुझे विश्वास है कि वे ऐसा ही करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने कल भी इस बारे में प्रश्न उठाया था। यह सिर्फ दिल्ली में एम.पीज. का सवाल नहीं है। मैंने कल आपको इस बात का नोटिस भी दिया था। रविवार को दिल्ली में 11 हत्याएं हुईं, जिनका उल्लेख अभी किया गया। एक ही परिवार के सात सदस्य, छोटे बच्चे से लेकर बड़े माता-पिता तक, जिनमें चार बेटियां थीं, जिनमें तीन साल की, 17 साल की, 16 साल की, 14 साल की और एक बेटा भी था।

एक सात वर्ष का बच्चा था, उसकी भी हत्या कर दी गयी। जिस नृशंस तरीके से हत्या की गयी, जिस तरीके से उनको मारा गया, जिस तरीके से उनके शरीर काटे गए, जिस तरह से उनके गले काटे गए, उससे सारी दिल्ली सहम रही है। उस दिन एक और दम्पत्ति की हत्या हुयी और एक दम्पत्ति ही नहीं पिछले दो वर्षों में करीबन सौ से ज्यादा दंपत्तियों की हत्यायें हो चुकी हैं। उसके पहले बलात्कार की इतनी ज्यादा घटनाएं हुईं और लगातार हो रही हैं। जब हमने पिछली बार इस प्रश्न को उठाया था, तो यहां पर गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम काबू पा रहे हैं। हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली की जनता को आश्वासन देते हैं कि इन घटनाओं को रोका जाएगा। एक दिन में 11 हत्यायें हों और 100 से ज्यादा यहां पर अकेले रहने वाले दंपत्ति मार दिए जाएं। दिल्ली में इतनी सहम है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। रात के समय बच्चे सो नहीं पाते। महिलाओं को खटका होते ही लगता है, पता नहीं कैसी घटना यहां पर हो जाए? ऐसी सहम की जिंदगी सारी दिल्ली जी रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जब मैं कहता हूं कि गृहमंत्री जी इस मामले में इस्तीफा दें, तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि बार-बार आश्वासन देने के बाद गृह मंत्रालय के बजट में कमी कर दी गयी। दिल्ली के अंदर अधिक पुलिस बढ़ाने के बजाए और यहां पर वीआईपी सुरक्षा के इंतजाम न करके, लोगों की जिंदगियों के लिए प्रयास करने के बजाए, कोई प्रयास नहीं किया। गृहमंत्री जी ने दिल्ली के एमपीज की एक भी मीटिंग नहीं बुलायी, गृहमंत्री जी, दिल्ली के लैफ्टीनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाए, इस बारे में दिल्ली के लोगों से और दिल्ली की जनता से कोई विचार-विमर्श नहीं किया है कि वह कैसे की जाए? मैं मांग करना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी त्यागपत्र दें और दिल्ली में ज्यादा प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री जी विचार करें। गृहमंत्री जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि इन सब घटनाओं के बाद, वे इस पद पर बने रहें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हरिन पाठक जी भी अपने आपको इससे एसोशिएट करते हैं।

श्री हरिन पाठक का नाम इससे सम्बद्ध किया जाता है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब इसकी निंदा करें और भर्त्सना करें। जिस तरह से मासूमों की हत्यायें हुयी हैं, छोटे-छोटे बच्चों को काट दिया गया, ऐसी निर्मम हत्या, कोई आदमी सोच नहीं सकता कि यह हत्या कैसे की जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक दर्दनाक घटना है। मैंने अध्यक्षपीठ से कहा है कि यह एक दर्दनाक घटना है और एक बडी त्रासदी है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठायेगी। उचित जांच भी होगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा। वह एक युवा सदस्य है, वह एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, मुझे सभा को यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कल जो स्कूल बस दुर्घटना हुई वह मेरे गृह जनपद के पास सोनीपत जिले में कुतुबपुर वाली गांव के 29 बच्चों को लेकर जा रही थी। बस खेड़ी गुज्जर गांव में स्कूल जा रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई और 23 को बचा लिया गया।

जहां मुझे विश्वास है कि पूरी सभा आज पीड़ित परिवारों को दुख की घड़ी में मेरे साथ एकजुट खड़ी है वहीं मैं वाली कुतुबपुर आहुलाना के लोगों और अन्य लोगों द्वारा बचाव कार्य में दिखाई गई भावना और साहस की भी प्रशंसा करता हूं जिसके परिणामस्वरूप डूबी हुई बस में फंसे हुए 29 बच्चों में से 23 बच्चे बचा लिए गए। इन

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

प्रयासों में ग्रामीणों, बिहार के प्रवासी मजदूरों, बच्चों जिन्होंने अपने घावों की अनदेखी करके अपने साथियों की मदद की, जिला प्रशासन, भारतीय सेना, धनकड़ नर्सिंग होम के निजी शिशु रोग विशेषज्ञों, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विभिन्न विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिखाया गया शानदार साहस और एकता हम सभी भारतीयों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा स्रोत है। यद्यपि, जैसे ही मैं छः दिवंगत बच्चों को याद करता हूं तो मेरा हृदय भर जाता है फिर भी मेरा सिर गर्व से ऊंचा है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मैं ऐसे राष्ट्र का नागरिक हूं जहां लोग हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा करते हुए अपने जीवन को दांव पर लगाने में तनिक भी संकोच नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ पूरी सभा की ओर आपके साथ सम्बद्ध होती है और आपकी भावनाओं का आदर करती है।

चौधरी लाल सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री गुरूदास दासगुप्त।

अपराह्न 12.59 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

(दो) महिला आरक्षण विधेयक

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं सभा के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ। सरकार संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार दोनों सभाओं में 33 प्रतिशत महिलाओं को लाना चाहती है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन करना चाहती है।

अपराह्न 1.00 बजे

हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : इस बारे में बहुत विवाद चल रहा है।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो बोलने से क्या फायदा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : कृपया मुझे बोलने दें। सरकार ने आम सहमति बनाने हेतु विभिन्न राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। अधिकांश दल इस बात से सहमत थे कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। यद्यपि, उसमें थोड़ी मत-भिन्नता थी परन्तु वह बहुत कम ही थी। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के पूर्व उस पर आम-सहमति बनाना एक पूर्व-शर्त है? किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच आम सहमति बनाये जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैं आशा करना हूं कि सरकार इस सभा में यह विधेयक लेकर आए और क्योंकि सरकार पहले भी कई बार विवादास्पद विधेयक लाई है और उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया है। सरकार को इस विधेयक को लाने देना चाहिए। पूरे भारत को यह जानने दीजिए कि विभिन्न राजनैतिक दलों का इस पर क्या रवैया है। आप इसे गुप्त रूप से क्यों कर रहे हैं? एक खुले मंच पर विभिन्न राजनैतिक दलों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। भारतीय महिलाओं, के जो बहुसंख्यक वर्ग हैं, को यह जानने दीजिए कि विभिन्न राजनैतिक दलों का यह रवैया है। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य क्या होगा?

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, मैं सरकार से यह मांग करता हूं और मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के इस विधेयक को तत्काल प्रस्तुत किया जाए। सरकार इसे राजनैतिक रूप से विवादास्पद मुद्दा न बनाए। हमें राजनैतिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। हम एक खुली चर्चा चाहते हैं। संसद में चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं सभा को सूचित कर दूं कि सैकड़ों महिलाएं बहुत दिनों से संसद मार्ग पर धरने पर बैठी हैं, हम देश के नारी भावना को दबा नहीं सकते। मैं आपको निस्संकोच रूप से यह बता दूं कि महिलाओं को इस प्रकार दबाया नहीं जा सकता। माननीय मंत्री जी श्री प्रियरंजन दासमुंशी को इस सभा को यह सूचना देनी ही चाहिए कि इस विधेयक का क्या हो रहा है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए। इस सभा में यह क्या हो रहा है? कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन पांच माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं जिन्होंने अपनी सूचनाएं दी थीं। वे हैं : श्रीमती सी.एस. सुजाता; श्रीमती मिनाती सेन, श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर; श्रीमती पी. सतीदेवी; और श्री अजय चक्रवर्ती। वे सभी इसके साथ सम्बद्ध हो रहे हैं और इस उद्देश्य का समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, पूरी सभा इस उद्देश्य का समर्थन करती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बैनर्जी, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, मोहम्मद सलीम, श्री रूपचन्द पाल, श्री सांताश्री चटर्जी, प्रो. एम. रामदास, श्री सुनील खां, श्री अमिताभ नन्दी, श्री प्रशान्त प्रधान और अन्य सभी माननीय सदस्य इस उद्देश्य का समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने पहले अपनी सूचनाएं नहीं भेजी हैं वे अब पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) महोदय, मैंने भी एक सूचना दी थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है... *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना विलब से आयी है। मुझे इसे देखने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं?

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल योगी आदित्यनाथ जी का कथन ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी खड़े हो गए हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप परेशान क्यों होते हैं? माननीय संसदीय कार्य मंत्री के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं इस सभा के सभी सदस्यों, चाहे वे किसी भी दल के हों, की चिंताओं में आदर सहित सहभागी हूं। मैं सरकार और अपने दल की ओर से जो यहां आकर धरने पर बैठी हैं, उनका भी सम्मान करता हूं; वे हमारी देश की महिलाएं हैं। उनकी मांग सही है।

महोदय, हम अपनी प्रतिबद्धता, जो एन.सी.एम.पी. की भी प्रतिबद्धता है, को कार्यान्वित करने में किसी से पीछे नहीं हैं परन्तु चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन है अत: हमें इस विधेयक को पारित कराने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

हेतु दोनों सदनों में आवश्यक समर्थन चाहिए। हमारे गृह मंत्री सभी दलों से परामर्श कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं।

अत:, मैं इस सभा को आश्वस्त कर दूं कि सरकार इस प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगी। मेरा यही कहना है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : लेकिन कब तक?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक साल में इन्होंने एक भी मीटिंग नहीं बुलायी।...*(व्यवधान)* होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी ने एक साल में एक मीटिंग नहीं बुलायी। ...*(व्यवधान)* गवर्नमैंट ने इस बारे में एक भी मीटिंग नहीं बुलायी। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब तक सब लोगों की इस पर सहमति नहीं बनेगी तब तक यह बिल कैसे आयेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अब योगी आदित्यनाथ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 20 पर चर्चा करेंगे।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। मेरी आपसे यही अपील है।

महोदय, यह एक लोकतान्त्रिक देश है और इस लोकतन्त्र का यह सर्वोच्च मंच है। किसी एक स्वायत्तशासी संगठन में, लोग, मतदाता उस संगठन के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसके बाद राज्य का मुखिया यह कह रहा है कि आपको जाना पड़ेगा...* मेरे विचार से सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार को उन्हें संरक्षण देना चाहिए...* महोदय, यह जीवन-मरण का प्रश्न है...*(व्यवधान)* महोदय, यह जीवन-मरण का प्रश्न है। एक राज्य का मुखिया इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : यह क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, प्लीज आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, यह जीवन और मरण का प्रश्न है...*(व्यवधान)* मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, यह कोई स्टेट का मामला नहीं है। बंगाल का क्रिकेट बोर्ड एक आटोनॉमी बौडी है। उसकी कार्यकारिणी के अभी चुनाव हुए हैं।...*(व्यवधान)* यह उसका अपना मामला है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह जीत हुई है, जबकि वे इलेक्ट हुए हैं।...*(व्यवधान)* क्या मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कि स्पोर्टस बोर्ड का चेयरमैन कौन हो...*(व्यवधान)* सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध पर कोई बयान नहीं आया है, जबकि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए, क्योंकि आप किसी स्पोर्ट के ऑटोनॉमस बोर्ड के इलेक्शन में जीत कर आए किसी व्यक्ति को इस तरह से नहीं कह सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, यह क्या है? यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, वे इस प्रकार कोई मुद्दा नहीं उठा सकतीं...*(व्यवधान)* वे सभा में इस प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकतीं...*(वयवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 20—नियम 377 के अधीन मामले—पर चर्चा करेंगे। अब श्री के.सी. सिंह 'बाबा' बोलेंगे।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, हम न्याय चाहते हैं... *(व्यवधान)* मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मुझे उसपर घोर आपत्ति है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल नियम 377 के अधीन मामलों को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं दिए जाने के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 2.07 बजे

(इस समय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 2.04¼ बजे

(इस समय, कुमारी ममता बैनर्जी सभा भवन से बाहर चली गयी)

अपराह्न 2.07½ बजे

(इस समय श्री प्रसन्न आचार्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07¾ बजे

(इस समय श्री सांताश्री चटर्जी आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीट पर जाएं, मैं इसे देखूंगा।

अपराह्न 2.08 बजे

(इस समय श्री सांताश्री चटर्जी अपने स्थान पर वापस चले गए)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं इस विषय को उठा रहा हूं...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। राज्य संबंधी विषयों को संसद में नहीं उठाया जा सकता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त : कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तरांचल के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर विकास खंड को दूरस्थ क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुक्तेश्वर विकास खण्ड रामगढ़, जनपद नैनीताल, उत्तरांचल को दुर्गम क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए।

यह क्षेत्र समुद्र तल से सात हजार पांच सौ फीट (7500 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है और यहां की भौगोलिक स्थिति विषम एवं कठिन है, यहां शीतकाल में अधिकतर हिमपात होता रहता है। वर्षा एवं हिमपात के कारण यहां के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण यहां के जनमानस को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के नजदीकी शहर लगभग 70-80 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र जैसे प्यूड़ा, मौना और पौखरी आदि क्षेत्रों को दुर्गम स्थान घोषित किया जा चुका है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तरांचल में स्थित है। इस संस्थान के कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस दुर्गम स्थान पर कार्य करने का भत्ता नहीं मिलता इसलिए मुक्तेश्वर को दुर्गम क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए, जिसे यहां के कर्मचारियों तथा जनमानस को लाभ मिल सके।

(दो) देश में आमों के भंडारण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चाडिगा रामकृष्णा (मछलीपत्तनम) : महोदय, भारत में विश्व के 10 प्रतिशत फलों का उत्पादन होता है। आम भारत का प्रमुख फल है, जो 39 प्रतिशत क्षेत्र में उगाया जाता है जो कि भारत के कुल फल उत्पादन का 23 प्रतिशत है। भारत विश्व के 54 प्रतिशत आम का उत्पादन करता है। हमारे यहां विश्व के अनेक देशों को आम के निर्यात की अपार सम्भावनाएं हैं। हम कुछ देशों को आम का निर्यात करते हैं परन्तु उसकी मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे यहां अपार सम्भावनाएं हैं तथा आंध्र प्रदेश आम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में 221 किस्मों के आमों का उत्पादन होता है। केवल आंध्र प्रदेश में ही 35 लाख टन आम का उत्पादन होता है।

आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को बड़ी मात्रा में राजसहायता प्रदान कर रही है। सरकार की यह पहल किसानों को आम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। परन्तु इन सभी लाभों के बावजूद आधारभूत सुविधाओं के अभाव में विशेषरूप से लम्बे समय तक आम का भंडारण करने संबंधी तकनीक के न होने के कारण हम विश्व के विभिन्न भागों को आम का निर्यात करने में पिछड़े हुए हैं।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आम का लम्बी अवधि तक भंडारण करने की तकनीक को विकसित करने की दिशा में कार्य करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को तत्काल निर्देश दें। जिससे न केवल देश के किसानों को सहायता मिलेगी बल्कि देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं नियम 376 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने अगला विषय ले लिया हैं। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

मुझे हाउस चलाने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, नियम 376, के अंतर्गत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको क्या आपत्ति है?

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं नियम 376 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राज्यों से संबंधित किसी विषय को संसद में नहीं उठाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइये।

श्री इकबाल अहमद सरडगी—उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

(तीन) रेलवे पुलिस द्वारा बरामद बच्चे के राजकीय बाल गृह नागपुर, महाराष्ट्र से गायब होने की घटना की जांच कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल पटले (भण्डारा) : उपाध्यक्ष जी, हमारे महाराष्ट्र के गांदिया जिले के गुलाबटोला ग्राम का 12 वर्ष का मासूम बच्चा माता-पिता की गैर-मौजूदगी में घर से लापता हो गया। बच्चों के घर से लापता होने की शिकायत निकटवर्ती पुलिस थाना तिरोडा में दर्ज कराई गयी। मगर उन्हें पुलिस ने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की।

बच्चे के माता-पिता को नागपुर के बच्चों के सरकारी निरीक्षण गृह के अधीक्षक का पत्र 5 अप्रैल को प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा स्वास्तिक देशमुख, उम्र 12 वर्ष नागपुर रेलवे पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और आप अपना पहचान पत्र एवं राशन कार्ड लेकर 10 अप्रैल को संस्था में पहुंचे। पत्र पाते ही बच्चे के माता-पिता तुरंत अपने बच्चे को लेने उस निरीक्षण गृह पहुंचे, जहां से उन्हें पत्र प्राप्त हुआ था। मगर वहां पहुंचते ही उस निरीक्षण गृह के अधिकारियों ने बच्चों के वहां से गायब होने की बात कही। वहां इतनी सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी वह बच्चा वहां से कैसे गायब हुआ? या वहां के लापरवाह अधिकारियों ने उस बच्चे को कहीं और ले जाकर रखा है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर बच्चे को तलाश करने में मदद करे और निरीक्षण गृह के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर बच्चे को माता-पिता को सौंपने में मदद करे।

(चार) 18 दिसम्बर को मनायी जाने वाली गुरू घासीदास जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री घुन्नूलाल भोइले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ प्रांत में जन्मे संत बाबा गुरू घासीदास जी के नाम पर 18 दिसम्बर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। उक्त संत जी का जन्म 18 दिसम्बर, 1756 को ग्राम गिरोधपुरी जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुआ था। उन्होंने छूआछूत के भेदभाव को मिटाया, ऊंच-नीच की खाई को पाटने के लिए सफल कार्य किया तथा गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा समाज में फैली हुई तत्कालीन बुराइयों को मिटाने के लिए प्रयास कर एक सतनाम पंथ का निर्माण किया तथा 6 माह तक गिरोधपुरी के जंगल में कठिन तपस्या की। उनके नाम पर 18 दिसम्बर को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गयी है। पूरे देश में लगभग 10 लाख से 30 लाख तक उनके अनुयाई फैले हुए हैं, जो सतनामी समाज के नाम से जाने जाते हैं। उनके अनुयाइयों की भावना को ध्यान में रखते हुए 18 दिसम्बर को पूरे देश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए जिससे उनके अनुदायी और श्रद्धालु लोग संत बाबा गुरू घासीदास को अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित कर सकें। संत बाबा गुरू घासीदास जी के जन्म दिवस 18 दिसम्बर को पूरे देश में राष्ट्रीय छुट्टी एवं उक्त संत के नाम से गुरू घासीदास विश्व-विद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ की न्यामगिरि पर्वतीय खनन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मेरा पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध है कि कालाहांडी जिले में स्थित लांजीगढ़ में न्यामगिरि से बॉक्साइट के खनन के लिए खनन परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति दिए जाने के संबंध में शीघ्र फैसला लिया जाए।

यह परियोजना उत्पादन के लिए तैयार है तथा सभी ग्रेडों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जा चुकी है, यदि वेदांत कम्पनी को खनन लीज नहीं दी जाती तो उनका रोजगार संकट में पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एल्यूमीनियम शोधशाला कालाहांडी के सर्वाधिक पिछड़े जिले में स्थित है। चूंकि कंपनी ने सतत खनन और उत्पादन संबंधी रिपोर्ट दे दी है अत: उसे खनन लीज प्रदान की जानी चाहिए।

(छह) राजस्थान के बारां जिले में स्थित स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) महोदय, राजस्थान के बारां जिले में ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्मारक हैं। यद्यपि ये स्मारक इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए एस आई) के अधीन हैं परन्तु फिर भी उन्हें यथोचित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

इस समय स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। बारां के जिला प्रशासन ने भारतीय चुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से इस संबंध में अनेक बार अनुरोध किया है। ए एस आई के अधिकारियों को इस बात की जानकारी देने के बाद भी इन स्मारकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इन स्मारकों का अच्छी तरह से संरक्षण किया जाएगा तो यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे जिससे राज्य और राष्ट्रीय राजकोष में भारी वृद्धि होगी तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन स्मारकों की रक्षा की जाए और क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन स्मारकों के संरक्षण में सहयोग किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों का नाम एक साथ नहीं बुलाया जा सकता हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको जरूर बुलाया जाएगा।

(व्यवधान)

(सात) राजस्थान की जनता के लिए सूखा राहत जारी रखने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदस, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान में वर्षा का अभाव है। वर्षा होते ही अकाल राहत कार्य बंद हो गए तथा केंद्र ने भी सहायता बंद कर दी है। वर्षा के अभाव को देखते हुए केंद्र सरकार पुन: राज्य को सहायता प्रदान करे ताकि राज्य में अकाल राहत कार्य चालू रह सकें तथा गौशालाओं में भी अनुदान चालू रखा जा सके।

महोदय, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वर्षा की कमी को देखते हुए राजस्थान की जनता की तुरंत मदद की जाए।

(आठ) घरेलू वनस्पति विनिर्माण उद्योग को असमान प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु श्रीलंका से वनस्पति के आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) महोदय, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ को एक एजेंसी के रूप में नियुक्त करके मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से श्रीलंका में उत्पादित सस्ते वनस्पति के देश में आगमन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।

भारत में 26 वनस्पति उत्पादन इकाइयां हैं। परन्तु इनमें से अधिकांश इकाइयां किसी औद्योगिकी विवाद की वजह से नहीं बल्कि श्रीलंका से बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के शून्य आयात शुल्क पर वनस्पति आयात करने के कारण बंद हुई हैं। इस उद्योग को असमान प्रतिस्पर्धा से बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की कृपा करे :

(1) पारदर्शिता लाने और पाटन के मामलों को कम करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता (एफ टी ए) के अंतर्गत श्रीलंका

से वनस्पति (हाइड्रोजन युक्त वनस्पति तेलों) के आयात पर 50,000 टन तक टैरिफ रेट कोटा (टी आर क्यू) लगाया जाए।

(2) आयातित वनस्पति भारतीय मानकों के अनुरूप हो।

(3) सरकार द्वारा इस पर समुचित निगरानी रखी जाए।

(4) बंद इकाइयों को पुन: चालू किया जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं उनको विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदर्भ क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसी तरह की घोषणाओं की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड को भी है। लगातार चार वर्ष में सूखा, बाढ़ ओलावृष्टि, पाला आदि से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदेश सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद यथोचित मदद की है लेकिन पिछले चार वर्षों के सूखा, बाढ़ ओलावृष्टि एवं पाले से हुए नुकसान को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से कई बार विशेष पैकेज की मांग की गई किन्तु आज तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

अत: सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र से मांगे गए बुन्देलखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाए जिससे समय रहते किसानों को पर्याप्त राहत मिल सके एवं आर्थिक तंगी एवं ऋणों के बोझ के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का असर उत्तर प्रदेश के किसानों पर न पड़े तथा वे अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक से कर सकें।

(दस) बिहार के बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लम्बित निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र बेतिया (बिहार) में 13 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी जो निम्न है। पूर्वी चम्पारण अंतर्गत बेलवतीया से रघुनाथुर-23.55 किलोमीटर, माधोपुर से बगही (एल) पांच किलोमीटर, रामगढ़वा से पीपरपट्टी अधकपरिया-11 किलोमीटर, भेलाड़ी रक्सौल धाड़ामहान ब्रांच कनॉल-2 किलोमीटर। पश्चिमी चम्पारण अन्तर्गत पुजहा-पटजीरवा, संत घाट 12 किलोमीटर, संत घाट से परवनाहा-11.50 किलोमीटर, बैगम्बरपुर से बीन टोली-3.14 किलोमीटर, बेतिया, नौतन, मंगलपुर, टेगराहीघाट-16 किलोमीटर, बेतिया से बैरिया, पटेरवा घाट-12.45 किलोमीटर, गुलाब चौक से सराय-3.54 किलोमीटर, बगही से तुमकदिया-3.38 किलोमीटर, पीपरा, रानी पकड़ी, गनौरी रेलवे गुमती-6.50 किलोमिटर, मांझा, मच्छरगांवा, कनॉल, शिवराजपुर बांध-12.10 किलोमीटर। इस काम को अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि किन कारणों से उपरोक्त योजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया जबकि उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति 9 माह पूर्व भारत सरकार द्वारा दी गई। अगर उपरोक्त कार्यों को यथाशीघ्र नहीं पूरा कराया जाता है तो सम्पूर्ण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता निराधार हो जाएगी और साथ ही कार्यों की लागत भी बढ़ेगी। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने दिसम्बर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ किया था कि एक हजार से ऊपर आबादी वाले गांवों को सड़क की सुविधा दी जाए। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाली योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा कराएं जिससे आम जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके।

(ग्यारह) जीवन बीमा अभिकर्ताओं की मांगों पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ एजेंटों के मांगपत्र पर विचार किए जाने की मांग कर रहा है। निगम और लोगों के बीच इस समय 12 लाख एजेंट कार्य कर रहे हैं। वे नियम के लिए बाजार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। निजी बीमा कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद 85-प्रतिशत बाजार एल आई सी के पास है और यह एजेंटों के अथक प्रयास के कारण ही संम्भव हैं। उन्हें अच्छे कार्य के लिए समुचित पुरुस्कार दिया जाना चाहिए। वे विभिन्न प्रकार के उत्पादों यथा सामूहिक बीमा चिकित्सा बीमा (मेडीक्लेम) आदि का विपणन कर रहे हैं। किंतु निगम एजेंटों की कोई सुविधा नहीं दे रहा है। यह एजेंटों के साथ घोर अन्याय है। वे निगम के लिए लोगों से करोड़ों रुपए का व्यवसाय ला रहे हैं परन्तु निगम उन्हें न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दे रहा है। इसलिए, मैं आपको तथा आपके माध्यम से वित्त मंत्री

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

को एजेंटों की निम्नलिखित न्यायोचित मांगों से अवगत कराना चाहता हूं:-

(1) केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी आई सी सी सर्कुलर को जो सर्जेंटों के विरुद्ध है तत्काल वापस लिया जाए;

(2) 15 प्रतिशत की व्यपगत कलाज को तुरंत वापस लिया जाए;

(3) वरिष्ठ अभिकरण प्रणाली शुरू की जाए;

(4) उपदान को 1.00 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये किया जाए;

(5) क्लब के सदस्यों के अलावा मेडीक्लेम सुविधा सभी एजेंटों को दी जाए;

(6) प्रत्यक्ष एजेंटों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए;

(7) कैरियर और डायरेक्ट एजेंट शाखाओं में विकास अधिकारियों का आवंटन रोका जाए।

मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि भा.जी.बी. निगम के एजेंटों की न्यायोचित मांगों पर विचार किया जाए और यथाशीघ्र एजेंटों के साथ न्याय किया जाए।

(बारह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़-धेबेवाड़ी एम.डी.आर. पर धेबेवाड़ी में वांग नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़) महोदय, महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़-धेबेवाड़ी एम डी आर 60 पर धेबेवाड़ी में वांग नदी पर एक पुल बनाए जाने की अत्याधिक आवश्यकता है। वर्षा के दिनों में वर्तमान आवागमन मार्ग जलमग्न हो जाता है जिससे 40 गांवों का सम्पर्क अवरुद्ध हो जाता है तथा लगभग 50,000 की आबादी इससे प्रभावित होती है। यह पुल केंद्रीय सड़क निधि की सहायता से निर्मित किया जाए। राज्य सरकार ने आगामी बीस वर्षीय सड़क योजना में इस सड़क का दर्जा प्रमुख जिला सड़क से बढ़ाकर राज्य राजमार्ग कर दिया है।

(तेरह) एन.एल.सी. द्वारा जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनको रोजगार तथा बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : महोदय, एन एल सी को भूमि विस्थापितों को रोजगार, वैकल्पिक आवास स्थल और बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करना चाहिए। जब तक रोजगार प्रदान किया जाता है तब तक उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। अन्य सामान्य प्रशिक्षुओं के मुकाबले में भूमि विस्थापितों और आई टी आई प्रशिक्षुओं को अधिमानता दी जानी चाहिए। सीमावर्ती विकास योजना के लिए एन एल सी द्वारा आवंटित वर्तमान राशि इसके वार्षिक मुनाफे की तुलना में कम है। इस राशि को बढ़ाकर संगठन के मुनाफे का 2 प्रतिशत कर दिया जाए। एन एल सी को विकास योजना को निधियां बढ़ाकर पूरे जिले में बढ़ाना चाहिए। एन एल सी द्वारा संचालित सामान्य अस्पतालों में समीपवर्ती गांव वालों को निशुल्क उपचार सेवा बहाल करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं। एन एल सी की इकाइयों से बहने वाले प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थों के कारण भूमि की गुणवत्ता का काफी ह्रास हुआ है इसलिए एन एल सी द्वारा भूस्वामियों को आवश्यक मुआवजा दिया जाना चाहिएं। एन एल सी को खानों में विस्फोटों के कारण आसपास के गांवों में पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। खनन किए गए क्षेत्र को समतल बनाया जाना चाहिए। इसे खेती के योग्य बनाया जाना चाहिए तथा भूस्वामियों को लौटा देना चाहिए। अप्रयुक्त भूमि को भी भूविस्थापितों को वापस कर देना चाहिए। चूंकि एन एल सी द्वारा अत्याधिक खनन के कारण भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है इसलिए एन एल सी को सिंचाई के लिए नलकूप की खुदाई हेतु कृषकों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किंजरपु येरननायडु—उपस्थित नहीं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार — उपस्थित नहीं।

इससे पूर्व कि मैं मद सं.—21 लूं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

अपराह्न 2.28 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-*जारी*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की

उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 38/2006 के.उ.शु. जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, जिससे कि 31 मार्च, 2007 से 31 मार्च, 2010 तक उत्पाद शुल्क में छूट के लिए पात्र होने के लिए इकाइयों की स्थापना। व्यापक विस्तार करने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4555/2006]

अपराह्न 2.28½ बजे

बीमांकक विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 21—बीमांकक विधेयक, 2005 पर आगे विचार, पर विचार-विमर्श करेगी।

इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया था और हमने पहले ही 18 मिनट ले लिए हैं। 1 घंटा 42 मिनट शेष बचे हैं। अब मैं श्री के.एस. राव से इस विधेयक पर बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा पुर:स्थापित बीमांकक विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। वस्तुत: यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था। खैर, बोध हुआ और अब विधेयक लाया गया है।

इस विधेयक का बहुत महत्व है। बीमांकक का अर्थ है, जो आज के निर्णय के प्रभाव का बहुत समय पश्चात् गणना करता है।

मान लीजिए, यदि हम बचत शुरू करते हैं और कोई एक रुपया प्रतिदिन बचाने का प्रस्ताव करता है और कहता है कि अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे तो यह अविश्वसनीय है। परन्तु वास्तव में जब कोई यह गणना करता है कि पचास वर्ष बाद एक रुपया प्रतिदिन बचाने का क्या प्रभाव होगा तो वह जब तक जीवित रहता है तब तक 1000 रुपए प्रतिमाह से भी अधिक प्राप्त करेगा। बीमांकक की यही भूमिका है जो आज के निर्णय के प्रभाव को एक अवधि के पश्चात् गणना करता है। अब इसके महत्व का समय आ गया है और सरकार ने भी बीमा के कारण इस बात को समझा है। कल तक जीवन बीमा केवल भारत सरकार के ही हाथों में था। पहले यह निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ नहीं था। लम्बे समय से उसी तरह प्रीनियम लिया जा रहा था। उन्होंने गहराई से विचार नहीं किया। वे इतने प्रभावी नहीं रहे जितना उन्हें होना चाहिए। 40 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति की दीर्घ आयु आज के व्यक्ति की दीर्घ आयु से पूरी तरह भिन्न थी। किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा करने में प्रीमियम निर्धारण की पूर्व गणना और आज की गणना में अंतर आ गया है। अब इस निजी क्षेत्र को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। वे उन सभी चीजों की गणना करेंगे। इन बीमांककों की संख्या काफी है। पश्चिमी और विकसित देशों में उनका काफी विकास हुआ है। वे आसानी से इसकी गणना करेंगे और फिर सरकार या जीवन बीमा निगम से कम प्रीमियम निर्धारित करेंगे। निश्चित तौर पर पूरे कारोबार पर उनका अधिकार हो जाएगा और हमारा संगठन नुकसान उठायेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त और साम्यवादी सदस्य बहुत ही शोरगुल कर रहे थे। भविष्य निधि पर दिए जाने वाले प्रतिशत ब्याज के बारे में हम सभी को जानकारी हैं। इसके पीछे के उनकी मंशा को हम जानते हैं और उनका इरादा है कि मजदूरों को नुकसान न हो। यह तय है। लेकिन भारत सरकार का सुझाव है कि यदि हमें पूरा कोष अपने पास रखना है तो हम वेतन पेंशन आदि की आदयगी संबंधी अपना प्रतिबद्धताओं को निभाने में सक्षम होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद वे 50 प्रतिशत पेंशन पाते हैं। हमारा अनुभव दर्शाता है कि 10000 करोड़ रुपये की मुद्रास्फिति है जो भारत के राजकोष से भुगतान किया जाने वाला सरकार के लिए एक बोझ बना हुआ है। भविष्य निधि द्वारा अर्जित कोष से उसका भुगतान नहीं हो सकता जो सरकार के पास है। अब बीमांकक ने इस विषय पर विचार किया है और उन्होंने एक प्रस्ताव किया है। कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार को कोष प्रबंधक को सौंप दिया जाएगा जो कुछ विनियमों के साथ कोष का प्रबंधन करेगा ताकि कर्मचारियों के लाभ सुरक्षित हो, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी हो कि बाद में उन्हें कितनी राशि मिलेगी। इन सारी बातों की गणना केवल बीमांकक द्वारा ही की जाती है। इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की आवश्यकता है। इसके लिए सांख्यिकी, गणित अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, विपणन और प्रबंधन की आवश्यकता है। यदि वे सभी बातों को जानते हैं तभी वे आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं।

[श्री के.एस. राव]

मैं अन्य उदहरण देना चाहता हूं। 1985 के शुरूआत में ही मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को सुझाव दिया था कि इस देश के लिए आबादी की वृद्धि एक बड़ी समस्या है और मैंने उनसे इस सम्बंध में एक योजना बनाने की घोषणा करने को कहा था कि यदि कोई दम्पत्ति एक ही बच्चा चाहता है तो उस बच्चे की शादी के समय भारत सरकार उसे 1 लाख रुपये देगी। किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। उन दिनों भारत सरकार सिर्फ यही कर रही थी कि प्रतिव्यक्ति 3,000 रुपये का भुगतान कर रही थी। मैं गणना करके बताऊंगा। इस समय हमारे देश में 1,100 मिलियन लोग हैं और इनमें से 25 से 36 वर्ष के उम्र वर्ग के लोगों की संख्या 200 मिलियन है अर्थात् देश में इस समय 100 मिलियन दम्पति हैं।

यदि ये लोग एक प्रतिज्ञा करें कि उन्हें एक ही संतान चाहिए तो हम उनके खाते में 3,000 रुपये जमा कर सकते हैं जो उस संतान की शादी की उम्र प्राप्त करते-करते 1 लाख रुपया हो जाएगा। इस पर सरकार का खर्च प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपये होंगे चाहे इसे भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए या नहीं और इससे आबादी वृद्धि को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकेगा और इससे अनेकों समस्याएं हल हो जाएंगी। ये लोग प्रजनन की गणना करेंगे और इसका पता लगायेंगे कि यह कैसे कम हो रही है और एक बच्चे की जन्म की संभावना कितनी है। ये सारे कार्य बीमांकक द्वारा किये जाएंगे।

इस समय देश में एक अच्छी बात हैं कि हमने भारत के लागत लेखाकार, भारत के कम्पनी सचिव संबंधी विधेयक तैयार किये हैं। ये सारे संगठन स्व-वित्तपोषित है, सरकार पर कोई बोझ नहीं है और एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। इसी प्रकार बीमांकक की स्थिति में यह स्व-वित्तपोषित होगा। हमें बस उन्हें छूट देनी है तथा इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा उन्हें एक नियामक तंत्र प्रदान करना है।

यदि ये बातें हो जाती हैं तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम यह नही जानते कि यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये का एक मकान खरीदना चाहता है तो वह सोचेगा कि मैं 10 लाख रुपये नहीं अदा कर सकता। आप एकदम मकान खरीदना चाहेंगे। लेकिन उस स्थिति में बीमांकक आगे आयेंगे और बतायेंगे कि आपको प्रतिमाह केवल 2000 रुपये - 3000 रुपये देने हैं और आप मकान खरीदने के लिए तैयार हो जायेंगे और इस प्रकार आवास की समस्या हल हो जायेगी। इससे आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी। देश के लिए किस चीज की आवश्यकता है। यदि आप कहते हैं कि अमरीका धनी है तो उसमें धनी होने जैसी क्या बात है? वहां बहुत सारे भवन हैं, सड़क हैं, वहां अवसंरचना है, और वहां सारी सुविधाएं हैं।

इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को कार्य करने तथा धन अर्जित करने के लिए उत्प्रेरित करना है। यही धन है और यही राष्ट्र का विकास है। जिस बात की आवश्यकता है वह मानव की पटुता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। हमें कठिन श्रम करने की आवश्यकता नहीं है और खेतों में जाकर नियमित काम करना है। यदि हम इस देश के लोगों को कठिन श्रम करने और धन अर्जित करने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु केवल सही कानून बनाते हैं तो वो स्वयं अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और इस प्रकार वे स्वयं के लिए तथा इस देश के लिए कमायेंगे।

इसके बाद कई तरह से समस्या का समाधान हो जाएगा। बीमांकक विज्ञान न केवल बीमा की रीढ़ है बल्कि कई अन्य मुद्दों जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, वित्तीय सेवाएं, पेंशन और उपदान, भविष्य निधि का रखरखाव करना आदि की भी रीढ़ की हड्डी है। केवल एक बात है कि उन लोगों की संख्या जो इस समय वहां हैं और इसके बारे में सोचते हैं बहुत कम है—लगभग 2500 लोग हैं जो इस काम में दक्ष हैं और देश में मौजूद हैं। यह संख्या बढ़ानी होगी। इसलिए, सरकार को यह काम करना होगा और इस काम को बीमांकक सोसायटी को देना होगा जो एक बीमांकक संस्थान बनने जा रहा है और उसे प्रयास करने होंगे तथा अधिक से अधिक बीमांकक बनाने होंगे ताकि यह न केवल एक क्षेत्र में बल्कि इस देश में कई प्रकार की गतिविधियों में फैला होगा।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से उन बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा जिनका देश सामना कर रहा है; यह राष्ट्रहित में है, हम सभी को सर्वसम्मति से, दल विशेष का विचार किये बिना इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचता कि विरोधी दल में होने के कारण वे यह कहते हुए इस विधेयक की आलोचना करेंगे कि यह विधेयक सभी प्रकार की कमियों से युक्त हैं। इस मामले में कोई विधेयक एकदम दोषरहित नहीं होता। जब हम एक विधेयक बनाते हैं तो हम अनुभव को ध्यान में रखते हैं और बाद में सरकार विधेयक में और सुधार लाने के लिए कुछ संशोधन कर सकती है।

इसी प्रकार, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मात्र विधेयक के पारित होने से ही संतुष्ट न हो जाये बल्कि इस बात की जांच के लिए कि यह कितना कारगर है और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में इसमें कुछ संशोधन लायें। मूलरूप से यदि किसी चीज से राष्ट्र को लाभ होने वाला हो, हम में से सभी को अपना आचरण और अपनी सत्यनिष्ठा को बनाये रखना होगा। यदि इनका अभाव हो जाता है तो इस विधेयक से देश को कोई लाभ नहीं होगा। बीमांकक विधेयक की भी यही स्थिति है।

मेरी इच्छा है कि वे इस विधेयक में किसी स्थान पर यह भी जोड़ें कि जिन सदस्यों का चयन बोर्ड में या अन्यत्र भी बीमांकक के लिए चयन किया जाता है तब उनकी सत्यनिष्ठा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि वे इसे अभी या बाद में भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं जो कि बोर्ड के सदस्यों की सत्यनिष्ठा के संबंध में होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और महोदय मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, इस विधेयक को पारित किये जाने के सम्बंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिन परिस्थितियों में इस विधेयक को पारित किया जा रहा है उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, हम सभी जानते हैं कि देश में केवल छह राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियां हैं जिनका केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था और बीमांकक का कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। एक संस्थान की भी आवश्यकता नहीं थी। भूमंडलीकरण के बाद हम एक ऐसे चरण में पहुंच गये हैं कि हमें एक नये विधान का निर्माण करना होगा जो बीमांकक द्वारा किये गये कार्य को परिभाषित करने वाला अंतिम विधान होगा। पूर्व में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक बीमांकक सोसायटी थी जिसका मुख्यालय मुम्बई में था। बीमांकक संस्थान के मुख्यालय के बारे में अभी केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है। सामान्य स्थिति में मैं समझता हूं कि यह दिल्ली होगी। मुझे इस बात से सरोकार नहीं है कि मुख्यालय कहां बनेगा लेकिन अन्य पहलुओं के बारे में मुझे चिंता है।

ये सारे कार्य बीमांकक सोसायटी द्वारा किया जा रहा था। वे इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें निजीकरण के कारण 21 नई निजी कम्पनियां इस क्षेत्र में आने वाली हैं। काम का बोझ बढ़ गया है और कार्य-क्षेत्र का भी विस्तार हो गया है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक निकाय पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार ने एक नये विधान लाने की बात सोची जिसमें सारे क्षेत्र सम्मिलित किये जा सकें। यह विधेयक इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है।

इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, एक नया संस्थान अस्तित्व में आयेगा जिसका मुख्यालय के बारे में निर्णय बाद में होगा। बीमांकक सोसायटी यह काम कर रही थी। उनकी सारी परिसम्पत्तियां और देयताओं का इसमे विलय हो जाएगा। सोसायटी स्वयं भंग हो जाएगी और इसका विलय हो जाएगा। इस संविधि में एक मौलिक कमी है। जिसे मैं अवश्य बताना चाहता हूं। यह खंड 32 के बारे में है।

यह एक नई व्यवस्था है। एक कार्य के लिए एक नया तंत्र विकसित हो रहा है। इस नई संविधि के प्रावधानों के तहत नये पेशेवर इस क्षेत्र में आयेंगे और परिसम्पत्तियों की जांच तथा घोषणा की जाएगी।

लोग नए प्रवेशकों के रूप में आ रहे होंगे। हमारे पास दो प्रकार के सदस्य हैं; सह-सदस्य और आंशिक सहायता प्राप्त सदस्य। आंशिक सहायता प्राप्त सदस्यों को मताधिकार नहीं होगा लेकिन सह-सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होगा। इस संदर्भ में जबकि एक नई व्यवस्था बनाई गई है, एक विशेष व्यवसाय के कार्यान्वयन में नयी व्यवस्था की गई है, तो इसे एक अलग संविधि के अधीन क्यों लाया जाना चाहिए? संविधि के प्रावधान के अंतर्गत अन्तिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लिया जाना है। अपीली प्राधिकरण वह प्राधिकरण है जो संविधि के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेगा। मैं खण्ड 32 पढ़ूंगा:

> "चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपीलीय प्राधिकरण माना जाएगा।"

इससे सभी मामले एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जिसमें परेशानी पैदा होगी। हमें इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण बनाना चाहिए? अपीलीय प्राधिकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम की धारा 22 के तहत विशेष प्रयोजन के लिए गठित किया गया है। नए बनाए जा रहे तंत्र के लिए उन्हे नयी जिम्मेदारी क्यों सौंपी जाए? पहले ही उन्हें बहुत कुछ करना है। उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

मामलों के बारे में निर्णय लेना है तथा चार्टड अकाउंटेंट के लिए ली जाने वाली परीक्षा के संबंध में से सम्बन्धित निर्णय लेने हैं। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर उद्देश्य के लिए उनका प्रमाण-पत्र आवश्यक है। इस संदर्भ में, जब उनके पास पर्याप्त काम है तो यह काम भी उन्हें क्यों सौंपा जाए? चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य बेहतर ढंग से नहीं किया जाएगा और यह काम भी पिछड़ जाएगा और विलम्ब होगा। आखिरकार हमने एक नया कानून लाने और नयी संविधि के प्रावधानों के तहत नया संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है। तो फिर इसे अन्य अधिनियम के तहत गठित की गई दूसरी अपीलीय प्राधिकरण से क्यों जोड़ा जाए? यह अपीलीय प्राधिकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट के सभी कार्य करने की स्थिति में नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकरण को हजारों मामलों के बारे में निर्णय लेना है। ऐसा होते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें बीमांकक संबंधी दूसरा कर्त्तव्य भार क्यों सौंपा जाए? इससे तो इस विधान का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। हम इसे एक पृथक अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित प्राधिकरण से जोड़ रहे है। यह उचित नहीं है। अत:, मैं मंत्रीजी को इस पर पुनर्विचार करने की सलाह देता हूं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पृथक प्राधिकरण बनाना बेहतर है। आपको उन्हें जोड़ना नहीं चाहिए। अलग-अलग प्राधिकरण होने चाहिए। आप भली-भांति जानते हैं कि हमारे देश में मामलों में निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा है। जब यह स्थिति है, यदि मैं इसे रख सकता हूं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित प्राधिकरण को इस अपीलीय प्राधिकरण से जोड़ना बुद्धिमता नहीं है। मैं समझता हूं कि कम से कम अब आप इस पर विचार करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस संविधि के लिए एक पृथक अपीलीय प्राधिकरण के गठन के लिए संशोधन के साथ आप पुन: इस सदन में आयेंगे। अत:, आप इस पर विचार करें। यह उचित नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्हें एक साथ रखना अच्छी प्रथा नहीं है। एक अधिनियम के तहत गठित निकाय को केवल उसी अधिनियम के तहत कार्य करने की अनुमति होगी। अब आप इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक नयी संस्था गठित कर रहे हैं, तब एक अलग अपीलीय प्राधिकरण गठित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या परेशानी है? क्या आप सोच रहे कि धन कहां से आयेगा? सरकार को अतिरिक्त धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह धन बीमांकक व्यवसाय की प्रक्रिया, जोखिम पहलू और बीमांकक द्वारा किये जाने वाले अन्य बहुत से कार्यों द्वारा आएगा। वे लोग लोगों को पॉलिसी लेने की सलाह देंगे। ये बीमांकक गांवों में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और जोखिम से सबंधित मामलों में उन्हें सलाह देंगे। ये सभी कार्य इन लोगों द्वारा किये जाएंगे। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पृथक अपीलीय प्राधिकरण गठित किया जाता है तो सरकार को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा।

इसी टिप्पणी के साथ, इस विधेयक के पारित होने के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह दोषपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बीमांकक विधेयक, 2005 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं इस नए विधेयक का समर्थन भी करता हूं। अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से कहा कि वह चार्टर्ड एकाउंटेंट टाइप का विधेयक होगा। यह बात भी सत्य है कि जैसे-जैसे देश ने विकास किया है, वैसे-वैसे आर्थिक क्षेत्रों में बीमा का विस्तार हुआ है, फिर चाहे छोटे-मोटे बीमे का विषय हो या बड़ी-बड़ी कम्पनियों के बीमे का विषय हो। पूरे देश में अभी तक 6 कम्पनियां ही बीमा करती थीं। जिस प्रकार से आर्थिक क्षेत्रों में विकरा हुआ है, उसी प्रकार से बीमा का विस्तार भी होता जाएगा और बीमांकन का कार्य भी बढ़ेगा। बीमांकन में यह है कि भविष्य में क्या होगा, इसका मूल्यांकन करना है – फिर चाहे वह प्रिमियम में हो, पॉलिसी में शर्तों की बात हो या धनराशि की बात हो – ये तमाम बातें इसमें होंगी। बीमांकन के लिए अलग नीतियां बनाई जाएंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में साथ ही साथ बोनस को भी निर्धारित किया जाएगा कि कितने वर्ष में कितना बोनस देना है, इसका भी मूल्यांकन होगा और इसकी देखरेख होगी। बीमांकन किसी के दीवालिया होने पर अपनी राय व्यक्त करेगी। बीमांकन परामर्शदात्री के रूप में काम करेगा और खास तौर से आम आदमी को परामर्श देने का काम करेगा।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 203 बीमांकन होंगे – 137 देश के और 66 बाहर के होंगे। इसके अलावा 3957 छात्रों का पंजीकरण

हुआ है। 4326 लोग इससे जुड़े हैं। इसके अलावा भविष्य में, 2010 तक दस हजार बीमांकक होंगे और 2015 तक इनकी संख्या 15 हजार हो जाएंगे। इसमें बीमांकक बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसके लिए 912 लोग चयनित हैं। इसमें से एक-तिहाई दो वर्ष के कार्यकाल में बदल जाएंगे। महोदय, जहां तक अपीलीय प्राधिकरण का विषय उठाया गया है कि आखिरी फैसला अपीलीय प्राधिकरण तय करेगा और वही इसका निबटारा करेगा, जिसमें निदेशक को सभी पावर होंगी। मैं कहना चाहूंगा कि निदेशक मण्डल में कुछ सदस्य हों और वह बोर्ड अंतिम फैसला ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बीमांकक विधेयक पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, जहां तक इस विधेयक को लाने का मकसद है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो सोसायटीज बीमा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, इस विधेयक के माध्यम से उपबन्ध है कि पुरानी सोसायटी को बंद करके उसका भारतीय बीमांकक संस्थान नामकरण किया गया है। इस संस्थान के माध्यम से बीमा के क्षेत्र में विकास और विस्तार करने के लिए इसमें उपबन्ध किया गया है। इससे उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन कैसे हो, इसका भी इसमें प्रबन्ध किया गया है। इन सभी बातों के अलावा यदि कोई विवादित मामला हो तो उसके निष्पादन के लिए भी प्राधिकरण बनाया गया है।

महोदय, अभी श्री राधाकृष्णन जी बोल रहे थे कि अपीलीय प्राधिकरण को अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। इसमें मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा कि इस अपीलीय प्राधिकरण का दायरा थोड़ा बढ़ाया जाये और इसमें एक कानूनी व्यक्ति को भी उसके निदेशक के पद पर या सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया जाये। अभी इसकी धारा 56 और धारा 57 में कुछ परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है। धारा 56 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, यानी केन्द्र सरकार को सशक्त करने के लिए धारा 56 और धारा 57 बनाई गई हैं। अभी जो बिल लाया गया है, यह बिल वास्तव में लाभकारी है और बीमे के क्षेत्र में काम करने के लिए आगे चलकर फायदेमंद होगा।

हमारी जो 6 बीमा कम्पनियां पहले से चल रही थीं, इनके अलावा इसमें काफी कम्पनियों को समाहित किया गया है। उनको लाइसेंस देने का, उन पर नियंत्रण करने का इस विधेयक के माध्यम से यह अधिकार प्रादत्त करता है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महताब, अब आप बोल सकते हैं। आपके दल को केवल तीन मिनट दिए गए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : प्रारम्भ में, मैं यह बताना चाहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय दिया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो चार्ट मेरे पास है, उसके अनुसार आपकी पार्टी का समय तीन मिनट है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : तीन मिनट बोलने का कोई लाभ नहीं है। तीन मिनट में मैं क्या कह सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया केवल अपने सुझाव दें।

श्री भर्तृहरि महताब : इस विधेयक पर तीन मिनट में कुछ भी नहीं कह सकते। मैं इस चर्चा में भाग लेने से इंकार करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप 4.5 मिनट बोल लें, इसमें क्या है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह जरूरी तो नहीं कि हर सब्जैक्ट पर आपको लम्बा ही बोलना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, इस विधेयक में, केवल ऐसा ही नहीं है कि एक सोसायटी को दूसरी संस्था में बदला गया है बल्कि

[श्री भर्तृहरि महताब]

बीमांककों की परिभाषा जैसे अनेक पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। यह विधेयक स्वयं राजग के शासन काल के दौरान आया था। लेकिन बाद में, मार्च, 2005 में जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो बीमांककों की परिभाषा मुख्य घटक था। इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। आरंभ में, वास्तव में, मंत्री जी ने बीमांकक अधिनियम 1943, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के इतिहास और बाद में इनका विकास कैसे हुआ, के बारे में कुछ तथ्य बयान किये थे। लेकिन, पिछले कई वर्षों से, बीमांकक एक विशेष कार्य तक सीमित हो गए हैं। अब, बीमा गतिविधियों के विस्तार के साथ, यह केवल जीवन बीमा तक ही सीमित नहीं है। बीमा क्षेत्र कई गुणा बढ़ गया है और बीमा क्षेत्र के विस्तार के साथ, अनेक निजी कंपनियां इसमें आ गयी हैं और इस तरह बीमांककों का कार्य कई गुणा बढ़ गया है। अनेक शेयरधारक भी इसमें आ गए हैं, इसलिए इसका नियमन और इसे परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से पिछली सरकार यह विधेयक लाई थी और संप्रग सरकार परिभाषा के सुझाव के साथ यह विधेयक लाई है।

मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि बीमांकक कार्य व्यक्तिगत रूप से और साझेदारी के रूप में भी किया जाता है, और निकट भविष्य में फसल बीमा क्षेत्र में यह अहम भूमिका निभाने वाला है। केवल जीवन बीमा या सम्पत्ति बीमा ही नहीं बल्कि अनेक दूसरे पहलू भी इस विधेयक में शामिल किए जाएंगे।

इस परिवर्तित स्थिति में बीमांककों के कार्य-क्षेत्र और दायित्व निर्वहन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हम सभी जानते है कि बीमा विज्ञान बीमा संचालनों की रीढ़ माना जाता है। फिर भी, समय बीतने के साथ ही, बीमांकिकी व्यवसाय का क्षेत्र जीवन बीमा से दीर्घकालिक जबावदेही वाले दूसरे क्षेत्रों तक बढ़ गया है। भारतीय बीमांकिकी सोसायटी 1944 में स्थापित की गई थी और 1982 में पंजीकृत की गई थी जिसमें स्थायी समिति ने कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी।

अपराह्न 3.00 बजे

उन सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि 'बीमांकक' शब्द को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनमें कुछ अन्य सिफारिशें भी थी। यह पिछली लोक सभा के दौरान था। वर्तमान विधेयक में पूर्ववर्ती विधेयक के प्रावधान भी सम्मिलित हैं जो अपनी सिफारिशों के साथ व्यपगत हो गया था। इस विधेयक के मुख्य घटक हैं विवादों का निस्तारण; एक न्यायाधिकरण के माध्यम से एक परिषद का निर्वाचन; अनुशासन संबंधी समिति और एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन; और एक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की स्थापना। इस विधेयक के मूल में भारतीय बीमांकक संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ एक्च्युरीज ऑफ इंडिया) का गठन किया जाना है।

यहां एक ऐसा समूह है जिसका यह कहना है कि बीमांकक कार्य तभी सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य कर पाएगा जब इसे स्व-नियमन के अंतर्गत संगठित किया जाएगा उनका यह कहना है कि "आप इसे निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दें। उन्हें ही इसे विनियंत्रित करने दें। इसे बिना किसी सरकारी नियंत्रण के कार्य करने दें।" ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार की ओर से इसे कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए। यह गैर-सरकारी ढांचे के अंतर्गत माना चाहिए और इसे स्व-विनियमित रूप से कार्य करना चाहिए। लेकिन मेरा यह विचार है कि यदि बीमांकक कारोबार को संसद के अधिनियम से शासित किया जाएगा तभी यह एक बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। मेरा विनम्र अनुरोध यह है, जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, कि जिस प्रकार अन्य पेशेवर निकायों, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को विनियमित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक पेशेवर संवैधानिक निकाय का गठन कर उसके अंतर्गत बीमांकक कारोबार का विनियमन किया जाना चाहिए। इससे इस पेशे को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और इससे बीमांककों का स्तर भी उन्नत होगा।

दूसरा मुद्दा यह था कि अन्य तुलनात्मक पेशेवर निकाय स्व-वित्त पोषित हैं और इस नए निकाय को सरकारी सहायता के अंतर्गत रखना अनुचित होगा। मैं यहां भी उनसे असहमत हूं। मेरा विचार यह है कि कुछ समय के पश्चात् यह संस्थान अपने अंतर्निहित तंत्र के माध्यम से सरकारी सहायता के बिना कार्य करने में सक्षम होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह संस्थान कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा।

इस विधेयक में इस संस्थान को कार्य करने हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक बीमांकक बनने के लिए किसी व्यक्ति को इस संस्थान से मान्यता प्राप्त करनी होगी। यह एक विशेष प्रावधान है जिसकी वास्तव में आवश्यकता थी। 'बीमांकक' के स्पष्टीकरण द्वारा सभी भ्रांतियों को दूर कर दिया गया है।

यहां एक ऐसी राय है कि इस विधेयक से नौकरशाहों को शक्तियां मिलेंगी, जिन्हें इस पेशे की कोई जानकारी नहीं है और वे अन्य पेशेवर निकायों की भांति इस निकाय के क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन मेरी राय यह है कि बीमांककों को वैधानिक समर्थन प्रदान करने से इस संस्था की साख बढ़ेगी। निजी क्षेत्र के प्रवेश से, गत तीन वर्षों के अंदर-अंदर ही 3000 से अधिक छात्रों ने बीमांकक संबंधी अध्ययन हेतु नामांकन कराया है। इससे यह परिलक्षित होता है कि लोगों में इस सेवा के प्रति कितना विश्वास है। इसीलिए, वैधानिक समर्थन की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मृत्यु और रुग्णता तालिका की गणना की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां विकसित देशों की भांति एक स्थायी मृत्यु और रुग्णता जांच ब्यूरो स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इससे प्रीमियम की राशि कम होगी तथा बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी उद्योगों के उपभोक्ताओं को मिलने वाली मूल सुविधाएं बेहतर होंगी। इससे निगमों के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचेगा। किसी भी बीमा या पेंशन उत्पाद के मूल्य निर्धारण में मृत्यु और रुग्णता तालिका की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि इन दीर्घावधि उत्पादों की गणना जनसंख्या की औसत आयु पर आधारित होती है। यदि मंत्री जी इस संबंध में कदम उठाते हैं तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है कि यहां छह राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियां हैं और 21 कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं जिन्होंने देश में बीमे का कारोबार आरम्भ कर दिया है। अपनी पारम्परिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त बीमांकक जीवन और सामान्य बीमा कारोबार की कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। उन्हें मुख्यत: शोधन-क्षमता में लाभांश और कानूनी जिम्मेदारियों, हानि-लाभ आदि जैसे बीमा जोखिमों को सुनिश्चित करना होता है। वे जोखिम के कारकों की व्याख्या, वसूले जाने वाले प्रीमियम पर परामर्श और पुन: बीमा कराने, बकाया दावों के लिए आरक्षित कोष की गणना और वित्तीय प्रारूपण आदि तैयार करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

महोदय, हमारे देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार चल रहे हैं। तब निगम क्षेत्र का पारदर्शी होना आवश्यक है और अधिक वैधानिक मानकों की भी आवश्यकता होती है। अत: बीमांककों को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे विश्वास है कि पेशेवर कदाचारों के लिए, जितना इस विधेयक में प्रावधान किया गया है, इससे अधिक सख्त सजा दी जानी चाहिए।

अपराह्न 3.07 बजे

[श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए]

महोदय, वर्तमान विधेयक एक्च्युरियल सोसायटी ऑफ इंडिया को रूपान्तरित करने जा रहा है। सोसायटियों का पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत थी। अब यह इस संस्थान के माध्यम से भारत में बीमांकक पेशे का प्रबन्धन करेगी जो कि एक अच्छी बात है और इससे बीमांककों को विनियमित करने में सहायता मिलेगी। लेकिन, मुझे विश्वास है कि हाल ही में इस प्रकार के पेशों, जैसे लेखा-परीक्षक और ऐसे अन्य लोग जो इस प्रकार के व्यवसायों में संलिप्त हैं, में कदाचार के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली हैं। अत: इसे अधिक गंभीरता से विनियमित किए जाने की आवश्यकता है और सरकार को इसके प्रति अधिक गंभीर रुख अपनाना चाहिए। यह प्रस्तावित विधेयक बीमांककों के पेशे की जांच करने हेतु जिम्मेदारी प्रदान करने में सहायक होगा। मेरे विचार से इसे इस संस्थान पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके स्थान पर सरकार को यह चाहिए कि वह इसके लिए एक समुचित जांच प्रणाली बनाए और बीमांककों की शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया जाना चाहिए। एक्च्युरी सोसायटी ऑफ इंडिया को समाप्त करके उक्त सोसायटी की सम्पत्तियों और देयताओं को स्थानान्तरित करने के पश्चात् यह केवल इस बात का प्रश्न नहीं रह गया है अपितु यह इस पेशे विशेष से संबंधित है और इस पेशे के सामान्य स्तर को बढ़ाने के बारे में है। इसके लिए, यहां अधिक स्पष्टता होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस नए संस्थान को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुझे यह भी विश्वास है कि इस प्रकार के संस्थानों में नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या भी यथासम्भव कम होगी। सामान्यतया, नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है। यहां यह अन्य संगठनों की तुलना में कम हो सकती है परन्तु मुझे विश्वास है कि यह न्यूनतम होनी चाहिए। नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिए और निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए जिससे कि इस संस्थान की स्वायत्तता को सफलतापूर्वक बनाए रखा जा सके।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए नहीं अपितु इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह ज्ञान की एक नई विधा है—बीमांकक विज्ञान, जो इस विधेयक के इस सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् कार्यशील हो जाएगा।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

महोदय, भविष्य के बीमा क्षेत्र की वित्तीय गतिविधियों को चलाने और विनियमित करने हेतु ज्ञान की यह एक नई विधा है। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि बीमांकक विज्ञान को केवल बीमा क्षेत्र तक ही सीमित क्यों रखा जाए जबकि वर्ष 2002 में जब पहली बार इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था तो उसे स्थायी समिति को अग्रेषित किया गया था। इसके बाद उस स्थायी समिति ने इसपर अपना प्रतिवेदन देने हेतु श्री नरसिंहम के अधीन एक अन्य समिति का गठन किया था। वह प्रतिवेदन दिया गया। फिर इस प्रकार के सुझाव आए कि बीमांकक विज्ञान को केवल बीमा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; इसे अन्य क्षेत्रों के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह विज्ञान सामान्यतया बीमांककों की गतिविधियों से संबंधित है। यह जो होने जा रहा है उसकी सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए नहीं अपितु भविष्यवाणी करने के लिए है। यही तस्वीर प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। इसे केवल एक संस्था विशेष को होने वाली हानि या लाभ की भविष्यवाणी करनी होती है। इसलिए, इस प्रकार का विज्ञान एक नए किस्म का विज्ञान है।

यह ब्रिटेन में आरम्भ हुआ था। द इंस्टीट्यूट आफ एक्च्युरीज् आफ द युनाइटेड किंगडम की स्थापना वर्ष 1848 में की गई थी। संसद ने इसे कभी भी संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया। इसे वर्ष 1884 में रॉयल चार्टर आफ प्रीवी काउन्सिल के अंतर्गत समाहित किया गया था। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया में यह एक कम्पनी है। द इंस्टीट्यूट आफ एक्च्युरिज् एक केपनी है। संयुक्त राज्य अमरीका में सोसायटी आफ एक्च्युरिज् एक ऐसी सोसायटी है जिसका एक संविधान है। अत: बीमांकक की संकल्पना विकसित देशों या इस विश्व के लिए आज कोई नई संकल्पना नहीं है। यह अन्य देशों में और अन्य विकासशील देशों में भी प्रचलित है और परंपरा में है। लेकिन, आज की परिस्थितियों के अनुसार इसे भारत में प्रस्तुत करने की और एक वैधानिक और भविष्यपरक रूप दिए जाने की आवश्यकता है। यह पेशे की भविष्यवाणी करने के लिए है जिससे कि मुख्यत: बीमा क्षेत्र को सफल बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिए समुचित प्रारूप विकसित किया जा सकें।

आपने देखा है कि बीमा विनियामक प्राधिकार के गठन के पश्चात् सरकार ने 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। विदेशों से बहुत सी कंपनियों ने प्रवेश किया है।

विदेशों से बहुत-सी कम्पनियां आ गई हैं। लेकिन जब सदन में इस पर बहस हुई थी, तो उस समय, इसके प्रभारी मंत्री ने वादा किया था और कहा था कि बीमा बाजार में प्रवेश करने वाला निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा और फसल बीमा जैसी ग्रामीण परियोजनाओं में शामिल होगा। लेकिन, अनुभव से यह पता चलता है कि बड़े निजी संस्थान खेती और कृषि जैसे ग्रामीण बीमा क्षेत्र में नहीं गये हैं। वे अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए यह इनकी गतिविधियों को नियमित करते समय है। बीमा क्षेत्र के अच्छे भविष्य हेतु, बीमांकक जिम्मेदार होंगे।

यद्यपि, यह एक संस्था है, फिर भी भारत के लिए यह एक नई शुरूआत है। इस विधेयक द्वारा वे संस्था को समाप्त कर रहे हैं। संसद द्वारा एक नया अधिनियम बनाया जाएगा। मुझे आशा है कि निश्चय ही इसे पारित कर दिया जाएगा। मुझे यह भी आशा है कि बीमांकक देश को बेहतर सेवा देंगे और पूर्वानुमान करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री के.एस. राव को ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि मैं इस विधेयक का विरोध करूंगा। बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूं।

यह विधेयक राजग सरकार के शासनकाल में लाया गया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इस पर विचार-विमर्श किया था। चूंकि सभा का विघटन हो गया, इसलिए इसे इस सदन में पारित नहीं किया जा सका। अत:, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के एक सदस्य के रूप में भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की बिल्कुल आवश्यकता है। यह बीमांकक कार्य बहुत ही उच्च विशेषज्ञता प्राप्त कार्य है। इसलिए इसे भारत की बीमांकक समिति जैसी सहकारी समिति के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात की बिल्कुल आवश्यकता है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान जैसी संस्था का गठन होना चाहिए। अत: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की तरह एक बीमांकक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। लेकिन मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं। मैं उनका बहुत ही संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस विधेयक में एक गुणवत्ता जांच बोर्ड का प्रावधान किया गया है। यह गुणवत्ता जांच बोर्ड मानदंड

तय करेगा। एक संस्थान के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है।

इसे किसलिए बनाया गया है? अत: मानदंडों का निर्धारण और संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करना गुणवत्ता जांच बोर्ड का कार्य है और मुझे प्रसन्नता है कि इसे इस विधेयक में शामिल किया गया है।

दूसरा मुद्दा यह है कि इस विधेयक में इस संस्थान के सदस्यों के कदाचार से निपटने के लिए एक अनुशासन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, मुझे इस बात से खुशी है। शेयर बाजार में घोटाले की जांच करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य के रूप में हमने पाया कि नियमित घरानों ने, अनेक चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, जिन्हें वास्तव में अपना सही रिकार्ड रखना चाहिए, सांठ-गांठ से, शेयर बाजार की धनराशि का दुर्विनियोजन किया है। अत: जब समिति ने जानना चाहा कि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई तो हमें बताया गया कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं अनुशासन समिति में शामिल थे। इसलिए अनुशासन समिति के कहने और उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए गलत कार्यों के पर्याप्त सबूत देने के बावजूद भी अभी भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब संशोधित अधिनियम में अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की व्यवस्था की गई है और यही प्रावधान इस विधेयक में भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है क्योंकि आप भली-भांति जानते हैं कि जो व्यक्ति गलती करेगा वह अपने विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा।

महोदय, अब मैं दो सुझाव देता हूं। इस विधेयक के खण्ड 58(1) में कहा गया है:

> "जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है वहां वह, लिखित आदेश द्वारा परिषद को ऐसी अवधि के भीतर, जो वह निमित विनिर्दिष्ट करे, कोई विनियम बनाने या पहले से बनाए गए विनियमों में संशोधन करने अथवा उनमें से किसी को प्रतिसेहत करने का निदेश दे सकेगी।"

केन्द्र सरकार लिखित में कानून बनाएगी। केन्द्र सरकार कौन है? क्या यह नौकरशाहों के अनावश्यक हस्तक्षेप को स्वीकार करना नहीं है? अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने उत्तर के दौरान इस पहलू को स्पष्ट करें। नौकरशाही को यह शक्ति क्यों दी जानी चाहिए? इस शक्ति के माध्यम से वे अनावश्यक रूप से इसमें हस्तक्षेप करेंगे।

मेरी अन्तिम बात गुणवत्ता जांच बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में है। इस विधेयक में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। मैं जानता हूं कि इनका प्रावधान विधेयक में नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम कुछ तो संकेत दिया जाना चाहिए कि किस पद के समान उन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। अत:, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इन दोनों मुद्दों को स्पष्ट करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : माननीय सभापति महोदय, मैं बीमांकक विधेयक पर चर्चा में भाग लेने और विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं सदस्यों को आवश्स्त करना चाहता हूं कि सरकार उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गहराई से विचार करेगी और उनकी टीका-टिप्पणियों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए कहा गया है, यह एक नया विधान है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, कि इस विधेयक का उद्देश्य अत्याधिक महत्वपूर्ण विषय, जिसका महत्व विश्व भर में और देश में तेजी से चल रही विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के कारण और बढ़ गया है, पर विचार करना है।

महोदय, जैसी कि कुछ माननीय सदस्यों ने आज की चर्चा में भाग लेते हुए यह सही टिप्पणी की है कि अधिनियम में ही बीमांकक शब्द को परिभाषित किया जाना महत्वपूर्ण था और हमने ऐसा ही किया है। इसके बाद, विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया। स्थायी समिति ने विधेयक के सभी प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया था और इस संबंध में सुझाव भी दिए थे। उन्होंने बीमांकक की परिभाषा में और सुधार किया और इसी वजह से मैं आज इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

जैसा कि मैंने कहा था कि सहभागी लोकतंत्र में हमारे निर्णय, हमारी राय स्थायी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त राय पर निर्भर करती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब पेशेवरों से सम्बन्धित कोई विधान अधिनियमित किया जाता है तो

[श्री पवन कुमार बंसल]

उसका मुख्य भाग सदस्यों के आचरण और सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित होना चाहिए।

श्री के.एस. राव ने बहुत सही ढंग से इसका उल्लेख किया है और वह चाहते थे कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जब विधेयक अधिनियम में अधिनियमित किए जाए तो विधेयक के प्रावधानों के परिचालन पर मुख्य जोर दिया जाए और बीमांकक व्यवसाय के सदस्यों द्वारा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानदण्ड बनाए रखने के लिए कोई प्रावधान किया जाए। उस स्थिति से निपटने के लिए इस विधेयक में ही अनुसूची के रूप में एक सुस्पष्ट निश्चित प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है कि इस संस्थान के सदस्यों के संबंध में व्यावसायिक अवचार, व्यवहार में क्या होगा और सामान्यतया क्या होगा? इसमें संस्थान के सदस्यों के संबंध में अन्य अवचारों का भी सामान्यतया प्रावधान किया गया है। उसके तहत, यदि मैं कहूं एक विस्तृत निर्धारण किया गया है कि आचरण क्या होगा? विश्व में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम इस विधेयक में जो कुछ शामिल करेंगे, नमूने के तौर पर करेंगे। मैं उस प्रावधान से ही कुछ शब्दों को उद्धृत करूंगा। यह अनुसूची का अंग है :

"किसी व्यवसायरत बीमांकक को वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा यदि वह कर्मचारी को परिलब्धि के रूप में, उस संस्थान के किसी सदस्य या भागीदार या निवृत्त भागीदार या मृत भागीदार के विधिक प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षत: या परोक्षत: अपने वृत्तिक कारबार की फीस या फायदे में कोई हिस्सा कमीशन या दलाली का संदाय करता है या उसे अनुज्ञान करता है अथवा संदाय या अनुज्ञात करने के लिए सहमत होता है।"

महोदय, इसमें विस्तारपूर्वक अतिसावधानी से उन सभी बातों, जिकी अवचार के रूप में व्याख्या की जा सकती है; के साथ-साथ उन सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें बीमांकक के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति के लिए अवांछित माना जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस अधिनियम में ही विभिन्न निकायों के प्रदानुक्रम को देखते हुए, जो इस पर नजर रखेगा, जिसे वृत्तिक आचरण के उच्च मानकों को कायम रखने की जिम्मेदारी दी गयी है, इस पर नजर रखी जाएगी। माननीय सदस्यों को इस बारे में किसी प्रकार के संदेह, आशंका से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। हम यह निर्णय लेने का दायित्व उन पर ही छोड़ देंगे कि यदि कभी दुर्भाग्यवश उनके द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई मौका आया तो वे निर्णयात्मक कार्रवाई करेंगे।

महोदय, श्री राधाकृष्णन ने अपीलीय प्राधिकरण के प्रावधान का हवाला दिया। शायद उन्होंने सही कहा, कि सामान्यतया, जब हम कहते हैं कि जब आप कानून बनायें तो आप इसके लिए स्वतंत्र प्राधिकरणों का प्रावधान भी अवश्य करें। लेकिन तब, शायद मेरे हित के लिए उन्होंने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। उन्होंने कहा, "शायद सरकार इतना खर्च करने में लाचार है। मैं लाचार नहीं कहूंगा लेकिन वह एक ऐसा कारक है जिसे ध्यान में रखकर हम काम करते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में बीमांककों की संख्या कम है, यहां तक कि आगामी वर्षों में भी पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्ष 2015 में यदि यह संख्या 15,000 होगी तो भी यह संख्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कास्ट अकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिवों से कम ही होगी। इन सबके लिए, इन व्यवसायों के आचरण को शासित करने के लिए अलग-अलग स्वतंत्र विधान हैं परंतु उन सबके लिए एक ही अपीलीय प्राधिकरण है। यहां, हमने उसे वहीं नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी बीमांकक से संबंधित मसले पर निर्णय देने के लिए अपील में बैठेगा। ऐसा नहीं है। कृपया देखें कि यह परिभाषा खंड 32 में संशोधित की दी गयी है। इस विधेयक के खंड 32 में कहा गया है :

"चार्टर्ड आकउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकरण समझा जाएगा..."

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि इस उपान्तरण के अध्यधीन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम की उस धारा के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें कहा गया है:

"केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, उन व्यक्तियों में से दो अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति करेगी, जो बीमांकक संस्थान परिषद के कम से कम एक पूरी अवधि के लिए सदस्य रहे हों और जो परिषद के वर्तमान सदस्य न हों।"

जब उस अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बीमांककों से संबंधित मामलों पर विचार किया जाएगा तो इस प्राधिकरण का स्वरूप तदनुरूप उस हद तक बदल जाएगा।

श्री गणेश प्रसाद सिंह द्वारा इस संबंध में संयोगवश एक बात कही गयी थी।

[हिन्दी]

माननीय गणेश प्रसाद सिंह जी ने ठीक ही कहा था कि कानून के साथ तालुक रखने वाले भी कियी को होना चाहिए।

[अनुवाद]

मुझे इस सभा को पुन: यह सूचित करते हुए खुशी है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान है, अन्य विधानों में यह भी प्रावधान है कि इस अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। अपीलीय प्राधिकरण के पास कम काम होने के कारण सरकार यह सही महसूस करती है कि हमेशा बहुत कम काम करने वाले प्राधिकरणों की संख्या अधिक नहीं चाहिए। इसलिए, जब वे किसी विशेष वृत्ति संबंधी मामले से निपटते हैं, तो खंड (ख) संशोधित समझा जाएगा; अन्य वृत्ति से संबंधित लोग बाहर चले जाएंगे और संगत तथा संबंधित वृत्ति के लोग मामले पर निर्णय लेने के लिए बैठेंगे, उस संबंध में किसी प्रकार की आशंका करने की गुंजाइश नहीं होगी।

श्री राधाकृष्णन ने सदस्यों के वर्ग अर्थात् खण्ड 7 का भी उचित हवाला दिया। इसमें देश में बीमांकक वृत्ति के बारे में उभरती स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इसलिए, हमने सहयुक्त सदस्यों और अध्येता सदस्यों के बारे में भी प्रावधान रखा है। इसमें कहा गया है :

> "संस्थान के सदस्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा जिनको क्रमश: सहयुक्त और अध्येता अभिहित किया गया है।"

इस बात का स्पष्टत: ध्यान रखा गया है।

मैं "बीमांकक" की परिभाषा के महत्व का हवाला देने के लिए श्री महताब जी को धन्यवाद देता हूं। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आनेवाले समय में हमारे देश में बीमांकक का कार्य कई गुणा बढ़ जाएगा। जैसा कि उन्होंने उचित ही कहा है कि यह केवल जीवन बीमा, फसल बीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, आज यह पेंशन तक बढ़ गया है। यह कई गुणा बढ़ेगा। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने आज बीमांकक की कुछ विस्तृत परिभाषा दी है। जरूरत पड़ने पर यदि हम अपने अनुभव से यह महसूस करें कि कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो हम उसके लिए सदैव तैयार हैं। वैसा ही होना चाहिए। आज की कोई भी सरकार सभा की इच्छा सभा की सहमति से मार्गदर्शन प्राप्त करती है और उसी के अनुसार कार्य किए जाते हैं। आज, इस प्रकार भावी विकास को ध्यान में रखते हुए बीमांकक की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा जिनकी संभवत: बीमांकक से अपेक्षा की जा सकती है।

एक प्रश्न उठाया गया था और तब उसका उचित उत्तर भी दिया गया था कि यह ऐसा विषय है जिसे सहकारी समितियों या बहुत समय से चली आ रही समितियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं यह कहूंगा कि दी गयी परिस्थिति में इसने अच्छा काम किया है। लेकिन आज स्थितियां तेजी से बदल रही हैं और इस गतिशील दुनिया में, स्थितियों को बदलना ही होगा।

जब उस समिति की स्थापना की गयी तो बीमा क्षेत्र का पूर्णत: राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय प्रशिक्षित बीमांककों के लिए गुंजाइश सीमित थी। ऐसे कानून के न होने के कारण उनका काम भी स्पष्टत: सीमित था। इसी बात का प्रावधान करने के लिए स्पष्टत: यह विधेयक लाया गया है।

श्री स्वाईं ने पूछा, "आप सरकार क्यों ला रहे हैं?" वहां सरकार कहां नहीं है? सरकार वहां रहनी चाहिए। मैं बेहद विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि हमें सरकार को ऐसे उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। सरकार वहीं हस्तक्षेप करेगी जहां उसे जरूरत महसूस होती हो। वहां यह कहां नहीं है? पूंजी बाजार और हर कहीं हमारे नियंत्रक हैं। लेकिन सरकार के पास यह प्रावधान हमेशा है क्योंकि सरकार संसद के माध्यम से इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसा सिर्फ इस कारण है कि आपको सरकार शब्द मिल गया है और आप सवाल उठाने में समर्थ हो जाएंगे, जनता पर उंगली उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और सरकार को अपने सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे। वह उत्तरदायित्व सरकार का है पर सिर्फ उसी हद तक सीमित है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न निकायों की स्थापना होने के बाद सरकार उनके दैनिक काम-काज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये प्राधिकरण संस्थान के संस्थापन हैं; संस्थान की परिषद के संघटन हैं, निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना हैं, परिषद की विभिन्न समितियां, परिषद की अनुशासनिक समिति, अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग कर रहे प्रोसीक्यूशन डायरेक्टर हैं, किसी

[श्री पवन कुमार बंसल]

मामले में दिए गए तथ्यों के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अनुशासनिक समिति, और अपीलीय प्राधिकरण हैं। गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की स्थापना की सराहना की गयी है। एक बार फिर गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का उद्देश्य बीमांकक व्यवसाय को गुणवत्ता प्रदान करना है।

मैंने श्री प्रभु को पहले नहीं देखा था। मेरी इच्छा थी कि वे भी चर्चा में भाग लेते और अपने योगदान से हमें ज्ञानसंपन्न कराते पर तब भी मैं कृतज्ञ हूं कि वे अब यहां उपस्थित हैं।

महोदय, निश्चित ही यह सही बात है कि जब हम अनुशासन और मानदण्डों की बात कर रहे हैं तो दंड मानदंडों के अनुरूप ही होने चाहिए और प्रावधान कठोर किए जाने चाहिए। ऐसी मांग भी की गयी थी। महोदय, यह विधेयक सभा में पुर:स्थापित होने के बाद, स्थायी समिति को भेजा गया था और स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर समिति ने सभी पहलुओं पर विचार किया। मैं कुछेक संशोधनों को ला रहा हूं जिसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है। ये संशोधन सदस्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। मैं यहां केवल दो संशोधनों का हवाला दूंगा और वे इससे संबंधित हैं।

श्री सुधाकर रेड्डी ने और अधिक कठोर दंड की आवश्यकता का उल्लेख किया था। परिचालित और पुर:स्थापित विधेयक के खंड 38 में प्रावधान किया गया है :

"...वह प्रथम दोष सिद्धि होने पर जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।"

अब हमने इसमें बहुत हद तक बढ़ोतरी की है। 10 हजार रुपये की दंड राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है तथा छह महीनों के कारावास को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। साथ ही 25 हजार रुपए की दंड राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया है।

इसी प्रकार, मैं खंड 30 में आज एक और संशोधन का प्रस्ताव करूंगा। खंड 30 में कहा गया है :

"जहां परिषद की राय है कि यदि कोई सदस्य अनुसूची में वर्णित किसी वृत्तिक अवचार का दोषी है तो परिषद उसके विरूद्ध कोई आदेश देने से पहले सदस्य को सुनवाई कर युक्तियुक्त अवसर देगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित किन्हीं कार्रवाईयों में एक या अधिक को कर सकेगी; अर्थात् :-

(क) सदस्य को धिग्दंड दे सकेगी; या

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर में से या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटा सकेगी।"

अपराह्न 3.34 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हम जोड़ने जा रहे हैं, वह ऐसी दंड राशि लगाना, जो वह उपयुक्त समझे, जो पांच लाख रुपये तक की हो सकती है।"

महोदय, हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि आज किए गए किसी भी छोटे दुष्कर्म के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं और उसके लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने से रोकना चाहिए जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कदाचार घोषित किया गया हो। इसके लिए इस दंड की व्यवस्था की गई है।

महोदय, इसके बाद अस्तित्व में आने वाले संस्थान के वित्त के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। मुझे सभा को यह सूचना देते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि यहां तक कि अभी तक कार्य कर रही भारतीय बीमांकक सोसाइटी भी स्वावलंबी है।

यह जानते हुए कि जो संस्थान स्थापित किया जा रहा है वह भी स्वावलंबी होगा इसलिए यह खंड 22 इसमें जोड़ा गया है। लेकिन किसी अप्रत्याशित या किसी आपातकालीन स्थिति में किसी प्रकार का अनुदान आदि देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। खंड 22 में लिखा है :

"परिषद् के प्रबंध और नियंत्रण के अधीन एक निधि स्थापित की जाएगी जिसमें परिषद् को प्राप्त वे सब धनराशियां (जिसमें संदान और अनुदान भी सम्मिलित है) जमा की जाएंगी और जिसमें से परिषद् उपगत सभी व्यय और दायित्व चुकाए जाएंगे।"

इसमें आगे लिखा है :

"परिषद् ऐसी कोई धनराशि जो तत्समय निधि के खाते में जमा है, किसी प्रतिभूति में, जिसे ऐसे विनिधानों की प्रतिभूति के प्रतिफलों के साथ संगत रूप में उचित समझे और उसमें अधिकतम वापसी हो, विनिहित कर सकेगी।"

महोदय, हमने इससे आगे की स्थिति का भी ध्यान रखा है जिसमें संस्थान के पास अतिरिक्त धनराशि होगी और संस्थान उस अतिरिक्त धन का निवेश कर सकेगा तथा उससे अर्जित आय का उपयोग संस्थान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों व अन्य कार्यों में किया जा सकेगा।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के नए विधान को बनाते समय ऐसी सभी संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। जैसा कि हम सभी का कहना है कि इस नए विधान के अंतर्गत एक तेजी से उभरते हुए बीमांकक के क्षेत्र को लाया गया है। इस विधान को बनाते समय हमें चार्टर्ड एकाउंटेंट, कॉस्ट एण्ड वर्क एकाउंटेंट और कम्पनी सचिव आदि के मामलों में बनाए गए इसी प्रकार के कानूनों से दिशानिर्देश मिले हैं। हमने उन संस्थानों के अनुभवों से सीखा है और उन अनुभवों के आधार पर ही हमने यह कानून बनाया है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार भविष्य में उनके द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव पर विचार करेगी।

मैं अब आग्रह करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने मृत्युदर तथा रुग्णता के मामलों का उल्लेख किया था। यह स्पष्टीकरण मृत्यु दर और रुग्णता जांच ब्यूरो स्थापित किए जाने के संबंध में था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का निकट भविष्य में एम.एम.आई.बी. स्थापित करने का विचार है। इसका विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे को नोट कर लिया है। विशेष रूप से इसका प्रावधान इस विधेयक से नहीं है। परन्तु मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जब भी इसकी आवश्यकता होगी इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इस समय इस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। परन्तु जब भी कोई ऐसा अवसर आएगा, कोई ऐसा विषय आएगा जो इस संस्थान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो संस्थान इस पर पूरी तरह से गौर करेगा और तदनुसार कार्रवाई करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमांककों के व्यवसाय का विनियमन और विकास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2—परिभाषाएं

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

'(क) "बीमांकक" से भावी आकस्मिक घटनाओं के वर्तमान प्रभावों के अवधारण में या बीमा के विभिन्न क्षेत्रों में वित्त आदर्श रूपण और जोखिम विश्लेषण या जीवन हित और बीमा जोखिम के मूल्य की संगणना, या पालिसियों का डिजाइन और मूल्य निर्धारण, फायदों के निकाले जाने, बीमा कारबार से संबंधित दरों की सिफारिश करने, मूल्यानुपाती आधारित सारणियों के आधार पर वार्षिकी, बीमा और पेंशन दरों का अवधारण करने में कुशल कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और जिसमें ऐसी प्रौद्योगिकी, कराधान, कर्मचारियों के फायदे और ऐसे अन्य जोखिम प्रबंध तंत्र और विनिधान में लगा हुआ सांख्यिकीविद सम्मिलित है और जो संस्थान का अध्येता सदस्य है; तथा "बीमांकक विज्ञान" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;'; (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

'(ट) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;'; (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 30, "(ट)" के स्थान पर, "(ठ)" रखें; (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 32, "(ठ)" के स्थान पर, "(ड)" रखें; (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34, "(ड)" के स्थान पर, "(ढ)" रखें; (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35, के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'(ञ) "उपाध्यक्ष" से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;'; (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36, "(ञ)" के स्थान पर, "(त)" रखें; (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16, के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" पद के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में यथापरिभाषित लोक वित्तीय संस्था है;'; 1956 का 1 (11)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 9 — व्यवसाय का प्रमाण पत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"9(1) संस्थान का कोई सदस्य तब तक व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएं पूरी न की हों और परिषद् से व्यवसाय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो;'; (12)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 12—संस्थान की परिषद का गठन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 13 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"(क)संस्था के अध्येता और सहयुक्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित न्यूनतम नौ और बारह से अनधिक व्यक्ति, जो अध्येता सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे जो विहित की जाए :

परन्तु संस्था के ऐसे अध्येता, जो किसी वृत्तिक या अन्य कदाचार के दोषी पाए गए हैं और जिनके नाम रजिस्टर से हटा दिए गए हैं या जुर्माने की शास्ति से अधिनिर्णीत किए गए हैं, निर्वाचन लड़ने के पात्र नहीं होंगे,-

(6) (i) इस अधिनियम [भाग 4 (ख) के सिवाय] की अनुसूची के अधीन आने वाले किसी कदाचार की दशा में की तीन वर्ष की अवधि के लिए; या

(ii) इस अधिनियम की अनुसूची के भाग 4(ख) के अधीन आने वाले कदाचार की दशा में छह वर्ष की अवधि के लिए,

यथास्थिति, रजिस्टर से अध्येताओं के नाम हटाए जाने की अवधि के पूरा होने के पश्चात् या जुर्माने का संदाय किया जाता है; और

(ख) (i) भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए;"; (13)

पृष्ठ 7, पंक्ति 16 "(ख) (i)" के स्थान पर, "(ii)" रखें; (14)

पृष्ठ 7, पंक्ति 19 "(ii) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति," के स्थान पर" (ii) दो से अनधिक ऐसे व्यक्ति," रखें; (15)

पृष्ठ 7, पंक्ति 27, "लाभ का पद धारण कर रहा है" के स्थान पर, "पद धारण कर रहा है" रखें; (16)

पृष्ठ 7, पंक्ति 29 से 37 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"(4) उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट परिषद् के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् चक्रानुक्रम द्वारा निवृत्त होंगे किन्तु पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे।

(5) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, नामनिर्देशन की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे पहले हटा न दिया गया हो और पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा:

परन्तु इस प्रकार हटाए जाने से पूर्व उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा;"; (17)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14—परिषद का पुन: निर्वाचन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 7 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"14. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित परिषद् का कोई सदस्य पुन:निर्वाचन के लिए पात्र होगा किन्तु दो आनुक्रमिक अवधियों से अधिक के लिए नहीं।"; (18)

पृष्ठ 8, पंक्ति 11, "पुन:निर्वाचन" के स्थान पर, "निर्वाचन या नामनिर्देशन" रखें; (19)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16—अधिकरण की स्थापना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"एक पूरी कालावधि के लिए परिषद् का सदस्य न रहा हो और परिषद् का आसीन सदस्य न हो या विवाद के अधीन निर्वाचन का अभ्यर्थी न रहा हो; और"; (20)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17— अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अवैतनिक सचिव

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 37, "दूसरे सदस्य" के स्थान पर, "के सदस्यों में से एक" रखें।" (21)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18— सदस्यता से त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों को भरना

संशोधन किए गए :

"द्वारा गठित समितियों में से किसी से, जिसका वह सदस्य है, या वह किसी वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है और शास्ति के लिए जुर्माना अधिनिर्णीत किया जाता है या उसका नाम धारा 24 और धारा 30 के उपबंधों के अधीन रजिस्टर से उसका नाम किसी हेतुक से हटा दिया गया है"; (22)

पृष्ठ 9, पंक्ति 24 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"(3) परिषद् के सदस्य के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति, नए निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए पदधारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया है वह पद धारण कर रहा होता:

परन्तु ऐसे सदस्य की पदावधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष के भीतर रिक्त होने वाले आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जाएगा।"; (23)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19—परिषद के कृत्य

पृष्ठ 10, पंक्ति 26 और 27, हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है। (24)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21—परिषद की समितियां

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"परंतु सहयोजित सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्यता की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।"; (25)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22—परिषद के वित्त

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11, पंक्ति 25 और 26, "केन्द्रीय या राज्य सरकार की" का लोप करें। (26)

पृष्ठ 11, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

1956 का 42 'स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में है।'; (27)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27—अभियोजन निदेशक की नियुक्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 23 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:-

"परिषद् अधिसूचना द्वारा, अभियोजक निदेशक और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिषद को प्राप्त किसी सूचना या परिवार की बाबत जांच करने में अनुशासन समिति की सहायता करने के लिए अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी।" (28)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28— प्राधिकरण, परिषद, अनुशासन समिति और अभियोजन निदेशक के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 29 "परिषद्" का लोप करें। (29)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वहां क्या समस्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हद लांघ रहे हैं।

खंड 29— अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा कार्रवाई।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 7 "निदेशक को" के स्थान पर "निदेशक या स्वयं" प्रतिस्थापित करें। (30)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30— सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान होना।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 8 "वृत्तिक" के स्थान पर "वृत्तिक या अन्य" प्रतिस्थापित करें। (31)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करे :-

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा। (32)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31— वृत्तिक या अन्य अवचार की परिभाषा।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 18 से 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वृत्तिक या अन्य अवचार" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत अनुसूची में उपबंधित कोई कार्य या लोप सम्मिलित है, किन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी भी रीति में अनुशासन समिति या अभियोजन निदेशक पर किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के अवचार के बारे में जांच करने की अधिरोपित शक्ति या कर्त्तव्य को सीमित या कम करती है।" (33)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32— अपील प्राधिकरण का गठन

संशोधन किसे गये :

"हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है। (34)

पृष्ठ 14, पंक्ति 32 "पूरी अवधि के लिए सदस्य रहा है" के पश्चात् "और जो परिषद् के असदीन सदस्य नहीं है" अंत:स्थापित करें। (35)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33— प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि।

पृष्ठ 14, पंक्ति 33 "पांच वर्ष की अवधि" के स्थान पर "तीन वर्ष की अवधि" प्रतिस्थापित करे। (36)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34— प्राधिकरण की प्रक्रिया आदि।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 35— प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 2 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें,

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 25च के उपबंध प्राधिकरण को, उसके अध्यक्ष और सदस्यों के भत्तों और सेवा के निबंधनों और शर्तों के संबंध में तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949, के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसे लागू होते है।" (37)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36—प्राधिकरण को अपील

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 9 "प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए" के स्थान पर "प्राधिकरण के" प्रतिस्थापित करें। (38)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37— सदस्य आदि होने का मिथ्या दावा करने के लिए शास्ति।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 15, पंक्ति 13 "तीस दिन के भीतर" के स्थान पर "नब्बे दिन के भीतर" प्रतिस्थापित करें। (39)

पृष्ठ 15, पंक्ति 15, "तीस दिन" के स्थान पर "नब्बे दिन" प्रतिस्थापित करें। (40)

पृष्ठ 15, पंक्ति 26 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

"परंतु प्राधिकरण कोई आदेश पारित करने से पहले संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा।" (41)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38— संस्था के नाम का उपयोग करने, बीमांकिक विज्ञान की उपाधियां देने आदि के लिए शास्ति कम्पनियां

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 8 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।"

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया।

खंड 39 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 44— बोर्ड के सदस्य

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 17, पंक्ति 28 हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है। (43)

पृष्ठ 17, पंक्ति 26 "बोर्ड" के स्थान पर "परिषद्" प्रतिस्थापित करें। (44)

पृष्ठ 17, पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिनके पास विधि, शिक्षा, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त, लेखाकर्म या लोक प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव हो।" (45)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 45 और 46 विधेयक में जोड़ दिया गए।

खंड 47—बोर्ड के व्यय

संशोधन किया गया' :

'हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है। (46)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 से 54 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अपराह्न 4.00 बजे

खंड 55— केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 3 "अध्यक्ष" का लोप करें। (47)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56—विनियम बनाने की शक्ति

संशोधन किये गए :

पृष्ठ 20, पंक्ति 22 और 23 का लोप करें। (48)

पृष्ठ 20, पंक्ति 24 "(छ)" के स्थान पर, "(च)" रखें। (49)

पृष्ठ 20, पंक्ति 26 "(ज)" के स्थान पर, "(छ)" रखें। (50)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 56 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 57— केन्द्रीय सरकार को विनियम बनाने की या संशोधन करने के लिए निदेश देने की शक्ति।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 21, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(छ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए अपेक्षित अर्हताएं और वह प्ररूप जिसमें उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा;" (51)

पृष्ठ 21, पंक्ति 11 और 12 का लोप करें। (52)

पृष्ठ 21, पंक्ति 13 "(झ)" के स्थान पर, "(ज)" रखें। (53)

पृष्ठ 21, पंक्ति 15 "(ज)" के स्थान पर, "(झ)" रखें। (54)

पृष्ठ 21, पंक्ति 16 "(ट)" के स्थान पर, "(ञ)" रखें। (55)

पृष्ठ 21, पंक्ति 17 "(ठ)" के स्थान पर, "(ट)" रखें। (56)

पृष्ठ 21, पंक्ति 19 "(ड)" के स्थान पर, "(ठ)" रखें। (57)

पृष्ठ 21, पंक्ति 21 "(ढ)" के स्थान पर, "(ड)" रखें। (58)

पृष्ठ 21, पंक्ति 23 "(ण)" के स्थान पर, "(ढ)" रखें। (59)

पृष्ठ 21, पंक्ति 25 "(त)" के स्थान पर, "(ण)" रखें। (60)

पृष्ठ 21, पंक्ति 27 "(थ)" के स्थान पर, "(त)" रखें। (61)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 58 से 60 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित करें,-

"भाग 4

साधारणत: संस्थान के सदस्य के संबंध में अन्य अवचार

संस्थान का सदस्य, चाहे व्यवसाय में है अथवा नहीं, अन्य अवचार का दोषी समझा जाएगा, यदि-

(क) (1) वह किसी सिविल या दंड न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का, जो कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, दंडनीय है, दोषी अभिनिर्धारित किया गयण है;

(2) परिषद् की राय में उसने अपने कार्य के परिणामस्वरूप, चाहे वह कार्य उसके वृत्तिक कार्य से संबंधित है अथवा नहीं, उस वृत्ति या संस्थान की प्रतिष्ठा को गिराया है;

(ख) वह किसी सिविल या दंड न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का, जो कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक होगी, दंडनीय है, दोषी अभिनिर्धारित किया गया है।" (62)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "2005" के स्थान पर, "2006" प्रतिस्थापित करें। (2)

"हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है। (3)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "छप्पनवें" के स्थान पर, "सतावनवें" प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्री पवन कुमार बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मुझे एक छोटा सा निवेदन करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अब हम न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। परन्तु अगर आप माननीय मंत्री महोदया को दो मिनट के लिए अपनी बात कहने की अनुमति दे दें, तो वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 का विधेयक के प्रस्ताव किये जाने के बाद मद सं. 25 पर चर्चा की जा सकती है। तत्पश्चात् विधेयक पर वाद-विवाद पूरा किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह यह बात उठी थी और अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया था कि...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम उस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। श्रीमती रेणुका चौधरी विधेयक पर प्रस्ताव करेंगी और चर्चा बाद में हो जाएगी। इसमें केवल दो मिनट लगेंगे।

अपराह्न 4.07 बजे

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद सं. 22—श्रीमती रेणुका चौधरी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सर्वप्रथम, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको तथा इस सभा में बैठे सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। उन माननीय सदस्यों, जो इस सभा में उपस्थित नहीं हैं, की त्रासदी यह है कि वे ऐसे विधेयक लाये जाने के महत्त्व को समझ नहीं पाये।

अपराह्न 4.08 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए]

वर्ष 2020 तक, भारत को विश्व में सबसे बड़े सबसे युवा उत्पादक बल के रूप में उभरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज सबसे बड़ा, सबसे युवा और उत्पादक बल हमारे किशोर हैं जो बड़े होकर अर्जन करेंगे और इस देश को कई गुना लौटा देंगे।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 भारत के बच्चों के विकास और समृद्धि के लिए न्याय और अवसर प्रदान करने वाला एक व्यापक विधान है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार व्यापक अधिकारों, जिनमें जीवित रहने, संरक्षण, विकास और भागीदारी के अधिकार शामिल हैं, पर आधारित है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000, 1 अप्रैल, 2001 से लागू है। इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण संशोधन इसमें दत्तक ग्रहण की परिभाषा शामिल करना है। जिन्होंने दत्तक ग्रहण करने का प्रयास किया है, उन्हें अपने हृदय की उस व्यथा और भीषण त्रास का अनुभव अवश्य हुआ होगा जो उन्हें किसी बालक के चयन के लिए प्रतीक्षा और प्रयास के दौरान

हुए होंगे, जबकि अनेक बच्चों को अपने घर का चयन करने की छूट नहीं होती।

देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक की परिभाषा में बाल भिक्षुकों को शामिल करना भी दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन है। पुनश्च यह प्रस्ताव किया गया है कि बालकों को पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। इस पर हमें संवेदनशील होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे अपराधी ही बनें, तब तो हम उन्हें पुलिस की हिरासत में रख सकते हैं। हम बालकों को कारागारों में नहीं डालते, और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की सभी जांच समय पर पूरी की जानी चाहिए। विडम्बना यह है कि कई बार किशोर बड़े होने लगते हैं और उनकी गरदन पर तलवार लटकती रहती है और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्हें न्याय कब मिलेगा।

यह महसूस किया गया है कि राज्य सरकारों को मामलों के लंबित रहने की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि इसकी जिम्मेदारी व दायित्व प्रत्यक्षत: राज्यों पर ही है। परन्तु, मामले काफी दिनों से लम्बित हैं। यह खेदजनक बात है कि राज्य यह पता भी नहीं करते कि स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड बोर्डों और बाल कल्याण समितियों के समक्ष कितने मामले लम्बित हैं।

मेरा विचार है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी ऐसे किशोर को सुधार गृह में तीन वर्षों से अधिक समय तक नहीं रखा जाना चाहिए।

उन्हें वहां से निकलने के अवसर हैं। किसी भी कालावधि के लिए किसी किशोर को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। समाचार-पत्रों और संचार माध्यमों पर एक विशेष दायित्व है। मैं इन माध्यमों का इस मामले में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि इन किशोरों की खबरें छपते समय ये उनके प्रति संरक्षणकारी दृष्टिकोण अपनायें। वस्तुत:, यदि इन बच्चों का चेहरा दिखाया जाता है अथवा उनकी पहचान उजागर की जाती है, तो 25,000 रु. की शास्ति है। ऐसा नियम इसलिये है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों के मामलों को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक तौर पर उछाला न जाय और उन्हें अपनी निजता बनाये रखते हुए पुनर्वास का अधिकार प्राप्त हो ताकि उनपर अपराधी होने की मुहर न लग जाए और उनके खिलाफ मीडिया में कोई तहकीकात न हो। साथ ही सार्वजनिक तौर पर वे अनावश्यक रूप से चर्चा के पात्र न हों जो बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास और पुनर्वास के लिए अहितकार साबित न हो। हम यह भी महसूस करते हैं कि बच्चों को सुधार-गृह प्रदान करने वाले सभी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाए ताकि उनके कुछ दायित्व और जिम्मेदारी भी बनी रहे।

धारा 62 (क) द्वारा राज्य सरकार को एक कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वह उस राज्य के लिए कोई बाल सुरक्षा एकक गठित करे और प्रत्येक जिले के बाल सुरक्षा एकक में सरकार ऐसे अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करे जो बच्चों/किशारों से संबंधित मामलों को उठा सकें ताकि इस अधिनियम का कार्यान्वन सुनिश्चित किया जा सके। मेरे प्यारे साथियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका कारण कानूनों का अभाव नहीं है। हमारे देश में पर्याप्त कानून हैं जो हमारे कार्य में सहायक हैं और हमारे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हैं। परन्तु, इन वर्तमान कानूनों के कार्यान्वयन की अलग ही कहानी है। यह जरूरी है कि हम लोगों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरायें कि इस विशेष अधिनियम में जो कानून है, वस्तुत: उसी के अनुसार, ये संस्थाएं अपना काम करें। कुल मिलाकर यह अधिनियम देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के लिए बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखभाल अच्छे संस्थानों द्वारा की जाए ताकि उनका पुनर्वास हो सके। यदि हम मामले की नजाकत नहीं समझेंगे, तो इसका अर्थ है कि हम इन बच्चों को खतरनाक दिशा में जाने देंगे और तब ये बड़े होकर वयस्क अपराधी बनेंगे जिनके पुनर्वास के प्रयास में राज्य और देश को काफी व्यय करना पड़ेगा। अत: बेहतर होगा कि हम प्रारंभिक स्तर और शुरुआती समय में ही इसके प्रति संवेदनशील रहें ताकि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को अच्छा बनाने के लिए हम बेहतर सुविधाएं जुटा सकें। तत्पश्चात्, वे बड़े होकर इस देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।

इन प्रस्तावित संशोधनों से मेरे मंत्रालय और राज्य सरकारों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) के प्रावधानों को कारगर रूप से लागू करने में मदद मिलेगी तथा बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण और उपचार के उपबंध सुनिश्चत किये जा सकेंगे जो कि वास्तव में इस अधिनियम का वास्तविक लक्ष्य है।

आज, सुबह उठकर आपमें से अधिकांश महानुभावों ने समाचार-पत्रों में छपी उन सुर्खियों को पढ़ा होगा जिनमें बताया गया है कि श्रम मंत्रालय इस बात से सहमत है कि 18 वर्ष से कम आयुवाले बालकों को बच्चा माना जायेगा और वे कहीं कोई काम नहीं कर

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

सकते ताकि उन्हें अपने बचपन के लाभ का हक प्राप्त हो। 18 वर्ष से कम आयु वाले सभी बालकों को आज समानरूप से 'बच्चा' माना जाता है तथा बच्चों को अपने बचपन, जिनका तात्पर्य है कि उसे शिक्षा, बेहतर जानकारी, पोषण, पारम्परिक कौशल में प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन योजना, टीकाकरण की उपलब्धता, और घर के कामकाज का अच्छा माहौल, प्राप्त करने का मानवाधिकार मिल सके ताकि उन्हें जोखिमभरे कार्यों और अन्य कार्यों से हटाया जा सके। कम से कम एक अच्छी शुरूआत तो उन्हें मिलने लगेगी और यह समझने का मौका मिलेगा कि 'बच्चा होना' क्या होता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे लोकप्रिय मानदण्डों के कारण, हमारे अधिकांश बच्चे भिखारी बन जाते हैं। आपमें से अधिकांश ने यह समाचार पढ़ा होता कि भिखारी बनने के लिए लोग स्वेच्छया अपना अंग-भंग करवा लेते हैं। अत:, आप सोच सकते हैं कि भिखारियों के बच्चों की क्या-क्या डरावनी कहानियां हो सकती हैं जिन्हें भिक्षा वृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है या जिन्हें जोखिमभरे कार्यों में जबरन लगाया जाता है जहां उन्हें अच्छे मानवीय मानदण्ड के अधिकार प्राप्त नहीं होते और उन्हें स्वस्थ शरीर वाले मां बाप के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आशा है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में इस संशोधन से आसानीपूर्वक दत्तक ग्रहण में मदद मिलेगी। आप में से वे सभी, जिन्होंने मेरी ही तरह दत्तक ग्रहण का प्रयास किया है, पायेंगे कि यही समस्याओं की जड़ है।

आज इस देश का कोई भी नागरिक किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण कर सकता है और किसी भी धर्म का विस्तार किये बिना हम बेहतर सुविधाएं जुटा सकते हैं।

मैं स्थायी समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद स्थापित करना चाहती हूं जिन्होंने सचमुच अहर्निश कड़ी मेहनत कर हमें अति महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं। कुछेक अत्यन्त अच्छे सुझाव सामने आए हैं और ये हमारी जानकारी के बड़े अच्छे आधार हैं। माननीय सदस्यों द्वारा मेरे मंत्रालय और मुझे उपयोगी सलाह प्राप्त हुई है।

अब मैं माननीय सदस्यों से मेरे माननीय सहकर्मी द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों पर विचार करने के लिए उनके सहयोग और समर्थन का अनुरोध करती हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

बाद में हम विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे।

अब हम नियम 193, के अंतर्गत मद सं. 25 पर चर्चा करेंगे। श्री प्रबोध पंडा।

अपराह्न 4.16 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कथित रूप से लापता हो जाने के संबंध में गठित न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट

श्री प्रबोध पंडा (मिदनापुर) : धन्यवाद सभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा के रूप में इस मामले को उठाते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यह राष्ट्रीय सरोकार का विषय है। इस विषय से पूरे देश की बलवती भावना जुड़ी हुई है।

मैं न्यायमूर्ति एन.के. मुखर्जी की नेताजी सुभाषचंद्र बोस के कथित रूप से होने की जांच रिपोर्ट और रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर चर्चा आरम्भ करता हूं। नेताजी स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम के वे एक महान राष्ट्र नायक थे।

आजादी के बाद से लेकर अब तक इस विषय में तीन आयोगों या समितियों का गठन हुआ है। इनमें मुखर्जी आयोग तीसरा है। हमारे देश में एक ही विषय पर तीन-तीन आयोगो या समितियों के गठन का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से, इससे इस मामले के महत्व का पता चलता है। यह विषय फारमोसा, जिसे ताईवान के नाम से जाना जाता है, में ताईहोकू हवाईअड्डे पर 18 अगस्त, 1945 को हुई विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कथित रूप से मारे जाने के संबंध में है।

स्वतंत्रता के पहले अथवा उसके बाद नेताजी की मृत्यु हुई होगी। परन्तु पूरा देश उनकी अंतिम परिणति के बारे में सही-सही जानकारी

से अवगत होने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि समूचा राष्ट्र, चाहे कोई किसी भी पार्टी काडर का हो, हमारी आजादी के आन्दोलन की इस सर्वाधिक महान विभूति के प्रति अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा का भाव रखता है।

इसमें कोई संदेह नहीं, कि नेताजी हमारी इस महान मातृभूमि के प्रतिष्ठित सपूत थे जिनमें क्रांती का प्रचंड आवेग था और जिन्होंने हमारी आजादी के आन्दोलन के मंद पड़ रहे आवेग में नया आयाम जोड़ा और उसमें प्राण फूंके। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने देश की सीमाओं से बाहर जाकर 'आजाद हिंद फौज' का गठन किया। हम आजाद हिंद फौज का नाम श्रद्धा से लेते हैं जिसने उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की जड़ें हिला दी थीं। उसने देश पर अपनी छाप छोड़ी थी।

महोदय, मुद्दा यह है कि ऐसे महान देशभक्त की मृत्यु पर विवाद सन् 1945 से चला आ रहा है, 23 अगस्त, 1946 को जब टोक्यो रेडियो से उनके निधन का समाचार प्रसारित हुआ था। वह समचार थ कि "नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 18 अगस्त, 1945 को एक विमान-दुर्घटना में मारे गए।" उस रिपोर्ट को लेकर विवाद रहा। चूंकि रिपोर्ट में अनेक विसंगतिपूर्ण बातें थीं और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। अत: देश के विभिन्न भागों से इस बारे में उठती तीव्र जनभावनाओं को देखकर यह निर्णय किया गया कि नेताजी की विमान दुर्घटना में कथित मृत्यु के बारे में सत्यता जानने हेतु समुचित जांच की जाए।

अभिलेखों से पता चलता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 मार्च, 1952 को सदन में यह घोषणा की थी कि आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एस.ए. अय्यर द्वारा उन्हें भेजी गई रिपोर्ट को प्रामाणिक मानना होगा। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? श्री एस.ए. अय्यर ने उस रिपोर्ट में कहा था कि 1951 में वे अपनी जापान-यात्रा के दौरान वे रेंकोजी मंदिर जाकर वहां के प्रिस्ट मुचीजुकि से मिले थे। रेंकोजी मंदिर के प्रिस्ट मुचीजुकि ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को दिनांक 25 नवम्बर, 1953 के अपने पत्र में लिखा था कि सन् 1945 में जो लोग उनके मंदिर में नेताजी के तथाकथित अस्थि-अवशेष लेकर आए थे वे उनके लिए अपरिचित थे और वे फिर इसके बाद वे उनसे कभी नहीं मिले।

यही नहीं, यहां यह कहना बिलकुल भी अनुचित नहीं होगा कि श्री अय्यर ने अपनी पुस्तक "अन-टू हिम इन विटनेस", जिसे खोसला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, में साफ-साफ लिखा है कि उन्होंने ही दोमेई डिस्पैच तैयार किया था जिसके आधार पर 'रायटर' एजेंसी द्वारा मृत्युसंबंधी कथित समाचार प्रसारित किया गया था। इस बारे में अय्यर ने आगे लिखा है कि कथित दुर्घटना के कथित स्थल का दौरा किए बिना और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के साथी और उस विमान में उनके सहयात्री हबीबुर्रहमान से मिले बिना उन्होंने कुछ जापानी अधिकारियों से मिली खबर के आधार पर ही वह समाचार तैयार किया था। यानी उन्होंने वह रिपोर्ट जापानी अधिकारियों की सूचना के आधार पर तैयार की थी। यह बात उस समय भी संसद-सदस्यों और जनता के गले नहीं उतरी। अत:, पंडित नेहरू के नेतृत्व में शाह नवाज कमेटी का गठन किया गया और उसे विमान-दुर्घटना में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की कथित मृत्यु के बारे में जांच का जिम्मा सौंपा गया।

इस समिति ने एक रिपोर्ट दी जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं किया गया था। इस समिति में जो तीन सदस्य थे उनमें से एक महत्वपूर्ण सदस्य थे—नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बड़े भाई, सुरेशचंद्र बोस थे। उन्होंने इस पर अपनी असहमति जताई। चूंकि इस रिपोर्ट पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी, अत: यह विवाद बना रहा और अभी तक हल नहीं हुआ है।

पुन:, एक सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसका नाम था खोसला आयोग; और इसकी रिपोर्ट 11 जुलाई, 1970 को आई। इस आयोग और पूर्वोक्त समिति दोनों के अभिमतों और निष्कर्षों का सार यह है कि नेताजी ताइहोकू में हुई विमान-दुर्घटना में घायल होकर चल बसे और उनके अंत्यावशेषों को तोक्यो ले जाया गया था। लेकिन यह निष्कर्ष संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ। अत:, यह विवाद हल नहीं हो सका और आज तक बना हुआ है।

फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 30 अप्रैल, 1998 को संघ सरकार को निदेश दिया कि इस बारे में गठन जांच की जाए। इसके पश्चात् 24 दिसंबर, 1998 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से इसी आशय का एक संकल्प स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुखर्जी के अधीन एक आयोग भी नियुक्त किया। मुखर्जी आयोग को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? मुखर्जी आयोग को पांच पक्षों पर जांच करने के लिए कहा गया—

(एक) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मृत हैं या जीवित;

(दो) क्या उनकी मौत जैसा कि कहा जा रहा है विमान दुर्घटना

[श्री प्रबोध पंडा]

में ही हुई; (तीन) क्या जापान के रेंकोजी मंदिर में रखे अंत्यावशेष नेताजी के ही हैं; (चार) क्या उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से हुई; यदि हां, तो कहां और कब; और (पांच) यदि वे जीवित हैं तो कहां हैं? इस प्रकार, न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग से यथासंभव शीघ्र, छह महीनों के भीतर, अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। किन्तु यह काम लम्बा था और ऐसा करना संभव नहीं हो पाया। अत:, छह साल तक गहराई से जांच-पड़ताल करने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तत्पश्चात्, भारत सरकार ने 17 मई, 2006 को इस रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही-ज्ञापन प्रस्तुत किया।

यह कहा गया था कि सरकार इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के छह महीनों के भीतर ही इस पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पेश करेगी। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर सकी। इसके कई कारण और स्पष्टीकरण दिए गए। ये सभी स्पष्टीकरण तकनीकी प्रकृति के थे। ये स्पष्टीकरण दिए गए : रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन के पेश करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण यह दिया गया कि इसके अनुवाद, मुद्रण और सरकार द्वारा इस पर विचार करने में काफी समय लग गया। फिर, मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति में भी देरी हुई और आखिरकार, संसद की बैठक ही स्थगित हो गई थी। आज हम यह मानने पर विवश हैं कि मुद्रण और अनुवाद की बाध्यताओं के चलते सरकार को यह कार्रवाही संबंधी ज्ञापन पेश करने में विलम्ब हुआ। लेकिन ये सभी कारण सतही हैं और सच तो यह है कि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने मामले को हलकेपन से लिया और रिपोर्ट पर कार्यवाही संबंधी ज्ञापन सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ।

महोदय, सरकार ने इस आयोग द्वारा की गई रिपोर्ट के दो बिंदुओं पर ही प्रतिक्रिया दी। पहली बात यह कि नेताजी विमान-दुर्घटना में नहीं मारे गए। मुखर्जी आयोग को पांच पक्षों पर जांच करने का जिम्मा दिया गया था जिसमें से उसने केवल चार पहलुओं की ही जांच की और एक पहलू छोड़ दिया। जिस पहलू की मुखर्जी आयोग ने जांच नहीं की वह है : नेताजी की मौत कैसे और कहां हुई? आयोग ने केवल बाकी चार बातों की जांच करके रिपोर्ट पेश कर दी। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि नेताजी अब जीवित नहीं हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उसने यह भी माना कि उनकी मौत किसी विमान दुर्घटना में नहीं हुई। अत: यह बात चली कि विमान-दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु का समाचार विश्वसनीय नहीं था क्योंकि यह मानने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई उदाहरण देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि विमान-दुर्घटना में उनकी मौत की बात सिर्फ मनगढ़ंत और अफवाह भरी कहानी थी। आयोग ने उस समय के एक प्रख्यात पत्रकार, जो इंटक से जुड़ा था, का भी हवाला दिया। उसने एक पुस्तक लिखी है और आयोग ने उस पुस्तक का भी उद्धरण दिया है।

दूसरा मुद्दा जिस पर आयोग ने टिप्पणी की है वह बहुत ही संवेदनशील मामला है। यह बात जापान के रेंकोजी मंदिर में रखे उन अंत्यावशेषों के बारे में है जिन्हें नेताजी के अंत्यावशेष माना जाता है। आयोग ने कहा है कि ये अंत्यावशेष नेताजी के नहीं हैं बल्कि स्वर्गीय ओकारा इचिरो के हैं। रिपोर्ट से ये सभी जानकारियां दी गई हैं।

लेकिन यह कहते हुए मुझे खेद है कि आयोग द्वारा इतने कठिन परिश्रम से तैयार की गई रिपोर्ट के निष्कर्षों को यह सरकार मानने को तैयार नहीं है, न ही इससे सहमति रखती है। न सिर्फ वह आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को झुठला रही है बल्कि सन् 1978 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की टिप्पणी को भी झूठ ठहरा रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देशाई ने 28 अगस्त, 1978 को इस सभा में उत्तर देते हुए जो कहा था मैं उससे उद्धृत करता हूं:-

"नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मंचूरिया जाते समय 18 अगस्त, 1945 को ताइहोकू हवाई क्षेत्र में हुई विमान-दुर्घटना में मृत्यु की जांच-रिपोर्ट दो जांचों के बाद आई है; एक जांच मेजर जनरल शाहनवाज खां की अध्यसता वाली समिति द्वारा की गई और दूसरी, पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जी.डी. खोसला के नेतृत्व वाली एक-सदस्यीय समिति द्वारा पहली समिति और श्री खोसला की समिति ने बहुमत से नेताजी की मृत्यु की रिपोर्ट को सही ठहराया है। तब से इन दोनों रिपोर्टों के निष्कर्षों की सत्यता पर कई तरह के संदेह उठे हैं और साक्षियों की गवाही में भी विभिन्न तरह के विरोधाभास देखे गए हैं। इसके आगे के कुछ अनंतिम सरकारी दस्तावेज भी उपलब्ध हुए हैं। इन संदेहों और विरोधाभासों तथा उक्त अभिलेखों के आलोक में, सरकार पूर्ववर्ती निष्कर्षों को क्रियात्मक मानने में कठिनाई महसूस कर रही है।"

यह वक्तव्य किसी और का नहीं बल्कि इस सभा में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री का है। लेकिन यह सरकार भी मुखर्जी आयोग की टिप्पणियों और निष्कर्षों को झुठला रही है। यह न सिर्फ मुखर्जी

आयोग की रिपोर्ट को नहीं मान रही बल्कि इस माननीय सदन में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में की गई टिप्पणियों और मांगों को भी झूठा ठहरा रही है।

मेरा कहना यह है कि इस सबसे केवल भ्रम ही फैल रहा है। रहस्य तो सुलझा नहीं बल्कि भ्रम ज्यादा फैल गया है—उनकी मृत्यु को लेकर भ्रम, विमान-दुर्घटना को लेकर भ्रम, रैंकोजी मंदिर में रखे अंत्यावशेषों को लेकर भ्रम। यह लज्जा की बात है कि इस सबके बाद भी हम स्वंतत्रता के पश्चात् आज तक उस जापानी मंदिर में रखे अंत्यावशेषों को नेताजी सुभाषचंद्र बोस का मानकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं। हमें इस पर लज्जित होना चाहिए। यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है। और केवल यही प्रश्न नहीं है बल्कि इस मामले से जुड़े अन्य कई प्रश्न हैं।

आयोग ने उसके प्रति सरकार द्वारा दर्शाए गए व्यवहार के संबंध में कुछ गंभीर टिप्पणियां की हैं। ये टिप्पणियां सचमुच गंभीर हैं क्योंकि इस जांच का विषय है—नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु की जांच।

लेकिन सरकारी अधिकारियों का रवैया जांच आयोग के प्रति क्या रहा? आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि भारत सरकार को बार-बार स्मरण कराने के बावजूद कुछ फाइलें और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। कई बार कहने पर भी भारत सरकार के अधिकारियों ने आयोग द्वारा मांगी गई फाइलें और दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराए। यह एक गंभीर आरोप है। दूसरा पहलू यह है कि वे फाइलें नष्ट की जा चुकी हैं अतएव उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थीं। तथापि, यह एक अलग बात है। सरकार को इन आरोपों का उत्तर देना चाहिए।

सरकार तो बस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वह आयोग की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। उसने इस बात का कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर क्यों वह आयोग के निष्कर्षों से सहमत नहीं है। यह केवल एक पृष्ठ का ही श्वेत-पत्र है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार, संपूर्ण सदन और पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मामला किसी और का नहीं बल्कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बारे में है। वे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के करिश्माई और सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक थे। उनके उत्कट देशप्रेम और राष्ट्र पर संशय नहीं हो सकता। जनमानस सदैव उन्हें सादर स्मरण करेगा। राष्ट्र की उनके प्रति इस श्रद्धा की भावना को कोई भी मिटा नहीं सकता। मुझे पता है कि उनकी मृत्यु के संबंध में ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन सरकार ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि इस आयोग की रिपोर्ट और निष्कर्षों से वह सहमत नहीं हो सकती? इसलिए, आयोग की वर्तमान रिपोर्ट, इस सरकार के दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई का दृष्टिकोण, रैंकोजी मंदिर तथा उनकी अस्थियों के बारे में रिपोर्ट से बहुत भ्रम पैदा हो गया है। इस रहस्य का समाधान नहीं हुआ है बल्कि यह अभी भी बना हुआ है।

चूंकि यह नेताजी सुभाषचंद्र बोस से संबंधित मामला है मेरी अपील है कि हमें इसे गंभीरता से लें। हमें इस मामले को सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए। उत्कट देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना से युक्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपनी देश की सीमा से दूर आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की थी। हम सभी को यह बात ज्ञात है कि वे एक विशिष्ट किस्म के इंसान थे। हम सभी ने उनके "जय हिन्द" के नारे को स्वीकार किया है। यह नारा स्वयं नेता जी ने दिया था।

मुझे पता नहीं है कि यह सरकार कोई नया आयोग नियुक्त करेगी अथवा नहीं। यह उस पर निर्भर है। सरकार को नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को राष्ट्रीय शहीद के रूप में घोषित करना चाहिए। हमें उनके प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, सामान्य और अनिच्छापूर्वक नहीं जैसा कि आज प्रदर्शित किया जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चर्चा की शुरूआत करता हूं। माननीय गृह मंत्री, श्री शिवराज वी. पाटील इस सम्माननीय सभा में उपस्थित हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जिन्हें मैं बहुत सम्मान देता हूं इस समय सभा में उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ साथी भी उपस्थित हैं। मैं उन पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं यहां उनको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ इस मामले को चर्चा के लिए उठा रहा हूं ताकि हम इस पर उचित जोर दे सकें और इस संबंध में हम जहां तक कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुव्रत बोस (बारासाट) : सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको धन्यवाद।

[श्री सुब्रत बोस]

महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह 60 साल पुराना मामला है। यदि किसी को इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझना है तो हमें 60 साल पुरानी कहानी को सुनाना पड़ेगा। शुरू करने से पूर्व पूरी विनम्रता के साथ मैं सभापति महोदय आपकी माननीय गृह मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय सदस्यों की भागीदारी चाहता हूं ताकि मैं पूरे विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर सकूं। निश्चित रूप से मैं उसी बात को फिर से नहीं कहूंगा जिसे मेरे पूर्व वक्ता माननीय प्रबोध पांडा बता चुके हैं। इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहना पड़ेगा।

अगस्त, 1945 के प्रथम सप्ताह में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के बाद और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही एशियाई क्षेत्र में चल रहा द्वितीय विश्व युद्ध का पटाक्षेप हो गया और नेता जी की आजाद हिन्द फौज को भी हार स्वीकार करनी पड़ी। उस वक्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के समक्ष दो ही विकल्प थे। दो वैकल्पिक रास्ते थे। पहला ब्रिटिश-अमरीका सेना के समक्ष आत्मसमर्पण तथा दूसरा किसी अन्य देश में चले जाना, वहां शरण लेना तथा अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करना। चूंकि आत्म-समर्पण उनका स्वभाव नहीं था, उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। लौटते समय जब वे बैंकाक पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ में जाने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जापान की सरकार ने उन्हें रूस जाने में उनकी मदद करने के लिए सहमति दी है। लेकिन जापान पर परमाणु बम गिराये जाने के ठीक बाद रूस ने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसलिए, जापान उन्हें रूस पहुंचाने की गारंटी नहीं दे सका। लेकिन वे उन्हें उत्तरी कोरिया के मंचूरिया में पहुंचाने के लिए तैयार हो गए।

माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से यह याद होगा कि चीन पर उस समय जनरल चांग-काई-सेक का आधिकारिक रूप से शासन था, फिर भी मंचूरिया 1945 में भी स्पष्ट तौर से माओत्से-तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट चीन के नियंत्रण में था। इसलिए, वे सहमत हो गये और कहा, "हां, आप मुझे मंचूरिया तक पहुंचा दें और फिर मैं वहां से स्वयं रूस चला जाऊंगा।" उन्होंने एक बड़ा खतरा उठाया। लेकिन यही उनकी जिन्दगी थीं। आजादी के संघर्ष के दौरान उन्होंने कितने जोखिम उठाये। युद्ध के दौरान वे कोलकाता से भागे, और उत्तरी भारत अफगानिस्तान, सोवियत रूस को पार करते हुए जर्मनी पहुंचे। कहीं भी वे पकड़े जा सकते थे। कहीं भी वे पकड़े जा सकते थे और यह इस खेल का अंत होता। लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की।

पुन:, जब एशियाई क्षेत्र में विश्वयुद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने एक पनडुब्बी में जर्मनी से पूर्वी एशिया में आने का जोखिम उठाया जहां वे कभी भी, किसी भी क्षण अपना जान गंवा सकते थे। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। यह उनका स्वभाव था। यही उनकी जिन्दगी थी। बैंकांक से जब वे रूस के लिए रवाना हुए तब उनके साथ उनके छह साथी थे जिसमें कर्नल हबीब-उर्रहमान भी थे जो कथित विमान दुर्घटना, जो नेताजी की दुर्घटना में मृत्यु की पुष्टि करती है, के मुख्य साक्षी थे। इन छह साथियों में से पांच अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आई.एन.ए के सैनिकों में से एक व्यक्ति बचा है जिसका नाम कर्नल प्रीतम सिंह हैं जो अभी जीवित हैं। वह देहरादून के पास रहते हैं। आयोग को यह बताने के लिए वे मुखर्जी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे कि नेता जी रूस जा रहे थे। विमान के साइगो न पहुंचने के बाद जापान ने उनको बताया कि वे एक ही विमान में सभी भारतीयों को समायोजित नहीं कर सकते जिसमें नेता जी भी थे। नेताजी को अपने साथियों में से एक चुनना पड़ा और अन्य को बाद में मंचूरिया जाना था जहां वे नेता जी के साथ हो जाते। यात्रा का दूसरा भाग कभी पूरा नहीं हुआ। नेताजी ने कर्नल हबीब-उर्रहमान को चुना।

जापानी सरकार के दस्तावेजों के अनुसार यह पाया गया है कि यह बात पक्की थी कि उनको रूस ले जाने के लिए जापान सहमत हो गया था। इतना ही नहीं। वहां से भागने की भी योजना थी। इसलिए, योजना में यह बात जोड़ी गई कि जैसे ही वे साइगोन छोड़ेंगे जापान यह घोषणा करेगा कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है।

जापानी सरकार के दस्तावेजों में यही योजना पाई गई है। लेकिन बाद में जापान सरकार ने उल्लेख किया कि दुर्भाग्यवश बनाई गयी योजना वास्तव में घटित हो गयी और नेताजी की वास्तव में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

श्री प्रबोध पांडा पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार जापान सरकार ने यह सूचना दी। जापान सरकार के अनुसार यह दुर्घटना 18 अगस्त, 1945 को घटित हुई। इस पर विचार-विमर्श करने में उन्हें पांच दिन लगे और बाद में उन्होंने एक पंक्ति के गुप्त संदेश मे विश्व

को बताया कि सुभाषचन्द्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 18 अगस्त, 1945 को उन्होंने उस स्थान का उल्लेख नहीं किया। इसका बाद में पता चला और श्री एस.ए. अय्यर, जिनके बारे में श्री प्रबोध पांडा ने पहले बताया है, को बड़ी चतुराई से उनके आदेशानुसार एक विज्ञप्ति का मसौदा बनाने को कहा गया यद्यपि मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि श्री एस.ए. अय्यर ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि उनको बैंकाक में छोड़ दिया गया था और वे उन साथियों में सम्मिलित नहीं थे जो बैंकाक के बाद नेताजी के साथ थे। अचानक उनको एक संदेश मिला, एक बहुत ही गोपनीय संदेश, कि सुभाषचन्द्र बोस की ताईवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और उनके शव को देखने के लिए तथा अंतिम दाहसंस्कार के समय उपस्थित रहने के लिए उनको ले जाने हेतु एक विमान तैयार है ताकि वे एक साक्षी के रूप में मौजूद रहें।

जब वे विमान में चढ़े तो उनको लगा कि वह ताईवान जा रहे हैं लेकिन विमान उनको लेकर टोकियो चला गया। जापानी सरकार के आदेशानुसार उन्होंने वह विज्ञप्ति तैयार की जिसे जापान सरकार की अपनी समाचार एजेंसी द्वारा नहीं बल्कि डी.ओ.एम.ई.आई. नामक निजी समाचार एजेंसी द्वारा जारी किया गया। इसे रायटर्स ने पढ़ा और उसने पूरे भारत में इस समाचार को फैलाया। उन दिनों वहां दूरदर्शन नहीं था रेडियो भी लोकप्रिय नहीं था भारत में हम लोगों ने 24 अगस्त, 1945 की सुबह में इस दु:खद समाचार को पढ़ा कि 18 अगस्त, 1945 को ही एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मौत हो गई। लोग हतप्रभ रह गये। इस प्रकार के किसी समाचार से भारतीयो को गहरा धक्का लगना स्वाभाविक था।

महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे पिता, स्व. शरतचन्द्र बोस अभी भी जेल में थे। कम से कम इस सभा के वरिष्ठ नेता तो जानते ही हैं कि वे नेताजी के निजी तथा राजनीतिक जीवन के सबसे करीबी साझेदार थे। लेकिन उनके बड़े भाई, बेटों में सबसे बड़े श्री सतीशचन्द्र बोस वहां पर थे। महात्मा गांधी ने उनको एक तार भेजा। महात्मा गांधी का लिखावट हमेशा ही अस्पष्ट होती थी। उनका संदेश था, 'श्रद्धा का आयोजन मत करो'। यह संदेह की शुरूआत थी।

अंग्रेजी तथा अमेरीकी खुफिया एजेंसियां सुभाषचन्द्र बोस का पीछा कर रही थी। ऐसा अनुमान है कि यह घटना 18 अगस्त, 1945 को घटित हुई।

अपराह्न 5.00 बजे

25 अक्तूबर, 1945 को लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट की एक बैठक थी जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली कर रहे थे। तथाकथित विमान दुर्घटना के ठीक दो माह से कुछ अधिक समय चुनाव पश्चात् विंस्टन चर्चिल की कंजरवेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी सत्ता में आई। यह बात एक बहुत ही अधिकृत पुस्तक, 'द ट्रान्सफर ऑफ पावर' में उपलब्ध है जिसका प्रकाशन ब्रिटिश सरकार ने किया था और इसमें भारत ने स्वतंत्रता कैसे हासिल की या ब्रिटिश शासन के अनुसार भारत को स्वतंत्रता कैसे दी गई, इसका विस्तृत वर्णन है।

हर मैजेस्टीज स्टेशनरी सर्विस, लंदन, द्वारा प्रकाशित 'ट्रान्सफर ऑफ पावर', खंड VI में प्रधानमंत्री एटली की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर, 1945 को हुई कैबिनेट बैठक की कार्यसूची और सकल्पों का उल्लेख है। इस संकल्प में एकमात्र नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को ऐसा सिविलियन भगोड़ा बताया गया है जो महत्व रखते थे। उन्होंने नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को इस रूप में वर्णन किया है। महोदय, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बाद कैबिनेट ने इस पर विचार किया कि उन पर मुकदमा कैसे चलाया जाए। कैबिनेट के समक्ष प्रश्न यह था कि उनपर मुकदमा चलाया जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए या उन्हें गिरफ्तार करके भारत लाया जाए और भारत में ही उन पर सुनवाई हो। वे इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे।

इसी दौरान ब्रिटिश भारत सरकार ने उनको तीसरा प्रस्ताव भेजा। ब्रिटिश भारत सरकार ने उनको सुझाव दिया कि उन पर मुकदमा चलाने के परिणामों पर कैबिनेट को अवश्य गौर करना चाहिए। इस संदर्भ में, उन्होंने अपने एक आंतरिक पत्राचार में प्रस्ताव भेजा, जिस पर दिनांक 23 अगस्त, 1945 अंकित थी, 'उसे छोड़ दो, वह जहां कहीं भी हो उसे आत्मसमर्पण के लिए मत कहो।' अगस्त, 1945 में ब्रिटिश भारत सरकार ने यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को भेजा।

कैबिनेट ने 25 अक्टूबर, 1945 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया कि एकमात्र सिविलियन भगोड़ा, जो महत्वपूर्ण था, सुभाषचन्द्र बोस को छोड़ देना बेहतर होगा चाहे वह जहां कहीं हो। इसलिए, अगस्त, 1945 में भी ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि सुभाषचन्द्र बोस मरे नहीं थे। यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई जानकारी नहीं है बल्कि स्वयं ब्रिटिश सरकार की है। इसी दौरान हबीब-उर-रहमान, जिन्होंने दावा किया था कि नेता जी को घायल अवस्था में देखा था उन्हें उस जहाज से बाहर आते देखा था जो ताइहोकू में दुर्घटनाग्रस्त

[श्री सुव्रत बोस]

हो गया था, उनका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा था और उन्होंने हाथ से आग को बुझाने का प्रयास किया था लेकिन नहीं बुझा पाये थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब नेताजी को ताईवान की राजधानी ताइपेई के अस्पताल में ले जाया जा रहा था तब भी वे वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह उनके मृत्यु के साक्षी थे। वह भारत आये, सबसे पहले गिरफ्तार हुए और बाद में रिहा हो गये। सन् 1946 के अगस्त माह मे, उस कथित विमान दुर्घटना के ठीक एक वर्ष के बाद कर्नल हबीब-उर-रहमान कोलकाता में मेरे घर आये, मेरे स्वर्गीय पिता श्री शरतचन्द्र बोस से मिले। उन्होंने लगभग 2½ घंटे तक बातचीत की। उस बातचीत के बाद शरतचन्द्र बोस बाहर आये और कहा, हबीबुर सच नहीं बोल रहे हैं।" इसके बाद हबीब-उर-रहमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा कि नेताजी उन्हे कहते थे, से मिलने दिल्ली गये। तब मै लड़का था और रेडियो पर सुनी हुई उनकी बात मुझे आज भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता, हमारे महान देश की आजादी की पवित्र लड़ाई में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वह (रहमान) राष्ट्रपिता से मिले। स्वाभाविक था कि मीडिया के प्रतिनिधियों ने उनसे पूछा, "हबीब-उर-रहमान ने आप से क्या कहा है?" एक बार फिर गांधी जी ने अपने देशवासियों को अस्पष्ट संदेश दिया, महात्मा जी ने कहा, "हबीब-उर-रहमान ने मुझसे वही कहा जो उसके नेता ने उससे कहने के लिए कहा था।" अब मैं बात का अर्थ समझने की जिम्मेदारी माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं कि गांधी जी का आशय क्या था? नेताजी की मृत्यु के बारे में संदेह तब भी बरकरार था। लेकिन समय के साथ नेताजी की मृत्यु के संबंध में यह संदेह भी विलीन हो गया।

सभापति महोदय : श्री बोस, आपने लगभग 25 मिनट का समय लिया है। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री सुव्रत बोस : मैं संक्षेप में नहीं बोल सकता। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। यदि आज मेरी बात पूरी नहीं होती तो मैं कल जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उनको बोलने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उनको रोक नहीं रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं उनसे केवल अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बोस, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आपने 25 मिनट का समय लिया है। कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री सुव्रत बोस : अंतरिम सरकार ने 1946 में कार्यभार संभाला था। उस समय संसद नहीं थी तथा केन्द्रीय विधान सभा और केन्द्रीय विधान परिषद हुआ करती थी। अंतरिम सरकार की ओर से श्री पटेल ने 30 अक्टूबर, 1946 को नेताजी की कथित मृत्यु के संबंध में श्री मंगल सिंह के प्रश्न के जवाब में बताया कि उस समय सरकार कोई भी प्राधिकृत बयान देने की स्थिति में नहीं थी कि नेताजी जीवित हैं या उनका देहांत हो गया है। पुन: 7 नवम्बर, 1946 को सभा में युवराज दत्ता सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री ए.ई. पोर्टर ने भारत सरकार की ओर से जबाव दिया।

जवाब में कहा गया था, "सरकार इस प्रश्न के संबंध में कोई भी प्राधिकृत वयान देने की स्थिति में नहीं है।" इसलिए, ऐसा नहीं है कि 60 वर्षो के बाद ये शंकाएं सामने आई हैं। 1945 या 1946 से ही संदेह पैदा होना शुरू हो गया था। फिर हम स्वतंत्र हुए और हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला। इसलिएं, संदेह बना रहा। अगस्त, 1945 में केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही केवल संदेह नहीं व्यक्त किया था बल्कि बहुत से लोगों ने संदेह किया था।

पिछले बजट-सत्र के दौरान मुझे एक बात का उल्लेख करने का मौका मिला था। जी हां, मैं इस परिवार से आता हूं लेकिन नेताजी केवल हमारे परिवार से संबंधित नहीं थे। मुझे गर्व है कि मैं इस सम्माननीय सभा का सदस्य हूं। मैं केवल परिवार की ओर से नहीं बोल रहा हूं बल्कि इस सम्माननीय सभा के सदस्य के रूप में भी बोल रहा हूं और इस सभा के सदस्य होने पर मुझे गर्व है।

प्रश्न पूछे गऐ, हर जगह लोगों द्वारा और विधायको द्वारा पूछे जाते रहे। अभी भी संसद अस्तित्व में नहीं आई थी। यह 1952 में अस्तित्व में आई। स्वाभाविक था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, को प्रश्नों का सामना करना पड़ा। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि उन्हें इस विषय पर अवश्य वक्तव्य देना चाहिए। उन्होंने

निर्णय किया कि वे असेम्बली मे ही एक वक्तव्य देंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने एक सूचना दी।

महोदय, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं सरकारी फाइलों से बहुत से उद्धरणों का उल्लेख करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें चुपके से प्राप्त किया है। मैंनें मुखर्जी जांच आयोग के समक्ष एक शपथ पत्र दिया था और मैं एक अभिसाक्षी बना। एक अभिसाक्षी होने के नाते मुझे सभी सुनवाइयों में भाग लेने, साक्ष्यों से स्वयं या अपने वकील के माध्यम से जिरह करने का अधिकार प्राप्त था और मुखर्जी जांच आयोग द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के दस्तावेजों तक मेरी पहुंच थी जिसमें अधिकांश भारत सरकार, विभिन्न मत्रालयों और उनमें से कुछ पश्चिम बंगाल सरकार तथा कुछ अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किये गये थे। उन्हें जनता के समक्ष रखा गया। इसलिए, वे सार्वजनिक दस्तावेज के श्रेणी में आ गये थे। आयोग के समक्ष एक अभिसाक्षी के रूप में मैं उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सका। सामान्यत:, अत्यंत आदरणीय श्री पाटीलजी इस संबंध में मेरी अपेक्षा ज्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं। वह एक वकील हैं। हमने फीस जमा की और प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की।

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक सूचना दी थी। यी 26 सितम्बर, 1951 की बात है। प्रधानमंत्री ने एक नोट में लिखा था, और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> ''यह अब हमें विचार करना है कि हम एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी करें अथवा नहीं...।'' अर्थात् नेताजी की कथित मृत्यु के संबंध में। ...अत में, मैं समझता हूं कि एक वक्तव्य जारी करना या इसे संसद में रखना अपेक्षित होगा। दूसरी ओर इससे संभवत: श्री सुभाषचन्द्र बोस के परिवार के साथ कुछ विवाद भी पैदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम ऐसे वक्तव्य का एक प्रारूप तैयार करें और उसे श्री सुभाषचन्द्र बोस के परिवार को भेज दें। उनको सुनने के बाद, हम इसे प्रकाशित करने के बारे में अंतिम निर्णय लेंगे।''

तत्कालीन विदेश सचिव ने बड़ी ही अन्यमनस्कता के साथ प्रधानमंत्री को एक नोट दिया। प्रधानमंत्री जी की ओर से नोट 26.9.1951 को लिखा गया था जब कि विदेश सचिव का नोट 27.9.1951 का था। मैं उस बात का उल्लेख करता हूं जिसे तत्कालीन विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री को लिखा था:

> ''मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इस समय वक्तव्य देना उनके लिए अनुचित होगा। श्री सुभाष बोस जीवित हैं या मृत अब यह कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं रह गया है। मुझे इस साक्ष्य पर कोई संदेह नहीं है कि श्री सुभाषचन्द्र बोस अब मृत हैं लेकिन प्रधान मंत्री के विरोधी उनके किसी भी वक्तव्य का प्रचार पाने के लिए उपयोग करेंगे विशेष कर आगामी चुनाव को देखते हुए। मैंने यह भी कहा कि हबीब-उर-रहमान के उस वक्तव्य का एक महत्वपूर्ण संदर्भ या जिसमें कहा गया था कि वे तैरान में जहाज से उतरना चाहते थे और जापानी अधिकारी उन्हें रूस के अधिकार क्षेत्र वाले प्रदेश में पहुंचाना चाहते थे। हबीब-उर-रहमान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और जिन लोगों का विश्वास है कि नेता जी अभी जीवित हैं और रूस में कहीं हैं, वे अपनी धारणा के समर्थन मे कोई भी जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री को यही बताया गया कि यद्यपि हबीब-उर-रहमान के अनुसार नेताजी के शव का 20 अगस्त, 1945 को ही दाह-संस्कार कर दिया गया था लेकिन नगरपालिका के प्रमाण-पत्र के मुताबिक दाह-संस्कार 22 अगस्त, 1945 को सायं 6 बजे हुआ। कोई भी समझ सकता है कि एक मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा दाह-संस्कार प्रमाण-पत्र में एक छद्नाम का उपयोग किया गया।

महोदय, आइकीरो ओकनारा के नाम से एक मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया गया था। जापानियों के अनुसार यह मृत्यु प्रमाणपत्र और अंतिम संस्कार प्रमाणपत्र नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लिए ही बनाये गए थे। उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

मैं आगे उद्धृत करता हूं:

> ''...नगरपालिका के प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम दाह-संस्कार 22 अगस्त को सायं 6.00 बजे हुआ था न कि 20 अगस्त को, जैसा कि हबीबुर्रहमान ने कहा है। इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि मृत्यु प्रमाणपत्र और अंतिम दाह-संस्कार प्रमाणपत्र में काल्पनिक नाम का प्रयोग किया गया है। लेकिन अंतिम दाह संस्कार की काल्पनिक तिथि बताए जाने की कोई अवश्यकता नहीं थी।''

उनका यही कहना है। अत: उन्होंने प्रधानमंत्री को परामर्श दिया कि उनकी राय में इसके बारे में कोई वक्तव्य देना संभवत: उचित नहीं होगा।

यह सरकारी अधिकारियों द्वारा मंत्रिमंडल या मंत्रीजी के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत ऐसी ही टिप्पणियों की शुरूआत थी। मैं

[श्री सुव्रत बोस]

यह कह रहा हूं कि यह सरकार के उस दृष्टिकोण के विरुद्ध था जिसके अनुसार नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यद्यपि, मैं बार-बार यह उल्लेख कर रहा था कि इन 60 वर्षों में से मुझे कुछ वर्ष छोड़ने पड़े अन्यथा मैं कभी भी अपनी बात समाप्त नहीं कर पाऊंगा।

इसमें संदेह था परन्तु वास्तव में दिसम्बर 1955 में सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया। श्री पाण्डा ने इसका उल्लेख किया था। इसे नोट करना रुचिकर है। उस समिति के तीन सदस्यों में से, उसके अध्यक्ष श्री शाहनवाज खान भारत सरकार के तत्कालीन संसदीय सचिव थे। उन दिनों, यह प्रावधान था कि वे राज्य मंत्री या उप-मंत्री के समान थे। दूसरे सदस्य श्री एस.एन. मिश्रा एक आई.सी.एस. अधिकारी थे और तीसरे सदस्य, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि, नेताजी के बड़े भाइयों में एक श्री सुरेशचन्द्र बोस थे।

समिति कुछ समस्याओं के कारण ताइवान नहीं गई। मेरे विचार से उन दिनों आज से अधिक गंभीर समस्या थी। कुछ वर्ष पूर्व ही हमने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता प्रदान की थी और चियांग काई शेक ताइवान चले गए थे। क्योंकि हमने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता प्रदान कर दी थी इसलिए ताइवान की सरकार के साथ हमारे कोई कूटनीतिक संबंध नहीं थे और हमारे उसके साथ संबंध कभी भी ऐसे संबंध नहीं रहे उनके साथ अभी भी हमारे संबंध नहीं हैं। इसलिए जो समिति उस दुर्घटना की जांच कर रही थी वह दुर्घटना स्थल का दौरा नहीं कर पाई थी। इस तरह दुर्घटना स्थल का दौरा नहीं किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था? दुर्भाग्यवश, आज जब हम रेल दुर्घटनाओं और विमान दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो पहली जांच दुर्घटना स्थल पर ही की जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो पाया।

वे जापान गए थे। जापानी सरकार ने उन्हें गवाहों की एक सूची दी। वे सभी जापानी लोग थे। उन्होंने भारत सरकार के माध्यम से ताइवान में उपस्थित गवाहों की सूची भी जांच समिति को दी। चूंकि जांच समिति ताइवान नहीं जा सकी इसलिए भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह ताइवान सरकार से उस दुर्घटना और ताइवान में रहने वाले उन गवाहों की मौजूदगी से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करे जो उस विमान दुर्घटना के गवाह थे या जो उस अस्पताल में थे या जो इस तथ्य का ठोस सबूत प्रदान कर सकते थे कि वह विमान दुर्घटना वास्तव में हुई थी और नेताजी का ताइपेई अस्पताल में इलाज किया गया था। इस मामले में ताइवान सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी थी।

ताइवान सरकार के सूत्रों के अनुसार, जैसा कि उन्होंने न्यायमूर्ति मुखर्जी को ताइवान जाने पर बताया था कि उन्हें उन गवाहों का कोई सुराग नहीं मिला जिनके नाम उन्हें दिए गए हैं। शाहनवाज जांच समिति द्वारा अपना विचार-विमर्श पूरा करने से पूर्व ही भारत सरकार को वह रिपोर्ट मिल गई थी। इस प्रकार भारत सरकार ने ताइवान सरकार मे प्राप्त रिपोर्ट के बारे में कभी नहीं बताया। मुखर्जी जांच आयोग को ब्रिटिश सरकार के कागजातों से इसकी जानकारी मिली थी। ब्रिटिश सरकार की फाइलों में ब्रिटिश उच्चायोग के एक अधिकारी द्वारा लगाया गया एक नोट था कि ताइवान सरकार से प्राप्त मूल रिपोर्ट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सौंप दी गई है और उसकी तिथि उस समय की बताई गयी थी जब शाहनवाज जांच आयोग कर रहा था। वह रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आई। इसे शाहनवाज जांच समिति को भी नहीं दिया गया, इसे खोसला जांच आयोग को भी नहीं दिया गया, यहां तक कि इसे मुखर्जी जांच आयोग को भी नहीं सौंपा गया।

मुखर्जी जांच आयोग को 1956 की एक फाइल मिली। उस पर फाइल संख्या भी दी गई थी। उस फाइल का शीर्षक डैथ ऑफ एस.सी. बोस था। यह भारत सरकार की फाइल थी। मुखर्जी जांच आयोग का यह विचार था कि वह रिपोर्ट उसी फाइल में होगी। उन्होंने भारत सरकार से वह फाइल मांगी। भारत सरकार ने उन्हें बताया कि यह फाइल नष्ट कर दी गई है।

महोदय, यह हमारी सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के संबंध में तथ्यों और सूचना को छिपाने और फाइलों को नष्ट करने तथा कथित रूप से गुम हो जाने की दुखद गाथा की शुरूआत है। मुखर्जी जांच आयोग लगातार उस फाइल को मांगता रहा। ताइवान सरकार की रिपोर्ट जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज उसमें नहीं था। यह तथ्यों को दबाने, सूचना को छिपाने, वस्तुपरक फाइलों को नष्ट करने, प्रासंगिक फाइलों को नष्ट करने तथा प्रासंगिक फाइलों के गुम हो जाने की एक बहुत दुखद गाथा है। आप इस पर गौर कीजिए। यदि माननीय सदस्यगण इस पर गौर करेंगे, और यदि उनमें उस रिपोर्ट के खंड 2-क और 2-ख को पढ़ने का धैर्य है तो उन्हें यह पता चलेगा कि मुखर्जी जांच आयोग भारत सरकार से इन फाइलों को प्राप्त करने में असफल रहा।

यह कहा गया है या संभवत: संकेत दिया गया है कि अचानक 60 वर्षों के पश्चात् ताइवान सरकार ने एक ऐसी काल्पनिक रिपोर्ट दी है, जैसे कि उन्हें मुखर्जी जांच आयोग से प्रभावित किया जा सकता है।

ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं था। वर्ष 1956 में ताइवान सरकार से पहली रिपोर्ट मिली और उसे दबा दिया गया। इस बात से मुझे आश्चर्य होता है। जी नहीं, मेरे विचार से मेरा यह कहना गलत होगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आखिरकार, मैं संसद में बोल रहा हूं। मुझे संयम बरतना चाहिए। मैं कोई जनसभा को संबोधित नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत की सरकार की ओर से यह शुरुआत थी। वर्ष 1956 में हमें मिले पहले गवाह से ही फाइलों को नष्ट करने, फाइलों को गुम करने का न केवल एक प्रयास किया जा रहा है अपितु जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है जिससे कि सच्चाई सामने न आ सके।

सभापति महोदय : श्री बोस, कृपया यह बताएं कि आप कितना और समय लेंगे। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री सुव्रत बोस : महोदय, 60 वर्षों के पश्चात् नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के इस मामले पर संसद में चर्चा हो रही है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे और माननीय मंत्री जी से भी यह अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, कृपया उन्हें अपनी बात जारी रखने दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप यथासंभव संक्षेप में अपनी बात कहें। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री सुव्रत बोस : मेरे विचार से, मुझे कल तक अपनी बात जारी रखनी पड़ेगी...*(व्यवधान)* मुझे सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना है। मैं नहीं जानता कि कहीं वे इससे ऊब तो नहीं रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें अभी अन्य कार्य पर भी चर्चा करनी है। क्योंकि इस चर्चा के लिए केवल दो घंटे का समय आबंटित किया गया है। आपने अब तक 55 मिनट का समय ले लिया है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, उन्हें कल भी अपनी बात जारी रखने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उनसे केवल अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, हमारा अनुरोध है कि इनको अपनी बात सदन के सामने रखने दें।

सभापति महोदय : मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जितना संक्षेप में हो सके, अपनी बात को रखें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं तो केवल उनसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री सुव्रत बोस : महोदय, यह आप पर निर्भर है। जब भी आप मुझ से रुकने के लिए कहेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा।

जांच समिति में मतभेद था। श्री शाहनवाज खान और श्री एस. एन. मोइत्रा का यह विचार था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है जबकि दूसरे सदस्य श्री सुरेशचन्द्र बोस, उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने कुछ तथ्य रखे थे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मेरा आपसे केवल इतना अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जब तक चाहें तब तक यह चर्चा जारी रह सकती है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि वह माननीय सदस्य भी इसमें शामिल हों जो यह कह रहे हैं कि इसी सभा में ही खोसला आयोग और शाहनवाज आयोग की रिपोर्ट पर हर पहलू की दृष्टि से चर्चा हुई थी और उन्हें बार-बार उद्धृत किया जा रहा है। ये रिपोर्ट सभा के पास हैं। यदि माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो वे संसदीय ग्रंथालय के शोध किए गए दस्तावेजों और सभा की कार्यवाही से मदद ले सकते हैं। यदि माननीय सदस्य उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो उन वाद-विवादों में पूर्व के वक्ताओं द्वारा कही गई हैं और उन बातों की ही व्याख्या करने में समय लेते हैं तो मैं समझता हूं कि सत्र को 31 अगस्त, 2006 तक जारी रखना पड़ेगा क्योंकि उन वृहत रिपोर्टों पर चर्चा करने में घंटों लग जाएंगे। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि चूंकि श्री बोस को अपने दृष्टिकोण से इस मामलें का काफी ज्ञान है इसलिए वह अपना समय ले सकते

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

हैं परन्तु जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता कि बहस कब तक जारी रहेगी तब तक मैं सरकारी कार्य में और सभा में विपक्ष के कार्य को कम नहीं कर सकता। यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए, मैंने उनसे यथासंभव संक्षेप में बोलने का अनुरोध किया है।

श्री सुव्रत बोस : महोदय, मैं पुन: माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ तथ्यों का उल्लेख करना है। मैं उन दोनों जांच आयोगों की पूरी रिपोर्टों को नहीं पढ़ रहा हूं। इस मामले में बहुत से जापानी साक्षी भी थे।

अपराह्न 5.35 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : यह सच है कि प्रारम्भ में जब शाहनवाज आयोग की रिपोर्ट लिखी गई थी तो तीसरा सदस्य निष्कर्षों को स्वीकार करने पर सहमत था लेकिन बाद में उसका विचार बदल गया।

श्री सुव्रत बोस : मैं माननीय मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील से सहमत हूं परन्तु उसे अपना विचार बदलने का हक था।

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या यह सच है या नहीं? यही मैं आप से जानना चाहता हूं।

श्री सुव्रत बोस : निश्चय ही, यह सच है। जैसा कि मैंने कहा है कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।

इन तीनों जापानी साक्षियों ने कहा था कि वे विमान के नेवीगेटर थे। जब उनसे पूछा गया कि चालक दल के सदस्य कहां बैठे थे, आगे अथवा पीछे, तो उनमें से प्रत्येक ने कहा उन्हें इसका पता नहीं है। शाहनवाज समिति के सामने ऐसे साक्षी प्रस्तुत किए गए। उनमें से एक साक्षी ने कहा: "हम सब ताइपेई में उस विमान से उतर गए थे और विमान नेताजी को लेकर उड़ गया था।" उसका यही कहना था लेकिन अब यह समिति के ऊपर निर्भर था कि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार को समिति के बहुमत की राय स्वीकार करने का पूरा अधिकार था परन्तु तीसरे साक्षी का असहमतिपूर्ण विचार केवल अस्वीकार ही नहीं किया गया बल्कि इसे संसद के सामने भी पेश नहीं किया गया। मेरा मानना है कि जब कोई खंडपीठ न्यायालय में असहमतिपूर्ण निर्णय देती है तो बहुमत का निर्णय स्वत: ही स्वीकार किया जाएगा परन्तु असहमति-पूर्ण निर्णय भी रिकार्ड में जाता है। इस विशेष मामले में सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि यह रिकार्ड में न जाए।

जांच समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सरकार समिति की राय स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसे बहुमत की राय बताया था। किंतु जांच आयोग को दी गई सरकारी फाइलों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं सरकार द्वारा शाहनवाज समिति की बहुमत की रिपोर्ट अथवा बहुमत की राय स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् परिवार के सदस्यों को अलग ही पत्र लिखे थे।

श्री सुरेशचन्द्र बोस जांच समिति के सदस्य थे और उन्होंने 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें 13/05/1962 को उत्तर दिया था। प्रधानमंत्री ने उसमें जो लिखा था मैं उसे उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

> "आपने मुझे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु का प्रमाण भेजने के लिए कहा है। मैं आपको कोई यथार्थ और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं भेज सकता..."

1964 में परिवार के एक अन्य सदस्य, मेरे बड़े भाई स्व. श्री अमियनाथ बोस ने तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री को लिखा था। वह भी किसी समय इस संसद के सदस्य थे। उन्होंने लिखा था कि: "चूंकि लोगों के मन में अभी भी संदेह है इसलिए मैं समझता हूं कि जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए और उसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाना चाहिए।" प्रधानमंत्री ने अपने दुखद देहांत से दो सप्ताह पूर्व 22 अप्रैल, 1964 को उन्हें उत्तर दिया था। उन्होंने उन्हें लिखा था कि मैं आपसे सहमत हूं कि सुभाष जी की मृत्यु के मामले में उचित जांच की जानी चाहिए। किंतु मैं नहीं समझता कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसी जांच की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए सहमत होंगे वह 1921 से बहुत वर्षों तक नेताजी के निकट सहयोगी रहे थे। उनके मन में खुद संदेह था हालांकि सरकार के रूप में इसने शाहनवाज समिति की बहुमत की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई परन्तु संदेह बना रहा। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री परम आदरणीय

श्रीमती इंदिरा गांधी ने न्यायमूर्ति जी.डी. खोसला की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया। जांच आयोग के गठन से इसके बारे में बताया जा सकता है परन्तु मुझे उसके बारे में पता नहीं है, यदि माननीय गृह मंत्री मेरी इस बात से सहमत हैं तो पूर्व की जांच समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। परन्तु आयोग को नेताजी के कामकाज भी देखने चाहिए थे।

शाहनवाज जांच समिति और खोसला जांच आयोग में अंतर है। न्यायमूर्ति खोसला ने सोचा था कि उन्हें ताईहाकू जाना चाहिए और सरकार ने उनकी यात्रा की व्यवस्था की थी। किंतु दुर्भाग्य से वह ताइवान सरकार के अधिकारियों से नहीं मिले उन्होंने वह अपनी रिपोर्ट में कहा है। वह दुर्घटना स्थल पर भी नहीं गए या नहीं जा सके क्योंकि वह ताइहाकू विमानपत्तन उस समय विमानन नहीं था जब न्यायमूर्ति खोसला ने 1970 के पश्चात् ताइवान की यात्रा की थी। वे श्मसान स्थल पर नहीं गए किंतु वह लिखते हैं कि जिस होटल में वे ठहरे थे उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि जहां होटल था वहा से ताइहाकू विमानपत्तन का पता नहीं चलता। हमने भी ताइवान में यही देखा। एक अभिसाक्षी के रूप में मुझे सुनवाई में भाग लेने का अधिकार था। इसलिए मैं स्वयं ताइवान गया था। जब न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग के सदस्य ताइवान गए थे तो हम भी उस स्थान को देखने गए थे। हमें होटल मिला, हमें संग्रहालय मिला, हमें आवासीय मकान मिले परन्तु वहां दुर्घटना स्थल नहीं था। वह अंतिम संस्कार की रिपोर्ट लेने भी शवदाह स्थल पर नहीं गए। वह अस्पताल गए परन्तु उस अस्पताल के मालिक भी बदल गये थे इसलिए उन्होंने बताया कि उनके पास 1945 के अभिलेख नहीं हैं।

यह बात सही है या गलत, मैं इससे सहमत हूं या नहीं परन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि न्यायमूर्ति खोसला शाहनवाज समिति बहुमत की इस रिपोर्ट से सहमत थे कि नेताजी की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। परन्तु इसके अलावा यदि आप रिपोर्ट का अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि न तो उन्हें उनकी मृत्यु का प्रमाण मिला और न ही उनके जीवित होने का अथवा विमान हादसे में उनके बचने का कोई प्रमाण मिला है। इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी मृत्यु हो गई। परन्तु 1978 में सरकार के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन हुआ।

सभापति महोदय : श्री बोस, क्या मैं एक विनम्र निवेदन कर सकता हूं? इस बहस के लिए केवल दो घंटे आवंटित किए गए थे। हमारे पास समय की कमी है। अब आप कितनी देर तक बोलना चाहते हैं?

श्री सुव्रत बोस : मैं समझता हूं मुझे कुछ और समय चाहिए।

सभापति महोदय : यदि आप अपने भाषण को न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग तक ही सीमित रखेंगे...*(व्यवधान)*

श्री सुव्रत बोस : बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि यदि सभा अभी कोई और कार्य करना चाहती है तो मुझे कल बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : आप कितना समय चाहते हैं।

श्री सुव्रत बोस : कम से कम एक घंटा और।

सभापति महोदय : यह बहुत मुश्किल है।

श्री सुव्रत बोस : यह ऐसा मामला है जिसके बारे में पूरा देश विस्तार से जानना चाहता है।

सभापति महोदय : निस्संदेह यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। हम इसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए, इस विषय पर बहस की अनुमति दी गई। किंतु अपने भाषण को न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट तक ही सीमित रखें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं पुन: एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे। इस बहस में भाग लेने के लिए इस सभा में बहुत से प्रतिष्ठित और जानकार सदस्य हैं। उनके पास भी सभा में पेश करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि मैंने कहा है कि यदि यह जांच इसी गति से चलती रही तो यह 31 अक्तूबर से पहले समाप्त नहीं होगी। माननीय सदस्य नेताजी के परिवार से संबंधित हैं। परिवार वालों के इस विषय पर दो अलग-अलग मत हैं परन्तु मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन अल्पकालीन चर्चाओं के लिए समय आवंटन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। क्योंकि माननीय सदस्य अब चर्चा को विराम देना चाहते हैं और कल इसे आरम्भ करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने दीजिए। हम कल सुबह नेताओं की बैठक में इसके लिए समय के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है।

सभापति महोदय : क्या आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं? सभा में कुछ और कार्य किया जाना है।

श्री सुव्रत बोस : ऐसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभा का सदस्य होने के नाते मैं यह चाहता हूं कि सभा के अन्य कार्य को भी लिया जाए। परन्तु कल मुझे इस विषय पर अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : जी हां, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। यदि आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते हैं तो आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुव्रत बोस : महोदय, यह सम्भव नहीं है। ऐसा करके मैं एक न्यायसंगत विषय के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा।

सभापति महोदय : परन्तु हमें इसमें कुछ कठिनाई है। यदि आप कोई रास्ता निकाल सकें तो यह उचित होगा। अथवा आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्हें सायं छः बजे तक बोलने की अनुमति दी जाए तथा कल भी वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सायं छः बजे कार्य सूची के अन्य मदों पर चर्चा की जा सकती है।

सभापति महोदय : बोस जी, आप सायं छः बजे तक अपना भाषण जारी रख सकते हैं तथा कल भी आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुव्रत बोस : ठीक है महोदय।

मैं सरकार के दृष्टिकोण में 1978 में आए परिवर्तन के बारे में बोल रहा था। मैं इसके बारे में संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि माननीय सदस्य श्री प्रबोध पाण्डा पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए भाषण को भी उद्धृत किया था। यह पहला अवसर था जब इस विषय पर सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया था।

इस मामले में अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन का संबंध है, एक अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर भी सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहूंगा और 1978 के बाद की स्थिति पर आता हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की जन्मशती मनाये जाने से पूर्व उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न दिया जाने का मामला न्यायिक प्रकिया में फंस गया माननीय न्यायालय ने सरकार से पूछा कि चूंकि उन्होंने इस पुरस्कार को मरणोपरांत घोषित किया है इसलिए उन्हें न्यायालय के समक्ष इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि नेताजी कि मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात् सरकार ने अपना विचार बदल लिया और इस पुरस्कार को वापस ले लिया अथवा उसे रद्द कर दिया। इसका नेताजी के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि उन्हें भारत रत्न दिया गया अथवा नहीं दिया इसके बाद सरकार ने स्वीकार किया कि इसके पास नेताजी की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं हैं। उसके पश्चात् सरकार नेताजी की जन्म शताब्दी मनाने की तैयारी कर रही थी। जैसा कि मैं सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात कर रहा था, 1978 में पहली बार सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ उसके बाद दूसरी बार इसके दृष्टिकोण में तब परिवर्तन हुआ जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है और भारत रत्न पुरस्कार को वापस लिया अथवा उसे रद्द कर दिया। मैं 1978 की घटना के बारे में अपनी बात पूरी कर चुका हूं। मैं अब 1999 की घटना पर आता हूं, जब इस मामले में जांच बैठायी गयी। चूंकि इसमें समय लगेगा इसलिए मैं आपसे समय बढ़ाये जाने के लिए नहीं बल्कि छः बजने से सात मिनट पूर्व तक बोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुग्रहपूर्वक विनती करता हूं जिससे कि मैं जब मैं अपना भाषण जारी रखूं तो नए अध्याय से आरम्भ कर सकूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे एक वक्तव्य देना है। आज सुबह माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह द्वारा उठाये गए विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। मुझे ऐसी सलाह दी गयी थी और मैंने तद्नुसार माननीय पेट्रोलियम मंत्री को बता दिया था उस समय वह शिष्टमंडल के साथ व्यस्त थे। उन्होंने शीघ्र ही मेरे पास अपना वक्तव्य भेज दिया था। इसके लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं जिससे कि राज्य मंत्री वक्तव्य पढ़ सकें।

अपराह्न 5.54 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

एन.टी.पी.सी. और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित दादरी विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के बारे में

***रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : महोदय, इस सम्माननीय

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4557/2006।

सदन का ध्यान माननीय संसद सदस्य, श्री मोहन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में दादरी में एन.टी.पी.सी. और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड की दो प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए गैस की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में आकर्षित किया गया है।

माननीय सदस्य ने रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर आइ एल) द्वारा उत्तर प्रदेश की उपर्युक्त दो विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति के लिए गैस मूल्य/फार्मुले का अनुमोदन करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किए गए विलंबों पर आक्रोश व्यक्त किया है। गैस मूल्य का संबंध आंध्र प्रदेश के तट से दूर कृष्णा-गोदावरी के गहरे पानी वाले क्षेत्र में स्थित ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (जो डी-6 ब्लाक के रूप में भी जाना जाता है) से गैस की संभाव्य आपूर्तियों से है। यह ब्लाक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के प्रथम दौर के तहत रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और नाइको रीसार्सेज लिमिटेड के परिसंघ को प्रदान किया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि एनईएलपी में, जिसे सरकार द्वारा 1997 में तैयार किया गया था और 1999 में प्रचालित किया गया था, भारत में तेल और गैस का विपणन करने के लिए संविदाकारों को अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्रता और कंपनियों के लिए स्थिर राजकोषीय निबन्धनों का उपबंध है। यह निवेश और प्रौद्योगिकियां विशेषकर और अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिए एनईएलपी के तहत एक प्रोत्साहन था। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) संविदा के प्रत्येक पक्षकार के लिए विस्तृत अधिकारों और बाध्यताओं का प्रावधान करती है।

मूल्य/फार्मूले के अनुमोदन के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा उठाया गया विशिष्ट मामला पेट्रोलियम लागत परिकलन, लाभ पेट्रोलियम और रायल्टी के प्रयोजनार्थ तथा इस संविदा के अंतर्गत अन्य प्रयोजनों हेतु गैस मूल्य निर्धारण करने के फार्मूले के अनुमोदन हेतु आरआइएल से 14 अप्रैल, 2006 को प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। आरआइएल और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आरएनआरएल) के बीच 12.1.2006 को हुई सहमति के अनुसार आरआईएल ने फार्मूले के लिए अनुमोदन मांगा था।

अपराह्न 5.56 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

संविदा के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव की जांच की गई थी। पीएससी के उपबंधों में प्रतिस्पर्धात्मक आर्म्स-लेंथ सेल के आधार पर प्राकृतिक गैस के मूल्यांकन के संबंध में प्रावधान किया गया है और संविदा के पक्षकारों के लाभ के लिए सारी प्राकृतिक गैस बेचने के लिए ठेकेदार को अनुमति है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पीएससी के अंतर्गत उत्पन्न अधिशेष का अधिकांश भाग लाभ पेट्रोलियम, रायल्टी आदि के रूप में सरकार को जाता है। संविदा के तहत मूल्यांकन हेतु अंगीकृत गैस मूल्य का इनसे सीधा संबंध है। अत: संविदा के प्रयोजनार्थ सरकार से पेट्रोलियम लागत, लाभ पेट्रोलियम और रायल्टी आदि के मूल्यांकन के लिए गैस मूल्य फार्मूलों के अनुमोदन की अपेक्षा है। तथापि, विक्रेता और खरीददार के बीच हुए गैस बिक्री करार (जीएसए) में सरकार कोई पक्षकार नहीं है।

यह ध्यान रखा जाए कि आरआइएल और आरएनआरएल के बीच लेन-देन उनके अविलयन करार का एक हिस्सा है और पीएससी के आर्म्स-लेन्थ सेल्स के मानदंड पर खरा नहीं उतरता। सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगने और प्रस्ताव की जांच करने के बाद 26 जुलाई, 2006 को अपना निर्णय आरआइएल को भेज दिया था। अत: यह कहना गलत होगा कि प्रस्ताव पर निर्णय लेने में सरकार ने लगभग एक वर्ष लगा दिया। साथ ही यह भी बताया जा सकता है कि इस मंत्रालय का कर्त्तव्य पीएससी के अधीन ठेकेदारों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे शीघ्रता से अपनी खोजों से उत्पादन शुरू कर सकें। इसमें मंत्रालय की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। गैस मूल्य फार्मूले के अनुमोदन के बारे में अपना निर्णय सूचित करने में सरकार ने जो समय लिया, उससे क्षेत्रों के संभाव्य उत्पादन तिथि पर कोई असर नहीं पड़ा है।

हमारी जानकारी के अनुसार एनटीपीसी की उत्तर प्रदेश में दादरी परियोजना के लिए गैस आपूर्ति के लिए आरआइएल के साथ कोई संविदा नहीं है। अत: एनटीपीसी की दादरी परियोजना के लिए किसी प्रकार के गैस फार्मूले के अनुमोदन में इस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि गैस मूल्य फार्मूले पर सरकार का निर्णय पूर्णत: पीएससी की शर्तों के अनुसार है और इसके साथ ही वह निवेशक कंपनियों के दैनंदिन वाणिज्यिक प्रचालन कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत अपनाती है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि पीएससी व्यवस्था में गैस मूल्य फार्मूले का अनुमोदन करते समय सार्वजनिक राजकोष को किसी प्रकार की राजस्व हानि न होने पाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति जी, राष्ट्रपति महत्व का प्रोजैक्ट है।...*(व्यवधान)* वक्तव्य में बहुत सी बातों को छिपाया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नोटिस के बिना किसी भी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं है। उन्होंने इस पर वक्तव्य दे दिया इसलिए यह मामला समाप्त हो गया। अब हम अगला विषय लेते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, मुझे खेद है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है और मामला समाप्त हो गया है। यदि आप इस विषय पर कोई चर्चा चाहते हैं आप नोटिस दे सकते हैं और उस पर चर्चा फिर हो सकती है। इस पर और अधिक चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

सांय 6.00 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

सभापति महोदय : नियमानुसार कोई चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय के भाषण को सुनिए। संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते है।

सांय 6.01 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह जिन्होंने इस विषय को उठाया था और जिसके संबंध में मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, को आश्वस्त करता हूं कि यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तथा और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से, उनसे आग्रह करता हूं कि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दें। मैं मंत्री महोदय से माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह करूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, छह बज रहे हैं। अब जीरो आवर लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : हमें जुवेनाइल जस्टिस विधेयक पर चर्चा शुरू करनी है। हमें रात आठ बजे तक बैठना है।...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप पहले जीरो आवर ले लीजिए। उसके बाद अगली कार्यवाही कर लीजिएगा।...*(व्यवधान)* आप मंत्री हैं। आपकी मर्जी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियमानुसार ऐसा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी गयी थी कि 1 अगस्त से 18 अगस्त तक सभा की कार्यवाही रात्रि 8.00 बजे तक चलेगी।

दूसरे, सभा के समक्ष किशोर न्याय, संशोधन विधेयक रखा जा चुका है। मंत्री महोदय इसकी उद्देशिका का भी उल्लेख कर चुके हैं और अब इस पर चर्चा होगी। यदि इस विधेयक पर बोलने वाले वक्ता अधिक होंगे तो चर्चा जारी रहेगी और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे पारित कर दिया जाएगा और उसके पश्चात् हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी प्रार्थना है कि आप पहले जीरो आवर ले लें। उसके बाद अगली कार्यवाही करें। आप दूसरे माननीय सदस्यों से पूछ लें कि वे किसके पक्ष में हैं। उसके बाद अगली कार्यवाही करें। रोजाना की परम्परा होनी चाहिए। आपको पहले जीरो आवर ले लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा का यह समय केवल आज के लिए ही निर्धारित नहीं है बल्कि सभा की कार्यवाही प्रत्येक दिन रात्रि 8.00 बजे तक चलेगी। जिन दिनों सभा की कार्यवाही नहीं हुई है उस समय की भरपाई के लिए सभा की कार्यवाही प्रत्येक दिन रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाये जाने के संबंध में एक बुलेटिन भी जारी किया गया है।

अब हम किशोर न्याय विधेयक पर चर्चा शुरू करते है। मैडम आप विधेयक पर बोल सकती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पहले जीरो आवर ले लीजिए। उसके बाद हाउस चालाइए। सारा सदन जीरो आवर की बात कर रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य-सूची के अनुसार, किशोर न्याय विधेयक शेष बचा है जिस पर चर्चा की जानी है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दे सकते हैं। निस्संदेह माननीय अध्यक्ष महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं जीरो आवर की बात कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नियमानुसार ही चलूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय, ने सुबह ही इस विषय को उठाने की अनुमति दी थी। विषय से संबंधित सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये थे। उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया था कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। तदनुसार मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया। अब इस पर केवल नियमानुसार ही आगे चर्चा की जा सकती है। आप या तो इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दे सकते हैं अथवा कोई और प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब हम विधेयक पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, संबंधित मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं बहस पर चर्चा का उत्तर कौन देगा?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री महोदया ने विधेयक प्रस्तुत किया है और वह ही चर्चा का उत्तर देंगी। वह पांच मिनट में सभा में वापस आ जायेंगी। सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को मैं नोट कर लूंगा और वह चर्चा में उत्तर के दौरान उनका उत्तर दे देंगी। हमेशा ही इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाती है...*(व्यवधान)* सभा का सरकारी कार्य भी होना है। इसलिए मैं शून्य काल के लिए सरकारी कार्य को स्थगित किए जाने के सुझाव से सहमत नहीं हूं। यह सम्भव नहीं है,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्रीमती सुमित्रा महाजन बोलेंगी और केवल उनके द्वारा दिये गए भाषण को ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य दे चुके हैं अब शून्य काल के दौरान उठाये जाने वाले मामलों पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। हम गलत परम्परा स्थापित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : इस समय जीरो आवर लेने के लिए आपने सुबह कहा था।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अभी जीरो आवर नहीं होगा।

सायं 6.29 बजे

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक पर श्रीमती सुमित्रा महाजन बोलेंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दीजिए। शून्य काल के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती सुमित्रा महाजन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वास्तव में वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ज्यूविनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमैंडमैंट बिल को लाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आज की तारीख में अगर देखें तो 18 साल के अन्दर जो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, देश की जनसंख्या का करीब-करीब 30 परसैंट से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं।

इस सारी परिस्थिति में मैं पूरे विश्व की बात नहीं करूंगी, लेकिन यदि हम हिन्दुस्तान की परिस्थिति में देखते हैं तो पाते हैं कि इसके कई कारण हैं, जिसमें एक पारिवारिक कारण हैं, बदलती हुई परिस्थितियां दूसरा कारण है, माता-पिता दोनों नौकरी पर जा रहे हैं, टूटते हुए परिवार भी एक कारण है और यदि इन सारे कारणों को हम देखते हैं तो इनका बच्चों पर कई प्रकार से असर होता हैं हम कहते हैं कि इन बच्चों को हम देश की मजबूत भावी पीढ़ी बनायेंगे, लेकिन देश की यह मजबूत भावी पीढ़ी अलग-अलग कारणों से गलत रास्तों पर चली जाती है। केवल गरीबी इसका एक कारण नहीं है। हम देखते हैं कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं और भूख के कारण कई प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। यह भी इसका एक कारण है। लेकिन इसके अतिरिक्त कभी-कभी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, यह भी एक कारण है। इसके अलावा जो बच्चे स्पेशल होम्स में रखे जाते हैं, वहां उन्हें बड़े बच्चों के साथ रखा जाता है। कुछ बड़े बच्चे आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ छोटे बच्चों को रखने के अलग-अलग प्रकार के कई दुष्परिणाम सामने आये हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आये हैं।

स्भापति महोदय, आज सांस्कृतिक प्रदूषण भी देश में फैल गया है। गरीबी के अलावा अच्छे खाते-पीते परिवारों के बच्चे या हाई सोसाइटीज के बच्चे भी कई बार छोटे-मोटे अपराध करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। इन सब चीजों के अलावा सालों-साल इन बच्चों को न्याय मिलने में कठिनाइयां सामने आती हैं और न्याय मिलने की राह देखते हुए उन्हें स्पेशल होम्स में रहना पड़ता है। लेकिन स्पेशल होम्स की क्या परिस्थिति है, वह मैं आगे बताऊंगी। लेकिन स्पेशल होम्स में इन बच्चों को कई साल गुजारने पड़ते हैं। कई जगहों पर इन स्पेशल होम्स का जीवन नारकीय होता है। इसके अलावा एक बात और है कि कई बच्चे अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन वे भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। उन्हें मां-बाप द्वारा छोड़ दिया गया है और वे राहों में भटक रहे हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे देश में कम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इनकी चिंता करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए यह महसूस किया गया कि जो पुराना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें कुछ जरूरी संशोधनों की आवश्यकता है और उन संशोधनों को दृष्टि में रखते हुए यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2005 आज हमारे सामने आया है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत चर्चा की है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। उन सुझावों में से कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदया ने स्वीकार भी किये हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ सुझाव उनकी नजरों में आने से रह गये होंगे,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए मैं समझती हूं कि इस बिल पर थोड़ी विस्तृत चर्चा होनी आवश्यक है।

सभापति महोदय, आज यह स्थिति है कि जो हमारे यहां पुलिस थाने हैं, यदि आप उन थानों पर जाकर पूछें तो मुझे लगता है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा पुलिस थानों पर अफसरों को जुवेनाइल जस्टिस शब्द के बारे में पता नहीं होगा। प्रोटैक्शन आफिसर या स्पेशल आफिसर को भी इस शब्द के बारे में पता नहीं होगा। आज हमारे हिन्दुस्तान की यह स्थिति है।

वास्तव में ये जो बच्चे हैं, उनसे डील करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे को एकदम से तो हम अपराधी नहीं कहते हैं। वह मिट्टी के गोले के समान है, आप जैसी आकृति चाहे, उसमें से बना सकते हैं। इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाता है हम बड़े लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे माता-पिता के रूप में हों या अलग-अलग व्यवसाय करते हों और उस व्यवसाय में बच्चे का जो दुरुपयोग होता है, इस दृष्टि से भी हो, अपने स्वार्थों के लिए बच्चों का दुरुपयोग यहां तक कि चाइल्ड लेबर—जैसा बताया जाता है कि कुछ बारीक काम बच्चों के हाथ से ही अच्छे होते हैं। अगर कांच का सामान बच्चे ही अच्छा बना सकते हैं और इसलिए उनका दुरुपयोग होता है। ऐसी कई बातों से यह बात शुरू हो जाती है कि बच्चों का धीरे-धीरे गलत रास्तों के लिए उपयोग हो जाता है और इसलिए ऐसा बच्चा कहीं पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद, उस बच्चे को बोर्ड के सामने प्रोडयूस किया जाता है। इसमें यह आ गया है कि वह बच्चा बोर्ड के सामने प्रोडयूस होगा और फिर अगर बोर्ड को लगता है कि इसे थोड़ा समझाकर माता-पिता को दिया जाए या किसी इंस्टीटयूशन को दिया जाए या इसमें दिया गया है कि फोस्टर पेरेन्ट्स यानी जो कुछ दिनों के लिए उसे रखने के लिए तैयार हों, ये शब्द यहां यूज किये गये हैं—गार्जिन्सय, फोस्टर पेरेन्ट्स या फिट पर्सन्स या फिट इंस्टीटयूशंस इत्यादि जो शब्द यहां यूज किये गये हैं। इसलिए मैं इतना ही थोड़ी हिदायत के तौर पर कहना चाहूंगी कि आपने मन में कुछ अच्छा सोचकर ही इस प्रकार के प्रोवीजंस एक्ट में रखे हैं। लेकिन इस पर विस्तृत रूप से बारीकी से सोचना पड़ेगा और नियम बनाते समय यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जरा सा भी गलत हाथ में यह बच्चा फिर न पड़ जाए क्योंकि कई ऐसे इंस्टीटयूशंस होते हैं जो आगे आएंगे और जो कहेंगे कि हम बच्चे की केअर करेंगे, बच्चा हमें दे दो। एनजीओज का एक्सपीरिएंस हमारा दोनों प्रकार का है। मैं यह नहीं कहूंगी कि सभी एनजीओज या जो वॉलंट्री ऑरगेनाइजेशंस हैं, वे गलत हैं। मैं यह भी नहीं कह सकती हूं कि कोई ऐसा कपल जो यह चाहते हैं कि हम बच्चे को थोड़े दिन रखकर इसे अच्छे रास्ते पर ले आएंगे, वह कपल गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन रूल्स बनाते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि रेस्टोरेशन एंड प्रोटैक्शन ऑफ द चाइल्ड यानी रेस्टोरेशन के लिए जब बच्चे को रखने की बात आएगी, चाहे वह बच्चा अपराधी हो या रास्ता भटकते हुए मिला हुआ हो, लेकिन किसी को भी सोचते समय इसके लिए बहुत कड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाने आवश्यक हैं।

पुलिस थाने की जब बात होती है, तब मैं देखती हूं कि वास्तव में पुलिस थाने में ऐसा कोई भी आफिसर जो बच्चों की साइक्लॉजी समझता हो, वैसे तो इन-जनरल मानव शास्त्र समझने वाला ही पुलिस वाला कठिन है क्योंकि पुलिस वाले को लगता है कि यदि मैं मानव शास्त्र समझ सकता तो मैं पुलिस ही कैसे हो सकता है? अगर मैं डंडा छोड़कर मानव शास्त्र समझने लगूं तो मैं पुलिस ही नहीं बन सकता। हमारी पुलिस की एक भावना है। इसलिए पुलिस थाने पर जो मानव शास्त्र समझता हो या इस प्रकार की जिसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई हो, ऐसा अधिकारी होना आवश्यक है क्योंकि कहीं से भी अगर कोई बच्चा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है या कई बार भीख मांगते हुए या सड़क पर घूमते हुए भी जब बच्चे को ले आते हैं तो हमारे यहां की पद्धति के अनुसार हम पहले उसे पुलिसथाने पर ही ले जाते हैं। हमें कहीं न कहीं कड़ाई से इन बातों को देखना पड़ेगा कि इनके साथ अवैयरनैस कैम्प, इनकी ट्रेनिंग के साथ-साथ हर पुलिस थाने पर इस प्रकार के स्पेशल आफिसर का होना आवश्यक है। कानून तो हम हजारों पास कर रहे हैं। इसके पहले भी महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कानून, डॉमैस्टिक वायलेंस का बिल हमने पास किया था। मुझे मालूम है कि इसके कारण किसी महिला का पिटना बंद होता है, ऐसा नहीं होता है।...*(व्यवधान)* लेकिन उसमें भी जो अधिकारी के प्रोवीजंस किये गये हैं, मैं इसलिए उसकी याद दिला रही हूं कि डॉमैस्टिक वॉयलेंस बिल में भी प्रोवीजन किया कि जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर ऐसा स्पेशल अधिकारी होगा। हमने कानून तो पास किया मगर आगे जाकर क्या होता है वह भी देखना पड़ेगा। हमें कड़ाई से देखना पड़ेगा और बिल बनाते समय हमने जो प्रावधान उसमें रखे हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ समय सीमा भी हम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। इसमें लिखा है और यह वास्तविकता है कि आजकल ऐसा होता है कि कोई भी छोटी से छोटी बात होती है तो मीडिया को लगता है कि मैं दुनिया को उसके बारे में

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

बता दूं। बताना भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार बताते हुए अपराधियों पर ही ज्यादा सीरियल्स देखने को मिलते हैं कि नए नए अपराध कैसे किये जाते हैं। आपने इसमें प्रावधान किया है वह भी आवश्यक है। कोई भी बच्चा जो पकड़ा जाता है तो वह आदतन अपराधी नहीं माना जाता है। हमने जब कहते हैं कि विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर, तब उसको हमने अपराधी नहीं कहा है। कई बार बच्चा अबोध होता है। उसको मालूम नहीं होता कि मैंने कोई अपराध किया है। कई बार वह गुस्से में आकर कुछ कर बैठता है। बड़े-बड़े लोगों की टॉलरैन्स भी कई बार जवाब दे जाती है तो ये तो छोटे अबोध बच्चे हैं। उनकी टॉलरैन्स जब जवाब दे जाती है और उनके हाथ से कुछ ऐसा कृत्य हो जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो उनको मालूम भी नहीं होता है कि मैंने कोई अपराध किया है। यदि उनके संबंध में समाचारों में कोई रिपोर्ट आती है या उनकी फोटो आती है तो हमेशा के लिए एक स्टिग्मा हो सकता है। वास्तव में हमारी अपेक्षा इस एक्ट के जरिये यही है कि हमें इन बच्चों को सुधारने का समय देना है और इसलिए हम इनको सुधार गृहों में भेजते हैं, स्पेशल होम्स में इनको रखा जाता है ताकि कहीं न कहीं इन बच्चों को दूसरे कार्य सिखाकर उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, मेनस्ट्रीम में उनको लाया जाए। इस दृष्टि से यह कानून बनाया गया है। इसलिए प्रोविजन तो ठीक है कि अगर कोई पेपर वाला या मीडिया वाला कहीं से भी बच्चे का नाम उजागर करता है जो कानून के तहत नहीं करना चाहिए, तो उसको सजा के रूप में 1000 रुपये देने होंगे।

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : जी नहीं, दंड 25000 रुपये है।

श्रीमत सुमित्रा महाजन : विधेयक के अनुसार यह 1000 रुपये है।

श्रीमती रेनुका चौधरी : यह 25000 रुपये है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपने इसके लिए संशोधन भी नहीं किया है।

विधेयक के अनुसार :

"किसी भी व्यक्ति को जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दंडित किया जाएगा जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये तक किया जा सकेगा।"

श्रीमती रेनुका चौधरी : जी नहीं, यह पच्चीस हजार रुपये है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह आपके संशोधन में भी नहीं है।

श्रीमती रेनुका चौधरी : जब मैंने उद्देशिका के बारे में बताया था तो इसका उल्लेख किया था। मैंने 25000 रुपये ही बताया था।

मैं सुनिश्चित करूंगी कि इसमें सुधार किया जाए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया है। उन्होंने दो सुझाव दिए हैं।

[हिन्दी]

क्योंकि 1000 रुपये के कोई मायने ही नहीं हैं। लेकिन 25000 रुपये करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि एक महिला ने इस बिल को फिर से देखा है तो हर कोण से इसको देखा होगा। एक प्रावधान आप और कीजिए कि ये जो 25000 रुपये वसूल किये जाएंगे, वह बच्चों के हित में ही खर्च किये जाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसा कि सभी को मालूम है जुवेनाइल का अर्थ है 18 साल की उम्र से कम के सभी बच्चे, इसलिए क्लाज में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अलग से रखना चाहिए और चिल्ड्रन अलग से होना चाहिए। आपने वह बात भी मान ली है और वह सुधार किया है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

मै एक बात और मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। वह भी यदि गलत साबित हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। पेज 4 पर लाइन 7 से 9 देखें तो स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा है कि क्यों हम यह बिल ला रहे हैं और क्या प्रावधान हम करना चाहते हैं। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे हम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेशल स्कूल बनाएंगे। बोर्ड के सामने या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्चे कैसे जाएंगे, पुलिस के हाथों में ही ज्यादा समय रहेंगे—यह व्यवस्था आपने की है लेकिन ऐसा करते समय आपने लिखा है—

[अनुवाद]

निसंतान माता-पिता द्वारा संतान गोद लिए जाने के दायरे को बढ़ाने के लिए आपने दंपति शब्द का प्रयोग किया है। यह एक अच्छा कदम है तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत इसे केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित रखा जाए।

[हिन्दी]

जो अमेंडमेंट्स आपने दी हैं, उसमें एक लाइन यह थी कि–

[अनुवाद]

धारा के अंतर्गत गोद लेने की अनुमति जब तक नहीं दी जा सकती तब तक कि बालक और माता-पिता भारतीय नागरिक न हों।

[हिन्दी]

इसे आपने ओमिट क्यों किया, यह बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है। आपने अमेंडमेंट्स में लिखा है – ओमिट लाइन सात से नौ–यह नहीं करना चाहिए। आपका अपना भी अनुभव है और मैं स्वयं भी जब मिनिस्टर थी, तब मैं आंध्र प्रदेश और कनार्टक में गई थी। उन दोनों जगहों पर जो इंसीडेंस हुए थे, उनमें बच्चे पकड़े गए थे। हमने वहां देखा कि किस प्रकार कुछ विदेशियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था, वहां आदिवासियों के बच्चे गोद लेने का बहाना करके, उन्हें खरीदती थी। गोद लेने का केवल बहाना था। छोटे-छोटे बच्चे, साल भर के, नौ महीने और डेढ़ साल के बच्चे एक संस्था द्वारा खरीद लिए जाते थे और बाद में जो बात उजागर हुई थी, वह इतनी भयावह थी – उसके बाद वे बच्चे कहां एडोप्शन में दिए जाते थे, यह मालूम नहीं था -- कहीं आधे और कहीं पूरे भूखे बच्चे बरामद किए गए थे। वहां अनेक ऐसे बच्चों के शव दफनाए गए थे, बरामद किए गए थे। इतनी बड़ी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की घटनाएं आपके सामने भी आई थीं। अब जब हम धीरे-धीरे बोल रहे हैं कि हिन्दुस्तान विकसित हो, हमारे बच्चों की केयर और चिन्ता हमें ही करनी चाहिए। हम क्यों इन्हें किसी विदेशियों को सौंपने की बात करें या इस प्रकार का थोड़ा सा प्रावधान भी रखें। जिस कारा को ये सब अधिकार दिए गए हैं, वे क्यों इन चीजों को देखें। एक तरफ एडोप्शन में लेने वालों की भी पूरी चिन्ता करें और दूसरी तरफ अच्छे तरीके से उनकी तहकीकात करें, ऐसा होता नहीं है। उस समय भी यह अनुभव किया गया था कि केन्द्र से, क्योंकि कारा यहां से काम करता है और वहां वे बोलते हैं कि हम बंगलौर में देखने के लिए कहां जाएं। वहां किसी कलेक्टर को या किसी अन्य पदाधिकारी को अधिकार दे दिए जाते हैं कि वह इस काम को देखता रहे, लेकिन वहां नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं होता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम हमारे बच्चे यहीं रहें, यहीं के किसी माता-पिता के हाथों में सेफ रहें, यहीं की जो वालेंट्री आर्गेनाइजेशन हों, उनके यहां हम कभी भी, उनकी पूरी तहकीकात करके उन पर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने इसमें जो दो लाइनें ओमिट करने की सोची हैं, वास्तव में आब्जैक्ट्स में आपने खुद ही लिखा है कि हमारा यह आब्जैक्ट है–

[अनुवाद]

केवल भारतीय नागरिकों के लिए किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत वैसा ही रहेगा।

[हिन्दी]

इसे कृपा करके न बदलें, इन लाईनों को ओमिट न करें, जैसे का तैसा रहने दें, यही मेरा आपसे निवेदन और रिकवेस्ट है।

सांय 6.27 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये सब चीजें कर दी हैं। आपने एक बात और भी मान ली है, जो बहुत अच्छी बात है कि जनी का पीरियड छोड़ कर 24 घंटे के अंदर बच्चे को पेश करना होगा। उसमें आपने यह लिखा है कि उसे पुलिस लॉक-अप या जेल में रखना चाहिए, वह भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर एक बात यह भी जोड़ दी जाती कि कहीं भी रखना हो तो – व्यस्कों के साथ नहीं – क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसे यदि 24 घंटे में पेश करना है तो हो सकता है कि 24 घंटे कहीं किसी पुलिस थाने में उस बच्चे को रखा जाए, क्योंकि एकदम से तो कोई ढूंढने नहीं जाएगा कि उसे किस संस्थान में रखें।

जब तक उसे बोर्ड के सामने पेश नहीं किया जाएगा, तब तक इस बारे में चिन्ता करना जरूरी है ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जरा भी नहीं आए, जो अपराधी किस्म का है। इसलिए इसमें "व्यस्कों के साथ नहीं" शब्द भी जोड़ा जाए, वह ज्यादा अच्छा

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

रहेगा। वैसे इसमें आपने कई चीजें जोड़ी हैं, जो ठीक किया है, लेकिन यदि इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि वह किसी भी अपराधी किस्म के वयस्क के साथ नहीं रखा जाएगा, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा।

आपने इसमें लोकल अथॉरिटी को बिलकुल निकाल दिया है, जो ठीक नहीं है। इस विषय पर आप जरा सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने गांव की पद्धति है, परिवार के किसी सदस्य का स्वभाव क्या है, इस बारे में गांव की पंचायत, जिला पंचायत या लोकल अथॉरिटी अच्छी तरह से समझती हैं और वे यह भी जानती हैं कि ऐसा क्यों हुआ या किसी ने बच्चे को अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया।

[अनुवाद]

स्थानीय प्राधिकरण सभी परिस्थितियों से भली-भांति अवगत होता है।

[हिन्दी]

लेकिन इसमें उन्हें बिलकुल ही डिलीट कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भले ही कुछ अधिकार न दें, परन्तु कम से कम स्थानीय प्राधिकरण से सलाह लें, उन्हें डिलीट न करें। इस पर थोड़ा सोचें, तो अच्छा रहेगा, यह मेरा सुझाव है।

आपने इसमें ऐसे बच्चों को भी जोड़ दिया है जिन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और जिनसे भीख मंगवाई जाती है। हमने देखा है कि अनेक लोगों द्वारा बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनके हाथ-पैर तक काट दिए जाते हैं, ताकि भीख ज्यादा से ज्यादा मिले। उनके साथ इन बच्चों को न रखा जाए। ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं तो रखना ही पड़ेगा, जब तक उन्हें घर न मिल जाए। अत: ऐसे बच्चों को स्पेशल होम्स में रखा जाए।

महोदय, इस बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रदेश में कितने और कैसे स्पेशल होम्स हैं। मैं किसी विशेष प्रदेश के बारे में नहीं कह रही हूं और किसी एक प्रदेश को दोष नहीं दे रही हूं क्योंकि मैंने देखा है कि इन स्पेशल होम्स की स्थिति किसी न किसी रूप में हर प्रदेश में खराब है। पश्चिमी बंगाल के दो-तीन स्पेशल होम्स के नाम आए थे कि वहां से बार-बार बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि वहां उनके रहने की, उनके भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है। उनके प्रदेशों में स्पेशल होम्स ही नहीं हैं। जहां इस प्रकार के स्पेशल होम्स नहीं हैं, वहां उन्हें बनाना चाहिए और जहां नहीं हैं, वहां इन बच्चों को कहां रखा जाएगा, इस बारे में विचार करना आवश्यक है।

महोदय, मैं मानती हूं कि इसे स्टेट गवर्नमेंट को इम्पलीमैंट करना है, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि कई प्रदेशों में बोर्ड्स का गठन अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि मैंने अभी पश्चिमी बंगाल का नाम लिया था, इसलिए मैं अब मध्य प्रदेश का नाम लेना चाहूंगी, नहीं तो प्रियरंजन दासमुंशी जी समझेंगे कि मैं पश्चिमी बंगाल की सरकार का दोष निकाल रही हूं, लेकिन यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अभी तक कमेटियां गठित नहीं हो पाई हैं, सिर्फ कुछ ही जिलों में इस प्रकार की कमेटियां बनाई गई हैं। मेरा निवेदन है कि सभी जिलों में ऐसी कमेटियां बननी चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहती हूं कि इस विधेयक में क्लासीफिकेशन ठीक किया गया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बारे में इफैक्टिव रूल्स एंड रैगुलेशन्स विदिन दि टाइम लिमिट बनाएं और सभी जगह बोर्ड भी बनाए जाएं – यह रेस्पांसिबिलिटी सैंट्रल गवर्नमेंट की है। इसकी मानीटरिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि रूल्स बनाते समय बोर्ड भी बनाए जाएं और वह भी विदिन टाइम लिमिट – तभी ये इफैक्टिव हो सकते हैं।

महोदय, जहां तक अवेयरनैस की बात है, जैसा मैंने पहले कहा, इसके बारे में अवेयरनैस बिलकुल नहीं है। पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन) नाम का कोई एक्ट है और उनके स्टेट में लागू है। इस प्रकार के मामले पुलिस वालों के साथ, जुडीशियरी के साथ अनेक दिनों तक चलते रहते हैं। बोर्ड्स के सामने भी इस प्रकार की बातें आती हैं और दो-दो तथा तीन-तीन साल तक बच्चों को इन होम्स में रखा जाता है। मैं इसे अच्छा नहीं मानती हूं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि अवेयरनैस प्रोग्राम पुलिस के लोगों के लिए और अन्य सम्बद्ध पक्षों के लिए जरूर चलाए जाने चाहिए और इन बच्चों को ज्यादा समय तक स्पेशल होम्स में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बच्चे अपराधी नहीं हैं। वे अपराधी बन गए हैं या बनाए गए हैं या अपराधी बनने के रास्ते पर हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे मां-बाप के द्वारा छोड़ दिए गए हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि यह हमारा ही पाप है या किसी माता-पिता ने छोड़ दिए हैं या गरीबी के कारण वे सड़क

पर आ गए हैं। इसलिए मंत्री महोदया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने इस बिल को ठीक करने की बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन इतनी ही कड़ाई के साथ इसका पालन हो जाए, इसके लिए आप पूरी-पूरी कोशिश करेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारी भावी पीढ़ी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करने तथा विशेष स्नेह दिखाने के लिए जो विशेष ध्यान दिया है और पहल की है उसके लिए मैं उनकी हार्दिक प्रशंसा करता हूं।

इस विधेयक को इससे पहले वर्ष 2003 में संसद में पुर:स्थापित किया गया था उसके पश्चात् इस पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी इसलिए विभिन्न संगठनों और इससे संबंधित स्थायी समिति द्वारा जो कमियां महसूस की गईं उनको दूर करना आवश्यक हो गया था। माननीय मंत्री जी इस विधेयक में 11 संशोधन कर चुके हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं क्योंकि कोई भी पवित्र आत्मा बच्चों के कल्याण को नकार नहीं सकती।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकार दिलाना, उनका कल्याण करना तथा इसे एक क्षेत्राधिकार विषय और अपराध निवारण मॉडल के रूप में स्थापित करना है। हम सभी अपनी भावी पीढ़ी के प्रति चिंतित हैं क्योंकि आज के युग में बच्चे ही कार्य, गरीबी तथा अन्य बुराइयों के सबसे अधिक शिकार होते हैं।

सायं 6.38 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन* हुईं]

महोदया, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में एक बुराई को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक लालच में आकर लोगों के अंग काट डालते हैं। चिकित्सकों को हमारे समाज में भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है परन्तु कभी-कभी वे शैतान का दूसरा रूप नजर आते हैं। मैं यहां यूनीसेफ की एक रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें यह बताया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 14 मिलियन बच्चों को उनके देशों में या देशों से बाहर जबरन विस्थापित किया जाता है और 8,000 से 10,000 बच्चे बारूदी सुरंगों से मार दिए जाते हैं या विकलांग कर दिए जाते हैं।

'यूनीसेफ' के कार्यकारी निदेशक, वेनेमान, ने परिषद को बताया कि आज के सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को निशाना बनाया जाता है और युद्ध की विभिषिका के परिणामस्वरूप बच्चे ही सबसे पहले गरीबी, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य के शिकार होते हैं। वर्ष 1996 से अब तक युद्ध से लगभग 2 मिलियन बच्चे मारे जा चुके हैं, कम से कम 6 मिलियन घायल हुए हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हुए हैं और और 12 मिलियन बच्चे बेघर हो गए हैं। आजकल विद्रोह की प्रवृत्ति के कारण विश्व में विभिन्न सरकारें बच्चों को, उनके भोलेपन का, उनकी जिंदगी की अन्य कमियों का अनुचित लाभ उठाकर भर्ती कर रही हैं। अत: यह विधेयक बहुत सामयिक है और इस प्रकार का विधान बनाना आज के समय की आवश्यकता भी है जिससे कि हमारे बच्चों के कष्टों और अत्याचारों को दूर किया जा सके।

सभापति महोदया, बच्चों की उपेक्षा का अर्थ है समाज की समग्र रूप से हानि। यदि बच्चे सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बचपन से वंचित होते हैं तो राष्ट्र भी अपने सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था तथा अच्छे नागरिकों के लिए संभावित मानव संसाधन से वंचित हो जाता है। लेकिन कई वर्षों से बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए, यदि हम विकास क्रम को देखें तो पाएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भी बहुत से व्यक्तियों ने इस मुद्दे पर विचार किया है।

इस विधेयक में मैंने एक विशेष बात अर्थात् इसका गैर-संस्थागत रवैया यह देखा है। वास्तव में, मूल अधिनियम के पूरे नाम में संस्थागत और गैर-संस्थागत रवैयों को सम्मिलित करने हेतु इसके कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया है। यह इस विधेयक की एक प्रमुख विशेषता है।

किशोरों के साथ गैर-संस्थागत व्यवहार करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए उस समय पहली बार वर्ष 1850 में पहली बार प्रयास किया गया था, जब प्रशिक्षु अधिनियम पारित किया गया था।' इसे भारत में किशोरों के लिए विधान बनाए जाने की दिशा में पूर्व संकेत माना गया। वर्ष 1953 में बाल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इसी वर्ष महिला और बाल संकल्प अनुज्ञप्ति विधेयक प्रस्तावित किया

[श्री अधीर चौधरी]

गया था। वर्ष 1977 में बाल (संशोधन) विधेयक प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1986 में किशोर न्याय विधेयक पारित किया गया और वर्ष 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक पारित किया गया। अत: अब विकास की इस प्रक्रिया में हमारे सामने यह स्थिति पैदा हो गई है कि यह मुद्दा अब दो घटकों में विभाजित हो गया है।

प्रथम जो किशोर विधि का उल्लंघन करते हैं, जिसपर सभापति महोदया, आपने बहुत विस्तार में बताया है, और दूसरे जिन बच्चों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। इस विधेयक के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन में "दत्तक ग्रहण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे दत्तक बालक अपने जैव माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है माता-पिता के साथ नातेदारी से संलग्न सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों के साथ दत्तक माता-पिता का विधिमान्य बालक हो जाता है। यह वास्तव में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। लेकिन, इसी मुद्दे पर मैं संबंधित मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो गैर-संस्थागत रवैया अपनाया है, वह क्या है। जैसा कि हमें लगता है कि गैर-संस्थागत रवैये से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां इन बच्चों की देखरेख की जा सके, या ऐसी कोई व्यवस्था प्रायोजित करना या कोई अन्य तरीके अपनना इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा गैर-संस्थागत रवैया है जिसपर विचार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सत्य है कि ऐसे स्थानों पर, जहां बच्चों की देखरेख होती है, बच्चों का शोषण किया जा रहा है उनका व्यापार हो रहा है और उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनपर बहुत से अत्याचार किए जा रहे हैं जो विभिन्न समाचारपत्रों में भी उजागर होते रहते हैं। अत: मंत्री जी को किसी को ऐसे स्थानों पर भेजते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे मामले में कम से कम ऐसे परिवारों के चयन हेतु समुचित उपाय किए जाने चाहिएं। इसके लिए कड़े दिशानिर्देशों पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि आपने सही कहा था कि पश्चिम बंगाल में, लिलुआ, बारासात और धुआ आश्रय बहुत कुख्यात हो चुके हैं क्योंकि वहां सुधार गृहों में रह रहे किशोर अक्सर वहां से भाग जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन गृहों में, मनोरंजन तथा अन्य सुविधाओं को तो छोड़ ही दें आवास की स्थिति भी बहुत खराब है। वहां अपर्याप्त आवास होता है। जिससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए, इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि उन किशोरों को विशेष अवसरों जैसे, परीक्षा, रिश्तेदार की शादी, किसी रिश्तेदार की मृत्यु या दुर्घटना या माता-पिता की गंभीर बीमारी या इसी प्रकार के किसी अन्य आपातकाल में कुछ दिनों का अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि किशोरों के साथ – चाहे वे किसी भी गृह में क्यों न हों – पारिवारिक व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे कि वे स्वयं को समाज से बहिष्कृत या अलग न समझें।

लेकिन सत्य यह है कि सफाई की कमी, गंदगी, किसी भी प्रकार के मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव और विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और भूखे रहने के कारण ये किशोर इन गृहों को छोड़कर भाग जाते हैं। यदि राज्य सरकारें इसके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं होंगी तो इस प्रकार का विधान बनाने का स्वभाविक रूप से कोई अर्थ नहीं है। उन्हें किशोरों की मन:स्थिति पुन: का पता होना चाहिए। और हमारे देश के किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री जी को एक बहुत विशेष मुद्दे से अवगत कराना चाहता हूं कि अधिकांश किशोरों को विचारण न्यायालयों में बहुत कठिन समय गुजारना होता है क्योंकि प्रत्येक जिले में विचारण न्यायालय नहीं हैं। विधि का उल्लंघन करने वाले इन किशोर को न्याय पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अत:, मुझे लगता है कि यदि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो मंत्री जी का विधि मंत्रालय के साथ टकराव हो सकता है। ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि यदि इस विधेयक का उद्देश्य किशोरों को राहत प्रदान करना और उनकी पीड़ाओं को कम करना है तो सरकार को प्रत्येक जिले में एक किशोर न्यायालय स्थापित करना चाहिए। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में संबंधित मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करें।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 (3); 24; 39 (ड़) और (च); तथा 45 के अंतर्गत बच्चों को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष 1974 में अंगीकार की गई थी। तथापि, हम अभी भी इस मुद्दे पर विचार का रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे यहां ढेरों कानून होने के बावजूद भी हम अपने संविधान में स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

सभापति महोदया, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भगवान की ओर से भेजा गया एक नया विचार होता है। बच्चे सदाबहार, सदा उर्जावान और ओजस्वी संभावनाओं से परिपूर्ण होते हैं।

*श्री पी. मोहन (मदुरै) : सभापति महोदया, मैं, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की ओर से इन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 का स्वागत करता हूं। इतने सारे संशोधनों के साथ लाया गया यह व्यापक विधेयक देश में किशोर न्याय व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लायेगा। सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले उस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षपीठ और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करके, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि व्यस्कों द्वारा किये गए अपराध और बालकों द्वारा ऐसे कार्य-कलाप दो अलग चीजें हैं और इन्हें अलग व विशिष्ट तरीके से लिया जाना चाहिए। जो लोग जानबूझकर अपने अंत:करण की आवाज के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वे अपराधी हैं और उनमें से अधिकांश व्यस्क होते हैं, अत: व्यस्क अपराधियों को कानून के अंतर्गत सजा दी जानी चाहिये। जबकि बच्चे जो कि गरीबी, दुर्व्यवहार और परेशानियों के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ होकर गैर-कानूनी और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने को बाध्य होते हैं। वे अपराधी नहीं बल्कि किशोर हैं जिनमें सुधार लाया जा सकता है। वे अपने द्वारा किये गए ऐसे कृत्यों के बारे में नहीं जानते बल्कि अपनी परिस्थितियों और संगत के कारण ऐसे कार्य करते है। मासूमियत और अज्ञानता के कारण वे अति संवेदनशील हो जाते हैं। अनैतिक असामाजिक तत्वों द्वारा भी उन्हें अपराधों में संलिप्त होने को बाध्य किया जाता है। चूंकि वे परिस्थितियोंवश ऐसा करते हैं उन्हें व्यस्क अपराधियों के समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें कारागार, हवालात तथा पुलिस थाने में नहीं रखा जाना चाहिए। देश का बेहतर और योग्य नागरिक बनाने के लिए उनमें सुधार लाया जा सकता है। मेरे पूर्ववक्ताओं, मेरे साथियों और सभापति महोदया ने बहुत से उदाहरण देकर इंगित किया है कि ऐसे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने का उत्तरदायित्व समाज पर भी है। मैं, व्यक्तिगत रूप से तथा मेरी पार्टी अर्थात् भाकपा (मा) का इसमें दृढ़विश्वास है और हमें ऐसे बालकों को जो कि देश का भविष्य है उन्हें इसका अवसर अवश्य देना चाहिए जिसके लिए एक सुधारात्मक किशोर न्यायप्रणाली की आवश्यकता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे इसीलिए देश प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन बालदिवस के रूप में मनाता है। हमारे शास्त्रों में भी हम पाते हैं कि कानून ने (भगवान कृष्ण) कारागार में जन्म लिया था। इससे पता लगता है कि जो जेल जाते हैं और वहां से बाहर आते है वे सब अपराधी नहीं होते। जेल में बन्द लोगों में से सभी बुरे नहीं होते। पुराने अधिनियम में संशोधनों के रूप में लाये गए बहुत से सुधारों और उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ताकि व्यस्कों, तरुणों और विशेषकर किशोरों के लिए उपलब्ध न्यायप्रणाली में स्पष्ट सीमांकन और विभेद किया जा सके तथा बच्चों की देखभाल व उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। परिवार की परिस्थितियां, गरीबी, माता-पिता की मृत्यु यहां तक कि केवल मां की मृत्यु होने पर देखभाल के अभाव, सामाजिक परिस्थितियां और सरकार द्वारा बनाये गए विधानों आदि ने समग्र रूप से बालकों हेतु उपलब्ध परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि, हमारे यहां बाल श्रम की समाप्ति हेतु विधान है परन्तु आज भी बालक कार्यरत हैं। तमिल में एक मुक्त छंद है–

"कैरिंग" बैग बिगर दैन हिम,
द ब्वाय फाइंड्स हिमसेल्फ निअर द बिन,
एट द स्ट्रीट कार्नर, ही इज सर्चिंग लाइफ एज
ही गोज आन सर्चिंग द डस्टबिन"।

इस सम्माननीय सभा में उपस्थित मेरे सभी साथी इस बात से सहमत होंगे कि हम सभी ऐसे दृश्य देखते है और अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बच्चों से मिलते हैं। कूड़ा बीनने वाले और सड़कों पर आवारा फिरते हजारों लाखों बच्चे अभी भी हैं। ऐसे बच्चे जो यह नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, अक्सर गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने को मजबूर होते हैं। यह एक दयनीय एवं असहाय अवस्था है। समाज में उनके प्रति चिंता होनी चाहिये और उनसे दयाभाव व उदार तरीके से निपटा जाना चाहिए। उनके जीवन पर पारिवारिक परिस्थितियों का ही नहीं बल्कि समाज के प्रभाव का भी असर होता है।

वाद-विवाद में भाग लेते हुए, हमारी सभापति महोदया ने उदाहरण देकर बताया था कि हवालात और थानों में बच्चों के साथ कैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। ऐसे बच्चों को अभी भी उबारा जा सकता है और उन्हें बेहतर नागरिक तथा भविष्य के नेता बनाने के लिए सुधारा जा सकता है। परन्तु यदि इन बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता तथा बच्चों से संवेदनशील रूप में व्यवहार करने का कोई प्रशिक्षण पुलिसे बल को नहीं दिया जाता। इस विधेयक बच्चों के साथ न्याय अर्थात् किशोरों को थाने और नियमित कारागार में ले जाये जाने के संबंध में न्याय किया जाएगा। देश के भविष्य के नागरिकों के प्रति सरकार

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

द्वारा दिखायी गयी चिंता की मैं प्रशंसा करता हूं। परन्तु क्या हमने पुलिस और समाज द्वारा इन बच्चों के साथ किये जाने वाले व्यवहार में कुछ परिवर्तन किया है?

मेरे शहर मदुरै में, मैंने हाल ही में घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत एक नौ वर्ष की बच्ची की दुर्दशा देखी। घर के मालिक ने एक दिन घर से कुछ गहने गायब पाये तो लड़की पर चोर होने का संदेह व्यक्त करते हुए पुलिस में शिकायत की। जब यह बात मुझे बतायी गई तो मैं लड़की की हालत देखने गया, मैंने पाया कि लड़की के हाथ और पैरों की उंगलियों की हालत खराब थी और उनसे खून निकल रहा था। उसकी उगंलियों पर डंडे से प्रहार किया गया था कि वह अपराध स्वीकार कर ले, जो कि उसने नहीं किया। उसे पांच दिनों तक थाने में रखा गया था और मैंने उस दयनीय हालत में उसे देखा। किशोरों को पुलिस स्टेशन जहां कि असत्य और क्रूर मानसिकता वाले व्यक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है ले जाने से बचाने के लिए ऐसा विधेयक लाना बहुत ही सुसंगत है।

इस विधेयक में ऐसे बच्चों, जिन्हें बाल कल्याण समिति या जांच बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, की पहचान बताने से मीडिया पर रोक लगाना है। दोषी मीडिया पर लगाये गए दंड को 1000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की माननीय मंत्री जी द्वारा पहल करने हेतु मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ऐसे समय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि संबंधित बच्चों के हितों की रक्षा हेतु वे इस प्रावधान को स्पष्ट करें। इसको भली-भांति परिभाषित करने की आवश्यकता है।

सायं 7.00 बजे

यहां तक कि राष्ट्र के कल्याण के उद्देश्य से दिया गया प्रधानमंत्री महोदय का भाषण भी समाचारपत्र के प्रथम पृष्ठ पर नहीं छपता। साधारणतया सनसनीखेज कहानियां जैसे प्रेम, अपराध आदि मीडिया की प्राथमिकता बन रही हैं। साक्षात्कार लेकर प्रसन्नतापूर्वक उसका प्रकाशन किया जाता है। 25,000 रुपये का यह दंड भी उनके लिए बड़ा नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि उन पर रोक लगाए जाने के लिए यह प्रतिबंध का एक प्रावधान है परन्तु वास्तव में इसे किस प्रकार रोका जाए यह अभी देखा जाना है। मीडिया में सनसनीखेज सुर्खों की प्रवृति बढ़ रही है अत: हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

जहां तक ऐसे किशोर अपराधियों को गोद लेने का संबंध है, यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। बिना बच्चों वाले अभिभावकों या एकल अभिभावकों के अभाव में उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त संस्थानों को भी दिया जा सकता है। इस संबंध में बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे इस बारे में आशंका है और 'उपयुक्त' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। हम सभी संदिग्ध व्यक्तियों और कभी-कभी निर्दयी विदेशियों द्वारा गोद लिए गए बच्चों से संबंधित भयंकर कहानियों से अवगत हैं। तमिलनाडु में सुनामी आपदा के समय भी ऐसी बेसहारा लड़कियों को व्यक्तियों और संस्थानों, विशेषकर विदेशियों के, द्वारा गोद लिया जाना था। परन्तु सुने हुए पर्याप्त बुरे अनुभवों के आधार पर इसे रोक दिया गया। कुछ संदिग्ध ऐजेंसियों द्वारा गोद लिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे बालकों का क्रूरतापूर्ण शोषण किया जाता है।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन किशोर अपराधियों के लिए बनाये गए विद्यालयों या देखरेख गृहों में इनकी देखभाल और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हो। ऐसे देखरेख गृहों के कार्यकरण तथा वहां इन किशोर अपराधियों के हालात देखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र होना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल सावधानीपूर्वक तथा जिम्मेदारी से की जानी चाहिए। अत: प्रत्येक जिले में निगरानी समितियां बनायी जानी चाहिए। जब यह संशोधन विधेयक पारित हो रहा है तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इन किशोर अपराधियों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। इन असहाय किशोर अपराधियों के हितों की सुरक्षा तथा इनके कल्याण हेतु इस संशोधित अधिनियम के सभी प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. मोहन : महोदया, मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। ऐसे देखरेख गृहों के कार्यकरण की निगरानी करने वाली समितियों में सेवानिवृत न्यायधीशों, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, मनोचिकित्सकों और बाल विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक जिले में ऐसी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। मेरे साथी श्री चौधरी ने सुझाव दिया है कि किशोर अपराधियों के लिए पृथक न्यायपालिका होनी चाहिए। मैं इस बात पर आपसे पूरी तरह सहमत हूं। 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चों को बोर्ड या इस विधान में किये गए प्रावधान के अनुसार गठित बाल कल्याण समिति के समक्ष

प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। हम सब जानते हैं कि इस कानून का अधिकांशत: उल्लंघन ही होता है। यह एक सामान्य सी बात बन गयी है कि 72 घंटे से अधिक समय बंदी बनाकर रखे गये लोगों को न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे तभी पकड़ा गया हो। कानून लागू कराने वाली एजेंसियों द्वारा नियमों को तोड़ा-मरोड़ा जाता है और कानून का उल्लंघन किया जाता है और यह कोई असामान्य बात नहीं है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु त्वरित न्यायिक मुकदमा चलाने और उनके शीघ्र निपटान हेतु एक पृथक न्यायिक मंच बनाया जाना चाहिए। यही मेरा विनम्र सुझाव है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान 18 से 21 वर्ष के बच्चों के मामलों के निपटाने के निराशाजनक क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। इस अवधि के दौरान वे व्यस्क बन जाते हैं और उन्हें व्यस्क अपराधियों की श्रेणी में लिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम आयु के युवा किशोरों के लिए बोस्टल विद्यालय हैं। इस समय वे पूरी तरह व्यस्क पुरुष या महिला भी नहीं होते परन्तु उनकी बाल अवस्था भी नहीं रहती। मैं सरकार से इस अवस्था में यानि इस आयु समूह के किशोरों के कल्याण हेतु कुशल न्यायिक प्रणाली के रूप में कोई उपयुक्त कल्याणकारी उपाय किये जाने का आग्रह करता हूं। इस आशा के साथ कि सरकार इस पहलू का भी अध्ययन करेगी, मैं अपनी पार्टी भाकपा (मा) की तरफ से इसी अपील कि साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बात सत्य है कि हम लोग हमेशा अपने भाषणों में यही कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। जैसा इस विधेयक में प्रावधान किया गया है, यह बात सत्य हे कि 1897 में अंग्रेजों ने एक कानून बाल अपराधियों के लिए सुधार गृह बनाने की शुरूआत की थी। यही नहीं, अब तक 11 राज्यों और कई केन्द्रशासित प्रदेशों में केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन एक्ट लागू है, जिसमें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, उड़ीसा राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं।

मानवाधिकार आयोग ने अन्य राज्यों में भी ऐसे अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। आज देखा जाए तो पूरे समाज में आर्थिक परिस्थितियां, बुरी संगत और नशे की लत बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जिक्र है कि जम्मू-कश्मीर में यह अधिनियम लागू ही नहीं है, जबकि वहां इसकी बहुत आवश्यकता है। इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश की राजधानी में भी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यहां 20 से ज्यादा ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जिनमें बच्चे ज्यादा हैं। उसमें ज्यादातर बंगलादेश, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ दक्षिण भारत के बच्चे भी शामिल हैं।

जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो सफर करते हुए देखते हैं कि ज्यादातर ढाबों में, चाय की दुकानों में छोटे-छोटे बच्चे कप-प्लेट्स धोकर अपना पेट पालते हैं। उनकी भी यह मजबूरी है, क्योंकि अगर वे ऐसा न करें तो उनका परिवार नहीं चल सकता। उनके घरों में बूढ़े मां-बाप हैं, बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी भी उन पर है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि स्लम बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों में यह समस्या अधिक है। इसका कुप्रभाव सबसे ज्यादा हमारी आजकल की फिल्म्स डालती हैं। आजकल ऐसी फिल्म्स बन रही हैं, जो बाल अपराध को बढ़ावा देने वाली हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी तमाम फिल्में जो बाल अपराध और यौन शोषण को बढ़ावा देने वाली हैं, उन्हें सेंसर किया जाए।

मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि आजकल बच्चे मोबाइल फोन्स की चोरी भी करने लगे हैं। आप शापिंग के लिए जाएं या सब्जी आदि लेने जाएं तो शापिंग सेंटर्स में मोबाइल फोन्स, पर्स और पैसे चुराने के अपराध में लिप्त मिलेंगे।

जहां तक बाल संरक्षण गृहों और जेलों की हालत की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे संचालित किया जाता है। मुझे 1988 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने देखा कि वहां बाल सुधार गृहों और जेलों की हालत बहुत खराब है। जिस कमरे में बच्चे रहते हैं, वहां की हालत तो अत्यंत दयनीय है। बच्चों को खाना भी नहीं मिलता और न ही उनके लिए शिक्षा का कोई प्रबंध है, जबकि इसका प्रावधान सरकार ने किया है। मेरा सुझाव है कि इस तरह के बाल सुधार गृहों या जेलों की देखभाल के लिए ऐसी एनजीओज की एक समिति बनाई जाए, जो इस तरह

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

का काम करती हैं। वह समिति समय-समय पर जाकर वहां देखे कि क्या हालत है और वास्तव में सरकार द्वारा भेजी गई मदद और सुविधा बच्चों को मिल रही है या नहीं।

सभापति महोदया, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें आंकड़े दिए गए थे कि प्रति वर्ष पूरे देश में 36,000 गिरफ्तारियां नाबलिगों की होती हैं, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। ये आंकड़े पूरे देश के हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मैं अभी देख रहा था कि जहां तक उनकी जमानत का संबंध है तो उस पर भी संकट रहता है। अभी हाईकोर्ट कोलकाता ने एक आदेश पारित किया कि किसी भी बच्चे को तीन वर्ष से ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा आदेश हाईकोर्ट का हुआ और इसे सरकार को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, आपने अपने भाषण में सही कहा था कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको आप जैसा स्वरूप देना चाहें, वैसा दे सकते हैं। यह बात सत्य है कि अगर हम ज्यादा दिन तक उनको जेल में रखेंगे. ..*(व्यवधान)* आज लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी के कारण यह समस्या बालकों के सामने आती है। वर्ष 1974 में भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की घोषणा की थी। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल परिषद् की स्थापना की गयी थी।

बाल अपराधी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहा जाए तो अच्छा होगा। आज भी करोड़ों बच्चे श्रमिक बनने के लिए मजबूर हैं। बाल श्रम उन्मूलन कानून कड़ाई से लागू होना चाहिए। जो भी इस तरह के बच्चे हैं वे बाल श्रमिक के रूप में न हों, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए हमें विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी। जो बच्चे वयस्क हो जाते हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, तभी इस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकारी संरक्षण में पलने वाले बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें। जब ये बच्चे वयस्क हो जाएं तो उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे।

उपेक्षित बालकों में सबसे ज्यादा संख्या भिखारियों की है। आज तमाम ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं और बच्चों का जो बॉस होता है, शाम को ये बच्चे उसके पास पैसा जमा करते हैं।

सायं 7.12 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इस तरह भिखारी बनाने के गिरोह हैं जिनको पकड़ने और सजा देने की जरूरत है। दिल्ली, मिजोरम, हिमाचल, कर्नाटक और हरियाणा को छोड़कर ऐसे गिरोहों की निगरानी के लिए कहीं कोई समिति नहीं बनी है, जबकि ऐसा हर राज्य में होना चाहिए। इन चंद सुझावों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार शिक्षा विधेयक में किशोर न्याय विधेयक, जेजे एक्ट-2000 और समसामयिक कानून के अंतर्गत परिभाषित 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए उचित प्रावधान करे और साथ ही साथ 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण एवं पूर्व प्राथमिक ईसीसीई के अंतर्गत 14 से 18 साल के बच्चों के लिए रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए उपयुक्त व अनिवार्य संसाधन मुहैया कराने के लिए सरकार प्रावधान करे और उन प्रावधानों के लिए एक विधेयक होना चाहिए, तभी जाकर हम इन समस्याओं से निजात पा सकेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान करूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं सायं 7.48 तक यह चर्चा समाप्त करना चाहता हूं। सायं 7.48 मे चर्चा का उत्तर दिया जाएगा। अत: सभी माननीय सदस्य दो तीन मिनट ही बोलें। मेरे पास करीब 12 सदस्यों की सूची है, जिन्हें इस चर्चा में भाग लेना है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह मानवतावादी और मानवाधिकार की भावनाओं से ओत-प्रोत पहल यूपीए सरकार ने की है। इस संशोधन के माध्यम से अनवरत कानून सुधार की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक अहम कदम इस संशोधन के माध्यम से हमारी सरकार ला रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी को धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्कलूजन आफ चाइल्ड बैगर

जिसको आपने इसमें रखा है, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठित अपराधियों द्वारा छोटे-छोटे बच्चों को इस्तेमाल किए जाने की बहुत लम्बी परम्परा रही हे और हाल के दिनों में बहुत सारी अमानवीय घटनाएं होने लगी थीं। उन्हें रोकने के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जैसा मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि 18 से 21 साल के युवकों को भी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें सुधरने का मौका मिल सके और भारत के निर्माण में वे सक्रिय भूमिका निभा सकें। वर्ष 2004 की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 11 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा सका है। मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जाए, इस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। अपराध करने से बच्चों को रोकने के लिए विभाग के द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसका भी प्रावधान यदि संभव हो तो इस संशोधन विधेयक के माध्यम से किया जाए। कच्ची उम्र से वयस्क होते बच्चों पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। उस वातावरण के लिए कुछ प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए। यदि गार्जिएन या आस-पास रहने वाले लोगों की गलत आदतें उन पर कुप्रभाव डालती हैं तो ऐसी जगहों और ऐसे वातावरण को बेहतर बनाने का संबंधित एक्ट में प्रावधान होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

जो अनाथालय या सुधारगृह हैं, उनके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और हम आए दिन देखते और चुनते रहते हैं कि जो रक्षक हैं, वे भक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। लाख प्रयास के बावजूद भी हमारी सरकार या जो पहले की सरकारें थीं, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों में इस तरह का प्रावधान नहीं था, इसलिए एक फासीवादी प्रवृत्ति उन लोगों की होती है, एक डिक्टेटर जैसी टैंडेंसी उनकी होती है और सारे नियम कायदे रहने के बाद भी चाइल्ड एब्यूज ऐसे केन्द्रों पर हो रहा है और बड़ी संख्या में हो रहा है। इस पर कैसे काबू पाएं, इसे कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। इसमें अच्छे एनजीओज को लगाने की आवश्यकता है। मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत हूं कि संगठित अपराधी बच्चों का सहारा लेकर बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इस समस्या को जड़ से मिटाने की जरूरत है। सबसे पहले रूट को काटने की जरूरत है, केवल स्टैम को काटने से कुछ नहीं होगा, रूट को लोकेट करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस संशोधन के माध्यम से फास्ट ट्रैक जस्टिस की आवश्यकता है। लम्बे समय से इस पर बहस होती चली आ रही है, लेकिन यह आवश्यकता पूरी नहीं की जा रही है। मैं नहीं समझता कि इसे पूरा न किया जा सके। इसे प्रोविजन और एटपार किया जाए ताकि जिन बच्चों को सुधारने के लिए हम सुधार गृह में रखने जा रहे हैं, वे पांच साल इंतजार करके और बिगड़ सकते हैं, इस बात की चिंता भी हमें होनी चाहिए। बच्चों को पुलिस कस्टडी में नहीं रखने का प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किया गया है, जो बहुत सराहनीय कदम है। आपने व्यावहारिक पक्ष का गहनता से अध्ययन किया है कि पुलिस कस्टडी में बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता हे, वह बिलकुल ही निंदनीय व्यवहार होता है। उस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। सुधार गृह, विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र अच्छे वातावरण में बच्चों के विकास के केंद्र होने चाहिए। उसके लिए एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। वेलफेयर स्टेट में जितनी वैलफेयर एप्रोच हो सकती है, उसे एडाप्ट करनी चाहिए। उनको अपनी लाइफ एनजॉय करने का और सुधरने के लिए ऑपर्च्यूनिटी पाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस अमैंडमैंट बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस चर्चा में द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में हरियाणा के एक गांव में जब एक चार वर्षीय बालक एक गहरे गड्ढे में गिर गया तो उस बच्चे की, उसके माता-पिता की और उस गांव के लोगों की मानसिक पीड़ा को विभिन्न टी.वी. चैनलों पर दिखाया गया जिससे पूरे देश का ध्यान इसी घटना की ओर आकर्षित हुआ। उस बच्चे को तत्काल सहायता उपलब्ध करायी गई। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन के नेतृत्व और सं.प्र.ग. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन वाली सरकार ने इस घटना के मानवीय पक्ष को समझकर तुरन्त इस ओर कार्यवाही की। दमकल वाहनों के अलावा सेना के कुशल कर्मियों को इस बच्चे को बचाने के लिए भेजा गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनियां गांधी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री डा. कलैनार करुणानिधि

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ई.जी. सुगावनम]

द्वारा सरकार की इस संबंध में की गई सराहना और उनकी शुभकामनाओं को भी यहां व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस अधिनियम में सुझाए गए संशोधन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि इसकी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को थोड़ा शिथिल करने का प्रस्ताव किया गया है। बंद बाल किशोर की पहचान गुप्त रखने का विचार उत्तम है, लेकिन, मेरा यह भी प्रस्ताव है कि बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा कोई भी जांच गोपनीय रूप से की जाए। इसके अलावा, किशोर बंदी की पहचान की गोपनीयता भंग करने के लिए जो शास्ति रखी गयी है काफी कम है, और कई अखबार व मीडिया नेटवर्क इसका बेजा फायदा उठाकर, किशोर बंदी का प्रचार करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। यह भी प्रस्तावित है कि किसी भी किशोर बंदी को, बिना समय गांवाएं, 24 घंटे के भीतर जांच समिति के समक्ष पेश किया जाए और इस कालावधि में यात्रा में लगने वाले आवश्यक समय को शामिल नहीं किया जाए। लेकिन मेरा सुझाव है कि 24 घंटे का समय भी काफी है और किशोर बंदी को समिति के समक्ष तत्काल पेश करने के प्रयास किए जाएं; यात्रा के प्रबंध भी बिना समय गंवाए किए जाएं।

महोदय, इस अवसर पर मैं ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए बनाए गए बालगृहों या आश्रयालयों में अपर्याप्त सुविधाओं का भी जिक्र करना चाहता हूं। आपको पता ही होगा कि कई बच्चे इन बालगृहों से भाग जाते हैं और ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे के कुछ कारण हैं : वहां के कर्मचारियों द्वारा इन बच्चों की अपर्याप्त परिचर्या और शिक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण की अपर्याप्त सुविधाएं। जब इन बच्चों की देखभाल करने के लिए कर्मचारियों को यह पता लगता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनका व्यवहार बदल जाता है और फिर वे उसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं करते, उन्हें डांटते-फटकारते और उससे दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे बच्चों के यौन-शोषण की घटनाएं भी आम हैं। मेरी मांग है कि पुनर्वास-गृह या आश्रयालय से बाहर निकलकर बच्चा सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य और सुचरित्र के साथ इस देश का एक अच्छा नागरिक बने, ऐसा प्रबंध किया जाए। और फिर वह पुन:अपराधी न बने या असामाजिक व अपराधिक गतिविधियों की ओर उन्मुख न हो। नि:संदेह, राज्य सरकारें इस ओर पूरा-पूरा प्रयास कर रही हैं लेकिन अपर्याप्त धनराशि के अभाव में वे इन बालगृहों के सुचारू संचालन के लिए कोई बृहत् योजना चलाने की स्थिति में नहीं हैं। वस्तुत: मैं तो केंद्र सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह इन बालगृहों के आधुनिकीकरण के लिए संपूर्ण धनराशि का खर्च स्वयं वहन करे और राज्य सरकार के अंश की अपेक्षा न करे। बेशक, इसमें केंद्र सरकार का योगदान केवल उन्हीं वास्तविक बालगृहों की सहायता तक ही सीमित हो जिनकी संस्तुति राज्य सरकारें करें।

एक अन्य प्रस्ताव बाल-अपराधियों का नि:संतान दम्पतियों, एकल अभिभावकों और अन्य भारतीय नागरिकों द्वारा दत्तक-ग्रहण के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा दत्तक संतान-ग्रहण की जो प्रक्रिया नियत की गई है वह सामान्य बच्चे के ग्रहण के मामले में भी बड़ी जटिल है और यदि इस प्रकार के बच्चों—जिसकी हम बात कर रहे हैं—के लिए प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं में ढील न दी जाय तो मुझे शंका है कि वे शायद ही कभी दत्तक के रूप में गृहीत होंगे। और यदि इन बच्चों को पारिवारिक वातावरण न मिल सके तो पक्की बात है कि वे पुन: असामाजिक गतिविधियों में पड़ जाएंगे। अत:, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम इस विशिष्ट कोटि के बच्चों के लिए प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं में ढील दी जाए ताकि वे सहज भाव से दत्तक के रूप में अंगीकृत हो सकें। इस वास्ते नियमों में संशोधन होना चाहिए।

मैं उस प्रस्ताव का भी स्वागत करता हूं जिसमें किशोर बंदी को परीक्षा, घर में किसी की शादी आदि खास मौकों पर छुट्टी देने की बात की गई है। मैं यह भी मांग करता हूं कि ऐसे बच्चों को परीक्षा, शादी आदि के अवसर पर उदार भाव से छुट्टी दी ही जाए, साथ ही उन्हें अपने विद्यालय या परिवार में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ये बच्चे किसी प्रकार के मनोरंजन या आनंद से वंचित न हो इस वास्ते प्रमुख अवसरों पर बालगृह में ही उत्सव, स्मारोह आदि आयोजित हों, फिल्मों या अन्य मनोरंजन सामग्री का प्रदर्शन हो और खेल-कूद की सुविधा मिले। इन बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच भी हो।

महोदय, तमिलनाडु में यहां के मुख्यमंत्री डा. कलैग्नार करूणानिधि के अग्रणी नेतृत्व में सभी स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मध्याह्न भोजन, नि:शुल्क शिक्षा, वर्दी तथा पाठ्यपुस्तकों आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब वहां हफ्ते में दो बार पौष्टिक अण्डा भी बच्चों को दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चे सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उच्चतर व तकनीकी शिक्षा संस्थानों में वरीयता दी जा रही है। साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि बच्चे को अच्छी शिक्षा व सुविधाएं मिलेंगी तो उनका

मन असामाजिक या आपराधिक गतिविधि की ओर नहीं जाएगा और वे एक अच्छे छात्र और देश के सच्चरित्र नागरिक के रूप में विकसित होंगे। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अन्य सभी राज्य सरकारें भी इस हेतु तमिलनाडु का अनुसरण करें और केंद्र सरकार उनके प्रयासों में उदारतापूर्वक सहायता करे।

इन शब्दों के साथ, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि बच्चे हमारी अमूल्य संपत्ति हैं और हमें उन पर नाज है। हमारा सपना सन् 2020 तक भारत को एक महाशक्ति बनाने का है। इस बात को ध्यान में रखकर ही माननीय मंत्रीजी ने यह प्रगतिमूलक विधेयक पुर:स्थापित किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2006 को और अधिक मानवतापूर्ण और बच्चों के अनुकूल बनाने के आशय से इस विधेयक में संशोधन करना चाहती है। संशोधन का उद्देश्य विद्यमान अधिनियम की खामियों को दूर करके बच्चों को अपराध की प्रवृत्ति से रोकना है।

आज हम देख रहे हैं कि अपराधों की उत्पत्ति के साथ ही आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे देश में सनसनी फैल रही है। यह देखा गया है कि धनी परिवारों के बच्चे इस तरह के अपराध में अधिक संलग्न हैं जिस के फलस्वरूप वे हत्या, चोरी जैसी हिसंक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

इस संबंध में सर्वप्रथम विधेयक 1996 में लाया गया था और फिर वर्ष 2002 में इसमें संशोधित किया गया। इस संशोधन के पीछे सोच यह थी कि बच्चों की मानसिकता सुधार कर उन्हें आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होने से बचाया जाए।

मैं स्वयं अभियोजन-न्यायालय में वकील रहा हूं और इस तरह के मामलों के अपने अनुभव के आधार पर आपको एक उदाहरण देता हूं। हत्या के एक मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोप में नौवीं कक्षा की एक किशोरी को भा.द.सं. की धारा 302/301 के तहत गिरफ्तार किया गया।

उसका मुकदमा किशोर बंदी न्यायालय में था और लगभग पांच वर्ष तक चला। इसलिए इस संबंध में मेरा विनम्र सुझाव यह है कि जब तक इस अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं होगा। तब तक किशोर बंदियों की दशा में कोई सुधार नहीं होगा और न ही देश की जनता को न्याय मिलेगा।

आजकल यह देखा जा रहा है कि बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, उन्हें अपहृत किया जाता है और उनके गुर्दे निकालकर बेचने तक की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। उन्हें जेबकतरी के धंधे में लगाया जाता है। उड़ीसा की एक प्रमुख समाज-सुधारक, श्रीमती रमादेवी ने इस संबंध में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारी निधि हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज सुधारकों को सभी सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

जैसाकि मैंने देखा कि इस अधिनियम में कुछ बेहतर उपंबध किए गए हैं जैसे – किशोर बंदी को गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर ही किशोर न्यायालय में पेश करना, उसकी आयु को आवश्यक रूप से संबंधित रजिस्टर में दर्ज करना क्योंकि पेश किए जाते समय आयु का निर्धारण फिर ठीक-ठीक संभव नहीं हो पाता।

मैं इस विषय में माननीय मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जन्म रजिस्टर एक लोक अभिलेख है जिसके आधार पर किशोर बंदी की आयु ठीक-ठीक पता लगा सकती है। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य लेने का सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यायालय जन्म-रजिस्टर को लोक-अभिलेख होने के कारण स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा, माननीय मंत्री जी द्वारा किए गए एक सक्रिय कदम का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा जो किशोर बंदी को उसके परिवार से मिलने की अनुमति देने के बारे में है। इसके कई पक्ष हैं जिनमें किशोर बंदी की परीक्षा, परिवार में विवाहादि या किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा माता-पिता की रूग्णावस्था की दशा में अथवा किसी अन्य आपात्-स्थिति में उसे एक अवधि के लिए छूट देने की बात है। इससे किशोर बंदियों की मानसिकता में निसंदेह काफी परिवर्तन होगा और वे सामाजिक व्यवस्था की धारा से जुड़ सकेंगे।

मैं आपके विचारार्थ कुछ और बातें रखना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं, बस एक दो।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : किशोर बंदियों के मसले निपटाने के लिए पुलिस-एजेंसियों को स्वतंत्र एजेंसी बनाया जाए और इस हेतु उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। सामान्यत: यह देखा गया है कि जब कोई किशोर

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

किसी मामले में फंसता है तो उसे कोर्ट भेजते समय पुलिस अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उसकी आयु 20-21 साल बता देती है, जबकि वह नाबालिग होता है।

जब तक उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक निर्दोष किशोरों को गंभीर प्रकृति के अपराधों में फंसाने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मुकदमे का निपटारा समयबद्ध अवधि में किया जाना चाहिए। धारा 14 में यह प्रावधान किया गया है कि जांच चार महीनों में पूरी की जानी चाहिए। व्यावहारिक रूप से इसे कभी भी लागू नहीं किया जाता है और न ही इस आशय से कभी ऐसा किया जाता है।

तीसरे, बाल गृहों में बच्चों की देखभाल और निरीक्षण किसी सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए। अन्यथा, यह देखा गया है कि अपने प्रवास उक्त अवधि के दौरान वे यौनाचार जैसे अन्य दुराचारों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से अपील करता हूं कि जब तक पूर्णरूपेण कोई सामाजिक उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक अधिनियम का कार्यान्वयन फलदायक नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्रीजी को यह प्रगतिशील विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप पेशेवर वकील हैं।

श्री पी. रविन्द्रन कृपया केवल मुद्दों की ही चर्चा करें।

*श्री पन्नियन रवीन्द्रन (तिरुवनन्तपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 का स्वागत करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाना ही काफी नहीं है बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधेयक में किए गए संशोधनों को सही प्रकार से लागू किया जाए।

बच्चों के बारे में हम काफी बातें करते हैं, हम उनके कल्याण के बारे में भी काफी बातें करते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को उनके बच्चों के प्रति प्यार के लिए याद किया जाता है। परन्तु हम अपने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में ऐसी एजेंसियां हैं जो बच्चों को भीख मांगने तथा प्रतिदिन के हिसाब से पैसा एकत्र करने के लिए प्रयोग करती हैं। इस प्रकार की एजेंसियां इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। जब हम इस कानून को अधिनियमित करें तो हमारी यह चिंता होनी चाहिए कि हम बच्चों को किस तरह प्रभावी ढंग से सुधार सकते हैं और उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं।

हमने किशोरों के लिए जेलें बनायी हैं। यदि कोई किशोर किसी अपराध में इन जेलों में जाता है तो वह पक्का अपराधी बन कर बाहर निकलता है। देश में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे किशोर अपराधियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। आज हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किशोर अपराधियों के लिए बनी जेलों में भी उन्हें नशीली दवाइयां मिल जाती हैं। यहां तक की बच्चों को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में प्रयोग किया जाता है। उन्हें देह व्यापार के कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है।

ऐसी कई एजेंसियां हैं जो ऐसी घृणात्मक गतिविधियों में संलिप्त होती हैं। ऐसी एजेंसियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंड देने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। ये एजेंसियां काफी शक्तिशाली हैं। जब इस विधेयक को जब अन्तिम रूप से अधिनियमित किया जाए तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों की आवश्यकता होगी कि इस विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में इसे लागू किए जाने के लिए कार्यान्वयन समिति का पहले ही उल्लेख किया है। ये समितियां नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए। इन कार्यान्वयन समितियों को समय-समय पर किशोर अपराधियों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच और आंकलन करना चाहिए।

हमने उन लोगों पर जुर्माना लगाया है जो किशोर अपराधियों के नाम अथवा उनके फोटोग्राफ का प्रचार करते हैं। इन बाल सुधार गृहों में ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो इन किशोरों की अनदेखी करते हैं और उन्हें अवैध कार्य करने के लिए उकसाते हैं। ऐसे

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अधिकारियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

यदि हम विधेयक में किए गए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करें तो हम बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए बाल सुधार गृहों में आने वाले बच्चों को अध्ययन, मनोरंजन और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। प्रत्येक बाल सुधार गृह में एक मनोरोग चिकित्सक होना चाहिए।

बाल सुधार गृह में होने वाली गतिविधियां विभिन्न बच्चों के मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, जिसमें हमारे समाज में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है। विधेयक में सम्मिलित परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के अतिरिक्त, पूरे शासन तंत्र को इसमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है कि मंत्री महोदय अकेले यह कार्य नहीं कर सकते हैं।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी वे खुद महिला हैं और जब सदन में बच्चों से संबंधित विधेयक में संशोधन लाई हैं, तो बड़ी बारीकी से उन्होंने कोशिश की है कि ऐसे संशोधन किए जाएं ताकि बच्चे ठीक से रह पाएं।

महोदय, हम सभी बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वे रस्मी तौर पर साबित होती हैं। अगर सच में हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी संवारना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि जब उनके खेलने-कूदने की उम्र होती है, तब वे कैसे अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं और क्यों गैर-कानूनी काम करने पर विवश हो जाते हैं।

बाल अपराध भारतीय समाज की ऐसी हकीकत है जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। देश में प्रति वर्ष 36000 नाबालिग विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किये जाते हैं। कोई भी इंसान जन्मजात अपराधी नहीं होता, उसे पारिवारिक कलह, परिवार में विषम परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां अपराधी बना देती हैं। कई बार अगर बच्चे के साथ घर में दुर्व्यवहार होता है, उनकी उपेक्षा होती है तो वे घर छोड़ कर भाग जाते हैं और अपराधियों के चंगुल में फंस कर बड़े अपराधी बन जाते हैं। यह भी देखने में आया है कि समाज में जो अच्छी छवि वाले लोग हैं, उनके कारनामे जब जनता और समाज के सामने आए तो पता लगा कि वे इतने क्रूर हैं कि बच्चों के हाथ-पैर काट कर उन्हें भिखारी बनाने का काम कर रहे थे और चंद पैसों के लिए उन्हें बर्बाद कर रहे थे।

उपाध्यक्ष जी, मैं थोड़े से संशोधन की बात कहना चाहूंगी। मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में सुधार गृह हैं। यहां 18 साल की बात कही गई है, परन्तु किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा-2 में किशोर की परिभाषा के अंतर्गत 18 वर्ष तक के किशोर या बालक को परिभाषित किया गया है। पूर्व किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में किशोर की आयु 16 वर्ष तथा किशोरी की आयु 18 वर्ष निर्धारित थी, चूंकि सर्वाधिक अपराध 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के किशोरों द्वारा किए जाते हैं, जो अत्यंत जघन्य प्रकार के होते हैं। नवीन अधिनियम के तहत ऐसे किशोरों को राहत मिल जाती है तथा वे वयस्क होने तक आदतन अपराधी हो जाते हैं। इसलिए या तो 18 वर्ष से कम आयु की जाए या फिर जो 16 वर्ष से बड़े किशोर हैं, उन्हें अलग रखा जाए, क्योंकि जो 18 साल के लड़के होते हैं, वयस्क होते हैं, उनसे छोटी उम्र के जो बच्चे उनके साथ सुधार गृह में होते हैं, वे उनकी आदतों को खराब करते हैं। वे खुद उद्दंड हो जाते हैं और उनको संभालना वहां के लोगों के लिए कठिन काम हो जाता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 में दत्तक ग्रहण का प्रावधान किया गया है, परन्तु गोद लेने वाले माता-पिता की चल-अचल सम्पत्ति में गोद लिए बालक को उनकी सम्पत्ति हस्तांतरण संबंधी कोई विधि का उल्लेख नहीं है, जब कि हिन्दू एडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट में सम्पत्ति हस्तांतरण का प्रावधान उपलब्ध है। इस कारण लोग किशोर न्याय अधिनियम के स्थान पर हिन्दू एडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट के तहत बच्चा गोद लेने को प्राथमिकता देते हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 42 में पोषण, देख-रेख एवं धारा 43 में प्रवेतकता के प्रावधानों को और विस्तृत किया जाना आवश्यक था, वैसे भी यह कंसैप्ट इस देश के मान से नवीन है तथा इस पर काफी कार्य किया जाना है। माननीय मंत्री जी, आवारागर्दी के लिए छोटे-छोटे नाबालिग बच्चों को सजा देने की बजाए शासन का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसा होने से रोके, उनका पुनर्वास करे और नाबालिग बच्चों को, उनकी वृद्धि और प्रतिभा के विकास

[श्रीमती नीता पटैरिया]

के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएं। हिरासत के दौरान बच्चों के बुनियादी अधिकारों का कई बार उल्लंघन होता है, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है और उन्हें बुनियादी चिकित्सा से भी वंचित रहना पड़ता है। उनके रहने-सहन की परिस्थितियां अमानवीय होती हैं, उन्हें अपर्याप्त भोजन मिलता है, गंदे बिस्तर मिलते हैं। आपके जो नियम बने हैं, हमारी जो सार्थक गतिविधियां हैं, ऐसे कार्यक्रमों का ये सभी बालक लाभ उठा सकें, इसकी गारंटी होनी चाहिए ताकि वे फिर से आत्म सम्मान सहित अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

देश में जितने भी किशोरों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनके हिसाब से किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों की संख्या काफी कम है। इसलिए इनके लिए बजट तय किए जाएं और हर राज्य में इसका सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो। निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समितियां बनाई जाएं। हिरासत में रखे किसी बच्चे को जबरन मजदूरी की सजा न सुनाई जाए। स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, शिक्षा तथा बुनियादी निर्देशन की सुलभता और सुविधा से भी उन्हें वंचित न किया जाए। इनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। चाणक्य ने कहा है कि यदि हमने बच्चों को शिक्षित नहीं किया, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय नहीं खोले तो हमें फिर जेलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमारे बच्चे शिक्षित हों और वे अच्छा जीवन व्यतीत करें, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मुकदमे से पहले हिरासत में लेने से उन्हें बचाना चाहिए, यह बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों पक्षों में समझौते को प्राथमिकता दी जाए। हिरासत के दौरान हिंसा और शोषण से बचाव हो, अन्यथा बच्चों में असंतोष जन्म लेता है और बदला लेने की भावना भी जन्म लेती है तथा बच्चे को लगता है कि वह जो करता आया है, वह ठीक करता अया है। उन्हें मनोवैज्ञानिक की मदद से भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हमें अधिकतर समाचारपत्रों में पढ़ने को मिलता है देश के अनेक टी.वी. चैलनों द्वारा अपराध से संबंधित जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं उन्हें देखकर किशोरों के मन में अपराध की वृत्ति पनपती है और वे हत्या, अपराध और लूट की घटनाएं अनजाने में कर बैठते हैं। मेरी मांग है कि देश में ऐसे टी. वी. चैनलों द्वारा आपराधिक धारावाहिकों के दिखाए जाने पर रोक लगाई जाए।

महोदय, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक टी.वी. चैनलों द्वारा देश में पश्चिमी शैली का रोमांस परोसा जाता है। उसे देखकर कच्ची उम्र के बच्चों की मानसिकता विकृत होती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि स्कूलों में अपराध पनप रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि देश में जिन टी.वी. चैनलों द्वारा पश्चिमी संस्कृति का जो अश्लील रोमांस परोसा जाता है, उसे रोका जाए।

महोदय, जो किशोर बच्चे व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के शोषण के शिकार होते हैं और अपराध करते पकड़े जाते हैं, उन्हें अपराधियों की श्रेणी में न रखा जाए, बल्कि उन्हें अच्छी सेवाएं प्रदान की जाएं ताकि वे समाज में फिर से खड़े हो सकें, देश की मुख्यधारा में पुनः जुड़ सकें।

[अनुवाद]

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य समाज में सुधार लाना है। मैं इससे सहमत हूं और इसकी सराहना करता हूं। मैं माननीय मंत्री तथा स्थायी समिति के सदस्यों को बधाई देता हूं कि इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही ये संशोधन पुरःस्थापित किए गए हैं।

केन्द्र सरकार इस विधेयक को पारित करेगी परन्तु इसका लागू किया जाना पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इस विधेयक के उद्देश्यों को जब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक राज्य सरकार इसे पूरी तरह से लागू नहीं करती। सर्वप्रथम, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि जब किसी किशोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी दौरान मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किशोरों को पुलिस हिरासत के बजाय किसी स्थान पर रखने की व्यवस्था की जाए। उदाहरण के तौर पर मेरे जिले में कोई किशोर न्यायालय नहीं है। इन किशोरों को पुलिस हिरासत के अलावा किसी स्थान पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक विधेयक में ये प्रावधान नहीं किए जाते तब तक अधिनियम को समुचित ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।

दूसरे, किशोर अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी

नहीं है। जब तक लोगों में इस अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा नहीं की जाएगी तब तक समाज में इसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किशोर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम निश्चित की जाए। जब तक त्वरित न्यायालय स्थापित नहीं किए जाते तब तक इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर किसी किशोर पर 16 वर्ष कि आयु में किसी मुकदमें की कार्यवाही आरम्भ होती है और अगले छः वर्षों तक यह जारी रहती है तो मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक वह किशोर व्यस्क हो जाता है फिर इसके क्या परिणाम होंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुकदमें की कार्यवाही पूरी होने के समय उसे किशोर माना जाएगा अथवा व्यस्क माना जाएगा। जब मैं न्यायालय में वकालत कर रहा था तो ऐसा ही एक मुकदमा मेरे समक्ष आया था।

ऐसी बातें प्रकट करने वालों के लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। परन्तु इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे देश में बाल श्रम निषेध है परन्तु इसका पालन नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस विधेयक में जो भी संशोधन पुरःस्थापित किए गए हैं उन्हें समुचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 जो कि मंत्री महोदया द्वारा पेश किया गया है, उन्हें मैं साधुवाद देती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं। यह विधेयक वर्ष 2003 में लाया गया था। इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर एंड वैलफेयर मिनिस्ट्री को रैफर किया गया। उस कमेटी में काफी विचार-विमर्श के बाद यह फिर से यहां प्रस्तुत किया गया है। उसमें भी कई प्रावधानों और धाराओं में हम संशोधन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं स्थायी समिति के सदस्यों और मंत्री महोदया को धन्यवाद देती हूं।

महोदय, कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है। उसके अपराधी होने के कई कारण होते हैं, जिन्हें सुमित्रा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। इसलिए मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन दो-चार बातें जरूर कहना चाहूंगी जो घूमते-फिरते ध्यान में आती हैं। पहला है, पुलिस की हिरासत में आए बालक को पुलिस कठोर दंड देती है। इससे आगे की स्थिति का जन्म होता है। मुझे एक बात ध्यान में आती है जो एक सच्ची घटना है। एक बच्चा जो बोलने में बहुत चतुर होता है, किसी को भी अपनी बातों में डालने में चतुर होता है, ऐसा एक बच्चा जब छोटे-मोटे अपराध करने लग गया, उसे किसी ऐसे ही अपराध के तहत पुलिस हिरासत में ले गई और उसी की चतुरता का उपयोग करते हुए, पुलिसकर्मियों ने उसे अपराध के रास्ते पर डाल दिया। उसकी मां तो मर चुकी थी। उसकी दो बहनें थीं और दादा जी थे। बहनें तो अपने को प्रवीण सिद्ध कर चुकी हैं और गोल्डमेडेलिस्ट बन चुकी हैं, लेकिन दादा के ऊपर उन पुलिस वालों ने उस बच्चे के द्वारा मुकदमा चलवाया और घर को हथिया कर घर में उस बालक को जघन्य अपराध करने के लिए उकसाया। उस बच्चे को फोटो अखबार में छपा और उसी पेपर के दूसरे पन्ने पर उसकी बहनों का फोटो छपा, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उन बहनों से पूछा गया कि आपके भाई का फोटो भी अखबार में छपा है तो उन्होंने कहा कि मेरे फोटो छपने के कारण अलग हैं, क्योंकि हमें गोल्ड मेडल मिला है और भाई का फोटो छपने पर दुख और आंसुओं के सिवा हमारे पास कोई जवाब नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन बालकों को अपराधी बनाने वाली जगहों व अपराधी बनाने वाले लोगों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बिल की धारा में हमने इस तरह का प्रावधान किया है, जिसमें इंस्टीट्यूशन को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा बच्चे को अपने घर, अपने माता-पिता का प्रेम और उस पर निगरानी रखना भी जरूरी है। इस तरह का वातावरण बच्चों के लिए निहायत जरूरी है।

महोदय, इसके अलावा कुछ आपराधिक तत्वों ने यह तय किया हुआ है कि हमें बच्चों को उठाना है, उनके हाथ-पैर काटकर, उनकी आंखें फोड़ कर उन्हें ऐसा बना कर प्रस्तुत करना है ताकि उनको भीख अधिक से अधिक मिले। मैं ऐसा नहीं मानती हूं कि पुलिस ऐसे लोगों और जगहों को नहीं जानती है। हर एक थाने की पुलिस ऐसे लोगों और जगहों को जानती है, जहां ऐसे लोगों का अड्डा है। इस पर भी कहीं न कहीं विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासक यदि बच्चों के कल्याण की बात करने जा रहा है तो सभी चीजों को ध्यान में रख कर कड़े से कड़े प्रावधान करने की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है।

हमारी माननीय सदस्या श्रीमती नीता पटैरिया ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उनको अपने से संबद्ध करती हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस विधेयक के संबंध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि वे संस्थान जहां बाल अपराधियों के पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता है, धन की कमी से जूझ रहे हैं। ये संस्थान बजट में कमी से नुकसान उठा रहे हैं और संबंधित राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इन संस्थानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कैसे अधिक धन दिया जा सकता है जिससे उन्हें बाल अपराधियों की बेहतर तरीके से देखभाल करने में सक्षम बनाया जा सके।

दूसरी बात यह है कि ऐसे बाल अपराधियों के लिए हमें एक बहुत संवेदनशील पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता है। शायद, महिला पुलिस अधिकारी इन अपराधियों की बेहतर प्रबंध करेंगी। ये बाल अपराधी इन पुरुष पुलिस अधिकारियों से डर जाते हैं और इसके अलावा, चाहे हम वास्तव में उन्हें सुधारना चाहते हैं तो उनके साथ सहृदयता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी क्रम में, इन संस्थानों को बेहतर स्थितियों और जिम्मेदार पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि दोनों बातों पर गौर किया जाना चाहिए।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं एक अच्छा और न्यायपूर्ण समाज बनाने में यह दीर्घकालिक भूमिका निभाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रामकृपाल जी, आपकी पार्टी से आलोक कुमार मेहता जी को टाइम दिया गया है। आप एक-दो मिनट में कन्फाइण्ड कर सकेंगे, इस शर्त पर आपको टाइम दिया जाता है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर समय दिया।

मैडम, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, जो हमारी नींव हैं। इस देश के 30 प्रतिशत बालक नींव हैं और देश का निर्माण उन्हीं पर डिपेंड करता है। खास तौर से जिस तरह ट्रेण्ड आ रहे हैं, बच्चों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है, आर्गेनाइज्ड गैंग बच्चों के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े अपराध करा रहे हैं, कोई ड्रग का धन्धा करवा रहा है, कोई भिखारी बनाकर उनसे भीख मंगवा रहा है। पिछले दिनों स्टिंग आपरेशन हुआ, चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि स्टिंग आपरेशन के माध्यम से हाथ-पैर काट दिये जाते हैं। इस तरह से अगर बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ अन्याय हो, कोई खिलवाड़ करे तो उसे इतना अधिक आप दंडित कीजिए, उसके लिए कानून में प्रावधान कीजिए कि जो लोग आर्गेनाइज्ड रूप से बच्चों को एक्सप्लाइट करते हैं, जो आगे चलकर देश का निर्माण करेगा, इन्हीं में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डाक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वही देश का भविष्य है, हमारे देश का मूल आधार है, मगर उसकी तरफ हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिन ठीक नहीं होंगे, खास तौर पर हमारे देश में जहां गरीबी है, फटेहाली है, बेरोजगारी है, जो गांव के गरीब बच्चे हैं या शहरों में जो स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके मां-बाप तो मजबूरी में ये सब धन्धे कराने का काम करते हैं, हमें उनकी आर्थिक अवस्था को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा, इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। खैर, इसके लिए तो यू.पी.ए. सरकार कार्यक्रम चला रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में खास तौर पर शिक्षा की जो कमी है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रावधान इस बार 44 परसेंट रखा है, वह बड़ा है और इस तरफ काम हो रहा है।

मैं एक-दो सजेशंस देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि आपने कहा है कि एक-दो मिनट में खत्म करिये, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हमारे बच्चों को रखने के लिए जो बाल संरक्षण गृह होते हैं, उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वे बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने स्टेट और अपने क्षेत्र पटना की बात बता रहा हूं।...*(व्यवधान)* जहां की मुझको नोलिज है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूरे देश के बाल गृह अपटू-दि-मार्क नहीं हैं तो उनको आप अप टू दि मार्क कर दें। मैडम, इसके लिए कुछ राशि की व्यवस्था कराइये ताकि वहां मनोरंजन का भी साधन हो, शिक्षा का भी साधन हो, स्वास्थ्य का भी साधन हो। वहां आप ऐसे टीचरों की व्यवस्था कीजिए, जो गरीब बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दें। मान लीजिए बच्चे वहां से निकल कर जाते हैं, अगर वे बाहर जाएंगे तो बेकार

हो जाएंगे और 4-6 महीने या साल भर का जो उनका सजा काल है, जब अपराध साबित हो जाता है, फिर वे सजा काटेंगे ही। लेकिन उस अवधि में वे सैल्फ डिपेंडेंट हो जायें ताकि बाल गृह से जाकर कुछ काम कर सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत कारगर कदम होगा।

खास तौर पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो आजकल टी.वी. चैनलों पर जिस तरह से आ रहा है, उसका बहुत कुप्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, न केवल बच्चों पर, बल्कि बड़े लोगों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, इसे आप क्यों बन्द नहीं करवा रही हैं? आप इनको बन्द कराने का कोई ठोस उपाय तो कीजिए ताकि बच्चों पर कुप्रभाव नहीं पड़े। उसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है। इसका एक्सपेरीमेंट आपने देखा होगा कि अभी सुपरमैन आ रहा है, उसे देखकर बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं और एक बच्चा तो छत से कूद भी गया। इन सब सीरियलों पर निश्चित तौर पर स्ट्रिक्ट चैक करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए और बैन करना चाहिए, ताकि बच्चों की मानसिक स्थिति खराब नहीं हो।

मै आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि समय कम है, कभी किसी वक्त पर बाद में आपसे चर्चा कर लेंगे।

रात्रि 8.00 बजे

मैं आपके आदेश का पालन करते हुए, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जो मेरे कुछ सुझाव हैं, उनके अनुकूल कार्यरूप करिए, कानून का प्रावधान कीजिए, ताकि इसका असर हो, जो आपके मन में पीड़ा है, आप मां हैं और कई माताओं ने सदन में अपनी बात कही है। मां के मन में ज्यादा करूणा होती है और एक बाप के दिल में कम करूणा होती है। हम बाप हैं, इसलिए हमारे मन में कम करूणा हो सकती है। करूणारूपी मां वहां बैठी हुयी हैं, वे पहले मिनिस्टर थी, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया होगा, मगर वह कारगर नहीं हो सका। आप तो प्रयास करके उसे जमीन पर लाइए। ताकि आपके विचारों के अनुरूप जो आप सोचती हैं कि हम मजबूत भारत बनाएंगे, उसके लिए जो हमारा नव शिशु है, उनको निश्चित रूप से सुधार में सहयोग करके एक उत्तम भारत के निर्माण में सहायक भूमिका अदा कीजिए। मैं आपके इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय आठ बजे तक था, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी देर तक यह बिल पास न हो जाए, सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह हमारे साथ अन्याय है। आपने समय तय किया है कि हम इसके बाद जीरो आवर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सुबह हम लोगों को बताया गया कि 12 बजे आप को जीरो आवर में बोलना है।...*(व्यवधान)* यह हमारे साथ अन्याय है।...*(व्यवधान)* हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में साम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप बिल पास होने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात को सुनिए। सुबह जब मीटिंग हुयी थी, उसमें सभी पार्टी के लीडर्स शामिल थे, उसमें यह फैसला हुआ था कि 8 बजे तक सैशन डेली चलेगा, इसलिए 8 बजे तक तो यह सैशन है। आधा घंटा या एक घटा तो आगे पीछे हो ही सकता है, इसमें नयी बात नहीं है। कुछ दिनों तक 8 बजे तक सैशन डेली चलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर इसके बाद जीरो आवर होगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं आपकी इजाजत से दो सुझाव देना चाहता हूं। जो अमीर घरों के बच्चे हैं, दरम्यानें घरों के बच्चे हैं, उनके लिए सख्ती से फैसला करिए कि मोबाइल किस के पास होना चाहिए। 18 साल तक के बच्चे के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल से जो हरकतें हो रही हैं, वह बरदाश्त करने के काबिल नहीं हैं। मेरी रिक्वैस्ट हैं कि स्पेशियली स्टूडेंट्स के लिए और स्कूलों में, एक आर्डर निकालना चाहिए कि किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो, चाहे वह कितना अमीर हो, पाटे खां का पुत्र हो या बिग बेबी हो।

दूसरी बात, हमारे यहां लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उनमें से कुछ फेमिलीज तो प्रोफैशनल हो गयी हैं। लड़कियां यहां भीख मांग रही हैं, बच्चे वहां भीख मांग रहे हैं और मां किसी तीसरी जगह भीख मांग रही है। बाद में इनका ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जितने मांगने वाले लोग हैं, इन सब को एक जगह इकट्ठा कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन सा गैंग है और आप उनको जो फैसिलिटीज देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, उस तरह से दें। यह मैं सुझाव देना चाहता हूं, काइंडली उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिनमें देर शाम तक बैठने के लिए धैर्य और प्रतिबद्धता थी और जिन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और इससे भी महत्वपूर्ण उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से हम उनमें से कुछ का संज्ञान लेने वाले हैं।

अब, सबसे पहले, मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने आज यहां इस वाद-विवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मैं उस मामले के लिए उन्हें और आप सबको स्पष्ट कर देना चाहती हूं और मैं आपके द्वारा दिए गए सुझावों को एक-एक करके विचारार्थ लूंगी।

गृह मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई थी और मैं भी आधिकारिक रूप से वहां थी। जहां मैंने गृह मंत्री जी को लिखा था कि वर्तमान पुलिस के अतिरिक्त हमें कम से कम 33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी बढ़ाने चाहिए। यहां तक कि मूलभूत भारतीय दण्ड संहिता के खंडों को लागू करने के लिए भी हमारे पास पुलिस बल में पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं। उन्होंने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया और कहा कि जो कुछ वे कर सकते हैं, करेंगे।...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : यह अच्छी खबर है।

श्रीमती रेनुका चौधरी : हां, यह हम सबके लिए अच्छी खबर है।

अब, कुछ माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया था कि क्या गोद लिया जाने वाला बच्चा सुरक्षित है या नहीं। हां, दत्तक ग्रहण की नई परिभाषा सभी अधिकार गोद लिए गए बच्चे को देती है। अत: दत्तक ग्रहण में निहित है कि संपत्ति में उत्तराधिकार और हर चीज स्वत: ही आती है। जब बच्चा गोद लिया जाता है।

अब, कुछ माननीय सदस्य बाल न्यायालयों के बारे में चिंतित थे जिसे हम बाल आयोग के तहत स्थापित करने वाले हैं। हम नया आयोग बनाने वाले हैं। हमारी स्वाधीनता के बाद भारत में पहली बार एक बाल आयोग होगा। मैं ज्यादा ऐतिहासिक समय के बारे में नहीं सोच सकता, जब भारत को स्वतंत्र हुए 60 वर्ष हो रहे हैं तो हमें हमारा पहला बाल आयोग स्थापित करने जा रहे हैं जहां बच्चों से सम्बन्धित मुद्दे और स्वयं बच्चों की अलग पहचान होगी। इनकी फास्ट ट्रैक अदालतें होंगी जो बच्चों की समस्याओं से निपटेगी जिसे हम स्थापित करने जा रहे हैं।

अब, कुछ माननीय सदस्यों ने आवासीय घरों की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जैसा कि वे चिन्तित थे, एक मंत्री के रूप में मैं भी बहुत चिंतित हूं; एक नागरिक के रूप में और एक मां के रूप में भी मैं चिंतित हूं क्योंकि हम सभी हमारे घरों की हालत जानते हैं।

[हिन्दी]

कभी-कभी 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को होम्स में रखते हैं।

[अनुवाद]

हम उन्हें 18 साल से कम उम्र के युवाओं के साथ शामिल नहीं करते।

[हिन्दी]

जिनको वैसे ही अलग कर देते हैं।

सुरेन्द्र कुमार जी ने जिक्र किया था। मैं आपको बताना चाहती हूं।

[अनुवाद]

कि संशोधन में तीन वर्ष से ज्यादा होम्स में रखने के दंड का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हम तीन साल से ज्यादा किसी को किसी होम्स में नहीं रखना चाहते क्योंकि यह ठीक है कि वहां का वातावरण और माहौल बदल जाता है और उन बच्चों को बाहर जाकर दूसरी दुनिया ही देखनी पड़ती है।

[अनुवाद]

अत: हम उन्हें तीन वर्ष से ज्यादा रखते हैं और यह सिफारिश नहीं करते कि उन्हें रखा जाना चाहिए।

मैं समझती हूं, माननीय सदस्य जो अभी सदन से उठकर गए हैं, द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अब हम यह देखेंगे कि हम इन बच्चों को क्या सुविधाएं दे सकते हैं और कैसे उन्हें संरक्षित कर सकते हैं और कैसे उन्हें कार्यान्वित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

इम्पलीमैंटेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम कानून को लागू करने में हर जगह पीछे हटते है, नहीं तो आज के दिन भ्रूण हत्याएं नहीं होतीं, महिलाओं को दहेज की वजह से जलाया नहीं जाता। मगर कानून लागू कैसे करें। पहला, हमारे पुलिस थाने हमेशा व्यस्त रहते हैं; दूसरा वहां कोई पलट कर नहीं देखता, और तीसरा, दुर्भाग्य की बात है कि हर समस्या में, हर सिचुएशन में महिलाएं और बच्चे ही बलि होते हैं।

[अनुवाद]

हमारे देश में आज भी बच्चों की स्थिति सबसे दयनीय है।

[हिन्दी]

हम सब मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं, हमारी अपनी-अपनी कौन्सटीटूएंसीज हैं। मैं आपको इस बारे में चिट्ठी लिखने वाली हूं कि आपकी कौन्सटीटूएंसी में हमारे कितने शैल्टर होम्स हैं, क्या हम आंगनवाड़ी के पैसे पहुंचाते हैं, क्या किड्स को हम वहां पहुंचाना चाहते हैं और आज के दिन क्या हर जिले में हमारी विजिलैंस कमेटी स्थापित है?

मैं सोचती हूं कि बेहतर यह होगा कि हम विजिलैंस कमेटी और मौनीटरिंग कमेटी में इस सब्जैक्ट को साथ लें, तो हम अपने-अपने इलाके में निगाह रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे शैल्टरों में क्या स्थिति है और क्या वहां के टीचर्स आते हैं? इसके लिए आपको खुद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने वर्कर्स हैं जिनको आप इशारा कर देंगे तो आपको सारी जानकारी हो जायेगी। इस तरह से अगर हम खुद अपने-अपने जिलों की जिम्मेदारी लें, तो बहुत बड़ी सहूलियत और सुविधा होगी क्योंकि अकेले हम लोग यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार जो भी नियम लागू करना चाहती है, उससे राज्य सरकारें पीछे हट जाती हैं। उनके लिए यह प्रॉयरिटी सब्जैक्ट ही नहीं है। जब तक हम यह बात नहीं पहुंचायेंगे कि जब हमारे युवा 18 साल के होते ही वोट देने के अधिकारी बन जाते हैं, जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि वे महिलाएं जो गांवों में रहती हैं, जो लड़कियां 18 साल की उम्र की होंगी, वे भी हमारे लिए वोट बैंक हैं, जब तक हम इस असलियत को नहीं पहचानेंगे तब तक स्थिति ऐसी ही होती जायेगी।

[अनुवाद]

अत: मैं जिन सदस्यों ने सही रूप में मुद्दे को पहचाना और पर्याप्त क्रियान्वयन नहीं होने के मुद्दे की ओर संकेत किया, सभी का आभारी हूं मुझे इसके लिए आप सभी का समर्थन चाहिए। मैं आपमें से किसी एक का जवाब दूंगी जो बताएगा कि यह उनके जिले में हो रहा है।

[हिन्दी]

इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह देश का सवाल है।

[अनुवाद]

मैं समझती हूं इसमें कोई राजनीति नहीं है।

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

[हिन्दी]

इस बात पर हम मिल-जुलकर काम कर सकते हैं।

अधीर जी ने बिल्कुल ठीक सलाह दी कि हमें बजट की जरूरत है। अब हम भी अजीब लोग हैं। हम चाहते हैं कि कोई जादूगर आये, हम पैसे नहीं देंगे लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। कई जगह आंगनवाड़ी सैंटर बनाने के लिए हमारे हाथ में पैसे नहीं हैं। आंगनवाड़ी सैंटर के लिए जगह ढूंढ़कर उसे हम किराये पर लें, तो आप भी जानते हैं कि वह कैसी जगह मिलती है। वैसे भी हम कितनी जगह किराये पर ले सकते हैं। ये कुछ मजबूरियां हैं, रुकावटें हैं। मैं कोशिश में हूं कि इलैवन्थ प्लान में, अगर आप सब साथ देंगे।

[अनुवाद]

यदि आप योजना आयोग और वित्त मंत्री दबाव डालेंगे तभी हमें इसके लिए धन मिलेगा।

[हिन्दी]

क्योंकि आज अगर हम थोड़े से पैसे खर्च करेंगे, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देंगे, अच्छा वातावरण हम उनको देंगे, तो यह हमें सस्ता पड़ेगा क्योंकि मॉल न्यूट्रीशन को ठीक करने में सरकार को 26 परसेंट ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। आप जानते हैं कि मॉल न्यूट्रीशन कभी ठीक भी नहीं होता। अगर नौजवान कमजोर रहेगा, तो कल वह क्या कमाकर देश को चलायेगा? अगर हम आने वाली पीढ़ियों को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे लिए न्यूसैंस हो जायेगा। हम खुद खड़े नहीं हो सकेंगे।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बच्चों को मान्यता दें और उन्हें उनका हक दें। हमारे बच्चे भारत में कहीं भी सशस्त्र संघर्ष में शामिल नहीं हैं। उनके साथ वहीं समस्या है जहां उग्रवाद जारी है।

[हिन्दी]

जहां नैक्सलिज्म चल रहा है, जहां नार्थ ईस्ट में इंसर्जैंसी चल रही है और मेरा अपना जिला छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से शेयर करता है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है क्योंकि आतंकवादी मां-बाप को मार कर अनाथ बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उनको हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे एक मां का प्यार दिलवायें, यह सब हम सोचते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इलैवन्थ प्लान में इस मिनिस्ट्री को हम कैसे और ताकत दिलायें, कैसे उसके हाथ मजबूत करें ताकि यह कोने-कोने तक पहुंच जाये। तभी हम उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमने जो नया जे.जे. बोर्ड बनाया है, उसे हम हर जिले में लागू करने वाले हैं। डेट ऑफ कमेन्समैंट के एक साल के अंदर हम इसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। जुवेनाइल को पहचानने के लिए कह रहे हैं कि जिस दिन, डेट ऑफ कमीशन ऑफ अफेन्स होता है, लोग उम्र के बारे में जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई 18 साल की उम्र में क्राइम हुआ, तो बाद में उम्र क्या होगी? हम कह रहे हैं कि जब भी बच्चा क्राइम कमिट करता है, मान लीजिए 18 साल के 3 महीने के अंदर उसने कोई क्राइम किया है, उसे हम फिर भी जुवेनाइल मानते हैं।

[अनुवाद]

अपराध किये जाने के समय से इसकी गणना की जाती है। वास्तव में, हम बच्चों को हवालात में डाल देते हैं। मैं अभी उस मुद्दे पर नहीं जा रही हूं। हममें से कोई भी इससे सहमत नहीं होगा।

[हिन्दी]

ये जानवर नहीं, छोटे बच्चे हैं जिनके रोल मॉडल्स खराब रहे। कई बार मां-बाप की कमजोरियों की वजह से बिगड़ जाते हैं गलत रास्ते पर आ जाते हैं। मैं सुमित्रा महाजन जी और सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं कि कितने सेंसिटिव ढंग से हर बिल पर उन्होंने डिस्कशन किया है क्योंकि।

[अनुवाद]

यह आंकड़े नहीं हैं, यह शेयर बजार नहीं हैं।

[हिन्दी]

ऐसी बातें इस विषय के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। यह बहुत नाजुक सिलसिला है और यह एक ऐसी समस्या है कि

[अनुवाद]

हम इसे केवल लिखित कानूनों में ही नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

इसमें हमें दिल, दिमाग और रहम के साथ काम करना पड़ता है और इन बच्चों को संभालना पड़ता है।

[अनुवाद]

बाल जांच से निपटने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों से सम्बन्धित एक सुझाव दिया गया था। मेरे विचार से यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं कोई आश्वासन या वादा नहीं कर रही हूं लेकिन हम इस विषय पर बहस भी करते हैं।

[हिन्दी]

कि किस तरह हम इसमें इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट रखें। हम सभी जानते हैं कि थानों में किस तरह का व्यवहार होता है। राजनीति में रहते हुए हम सभी कभी न कभी थानों की चौखट तक पहुंचे हैं।

[अनुवाद]

लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि गृह मंत्रीजी ने पुलिस को सूचना देने में भागीदारी बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया है।

[हिन्दी]

उनसे मेरी यही शिकायत थी कि यहां हम जो कानून लागू करते हैं वह थानेदार जो गांव में रहता है, उसके पास तक नहीं पहुंचता है। वह वहीं बैठा रहता है और उसे उस कानून की जानकारी नहीं होती है। कई बार पुलिस वालों का व्यवहार रूखा होता है क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि ऐसा कानून लागू हो गया है। जब इस बात को कह देते हैं तो उनकी बड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है। सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनेल के लिए एक बहुत बड़ा कैम्पेन हम होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर करना चाहते हैं और होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि वे हमें जो भी सहायता दे सकते हैं, वे हमें देंगे। इससे मैं उम्मीद करती हूं कि।

[अनुवाद]

शीघ्र ही हमें सीडी के रूप में सामग्री प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए और हमें इसे केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए दिखाना चाहिए।

[हिन्दी]

आजकल केबल नेटवर्क गांवों में और जगहों पर पहुंच रहा है, उसके द्वारा हम पब्लिक और पुलिस को जानकारी देंगे।

[अनुवाद]

हमारे देश में ऐसी महिलाएं भी हैं जो बच्चों पर आश्रित हैं।

[हिन्दी]

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह बहुत कठिन कार्य है जिनको हमें देखना है। सुमित्रा महाजन जी ने यहां जो फाइन फॉर वायलेशन की बात कही है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि कभी-कभी मीडिया में इसे सर्कस बना देते हैं, एक बच्चे को लेकर, उसके बारे में खबरें छाप-छापकर, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे में उस बच्चे को रिहैबिलिटेट करने में हमें भी दिक्कत आती है क्योंकि एक अजीब सी स्टार क्वालिटी उस बच्चे में आ जाती है।

[अनुवाद]

सामान्य जीवन जीना उनके लिए समस्या बन जाती है।

[हिन्दी]

इसीलिए इस बात को जेहन पर रखते हुए हमने यह प्रावधान किया है कि इसके लिए 25,000 रुपए की फाइन लगेगी। इसके साथ ही मैं मीडिया को बधाई भी देना चाहती हूं कि इस बीच में आईबीएन-सीएनएन के लोग, जो एक चाइल्ड की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कानून की वजह से हम बच्चे का केस नहीं दिखा सकते हैं। अगर मीडिया अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं ले सकती है तो वे बच्चों का तमाशा नहीं बनाएं और ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की उनकी भी जिम्मेदारी बनती है।

बच्चों को सेलफोन देने के बारे में, एक मां के रूप में मेरी सलाह है कि बच्चों को सेलफोन देना बन्द कर देना चाहिए, लेकिन एक डेमोक्रेसी में मैं मां-बाप से क्या सवाल पूछूं जो अपने बच्चों को, अपनी सहूलियत के लिए सेलफोन पकड़ाते हैं? उन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे सेलफोन खरीद कर रख सकें, मां-बाप ही उनको सेलफोन देते हैं, ऐसे मां-बाप को मैं क्या पढ़ाऊं? वे बच्चे इमेच्योर बच्चे हैं, कभी सिनेमा या कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं।

[अनुवाद]

और कभी-कभी इसका दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन हम इसे नकार नहीं सकते कि यह एक बड़ी संचार व्यवस्था है।

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

[हिन्दी]

सिर्फ गरीब स्कूल और गरीब बच्चों की बात नहीं है, आज के दिन जो बड़े और फाइव स्टार स्कूल हैं, उनकी ज्यादा चिन्ता है क्योंकि ऐसे स्कूल के बाहर और आप-पास में ही ड्रग्स और शराब के ठेके मिलते हैं। मैं सोचती हूं कि यह एक बुनियादी सवाल होता है कि हम सब वहां रहते हैं।

[अनुवाद]

हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए ड्रग्स और शराब विद्यालयों के आस-पास उपलब्ध होती हैं।

[हिन्दी]

इसके लिए कानून तो है, लेकिन उसे लागू नहीं करते हैं।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सरकार गलत काम करती है, क्योंकि बिना उसकी अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता।

श्री रेनुका चौधरी : यहीं हम कमजोर हो जाते हैं, जब यह सोचते हैं कि यह हमारी नहीं आपकी जिम्मेदारी है। हमारे घर वहीं हैं, नौकर-चाकर वहीं व्यस्त रहते हैं इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है। यह एक दिन की या एक सरकार की कमजोरी नहीं है, यह तो पीढ़ियों से चल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमें सामूहिक रूप से...*(व्यवधान)* मैं इसकी प्रशंसा करती हूं।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : विद्यालयों के निकट शराब की दुकानें खोलने की अनुमति क्यों दी जाती है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सोशल चैकिंग जब तक नहीं होगी, आम लोगों का जब तक इंवाल्वमेंट नहीं होता, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे इस साइड के माननीय सदस्य हों या उस साइड के माननीय सदस्य हों।

श्रीमती रेनुका चौधरी : जयाबेन जी ने भी कहा।

[अनुवाद]

और मैं श्री राम कृपाल यादव समेत प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहती हूं।

[हिन्दी]

सब लोगों ने समय निकालकर बड़े सब्र के साथ इस पर चर्चा की है।

[अनुवाद]

मैं बहुत आभारी हूं। उनकी भागीदारी से और उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों से मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। हमें कुछ संशोधन अपनाने होंगे।

मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : गोद लेने का अधिकार भारतीय माता-पिता को भी दिया जाना चाहिए।

श्रीमती रेनुका चौधरी : मुझे खेद है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती थी।

[हिन्दी]

चीन के करीब 20,000 अनाथ बच्चे हैं, जिन्हें दुनिया में कहीं न कहीं शरण मिली है। हमारे देश में कई कमजोरियों की वजह से बच्चों की उम्र बढ़ जाती है और ऐसा नहीं हो पाता है। मुझे उम्मीद है।

[अनुवाद]

और वास्तव में भारतीयों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। इन्हें परिवार में, देश में गोद लेने को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

[हिन्दी]

हम पहले अपने बच्चों को अपने देशवासियों को दिखाते हैं। अगर कोई बच्चा अनाथाश्रम में छः महीने में किसी के द्वारा गोद नहीं लिया जाता, तब हम बाहर के लोगों को मौका देते हैं। आपने जो पाइंटआउट किया है, वह ठीक है। आंध्र प्रदेश, कनार्टक और अलग-अलग जगह

पर यह न्यूसेंस है और शोषण हुआ है। अगर वह दरवाजा भी बंद कर देंगे तो बच्चों की उम्र गुजर जाती है, फिर उन्हें कोई नहीं एडाप्ट करता। उसका नतीजा यह होता है कि वे बड़े होकर कहीं न कहीं गलत काम में पड़ जाते हैं, खासकर यह बात लड़कियों में ज्यादा होती है।

एक अच्छी बात है कि जितने लोग इन अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, उनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है। वे कहते हैं कि हमें बेटी चाहिए।

[अनुवाद]

जो भी बच्चा लेने आया उसने कहा की वह एक (एक लड़की को गोद लेना चाहता था)

[हिन्दी]

जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो वे कहते हैं कि लड़की हमारी देखभाल करेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

केवल यही प्रोत्साहित करने वाली बात है। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि।

[हिन्दी]

हम स्ट्रिंजेंट वाच रखते हैं।

[अनुवाद]

हमने दूसरे समुदायों के लिए भी गोद लेने को आसान बनाया है और मैं आशान्वित हूं कि हम समस्या का हल निकाल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2000 पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—धारा 1 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 14-15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें—

"किसी अन्य विधि के अधीन किशोरों का निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास का दंडादेश अन्वलित है।" (3)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4—धारा 2 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कक) "दत्तक ग्रहण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे दत्तक बालक अपने जैव माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और माता-पिता के साथ नातेदारी से संलग्न सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों के साथ दत्तक मात-पिता का विधिमान्य बालक हो जाता है;'

(ii) खंड (च) में,—

(i) उपखंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(iक) जो भीख मांगते हुए पाया जाता है, या जो आवारा बालक है या काम करने वाले बालक है,;

(ii) उपखंड (v) में 'परित्याग' शब्द के पश्चात्, 'या अभ्यार्पण कर दिया है' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ज) में, 'सक्षम प्राधिकारी' शब्दों के स्थान पर, 'सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार' शब्द रखें। (4)

पृष्ठ 2 में पंक्ति 17 में, "(i)" के स्थान पर, "(iv)" रखें; (5)

पृष्ठ 2 में पंक्ति 23 में, "(ii)" के स्थान पर, "(v)" रखें; (6)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन के संबंध में प्रस्ताव

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क—धारा 4 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 में पंक्ति 25 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें—

धारा 4 का संशोधन '5क. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जिले या जिलों के समूह के लिए "शब्दों के स्थान पर" किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए" शब्द और अंक रखे जाएंगे; (7)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 5क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन के संबंध में प्रस्ताव

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है

कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसगंत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसगंत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 5(ख)—धारा 6 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 में पंक्ति 25 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,-

धारा 6 का संशोधन। 5ख, मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में ''या जिलों के समूह'' शब्दों का लोप किया जाएगा।' (8)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 5ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6— जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाए तब अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 29-30 मे, ''उसके समक्ष पेश किया गया'' शब्दों को लोप करें; (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35-39 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें-

''परंतु किशोरता का दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसे किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि उसके लिए मामले के अंतिम पिनटान के पश्चात् ही और ऐसे दावे इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए निबंधनों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे, चाहे यदि उसकी किशोरता इस अधिनियम के आरंभ की तारीख को या उससे पहले समाप्त हो जाती है।'' (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें-

''(2) यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उपधारा को कारित करने की तारीख को किशोर था तो उस किशोर को उपयुक्त आदेशों और दंडादेश के लिए बोर्ड को भेजेगा, यदि कोई आदेश उसके द्वारा पारित किया जाता है तो न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कोई प्रभाव नहीं होगा।'' (11)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7—धारा 10 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ, 3 पंक्ति 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

''परंतु किसी मामले में विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर को पुलिस लॉक अप या जेल में नहीं रखा जाएगा।'' (12)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8—धारा 12 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 11-12 में, "किसी उपयुक्त संस्था की देखरेख के अधीन रखा जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "या किसी प्रोबेशन अधिकारी के अधीक्षण के अधीन या किसी संस्थान या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा" शब्द रखें। (13)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप से में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन के संबंध में प्रस्ताव

श्रीमती रेनुका चौधरी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क—धारा 14 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

धारा 14 का संशोधन। '8क. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट प्रत्येक छह माह पर बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेंगे और बोर्ड को उसकी बैठकों की आवृत्ति को बढ़ाने का निदेश देंगे या अतिरिक्त बोर्ड का गठन कर सकेंगे।" (14)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में नया खंड 8क जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9—धारा 15 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 15-16 में, "या उसके किशोर रहने तक, इसमें से जो भी बाद में हो" शब्दों का लोप करें। (15)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10—धारा 16 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 22-23 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

'10. मूल अधिनियम की धारा 16 में,-

(i) उपधारा (1) में, "या आजीवन कारावास" शब्दों के स्थान पर," या ऐसे अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-' (16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 में, "किसी भी दशा में" शब्दों के पश्चात्, "इस अधिनियम की" शब्द रखें। (17)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11—धारा 20 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 31-32 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,-

"**स्पष्टीकरण**—किसी न्यायालय में विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर की बाबत लंबित सभी मामलों में, जिसके अंतर्गत विचारण, पुनरीक्षण, अपील या कोई अन्य अपराधिक कार्यवाहियां भी हैं, में ऐसे किशोर की किशोरता का"। (18)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12— धारा 21 के स्थान पर नया धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 11 में, "एक हजार रुपए" के स्थान पर, पचीस हजार रुपए" रखें। (19)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्रीमती रेनुका चौधरी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधयेक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 24 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

न्या खंड 12क—धारा 29 का संशोधन

पृष्ठ 4 में पंक्ति 11 **के पश्चात्**, अंत:स्थापित करें-

धारा 29 का संशोधन। '12क. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जिले या जिलों के समूह के लिए" शब्दों के स्थान पर "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (20)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 12क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 12क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13—धारा 32 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13-14 **के स्थान पर**, रखें,-

'(क) उपधारा (1) में,-

(i) खंड (iv) में, "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत में, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-'। (21)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14—धारा 33 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4 में पंक्ति 22 **के स्थान पर**, रखें,-

'(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(3) राज्य सरकार, प्रत्येक छह मास में समिति के मामलों के लंबित रहने का पुनर्विलोकन करेगी और इसकी बैठकों की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए समिति को निदेश देगी या अतिरिक्त समितियों का गठन कर सकेगी।" (22)

पृष्ठ 4, पंक्ति 23, "(3)" **के स्थान पर**, (4)" रखें; (23)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के अंतर्गत निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती रेनुका चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संख्या (28-7-2006 को परिचालित संशोधन सूची संख्या 1 के अनुसार) को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 24 (28-7-2006 को परिचालित संशोधन सूची संख्या 1 के अनुसार) को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क—धारा 34 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

धारा 34 का संशोधन। '14क. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी संस्थाओं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बालकों की आवश्यकता की देखरेख और संरक्षण के लिए चलाई जाती हैं, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत होगी।" (24)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खड 14क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16—धारा 41 का संशोधन

पृष्ठ 5, पंक्ति 4-7 के स्थान पर, रखें,-

'(i) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(2) दत्तक ग्रहण करना ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा, जो अनाथ, त्यागे गए या ऐसे तंत्र के माध्यम से, जो विहित किया जाए, अभ्यर्पित किया गया हो।

(3) राज्य सरकार या केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर जारी किए गए दत्तक ग्रहण करने के लिए कतिपय मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, बालकों को, किसी न्यायालय या, ऐसे अन्वेषण की बाबत, जो दत्तक ग्रहण करने में ऐसे बालकों को दिए जाने के लिए अपेक्षित हैं, समाधान करने के पश्चात्, दिया जा सकेगा।

(4) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में इसकी एक या अधिक संस्था अथवा स्वैच्छिक संगठनों को, ऐसी रीति में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में जो उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार दत्तक ग्रहण करने के लिए अनाथ,

त्यागे गए या अभ्यर्पित बालकों के सत्यापन के लिए विहित की जाए, पहचान करेगी:

परंतु यह कि बाल गृह ऐसे बालकों की आवश्यकता की देखरेख और संरक्षण के लिए, जो अनाथ, त्यागे गए या अभ्यर्पित किए गए हैं, राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृह और संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि ये बालक समिति द्वारा दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र घोषित हैं और सभी ऐसे मामले, उस जिले में दत्तक ग्रहण अभिकरण को, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार दत्तक ग्रहण किए गए ऐसे बालकों के स्थापन के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे।" (25)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 में, "बोर्ड" के स्थान पर, "न्यायालय" रखें। (26)

पृष्ठ 5, पंक्ति 11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें;

"(क) किसी व्यक्ति को, उसकी वैवाहिक स्थिति को विचार में लाए बिना;"। (27)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15 मे, "माता-पिता" के स्थान पर, "दंपत्ति" रखें। (28)

पृष्ठ 5, पंक्ति 17-20 का लोप करें; (29)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17— अधिनियम के अधीन बाल गृहों और राज्य के भीतर समान प्रकृति के बाल गृहों के मध्य अंतरण।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 25 में, "या ऐसी ही प्रकृति की संस्था को, "के स्थान पर, "या ऐसी संस्थाएं संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के बाहर और" शब्द रखें। (30)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती रेनुका चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 18क—नई धारा 62क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 **के पश्चात्**, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

'18क. मूल अधिनियम की धारा 62 **के पश्चात्**, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''62क. प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य के लिए एक बाल संरक्षण एकक का गठन करेगी और प्रत्येक जिले के लिए ऐसे एकक ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेंगे, जो उस सरकार द्वारा ऐसे बालकों की आवश्यकताओं की देखरेख और संरक्षण तथा विधि के विरुद्ध किशोर न्याय से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, नियुक्त किए जाएं, जिसके अंतर्गत गृहों की स्थापना और अनुरक्षण, इन बालकों से संबंधित सक्षम प्राधिकारियों और पुनर्वास तथा विभिन्न पदधारियों और संबंधित गैर पदधारी अभिकरणों में समन्वय करना भी है।'' (31)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 18 क, विधेयक में जोड़ा जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 18क विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 19—धारा 64 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 31-32 **के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'19. मूल अधिनियम की धारा 64 में,-

(i) ''निदेश दे सकेगी'' शब्दों **के स्थान पर** ''निदेश देगी'' शब्द प्रतिस्थापित करें;

(ii) निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:- (32)

पृष्ठ 5, पंक्ति 34 **के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें;

''कारण से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे कारावास का दंडादेश भोग रहे विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के मामले का जो''। (33)

पृष्ठ 6, पंक्ति 4 में, ''अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों'' **के स्थान पर**, ''अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की धारा 2 के खंड (ठ) और अन्य,'' प्रतिस्थापित करें। (34)

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 में, ''जाएगा'' **के पश्चात्**, ''जाएगा, किंतु ऐसा दंडादेश किसी भी दशा में अधिनियम की धारा 15 में उपबंधित अधिकतम अवधि से अधिक न होगा'' अंत:स्थापित करें। (35)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20—धारा 68 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 18-19 **के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:-

'(ख) उपधारा (2) में,-

(i) खंड (x) में, ''उपधारा (2)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक **के पश्चात्**, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

''और उपधारा (3) के अधीन संस्थानों के रजिस्ट्रीकरण की रीति'';

(ii) खंड (i) **के पश्चात्**, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:' (36)

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 के स्थान पर, "पुनर्वास तंत्र का प्रत्यावर्तित किया जाना, उपधारा (3) के अधीन मार्गनिर्देश की अधिसूचना और उपधारा (4) के अधीन विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करने की रीति;" प्रतिस्थापित करें। (37)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि बिल तैयार करते समय जो तैयारी होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है, इसलिए इतने सारे अमेन्डमेन्ट आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझा कि आप कह रहे हैं अमेन्डमेन्ट नम्बर 36 के आगे 37 भूल गया हूं।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1—संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पष्ठ 1 पंक्ति 4 में "2005" के स्थान पर "2006" रखे। (2)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में "छप्पनवें" के स्थान पर "सतावनवें" प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्रीमती रेनुका चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिए गए।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब आप प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्रीमती रेनुका चौधरी : महोदय, मै प्रस्ताव करती हूं : कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक भी मिनट जाया न करें। आप सभी पहले मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि हमने हाउस का समय बिल के पास होने तक बढ़ाया था। यदि हाउस के माननीय सदस्य चाहें तो जीरो आवर ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नोटिस हैं, दो घंटे लग जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, 15 मिनट के लिए हम जीरो आवर लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, मेरा एक सुझाव है। आप सदस्यों के भाषण ले करवा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मैटर हमारे पास तैयार नहीं है। एक मिनट में आप लोग अपनी बात कहें।

श्री हेमलाल मुर्मू—अनुपस्थित।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूरे देश के लिए और खासकर जम्मू-कश्मीर के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, उस पर बोलना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हर धर्म की अपनी-अपनी आस्था होती है और हमारी अमरनाथ यात्रा में पहली बार दुनिया में बहुत बड़ी कोताही और जिसे ब्लन्डर मिस्टेक भी कहा जा सकता है जो श्राइन बोर्ड ने की है और जिसे सबको सुनकर हैरानी होगी कि इंसान ने भगवान भी बना लिया, उन्होंने लिंग बना लिया। जो लिंग भगवान की दया से बर्फ से बनता था, वह लिंग खुद गवर्नर साहब और उनकी कमेटी ने वहां बना लिया और मैं पूरे देश को तथा खासकर इन सभी को कहना चाहता हूं कि वैसे तो पूरी दुनिया के ये बड़े *बनते हैं,...*(व्यवधान)* लेकिन इन्हें इस बात का होश ही नहीं है कि वहां लिंग बना दिया गया और वहां की यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी हो गई है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : वहां की सरकार तो आपकी ही है।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि यह मेरे लिए और सभी के लिए कितने अफसोस की बात है कि हर धर्म की अपनी आस्था है और कल को कोई कहेगा कि भगवान बनाकर...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो पूछना चाहते हैं, वह पूछें।

चौधरी लाल सिंह : सर, आपने जितना समय दिया है, उसके अंदर ही मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो यात्रा सदियों से चल रही थी, उस यात्रा की आस्था को इससे ठेस पहुंची है तथा पूरे श्रद्धालुओं को जो इससे दुख पहुंचा है क्योंकि मैं खुद बहुत दुख में हूं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लिया जाए और जिसने भी यह हरकत की है चाहे वह बड़े से बड़ा अफसर या व्यक्ति है या ओहदेदार है, उस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए और लोगों की आस्था को बरकरार रखा जाए जिससे दुबारा फिर कोई लिंग बनाने की हिम्मत न कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदय, अस्सी के दशक के अन्त में, सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मेडिकल स्नातकों के लिए परमिट मुक्त प्रशिक्षण योजना के बारे में विनियम लाई थी। दुर्भाग्यवश हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने उस अधिनियम को पूर्व प्रभावी रूप से संशोधन किया, जिसके अनुसार ब्रिटेन में वर्तमान में कार्यरत डॉक्टरों की भी छंटनी की जाएगी और उन्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए, वे बेरोजगार हो जाएंगे। हाल ही में, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठाया था। अत: हमें चाहिए कि राजनयिक और राजनीतिक मार्गों से भारत सरकार ब्रिटिश सरकार से इस मामले पर बात करे ताकि वे न केवल ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में कार्य करे बल्कि यह हमारे भारतीय स्नातकों को भी विदेश जाने और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने में मदद करेगा। बाद में वे वापस आकर हमारे देश की सेवा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। जनपद हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग कर पुन: उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। कल हरिद्वार के 10000 लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी पार्टी के लीडर प्रो. राम गोपाल जी, राजनारायण बुधौलिया जी, प्रो. बघेल और मैं स्वयं था। संविधान की धारा 3 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उत्तर प्रदेश जिला पुनर्गठन विधेयक 2000 में विचारार्थ विधान मंडल को भेजा गया था जिसको उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने दो बार पास कर केन्द्र सरकार को भेजा, जिसमें संपूर्ण जनपद हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में ही रखने का संकल्प व्यक्त किया गया था। केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये से हरिद्वार को जान-बूझकर उत्तरांचल में शामिल किया गया जिसमें खासकर दोषी भाजपा के तत्कालीन मंत्री* इसके जिम्मेदार कांग्रेस के लोग भी हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : वह हाउस के मैम्बर नहीं हैं। उनका नाम एक्सपंज कर दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हरिद्वार के 15 लाख नौजवान—किसान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, ट्रांसपोर्टर, वकील और अध्यापकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर कुठाराघात किया गया है। लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाईं जिसमें एक किसान रघुबीर की मौत भी हो गई। यही नहीं, हजारों लोगों को जेल भेजा गया और विभिन्न धाराओं में मुकदमे चलाकर आतंकित और प्रताड़ित करने की कार्रवाई उत्तरांचल की सरकार कर रही है। वहां व्यवसाय के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के दोहरे टैक्स की मार झेलनी पड़ रही है। न्यायालयों में अधिकारी न होने के कारण वहां लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों और दलितों की अपेक्षा हो रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। पिछड़ों का आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत और दलितों का 19 प्रतिशत कर दिया गया है। भूमि कानूनों के जरिये किसानों को गुलाम बनाकर रखा गया है। 12 में से 11 विधान सभाओं को परिसीमन में जोड़ा गया और 2004 में पुनः विधान सभा में प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हरिद्वार, जो उत्तरांचनल में है, वहां के 15 लाख लोगों की जन आकांक्षाओं को देखते हुए और जो कल 10000 लोगों की भीड़ यहां आई थी, उनकी भावनाओं को देखते हुए उसे पुनः उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, मुझे मेरे राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। यह गुजरात में ब्रॉड-ग्रेज रेलवे लाइन को परिवर्तित करने के लिए सरकार से निवेदन के बारे में है। सुरेन्द्रनगर-ध्रंगधरा जैसी रेलवे लाइन के नवीनीकरण का कार्य, राजकोट-वेरावल-सोमनाथ लाइन का कोडीनार, मेहसाणा, पतन, भुज-दाहेज तक विस्तार अभी भी किया जाना है। इसी तरह, मुम्बई और अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त रेलवे मार्ग प्रदान करने जैसे कार्य और हजीरा से रेल संपर्क जोड़ने का कार्य अभी भी किये जाने हैं।

मैं सरकार से इन कार्यों को शीघ्र ही कार्यान्वित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

**श्री पी. मोहन* (मुदरै) : रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने हाल ही में घोषणा की है कि रेलवे का देशभर में रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर गैर यात्रियों के प्रवेश के संबंध में ब्लेंकेट प्लान लाने का प्रस्ताव है। इस तरह रेल यात्रियों के मित्र और रिश्तेदार जो उन्हें लेने या छोड़ने के लिए रेलवे स्टशनों पर आते हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा।

रेलवे प्लेटफार्मों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने से यहां आने वाले वृद्ध रेल यात्रियों, इलाज के लिए बाहर जा रहे रोगियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के साथ वाली माताओं और बच्चों को भारी असुविधा होगी। रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डों की भांति व्यवस्थाएं नहीं हैं जहां यात्रियों को सामान्य के साथ विमान तक जाने में सहायता मिलती है। यहां तक कि व्हील चेयर पर चलने वाले यात्रियों की भी हवाई यात्रा के दौरान हवाई अड्डे पर पर्याप्त देखभाल की जाती है और ऐसे यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से अलग से स्टाफ उपलब्ध रहता है। सामान और बैग इस उद्देश्य के लिए विमान कंपनियों द्वारा रखे गए व्यक्तियों द्वारा ट्रालियों में ले जाए जाते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म लम्बे होते हैं और 24 से 26 कोच वाली गाड़ियां होती हैं जिससे प्लेटफार्म पर यात्रियों को सामान के साथ लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। यहां तक कि वहां उपलब्ध कुली अत्यधिक ऊंची दरों पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसलिए रेल यात्रियों के लिए अपने सामान ढ़ोने और सीट या कोच पहचानने के लिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों से सहायता लेना आवश्यक हो जाता है।

अपने नेताओं को लेने या छोड़ने के लिए दल के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की स्टेशन पर छोड़ने अथवा लेने के लिए आने की प्रथा भी प्रभावित होगी। यह संदेहास्पद है कि ऐसे अवसरों पर बिना कानून और व्यवस्था की समस्या के लोगों को स्टेशन पर जाने से रोका जा सकता है।

इसलिए, मैं रेलवे से यात्रियों की सुरक्षा और सुख-सुविधा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए अधिक संभव और आसान तरीके अपनाने पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बरौनी में, बिहार में उर्वरक का एकमात्र कारखाना है, जो बहुत दिन पहले बंद कर दिया गया है। वैसे बिहार में कोई कल-कारखाना नहीं है और

**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।*

जो एकमात्र खाद की फैक्ट्री थी, जो हजारों लोगों की रोजी-रोटी का साधन था, उसे भी सरकार ने बंद कर दिया है। इसलिए उन सभी कर्मचारियों का परिवार एवं उस कारखाने पर आश्रित लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। राजस्व की भी क्षति हो रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपके माध्यम से रसायन और उर्वरक मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करूंगा कि जो बरौनी में, बिहार में खाद का महत्वपूर्ण कारखाना बंद पड़ा है, उसे तुरंत चालू करवाया जाए ताकि वहां पर, उस पर आश्रित जो कर्मचारी एवं दूसरे लोग थे, उनकर रोजी-रोटी और भुखमरी की समस्या दूर हो सके तथा इस कारखाने के बंद होने से वहां जो रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं, वे प्राप्त हो सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पुन: मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि इसे तुरंत चालू करवाया जाए।

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर) : महोदय, तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा और भयंकर ज्वार के कारण मछुआरों के अनेक घर नष्ट हो गए और अनेक मछुआरे भी लापता हैं।

स्वयं कर्नाटक सरकार के वक्तव्य के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 94 लोग मर चुके हैं और 4,199 मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। लगभग 163.57 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। मामले की यह स्थिति वर्षों से जारी है, लेकिन पत्थर की दीवारों जैसे स्थायी ढांचे बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जो कि समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के परिणामस्वरूप आगे होने वाली मछुआरों के जीवन और सम्पत्ति की क्षति को रोकने के लिए आवश्यक है।

वास्तव में, तटीय सुरक्षा परियोजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। यह 135.95 करोड़ रुपये की परियोजना है, लेकिन कर्नाटक सरकार द्वारा और मेरे द्वारा इस सदन में अनेक अवसरों पर मांग किये जाने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं की गई है।

अत: मैं तटीय अपरदन निदेशालय के निदेशक और केन्द्रीय जल आयोग से उक्त धनराशि को बिना किसी विलम्ब के जारी करने और तटीय कर्नाटक में मछुआरों की सम्पत्ति और जीवन पर खतरे को समाप्त करने के क्रम में परियोजना को जल्दी ही पूरा किये जाने का आग्रह करता हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं स्वयं को उनके साथ संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, कुछ घन्टे पहले, जब हम मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे तब पूरा सदन पूरे ध्यान से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की स्मृति में हो रही इस चर्चा को पूरे सम्मान से सुन रहा था। हमारे देश की यह परंपरा है। हमारे देश में राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान की परंपरा है जिनका समाज के प्रति अत्याधिक योगदान है।

जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक एक राष्ट्रीय महत्ता के नेता थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की थी, क्योंकि वे एक बहुत अच्छे पायलट थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान कई वर्ष जेल में बिताए थे। इसके अतिरिक्त, पन्डित जवाहर लाल नेहरू के निर्देश पर, वह इण्डोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के नायक को उच्च शासकों के चंगुल से बचाने के लिए इण्डोनेशिया गए थे।

श्री बीजू पटनायक अनेक बार इस सदन के सदस्य भी रहे थे। वे पूर्व केन्द्रीय मंत्री और दो बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उड़ीसा में और उड़ीसा के बाहर भी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। पिछले महीने की 28 तारीख को उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने श्री बीजू पटनायक की एक पूरे बड़े आकार की प्रतिमा का अनावरण किया था। दुर्भाग्य से, उसी रात, बदमाशों के एक समूह ने श्री बीजू पटनायक की प्रतिमा का सिर तोड़ दिया और उसे जला दिया, और उन्होंने श्री बीजू पटनायक को अपमानजनक शब्द भी कहे। बदमाशों के इस कृत्य के परिणामस्वरूप पूरे राज्य में व्यापक नाराजगी क्रोध और विरोध हुआ।

रात्रि 9.00 बजे

राज्य के प्रत्येक हिस्से में विरोध अभी भी जारी हैं। दस लोग गिरफ्तार किए गए हैं और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं?

[अनुवाद]

आप क्या चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार क्या करे?

श्री प्रसन्न आचार्य : एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है वह कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित है। वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक जिला युवक कांग्रेस से है। पूरे सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेसी नेताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे घृणित अपराधों में शामिल न होने की सलाह दें। वे कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है।* कांग्रेस नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसे घृणित अपराधों में शामिल नहीं होने की सलाह देनी चाहिए। पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। इसके खिलाफ व्यापक नाराजगी है, और परसों श्री बृज किशोर त्रिपाठी और अन्य सभी माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा इस सदन में उठाया था। उस समय आप पीठासीन थे। पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को उड़ीसा में अपने लोगों को ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल नहीं होने की सलाह देनी चाहिए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : महोदय, यह एक प्रत्यक्ष आरोप है और मुझे इस पर आपत्ति है। आपको उन टिप्पणियों को निकालना होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि आप सबूत या प्रमाण दें तो हम जांच के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जिस पार्टी का नाम लिया है, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य : ...* श्री बीजू पटनायक जैसे राष्ट्रीय नेताओं के प्रति कांग्रेस पार्टी का यह रवैया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

वहां आपकी सरकार है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य : माननीय मंत्री को दोषियों को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह एक कायरतापूर्ण कृत्य है; यह एक घृणित अपराध है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उन्होंने जो भी कहा हम सब स्वयं को उसके साथ संबद्ध करते हैं। कृपया इसी के अनुसार निर्देश दें।...*(व्यवधान)*

श्री विजय झान्डिक : आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप साबित कर सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है? यदि आप एक जांच चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आपने आरोप लगाया है, आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : श्री प्रसन्न आचार्य जी ने जो कुछ कहा मैं स्वयं को उससे संबद्ध करते हुए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य का मामला है। राज्य के मामले में केन्द्र क्या कर सकता है?

[हिन्दी]

जो माननीय सदस्य इस विषय से अपने आपको एसोसिएट करता है, वे कृपया टैबल पर स्लिप में नाम लिखकर दे दें। उन्हें एसोसिएट कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : 17 अप्रैल, 1997 को जब उनका निधन हुआ तब वह इस सदन के सदस्य थे, दोनों सभाएं स्थगित कर दिए गए थे। उस समय संपूर्ण राष्ट्र ने स्वर्गीय नेता को श्रद्धांजलि दी थी। जब अन्य बीस सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चली गई तब वे इस सदन के लिए चुने गए थे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेहताब जी, श्री प्रसन्न आचार्य जी इस सब्जैक्ट पर बोल चुके हैं, इसलिए आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा निवेदन है कि हमें पक्षपात से ऊपर उठना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री बिजय झान्डिक : यदि कुछ भी किया गया है, यदि कोई जांच करवाई जाती है, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते और निर्णय भी नहीं दे सकते।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : कौन मना करता है। जांच करवाइये।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं यह निवेदन कर रहा था कि उत्तरांचल में पिथौरागढ़ की धारचूला और मुन्सारी दो तहसीलें हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिजय झान्डिक : स्वर्गीय बीजू पटनायक का हम अत्यधिक सम्मान करते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम सब सहमत हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे टैबल पर स्लिप भेज दें। उनके नाम एसोसिएट कर लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री भर्तृहरि महताब, श्री ब्रह्मानन्द पंडा, श्री खारवेल स्वाईं, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्रीमती अर्चना नायक, श्री सुग्रीव सिंह भी इस मामले पर श्री प्रसन्न आचार्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : उपाध्यक्ष जी, उत्तरांचल के सीमान्त जिलें पिथौरागढ़ की दो तहसीलें धरचूला और पिथौरागढ़ ऐसी हैं जहां अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी जातियों की बहुत बड़ी संख्या है। ये दोनों तहसीलें दुर्गम बर्फीले क्षेत्र में आती हैं। इस कारण वहां उद्योग और खेती नहीं होती है। इस कारण इन तहसीलों के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर एवं दयनीय है। इन तहसीलों के निवासियों की काफी समय से मांग रही है कि इस क्षेत्र में पड़ने वाली दोनों तहसीलों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला एवं मुन्सारी तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु उत्तरांचल की विधान सभा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी, 2004 को देहरादून में उक्त तहसीलों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। अत: क्षेत्र की जनता आन्दोलनरत है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन दोनों तहसीलों को अविलम्ब जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. तंगवालु (सेलम) : महोदय, पिछले सप्ताह, वीरप्पा मोइली पर्यवेक्षण समिति ने देश में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

इस पर्यवेक्षण समिति का गठन उच्च शैक्षाणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। फिर भी हमारे आश्चर्य के लिए समिति ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की सिफारिश की है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अधिकार से वंचित हैं। दिन प्रति दिन अनेक खबरें आ रही हैं कि आई आई टी और आई आई एम जैसे

[श्री के.वी. तंगबालु]

कुछ शैक्षणिक संस्थान इस संबंध में सरकार से सहयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। किसी एक क्षेत्र में घटित हुई किसी एक विरल घटना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बहुमत वाले लोगों की इच्छा पर विचार किया जाना चाहिए। अत: हम सरकार से आग्रह करते हैं कि शीघ्र ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विधेयक संसद में लाए इसे इस सदन में पारित कराए। केवल तभी अन्य पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनका उचित हिस्सा मिलेगा।

सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को कानून को स्वीकार करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित अधिकार है और इसे वर्ष 1994-95 से लागू किया जा रहा है। फिर भी, हमें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए कोई अवसर नहीं है। उच्च शिक्षा अनिवार्य है और उन्हें शैक्षणिक अवसर मिलने चाहिए। तभी वे सरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने में समर्थ होंगे। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार से आगे आने और इसी शैक्षणिक सत्र से इस आरक्षण नीति को लागू करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि इसमें विलम्ब न हो। यदि कोई विलम्ब होता है तो यह पूरे देश के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति पूर्ण अन्याय होगा।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम स्वयं को संबद्ध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी स्वयं को इस मामले से संबद्ध करना चाहते हैं कृपया सभा पटल पर पर्ची भेज दें।

अब श्री पी. मोहन और डा करण सिंह यादव श्री तंगबालु द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रानिक मीडिया में महिलाओं को उपभोक्ता पदार्थों को बेचने और धन इकट्ठा करने के लिए अशिष्ट ढंग से पेश किया जा रहा है। समाचारपत्रों में महिलाओं की भद्दी तस्वीरें और पोस्टर छपना रोज की बात हो गयी है। बढ़ते हुए बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। महिलाओं के नैतिक मूल्य समाज में एक वस्तु के रूप में पेश किए जा रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभी अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में और कड़े प्रावधान करने हेतु समुचित संशोधन लाने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करे।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर रेलवे जोन के अन्तर्गत बिलासपुर में सन 2006 में ग्रुप डी की भर्ती हेतु 3016 गैंगमैन एवं अन्य पदों को भरने हेतु विज्ञापन दिया गया था, जिसमें ग्रुप के पदों के लिए 8,24,000 लोगों ने आवेदन किए। 2,87,000 आवेदकों को परीक्षा में बुलाया गया और बाकी 5,37,000 आवेदकों का 40 रुपये का ड्राफ्ट और बैंकर चैक जमा करने के बावजूद भी बिना कारण निरस्त कर दिया गया। इसमें अधिकांश छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर के आवदेक थे। 2,87,000 कैंडिडेट्स में से 4553 लोगों की नियुक्ति की गयी। 4413 लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला से थे, जिनको नियुक्ति नहीं दी गयी, उनकी अनदेखी की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चैक में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही 40-40 रुपये के थे। इसमें अन्य राज्यों, जैसे बिहार, झारखण्ड और राजस्थान के कैंडिटेट्स को बुला लिया गया।

महोदय, एक पद के अंगेस्ट पांच कैंडिटेट्स का रेशो होता है, लेकिन एक पद के लिए पांच का रेशो न करके डेढ़ गुना ही रेशो लिया गया है। इसके बाद इन कैंडिटेट्स का चयन किया गया। इन 3016 पदों में से बिहार राज्य से 2054, झारखण्ड से 481, राजस्थान से 275 और छत्तीसगढ़ से मात्र 329 कैंडिटेट्स का यचन किया गया। इससे धांधली, गड़बड़ी और संदेह होता है। अधिकतर बिहार राज्य के लोगों को तीन गुना, चार गुना, पांच गुना ज्यादा तक लिया जाता है जबकि वहां के स्थानीय लोगों को कम लिया जाता है। रेल मंत्री के लोगों को प्रलोभन देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए संदेह, गड़बड़ी और हेराफेरी का संदेह होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह स्थानीय लोगों की उपेक्षा, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और अनदेखी की गई है तथा छत्तीसगढ़ के 5,87,000 लोगों के फार्मों को रिजैक्ट किया गया है, इसकी जांच कराई जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्व में जब 1998 और 2000 के बीच गैंगमैन के ग्रुप डी पदों पर भर्ती होती थी, उसमें पहले फिजीकल टैस्ट लिया जाता था पहले दौड़ और बोरा उठाने का टैस्ट लिया जाता था, पर एस टैस्ट को न करके पहले चयन किया गया और बाद में फिजीकल टैस्ट लिया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इन समस्त मामलों की केन्द्र सरकार जांच करे, चयनित सूची को निरस्त किया जाये, पुन: सम्पूर्ण आवेदकों को परीक्षा के लिए बुलाया जाये और बाद में रिजल्ट घोषित किया जाये। अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है, उसे भी रोका है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में आयरन ओर का उत्पादन 2005-2006 में 165 मिलियन टन था। उसमें से इण्डियन स्टील इण्डस्ट्री का कंजम्पशन 75 मिलियन टन था और 90 मिलियन टन अब एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट होता रहेगा, तो हमारे पास 25 साल के बाद आयरन ओर की प्राकृतिक सम्पदा खत्म हो जायेगी और हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मार्केट में हमें ही कुछ नहीं मिलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें खान मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है, आयरन और निकालने की जो कीमत दी गई है, उन्होंने वह 300 रुपये आंकी है। बाकी आयरन ओर जो 1600 रुपये टन एक्सपोर्ट हो रहा है और सरकार को उसमें एक नया पैसा भी नहीं मिल रहा है—ऐसा क्यों है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जाये। मेरे पास अखबार की कटिंग्स हैं, जो पंजाब केसरी की है। उसमें लिखा है कि सोनिया का हाथ, गरीबों के साथ की कमलनाथ ने उड़ाई धज्जी, कमलनाथ ने तोड़ी भारतीय इस्पात उद्योग की रीढ़ और कमलनाथ ने निकाला भारतीय स्पंज आयरन उद्योग का दिवाला।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपने मुझे सीमित समय दिया है। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने राजस्व में से हमें जरा सा भी फायदा नहीं है। चाइना का स्टील का उत्पादन हमसे 10 परसेंट ज्यादा है तो भी चाइना आयरन ओर इम्पोर्ट करता है। जैसा पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी करती थी, आजवैसा ही हो रहा है। हमारी प्रार्थना है कि इसे जल्दी से जल्दी बैन किया जाये और हमारी प्राकृतिक सम्पदा बचाई जाये।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश के बंडा विधान सभा क्षेत्र में हीरापुर पंचायत है, जिसके आसपास कच्चा लोहा बड़े लम्बे समय से प्राप्त होता रहा है। यह क्षेत्र छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में प्राप्त होता है और बंडा सागढ़ के बीच में फैला हुआ है, जो लगभग 90 किलोमीटर लम्बी और 40 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ब्रिटिश शासनकाल के समय से यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहा प्राप्त होता रहा है, लेकिन उस समय क्या होता है कि एक जाति विशेष द्वारा उस लोहे से बरतन बनाने का काम और हथियार बनाने का काम किया जाता रहा है। अभी खनिज माफियाओं के चलते यहां जो लोहा प्राप्त होता है, वहां के मजदूरों को थोड़ा बहुत पैसा देकर, ऊपरी स्तर पर प्राप्त होने वाले लोहे को संग्रह करके माफियाओं के द्वारा बाहर भेजा जाता है। इस सम्बंध में लगभग 21 लोगों ने वहां खनिज विभाग से लीज लेने के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन यह जमीन चूंकि रिजर्व फोरेस्ट के अंतर्गत आती है, अत: काफी लम्बी प्रक्रिया के दौर से गुजरने के कारण लीज के आवेदनों को स्वीकृति मिलने में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। अगर इस क्षेत्र में शासन द्वारा विशेष सर्वे कराकर कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाये जाते हैं, तो यहां लोगों को काफी मात्रा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन भी हो सकता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि खनिज विभाग में सर्वे कराकर, प्राप्त होने वाले लोहे के उपयोग हेतु सागर के हीरापुर में स्टील उद्योग लगवाने में सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राजस्थान की 16 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी अनुमनित लागत 375.67 करोड़ रुपये है। इन स्वीकृत योजना में सम्मिलित 10,090 विद्युतीकृत ग्रामों, 4163 ढाणियों का विद्युतीकरण करना सम्मिलित है। शेष 16 योजनाएं जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं, इन योजनाओं के अन्तर्गत 2927 अविद्युतीकृत ग्रामों और 2433 ढ़ाणियों का विद्युतीकरण करना, जिसकी अनुमानित लागत 673.88 करोड़ रुपए है, इनकी स्वीकृति के लिए बार-बार राजस्थान सरकार द्वारा निवेदन किया गया है और 21 मार्च 2006 के पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा भी निवेदन किया जा चुका है। इन 16 जिलों की योजनाओं की स्वीकृति के अभाव में इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनैक्शन जारी नहीं किए जा सकते हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इन योजनाओं की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा शीघ्र स्वीकृति दिलवायी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं सभा और माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान सियालदाह डिवीजन की स्थानीय रेलगड़ियों में महिलाओं के सम्मुख आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे सियालदाह डिवीजन के डी.आर.एम. से भी मिलीं, लेकिन उन्होंने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया।

सियालदाह डिवीजन की स्थानीय रेलगाड़ियों में पहले महिलाओं के लिए एक के बाद एक दो डिब्बे लगाए जाते थे। परन्तु आजकल, रेल अधिकारियों ने महिलाओं का एक डिब्बा रेल में आगे लगा दिया है और दूसरा रेल के अंत में लगा दिया है तथा महिलाओं के डिब्बे के ठीक पीछे विक्रेताओं का डिब्बा लगा होता है। विक्रेताओं के डिब्बे से दही, पानी और अन्य सामान प्लेटफार्म पर गिरता रहता है जिससे जब महिलाएं रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए प्लेटफार्म पर आती हैं, तो वे फिसल जाती हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

वे डी.आर.एम. को अभ्यावेदन दे चुकी हैं; डी.आर.एम. ने महिला यात्रियों की उपेक्षा की है और यही कारण है कि मुझे यह मुद्दा यहां संसद में उठाना पड़ रहा है। महिलाओं ने संसद मार्ग पर अपने स्त्रीत्व को वैधानिक रूप देने और एक-तिहाई आरक्षण प्राप्त करने के लिए धरना दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री सुनील खां : सियालदाह डिवीजन में इन महिलाओं की उपेक्षा क्यों हो रही है? इसीलिए, मैं इस मुद्दे को यहां उठा रहा हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें जिससे कि महिलाओं के डिब्बों को एक के बाद एक लगाया जा सके और विक्रेताओं के डिब्बे को महिलाओं के डिब्बों से दूर लगाया जाए। यह बेहतर होगा क्योंकि इससे कोई दुर्घटनाएं नहीं होगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यकतानुसार पूरा गेहूं, उपलब्ध कराया जाए। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के साथ सौतेला भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए, गेहूं की मात्रा में भारी कटौती कर दी गयी है। राज्य में मौजूद एपीएल परिवारों में केवल दस प्रतिशत परिवारों को भी गेहूं नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह बीपीएल के रूप में राज्य में 25.66 लाख परिवार हैं, योजना के तहत उनके लिए भी पर्याप्त गेहूं केंद्र से नहीं मिल रहा है। अन्त्योदय अन्नपूर्णा योजना का इससे भी बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एपीएल, बीपीएल अन्त्योदय अन्नपूर्ण योजना के माध्यम से गरीबों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रही है और राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि राजस्थान को उसकी आवश्यकतानुसार एपीएल, बीपीएल परिवारों के लिए पूरा गेहूं उपलब्ध कराया जाए। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। राज्य सरकार ने कई बार लिखा है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसके द्वारा 13.86 लाख मीट्रिक टन और 1474 करोड़ रुपए की मांग की है, मगर केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण से गरीबों की मदद नहीं हो पा रही है।

महोदय, आपके माध्यम से पुन: सरकार का ध्यान आकर्षित करके अनुरोध है कि राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए, एपीएल, बीपीएल को गेहूं उपलब्ध कराया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मेरा नाम भी इनके साथ जोड़ लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका नाम एसोशिएट किया जाता है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक के बारे में यहां चर्चा हुई, लेकिन मैं इससे उलट किस्सा उसी मंत्रालय को बताना चाहता हूं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई, 2006 के अपने पत्र के द्वारा 1 अगस्त से 8 अगस्त तक मंगोलिया में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए देश के विभिन्न राज्यों से नेशनल अवार्ड प्राप्त 13 से 16 वर्ष के बच्चों को मंगोलिया जाने के लिए बुलाया गया। उन्हें 30 जुलाई को दिल्ली से जाना था। मंगोलिया

जाने के लिए वीजा तैयार हो गया था, किन्तु 30 जुलाई की रात्रि को सभी बच्चों को बताया गया कि वह ट्रिप कैंसिल करवा दी गई है, इसलिए आप अपने-अपने प्रान्तों में वापिस चले जाएं। बिना किसी कारण उन्हें वापिस भगाने का काम शुरू हो गया। उन्होंने जब कारण पूछा तो कोई कारण नहीं बताया गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : मेरी रिक्वैस्ट है कि वही मिनिस्ट्री 13 और 16 साल के बच्चों पर ऐसा अन्याय करती है, उसका कारण भी नहीं बताती। उन बच्चों के पिता भी उनके साथ अपने टिकट से आए थे, लेकिन उन्हें वापिस जाना पड़ा। उनके स्कूल में उनका सत्कार हो गया था, अब वे कौन से मुंह से वापिस जाते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री वाले छोटे बच्चों पर अन्याय करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने अन्याय किया है, उसे सजा होनी चाहिए।

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने विदर्भ के पैकेज में किसानों को ऋण के ब्याज की माफी की घोषणा की, किन्तु ब्याज माफी के निर्देशों में स्पष्टता न होने के कारण आज भी किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जैसे किसानों के कर्ज वसूली के लिए जिन किसानों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उन्हें आज भी ऋण नहीं मिल पा रहा है। जिन किसानों ने सिंचन व्यवस्था के लिए कर्ज लिया, ट्रैक्टर के लिए कर्ज लिया, जिन किसानों की वस्तु जब्ती में गई, उन किसानों के लिए आज भी कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं दे रही है जिस कारण बैंक अधिकारी भी असमंजस में हैं।

एक सर्वे में देखा गया था कि जिन किसानों ने खेती के साथ पूरक व्यवसाय जोड़े, जैसे दूध का उत्पादन और अन्य कोई व्यवसाय, उन किसानों ने आत्महत्याएं नहीं कीं। ऐसी स्थिति में पैकेज में दूध पैदा करने वाले जानवरों जैसे गाय और भैंस के लिए 75 प्रतिशत का ऐलना पैकेज में किया गया, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते किसानों की लूट हो रही है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण या ध्यान नहीं है। ऐसा कहा गया था कि इस बारे में सरकार की ओर से पूरा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन प्रधान मंत्री के पैकेज के बारे में बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विदर्भ के पैकेज के लिए जो घोषणा की गई थी, उसे तत्परता से लागू किया जाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, अभी हमने बच्चों की समस्याओं पर चर्चा की है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमारी लगभग 34 प्रतिशत आबादी 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। कुल जनसंख्या के इस 37 प्रतिशत भाग में से लगभग 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषित और कम वजन के हैं। खाद्य सुरक्षा की कमी और पोषण के खराब स्तर से बच्चों और किशोरों की, विशेषकर शून्य से तीन वर्ष की आयु के दौरान मस्तिष्क के विकास की अवधि में, शारीरिक विकास, बुद्धिमत्ता, व्यवहार और सीखने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास योजना कार्यान्वित की थी, लेकिन अभी तक बच्चों की आबादी का केवल 50 प्रतिशत भाग ही इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सका है। हमारे देश में लगभग 8 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र हैं।

हमें आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पूरी जनसंख्या को इसमें सम्मिलित करने के लिए 14 लाख आंगनवाड़ी कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस कार्यक्रम के कार्यकरण में आंगनवाड़ी कर्मियों हैल्परों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लगभग 15 लाख आंगनवाड़ी कर्मी और हैल्पर हैं। लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। वे एक दिन में चार-पांच घंटे कार्य करते हैं परंतु उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। वे पिछले सप्ताह से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। लगभग 10-15 हजार कर्मी अपनी शिकायतों को हल करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस धरने में भाग ले रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर काफी डिस्कशन हो गया है। आप क्या चाहते हैं?

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज : इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम को सार्वभौमिक बनाया जाए तथा इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवाओं को नियमित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवला देव राष्ट्रीय पक्षी विहार है। यह पक्षी विहार युनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। अफ्रीका के बाद यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इस पक्षी विहार में रूस के साइबेरिया क्षेत्र तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पक्षी आते हैं। यह विश्व के पक्षी प्रेमी पर्यटकों का आकर्षण होने के साथ ही भरतपुर की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा सम्बल है। इस विहार की दलदली में जो 18 ताल-तलैया हैं, उनमें एक सतह तक पानी रहता है। उस पानी की निरंतरता बनाये रखने की आवश्यकता है। अगर उसमें कमी आती है, तो घना पक्षी विहार में जो कई तरह के पक्षी आते हैं, वे वापस चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में 1991 में 500 एमसीएफ पानी रिजर्व किया गया था लेकिन किसान कई बार पानी रोक देते हैं। पानी नहीं होने के कारण घना पक्षी विहार को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए मेरी मांग है कि चम्बल से पानी लाकर घना पक्षी विहार में डालने के लिए जो 100 करोड़ रुपये की योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी है, उसे मंजूर किया जाये। उसके साथ यमुना के पानी से विशेष तौर से इस भरतपुर के घना पक्षी विहार के लिए पानी की मात्रा तय की जाये। इसमें 376 तरह की प्रजातियों के पक्षी आते हैं जो यहां प्रजनन भी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसके रख-रखाव का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है लेकिन इसमें जितना पैसा खर्च करना चाहिए, उतना राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर सकती। इसलिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इस घना पक्षी विहार हेतु पानी की निरंतरता बनाये रखने के लिए वह सारी योजनाएं स्वीकार करें। धन्यवाद।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जब भी अनुसूचित जाति-जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों, मेडिकल, इंजीनियरिंग अथवा मैनेजमैंट कोर्सेज में आरक्षण की बात की गयी है तभी समाज का संभ्रान्त वर्ग आरक्षण की खिलाफत तो करता है, मगर इन वर्गों को छात्रवृत्ति आदि देकर योग्य बनाने की वकालत जरूर करता है। केन्द्र सरकार ने इन वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना भी बना रखी है, किन्तु खेद का विषय है कि राजस्थान में ओबीसी के छात्रों को विश्वविद्यालय के छात्रों को विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बी. एड. आदि अन्य कोर्सेज में पढ़ने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। छात्रावासों में रहकर पढ़ने वाले छात्र भी छात्रवृत्ति से वंचित है। जो थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति आवंटित की जाती है, वह भी पूरा साल गुजर जाने के बाद ही उपलब्ध हो पाती है। राजस्थान में सिर्फ ओबीसी ही नहीं अनुसूचित जाति व जनजाति की भी कमोबेश यही स्थिति है। गत वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों ने समाज कल्याण विभाग और निदेशालय का घेराव किया तब केन्द्र सरकार से कुछ पैसा वहां आवंटित हुआ।

अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, साामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समूचे देश में ओबीसी और अनुसूचित जाति-जनजाति की पात्रता रखने वाले छात्रों का आकलन करके उसके अनुरूप समुचित धनराशि आवंटित करे जिससे छात्रों को कोर्स के शुरू में छात्रवृत्ति मिल सके, वरना उधार से पढ़ाई नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से इस मामले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पास पहुंचाना चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी 'क' राशि के दोनों माननीय सदस्य श्री कैलाश मेघवाल और डा. कर्ण सिंह यादव ने राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोले हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन दोनों विषयों के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी का नाम भी एसोशिएट कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर) : महोदय, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला विगत कई दशकों से सूखे की चपेट में है। इस दृष्टि से राजस्थान में जैसलमेर के बाद इसी का स्थान है। पहले यहां तीन साल में दो बार सूखा पड़ता था। लेकिन पिछले सात वर्षों से यहां प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है। जो किसान इस स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे वे आत्महत्या कर रहे हैं। दो महीने पहले खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन यहां अभी तक कोई वर्षा नहीं हुई है। हमारे जिले के 63 मंडलों में केवल 20 में केवल 21 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो कि न्यूनतम है, जबकि वहां 177 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी। अब तक 25 मंडलों में ही न्यूनतम वर्षा हुई है जबकि

किसान बीज बो चुके हैं। वर्षा में बहुत कमी के कारण बीज नहीं बोए गए हैं और किसान भारी विपत्ति में हैं।

मैं, आपके माध्यम से, भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के किसानों के बचाव हेतु तत्काल कदम उठाएं और उन्हें सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालीन उपाय करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों की समस्याएं हल की जायें। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत सरकार को इसपर तत्काल ध्यान देना चाहिए और इस जिले के किसानों की सहायता के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल अपराह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 3 अगस्त, 2006/ 12 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री भर्तृहरि महताब	141
	श्री अनन्त नायक	
2.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	142
	श्री सज्जन कुमार	
3.	डा. चिन्ता मोहन	143
4.	श्री के.एस. राव	144
5.	श्री रामजीलाल सुमन	145
	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	
6.	श्री रेवती रमन सिंह	146
7.	श्री एम. अंजनकुमार यादव	147
	श्री जीवाभाई ए. पटेल	
8.	श्री अधीर चौधरी	148
9.	श्री सुग्रीव सिंह	149
10.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	150
11.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	151
12.	श्री हंसराज जी. अहीर	152
13.	श्री रनेन बर्मन	153
	श्री चंद्रकांत खैरे	
14.	श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी	154
	श्री महेश कनोडिया	
15.	डा. राजेश मिश्रा	155
16.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	156
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	
17.	श्री चन्द्रभान सिंह	157
	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	
18.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	158
19.	श्री बी. विनोद कुमार	159
20.	श्री हरिभाऊ राठौड़	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1066, 1144, 1178
2.	आदित्यनाथ, योगी	1069, 1146
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1088, 1105, 1112, 1151
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1143, 1177, 1194, 1201

1	2	3
5.	अजय कुमार, श्री एस.	1078
6.	अर्गल, श्री अशोक	1058
7.	आठवले, श्री रामदास	1077
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1061
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1039, 1161, 1187
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1073
11.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1040, 1126, 1175
12.	बोस, श्री सुग्रत	1052, 1157
13.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1147
14.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1080
15.	चिन्ता मोहन, डा.	1138, 1174
16.	चौधरी, श्री अधीर	1142, 1175, 1192
17.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1133
18.	देवरा, श्री मिलिन्द	1047, 1195
19.	धनराजू, डा. के.	1106
20.	डींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1083
21.	धोत्रे, श्री संजय	1041
22.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1086
23.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1048, 1182
24.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1084, 1152, 1207
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1116, 1137, 1165, 1172
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	1081

1	2	3
27.	गंगवार, श्री संतोष	1055, 1184
28.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1089
29.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	1166
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	1074
31.	झा, श्री रघुनाथ	1076, 1102, 1164, 1192, 1205
32.	जिन्दल, श्री नवीन	1072
33.	जोशी, श्री प्रहलाद	1042, 1124
34.	कनोडिया, श्री महेश	1135
35.	करुणाकरन, श्री पी.	1088, 1147, 1149
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1120, 1169
37.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1059
38.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1044, 1128
39.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1051, 1127, 1137, 1182, 1189
40.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1056, 1192
41.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	1108
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1138, 1140, 1174
43.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	1083
44.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1064, 1163
45.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1062
46.	महताब, श्री भर्तृहरि	1136, 1173, 1199, 1204
47.	माने, श्रीमती निवेदिता	1116, 1137, 1165, 1172
48.	मनोज, डा. के.एस.	1145

1	2	3
49.	मसूद, श्री रशीद	1071, 1150, 1181
50.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1106
51.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1092
52.	मोहन, श्री पी.	1101
53.	मो. ताहिर, श्री	1093, 1118, 1168
54.	मोहिते, श्री सुबोध	1099
55.	नायक, श्री अनन्त	1169, 1204
56.	निखिल कुमार, श्री	1175, 1192
57.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1057
58.	ओराम, श्री जुएल	1114
59.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1074, 1122, 1162, 1171
60.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1050, 1153, 1182
61.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1063, 1087, 1148, 1180, 1195
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1053
63.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1119, 1167, 1171, 1191, 1193
64.	पाठक, श्री ब्रजेश	1075, 1160, 1186, 1198, 1203
65.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1068, 1090
66.	पटले, श्री शिशुपाल	1093, 1109, 1110
67.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1085, 1154
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1043, 1155
69.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1104, 1119
70.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1068, 1132

1	2	3
71.	राणा, श्री काशीराम	1080, 1082
72.	राव, श्री के.एस.	1139
73.	राव., श्री रायापति सांबासिवा	1091
74.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1192
75.	रावत, श्री अशोक कुमार	1039; 1118
76.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1111
77.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी	1194
78.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1121, 1176
79.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1134
80.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1105
81.	साईं प्रताप, श्री ए.	1096
82.	सज्जन कुमार, श्री	1131
83.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1097, 1158, 1185, 1197
84.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1060, 1130, 1188
85.	सरोज, श्री तूफानी	1065, 1156, 1184
86.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1100
87.	सत्पथी, श्री तथागत	1095
88.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1094, 1098, 1159
89.	सेन, श्रीमती मिनाती	1102, 1206
90.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1117, 1166, 1190, 1208
91	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1088, 1112, 1151
92.	शिवन्ना, श्री एम.	1107

1	2	3
93.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1093, 1109, 1110, 1118, 1168
94.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1043, 1093, 1106
95.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1145, 1179
96.	सिंह, श्री दुष्यंत	1115
97.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1113
98.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1116, 1137, 1172
99.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1067, 1202
100.	सिंह, श्री राकेश	1054
101.	सिंह, श्री रेवती रमन	1141
102.	सिंह, श्री सुग्रीव	1129, 1171, 1193, 1200
103.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1049, 1094, 1125
104.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1046, 1123, 1170, 1189
105.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1106
106.	सुमन, श्री रामजीलाल	1140
107.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1045, 1176
108.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1041, 1061, 1183, 1196
109.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1175
110.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1063
111.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1088, 1112, 1151
112.	यादव, श्री गिरिधारी	1155
113.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1093, 1118, 1168
114.	यादव, श्री मित्रसेन	1070, 1162
115.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1079

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	143
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	144, 150, 152, 153, 155, 159, 160
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	147, 148, 154, 157
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	142, 145
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	141, 151
अंतरिक्ष	:	146, 149, 158
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन		
युवक कार्यक्रम और खेल	:	156.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1064, 1085, 1154
कोयला	:	1050, 1073, 1077, 1099, 1127, 1133, 1143, 1156, 1168
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1043, 1044, 1046, 1048, 1056, 1057, 1061, 1065, 1084, 1093, 1097, 1101, 1102, 1103, 1110, 1111, 1112, 1118, 1119, 1120, 1123, 1126, 1151, 1152, 1161, 1163, 1164, 1167, 1183, 1186, 1191, 1196, 1203, 1207
विदेश	:	1041, 1049, 1060, 1063, 1069, 1070, 1071, 1078, 1095, 1109, 1116, 1128, 1131, 1132, 1137, 1141, 1142, 1145, 1146, 1149, 1150, 1157, 1158, 1175, 1184, 1189, 1190, 1192

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1045, 1051, 1075, 1092, 1098, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1121, 1129, 1144, 1160, 1165, 1166, 1170, 1174, 1178, 1181, 1182, 1185, 1187, 1188, 1194, 1205, 1206
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1047, 1053, 1090, 1135, 1147, 1197
पंचायती राज	:	1139, 1195
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1042, 1062, 1067, 1080, 1100, 1117, 1155
योजना	:	1139, 1055, 1066, 1072, 1089, 1094, 1113, 1115, 1130, 1138, 1172, 1198, 1208
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1054, 1058, 1059, 1076, 1079, 1081, 1083, 1088, 1091, 1096, 1114, 1122, 1125, 1136, 1140, 1159, 1162, 1169, 1173, 1176, 1177, 1199, 1204
अंतरिक्ष	:	1134, 1179, 1180, 1193, 1200, 1201, 1202
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	1052, 1068, 1074, 1087, 1171
युवक कार्यक्रम और खेल	:	1040, 1082, 1086, 1124, 1148, 1153.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।